भारत-सोवियत संघ सम्बन्ध और उसका भारत की विदेशनीति पर प्रभाव

1970–1988

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की डाक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

BUNDELKHAND UNIVERSITY
Central Library
Acc No.......
Date.........
JHANSI

प्रस्तुति
नीना श्रीवास्तव

निर्देशक
डॉ० पी०एन० दीक्षित
अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
पं० जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बांदा (उ० प्र०)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ० प्र०)

1993

दूरभाष : { पुराना भवन-[illegible]
नया भवन-[illegible]

पं० जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा (उ० प्र०)

डा० प्रेम नारायण दीक्षित
एम० ए०, पी० एच० डी०, एल-एल० बी०
राजनीति-शास्त्र विभागाध्यक्ष

निवास-
१२१/२ सिविल लाइन्स,
बाँदा (उ. प्र.) २१०००१

दिनांक 7-4-93

This is to certify that km. Neena Srivastava, who has been working on the subject, "INDO- U.S.S.R. RELATIONS AND ITS IMPACT ON INDIA'S FOREIGN POLICY FROM 1970 TO 1988" for her Ph-D. Degree in Political Science under my guidance and supervision, has now completed her work.

It is to certify further-

1. That the thesis is original and embodies her own work and,
2. She has worked under me for the required period from the date of application.

(P.N.Dixit)

विषय प्रवेश

वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों से विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सम्प्रभु राज्यों के पारस्परिक राजनैतिक तथा अन्य प्रकार के सम्बन्ध, आपसी व्यवहार तथा आचरण की मूल प्रवृत्तियों का विवेचन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा विदेशनीति के सन्दर्भ में 'भारत-सोवियत सम्बन्ध तथा इसका भारत की विदेशनीति पर प्रभाव 1970-1988 का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यद्यपि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन से विश्व परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया तथापि इससे भारत-सोवियत सम्बन्धों के अध्ययन की उपयोगिता उन कारकों के कारण और अधिक बढ़ जाती है जिन्होंने दो विभिन्न राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्था वाले राष्ट्रों को दीर्घकाल तक मैत्रीसूत्र में बांधे रखा तथा निरन्तर विकास की ओर प्रेरित किया। सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त भी रूस से भारत के अच्छे सम्बन्ध मैत्री एवं सौहार्द के प्रतीक हैं। इस शोध प्रबन्ध में उन कारणों का भी विवेचन किया गया है जिन्होंने पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के साथ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर दोनों देशों को समान दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया।

इसके अतिरिक्त भारत-सोवियत सम्बन्धों पर विभिन्न घटनाओं के सन्दर्भ में लगाए गए उन आक्षेपों पर भी विचार किया गया है जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि सोवियत समर्थक देश के रूप में उभरी। भारत की विदेश नीति पर भारत - सोवियत सम्बन्धों का

क्या तथा कहाँ तक प्रभाव पड़ा, भारत को उसके आर्थिक तथा राजनैतिक संकट में दी गई सोवियत सहायता ने भारत के राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित किया अथवा नहीं ; दक्षिण एशिया में सोवियत संघ द्वारा भारत के साथ ही सम्बन्धों को विकसित करना तथा सम्बन्धों की सुदीर्घ परम्परा में पारस्परिक विवाद के कम अवसरों का उपस्थित होना आदि ऐसे अनेक प्रश्न है जिनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस शोध प्रबन्ध में किया गया है । इसके अतिरिक्त विभिन्न कालों में विभिन्न नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी विचार धाराओं में परिवर्तन न होने के संकेत द्वारा तथा यात्राओं की निरन्तर विकसित होती राजनीति में भारत-सोवियत सम्बन्धों की उपयोगिता की आधारभूमि पर प्रकाश डालना अध्ययन का उद्देश्य रहा है ।

अतः इस शोध प्रबन्ध में भारत-सोवियत सम्बन्धों तथा सम्बन्धों के कारण भारत की विदेशनीति पर पड़ने वाले प्रभाव के विभिन्न आयामों के साथ-साथ पारस्परिक सहयोग तथा मैत्री विकसित करने वाले उत्प्रेरक कारकों का भी अवलोकन किया गया है ।

सम्पूर्ण शोध सात अध्यायों में विभक्त किया गया है जिनमें सन्-1970 से 1988ई0 तक के काल का अध्ययन समाहित है । प्रथम अध्याय में भारत एवं सोवियत संघ की भौगोलिक स्थिति तथा भारत सोवियत सम्बन्धों की आवश्यकता का वर्णन है ।

द्वितीय अध्याय में भारत एवं सोवियत सम्बन्धों का अध्ययन संकलित है । इस अध्ययन में भारत के सोवियत संघ से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आदि सम्बन्धों की पृष्ठभूमि विवेचित की गई है ।

तृतीय अध्याय में वर्ष 1970 से 1988 काल के भारत एवं सोवियत संघ सम्बन्धों का विस्तृत विवेचन किया गया है। वर्ष 1970 से पूर्व भारत को दी गई सोवियत राजनैतिक तथा आर्थिक सहायता का भी उल्लेख किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में सोवियत संघ एवं भारत सम्बन्धों में पारस्परिक सन्धि, समझौतों तथा विभिन्न सत्ता परिवर्तन के सन्दर्भ में सहयोग में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

भारत एवं सोवियत विदेश नीति के निर्धारक तत्वों, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, पश्चिमी तथा पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेशनीति तथा सोवियत विचार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत-सोवियत सम्बन्धों के दृष्टिकोण का अवलोकन पंचम अध्याय की विषयवस्तु है।

भारत एवं सोवियत सम्बन्ध और उसका भारत की विदेशनीति पर प्रभाव का मूल्यांकन छठें अध्याय में किया गया है।

अन्तिम सातवें अध्याय में सम्पूर्ण विषय सामग्री के सारांश के साथ निष्कर्षों को भी निबन्धित किया गया है। परिशिष्ट में 9अगस्त, 1971 की भारत सोवियत शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की सन्धि संकलित है।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः विभिन्न पुस्तकों, तत्कालीन समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त संसदीय वाद-विवाद दोनों देशों के नेताओं के भाषण संग्रह, लेख, संस्मरण तथा फारेन अफेयर्स रिकार्ड्स आदि से भी यथासम्भव सहायता ली गई है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय पुस्तकालय लखनऊ, आई॰सी॰एस॰एस॰आर०, फिरोजशाह रोड तथा इण्डियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स लाइब्रेरी, नई दिल्ली से मुझे मूल्यवान अध्ययन सामग्री सुलभ हो सकी है ।

मै डॉ०पी०एन०दीक्षित, अध्यक्ष राजनीति विभाग, पं० जे०एन० कालेज, बांदा की अत्यन्त आभारी हूं जिनके कुशल निर्देशन मे प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका ।

दिनांक: 6-4-1993ई०

नीना श्रीवास्तव

(नीना श्रीवास्तव)

विषय - सूची

भारत
सो. स
ग. सं
फगानिस्तान
जम्मू
कश्मीर
चीन
तिब्बत
हिमाचल प्रदेश
पाकिस्तान
पंजाब
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
नेपाल
राजस्थान
भूटान
अरुणाचल प्रदेश
असम
मेघालय
बिहार
बांगला देश
प. बंगाल
गुजरात
मध्य प्रदेश
बर्मा
उड़ीसा
महाराष्ट्र
बंगाल की खाड़ी
आन्ध्र प्रदेश
अरब सागर
कर्नाटक
अन्डमान निकोबार द्वीप समूह
तमिलनाडु
केरल
श्रीलंका
हिन्द महासागर

प्र थ म - अ ध्या य

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

भू मि का

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के सहयोग के राजनैतिक आयाम, 15अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के उपरान्त निरन्तर महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करते गए। समय के साथ - साथ दोनों देशों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों में निरन्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभावों की सफलतापूर्वक छाप छोड़ी है।

यद्यपि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र, भाषा, धर्म, राजनैतिक व्यवस्था की दृष्टि से दोनों देशों में पर्याप्त अन्तर है तथापि कई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों के विचार समान है और विचारों की यही समानता दिन-प्रतिदिन के सौहार्द्रपूर्ण सहयोग और पारस्परिक समझ की भावना की वृद्धि का आधारहै।

1. भारत की भौगोलिक स्थिति :

भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत फैला है जो कि उत्तर पूर्व और पश्चिमोत्तर भाग तक विस्तृत है। दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अण्डमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र के अंग है। दक्षिणी किनारे में हिन्द महासागर का विस्तार है।

सोवियत संघ

लेनिनग्राड
सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्र संघ
रू
स
शि
या
मास्को
स्टैलिनग्राड
मंगोलिया
चीन गणतन्त्र
जापान
टर्की
ईरान
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
भारत
सऊदी अरब
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
बर्मा
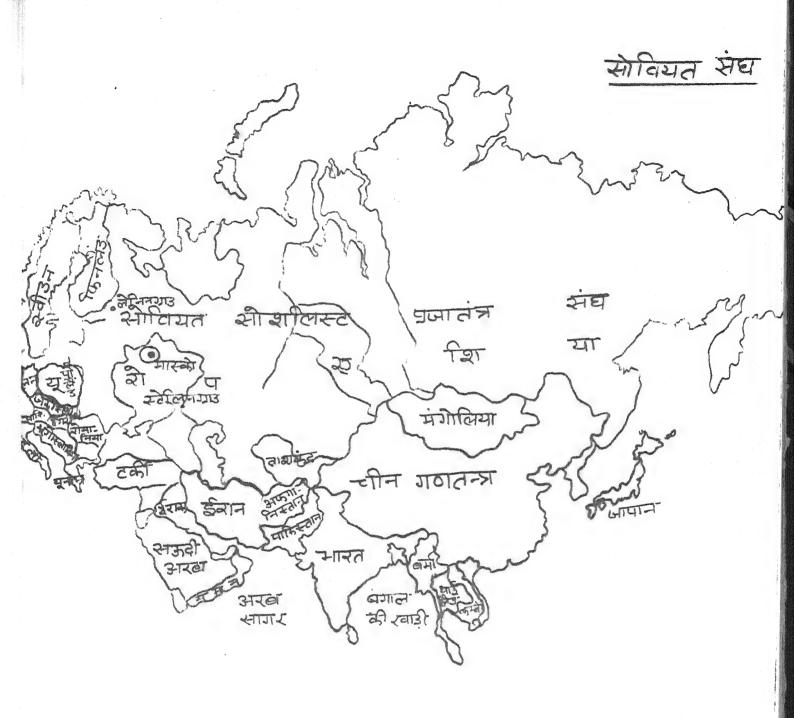
भारत का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग कि0मी0 है ।

पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान से और पूर्व में वर्मा तथा बांग्लादेश से मिली हुई है । उत्तरी सीमा में चीन का सिक्यांग प्रदेश तिब्बत, नेपाल और भूटान सम्मिलित है । दक्षिणी सीमा में श्रीलंका पड़ोसी देश है ।

संविधान में भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें संसदीय सरकार के निर्माण का आधार सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार माना गया है ।

2. सोवियत संघ की भौगोलिक स्थिति :

सोवियत संघ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है । यह एशिया और यूरोप महादेशों में फैला है । इस देश का विस्तार बाल्टिक सागर से प्रशान्त महासागर तक 9600 कि0मी0 से अधिक तथा उत्तर से दक्षिण 4800 कि0मी0 से अधिक है । पश्चिम में इसकी सीमा यूरोप की फिनलैण्ड खाड़ी तक तथा पूर्व में एशिया में उत्तरी प्रशान्त महासागर तक विस्तृत है । सुदूर उत्तर पूर्व में बेरिंग जलडमरूमध्य इसे अलास्का से अलग करता है । सोवियत संघ का क्षेत्र 2,24,00,000 वर्ग कि0मी0 है । पश्चिमी - दक्षिणी सीमाओं पर फिनलैण्ड, पोलैण्ड, रोमानिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान और

चीन आदि पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी मास्को और भाषा रूसी है।

कम्युनिस्ट पार्टी देश की नीति-निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था है। पार्टी का सर्वोच्च अंग कांग्रेस है और केन्द्रीय समिति का चुनाव करती है। केन्द्रीय समिति पोलित ब्यूरो और सेक्रेटेरियेट का निर्माण करती है।

3. भारत - सोवियत सम्बन्धों की आवश्यकता एवं महत्व :

भारत - सोवियत संघ सम्बन्धों की आवश्यकता एवं महत्व का विश्लेषण करने के पूर्व उन कारकों का अध्ययन आवश्यक है जो अन्तर्निर्भरता और विकास को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से जोड़ते हैं। ये कारक हैं -

§1§ अस्तित्व की पहचान का प्रश्न और राजनैतिक व्यवस्था की आन्तरिक वैधता तथा -

§2§ विदेश नीति कार्यान्वयन के तीन आयाम - द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय -

स्वअस्तित्व की पहचान तथा राजनैतिक व्यवस्था की आन्तरिक वैधता का प्रश्न नव स्वातन्त्र्य देशों के समक्ष एक गम्भीर

चुनौती होती है । इस राजनैतिक व्यवस्था की आन्तरिक वैधता से तात्पर्य उस व्यवस्था के स्वरूप निर्धारण से है जो देश - विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप जन्म लेती है तथा राजनैतिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है । राजनैतिक व्यवस्था अथवा संरचना निर्माण से न केवल देश विशेष का विकास होता है अपितु अन्य देशों के समक्ष उसके राजनैतिक अस्तित्व का भी बोध होता है । जनता द्वारा देश की राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से उसे आन्तरिक वैधता प्राप्त हो जाती है । आन्तरिक स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यवस्था की प्राप्ति के अतिरिक्त बाह्य स्तर पर उन पारस्परिक मुद्दों पर भी दृष्टि डालनी पड़ती है जिसके अन्तर्गत पड़ोसी और अन्य देशों से सम्बन्ध बनाये जाते हैं ।[1]

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और सम्बन्धों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । साम्राज्यवादी शोषण और औपनिवेशिक अधिपत्य का युग समाप्त हुआ । इस प्रकार का नवीन

---

1. आर० खान, डी०डी०खन्ना, एम०जे०जुबेरी, सुदीप्ता कविराज - इण्डिया एण्ड द सोवियत यूनियन-कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेन्ट एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1975, पृ०145.

राजनैतिक विश्व, कुछ कमियों के बाद भी अधिक सकारात्मक, मानवीय और लोकतांत्रिक था । अन्धकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए नव्य अर्न्तराष्ट्रीय अर्न्तनिर्भरता वाला विश्व वस्तुतः फ्रेंच क्रान्ति के महान् मूल्यों समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व की विजय का प्रतीक था ।

नवीन राजनैतिक संरचना के सन्दर्भ में नव-स्वातंत्र्य देशों में आन्तरिक और बाह्य स्तर पर कुछ मूलभूत समस्यायें थीं । आन्तरिक परिदृश्य में जहाँ एक ओर उन्हें विभिन्न समुदाय, समूह और जातियों को सन्तुष्ट करते हुए एक मिली-जुली, स्थिर और शान्तिपूर्ण नीति का प्रतिपादन करते हुए राजनैतिक स्थिरता एवं अखण्डता प्राप्त करनी थी, वहीं बाह्य स्तर पर ऐसी नीति अपनानी थी जो अन्य देशों से सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके सहयोग प्राप्त कर सके । विज्ञान, तकनीकी तथा संचार के क्षेत्र में क्रान्ति नेहरू देशों के लिए विकसित पश्चिमी योरोप, अमेरिका, सोवियत संघ तथा पूर्वी योरोप से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक बना दिया था तथा सहयोग की प्राप्ति सम्बन्धों की परम्परा स्थापित होने से ही सम्भव थी । फलतः परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार विकास के लिए पारस्परिक अंर्त निर्भरता का युग प्रारम्भ हुआ । आर्थिक विकास की महती आवश्यकता ने राजनैतिक स्तर पर सम्बन्धों की श्रृंखला की स्थापना तथा उसे उत्तरोत्तर विकसित

करने की दिशा में प्रेरक का कार्य किया । इस प्रकार आवश्यकताओं तथा हितों के संवर्धन ने विभिन्न देशों को परस्पर निकट आने तथा सम्बन्ध बनाने के लिए आवश्यक वातावरण का सृजन किया ।

विश्व राजनीति की तत्कालीन परिस्थिति में राज्यों के मध्य सम्बन्धों के तीन आयाम उभरे । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को अन्तर्-निर्भरता एवं विकास से जोड़ने की शृंखला में विश्व राजनीति के परिदृश्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तीन आयाम हैं-

(1) द्विपक्षीय

(2) क्षेत्रीय

(3) अन्तर्राष्ट्रीय

द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं । आयात-निर्यात व्यापार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान, शीर्षस्थ नेतृत्व के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा कूटनीतिक सम्बन्धों आदि के आधार पर प्रगाढ़ता का अनुमान लगाया जा सकता है ।

परन्तु विभिन्न राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अच्छे द्विपक्षीय सम्बन्ध भी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धों के मधुर और शान्तिपूर्ण बने रहने का आश्वासन नहीं दे सकते । इसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न स्तर

पर सम्बन्धों के समक्ष चुनौतियाँ एवं समस्यायें भी भिन्न रूप में उपस्थित होती हैं ।

राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के दूसरे आयाम में क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पर्याप्त अन्तर होता है । वर्तमान काल में प्रत्येक राज्य में एक या एक से अधिक क्षेत्र हैं जो भू-राजनीति के दबाव का परिणाम है । इन क्षेत्रों में विकास उनकी आवश्यकता के अनुसार अन्य राज्यों के समीप लगता है जिससे अन्तर्निर्भरता तथा विकास की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलता है । इस प्रकार क्षेत्रों के समीप आने की भावना से क्षेत्रीय समुदायों के संगठन में वृद्धि होती है, तथा यही संगठित क्षेत्रीय समुदायों की वृद्धि कालान्तर में 'एक विश्व' के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होती है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के स्तर को विस्तृत आयाम देती है ।

तीसरे प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी समितियों के सन्दर्भ में मानवीय मुद्दों की तीन श्रेणियाँ सम्मिलित हैं -

§1§ जातिवाद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध युद्ध, स्वाधीनता संघर्ष आदि ।

§2§ विश्वव्यापी मुद्दे - सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण आदि तथा-

§3§ महाशक्तियों की राजनीति ।

गुणात्मक रूप में विवेचन करने से ज्ञात होता है कि

अन्तर्राज्य सम्बन्धों के तीनों आयामों में पारस्परिक निर्भरता होती है । एक सीमा तक पृथक होने पर भी उनमें परस्पर साम्य होता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आयामों पर उपरोक्त सैद्धान्तिक विवेचना को प्रकाश डालने के उपरान्त यह देखना उचित होगा कि भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध सैद्धान्तिक कारकों को दृष्टि में रखते हुए किस सीमा तक सफल हुए हैं तथा एक-दूसरे की नीतियों पर प्रभाव डालने के अतिरिक्त विश्व रंगमंच की प्रवृत्तियों को कहाँ तक प्रभावित किया है ।

भारत सोवियत संघ सम्बन्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के वर्षों में प्रगाढ़ मैत्रीपूर्ण तथा सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धों के उदाहरण के रूप में उभरे हैं । यदि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का अवलोकन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पचास के दशक में प्रारम्भ हुई सोवियत आर्थिक सहायता ने भारत के साथ अपने सम्बन्धों को अन्य देशों की अपेक्षाकृत अधिक प्रगाढ़ बनाया है । पारस्परिक सम्बन्धों में नवीन चेतना का प्रारम्भ स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त प्रारंभ हुआ । यद्यपि सामाजिक संरचना, राजनैतिक प्रणाली और विचारधारा के क्षेत्र में दोनों देशों में पर्याप्त अन्तर है तथापि आन्तरिक प्राथमिकताओं के कारण दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहयोग के सिद्धान्तों, पारस्परिक हितों और एक-दूसरे के प्रभुसत्तासम्पन्न अस्तित्व के प्रति

सम्मान की भावना पर आधारित है । वस्तुत: भारत:-सोवियत सम्बन्ध सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त तथा स्वीकृत सहअस्तित्व के राज्य सिद्धान्तों के क्रियात्मक कार्यान्वयन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं ।

भारत सोवियत संघ सम्बन्धों को आधार मिला का मुख्य कारण है विश्वशान्ति के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता तथा स्वतंत्रता संघर्ष को, चाहे वह विश्व के किसी भी देश में हो सहयोग, देना ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत जब अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता के विरुद्ध संघर्ष करके एक नई आर्थिक संरचना के निर्माण का प्रयत्न कर रहा था, तब सोवियत संघ ही वह देश था जिसने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तका प्रतिपादन करके भारत को हार्दिक सहयोग देना प्रारम्भ किया । जिसके कारण नव स्वाधीन भारत ने समाजवाद के आदर्शों को अपनाकर सोवियत संघ से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के समझौते किए तथा विकास की दिशा को अपनाया ।

9अगस्त, 1971 को बीसवर्षीय शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की सन्धि ने भारत के बहुमुखी विकास की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया । इस सन्धि ने तत्कालीन समय में भारत में विभिन्न आशंकाओं और निराशाओं को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाई । इसके अतिरिक्त समय-समय पर दोनों देशों की यात्राओं ने भी एक नई राज-

नौतिक प्रक्रिया का शुभारम्भ किया ।[2]

स्टॉलिन काल का वह सोवियत संघ, जो लौह आवरण को नीति वाला देश कहा जाता था, अब दक्षिण एशिया के उस देश के साथ सम्बन्ध बनाने का इच्छुक था जो कि सतत् विकास की ओर अग्रसर हो रहा था - उन आदर्शों और उद्देश्यों को लेकर जो कि समग्र मानवता के उत्थान के लिए अत्यावश्यक होते हैं । वस्तुत: विपरीत विचारधारा और राजनैतिक व्यवस्था के होते हुए भी समान उद्देश्य और आदर्श दोनों देश को पारस्परिक सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे थे । बोकारो और भिलाई स्टील प्लान्ट, मथुरा की ऑयल रिफाइनरी कलकत्ता का मेट्रो प्रोजेक्ट, राँची का हेवी इन्जीनियरिंग प्लान्ट तथा हरिद्वार का हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लान्टआदि सोवियत तकनीकी सहायता से उपजे लाभप्रद परिणाम है जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में महती भूमिका निभाई ।[3]

---

2. विनोद भाटिया, इण्डो सोवियत रिलेशन्स - एन ओवरव्यू पंचशील पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1984, पृ०-२४
3. जे०सी० तिवारी - बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ सोवियत इकोनॉमिक्स एड द इण्डिया, अलीगढ़, 1979, पृ०-5

यद्यपि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था परन्तु किसी अधिनायकवादी देश के रूप में नहीं, अपितु विश्व के अन्य स्थानों में स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत देशों को उनके वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग देने वाले देश के रूप में। एक ऐसे देश की छवि के रूप में सोवियत संघ प्रयत्नशील था, जो अन्य विकासशील तथा अविकसित देशों की आवश्यकतानुसार सहायता कर सके। तत्कालीन समय में भारत द्वारा गुट निरपेक्ष तथा शान्ति की नीति अपनाये जाने के कारण विश्वशान्ति, राजनैतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता के सन्दर्भ में भारत की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण बन रही थी। अतः राजनैतिक सन्तुलन को बनाये रखने के दृष्टिकोण से सोवियत संघ ने भारत को सहयोग देकर उसे दक्षिण एशिया की स्थिर, शान्तिपूर्ण तथा सुदृढ़ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायता दी। अन्य विकासशील देशों की भाँति भारत ने सोवियत संघ की सफलताओं और असफलताओं के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। इस सन्दर्भ में दोनों देशों के योजना आयोग द्वारा अनुभवों का आदान-प्रदान करके योजना के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग का लाभ उठाया गया।

वर्तमान युग में जहाँ पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जा रही है, कोई भी देश निर्विकार भाव से तटस्थ नहीं रह सकता है। अतः भारत के अतिरिक्त अन्य नव-स्वतंत्रता प्राप्त प्रगतिवादी विचार - धारा वाले देशों ने भी सोवियत संघ से सहयोग का लाभ उठाया।

अन्य देशों द्वारा सोवियत सहायता प्राप्त करने का उदाहरण इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यह सोवियत संघ के समाजवादी आदर्शों की साम्राज्यवाद के ऊपर विजय का प्रतीक है, जो कि विश्वशान्ति को संघर्ष और टकराव की राजनीति से दूर रखकर राजनीतिक क्षितिज पर सहयोगपूर्ण मैत्री और शान्ति का वातावरण बनाये रखना चाहता है।

अतः गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रमुखता देने वाले भारत तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के प्रतिपादक सोवियत संघ के सम्बन्धों के निरन्तर विस्तार से सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर ज्ञात होता है कि राजनैतिक व्यवस्था तथा अन्तर्राज्य सम्बन्धों के तीन आयामी क्षेत्र में सोवियत संघ न केवल ऐसे राज्य के रूप में उपस्थित होता है जिससे भारत के प्रमुख सम्बन्ध हैं बल्कि यह मात्र एक ऐसा राज्य है जिसकी भारत के साथ पारस्परिक विश्वास, समान हित, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के साधनों तथा उद्देश्य में समान रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी है।

00000000000

000000000
0000000

00000

000
0

द्वितीय - अध्याय

भारत - सोवियत संघ सम्बन्धों की पृष्ठभूमि

अति प्राचीन काल से भारत के सांस्कृतिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध, रूस, पश्चिम एशिया और काकेशिया से रहे हैं। रूस और भारत के समृद्ध साहित्य में उपलब्ध प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि प्रारम्भिक 12वीं शताब्दी से दोनों पड़ोसी देशों के मध्य वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। वस्तुतः दोनों देशों का परिचय पारस्परिक खोजों की यात्रा के रूप में हुआ। भारत - उजबेक, भारत-तुर्कमेन, भारत-ताजिक, भारत-आर्मेनियन और भारत-अजरबैजान सम्बन्ध मित्रता और सहयोग के सम्पर्क सूत्रों को दर्शाते हैं।[1]

1. ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सम्बन्ध :पृष्ठभूमि :

दोनों देशों के इतिहास पर दृष्टि डालने से पारस्परिक सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही भारत ने पड़ोसी और दूर सीमाओं पर स्थित देशों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब विश्व के अनेक देश सभ्यता के पथ पर अनुसरण कर रहे थे, भारतीय

---

1. जगदीश विभाकर - ए मॉडल रिलेशनशिप, पंजाबी पब्लिशर्स, 34 टी0सी0बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, पृष्ठ 1-2.

संस्कृति और सभ्यता उस समय शीर्ष पर थी । अतः भारत के साथ प्रत्येक प्रकार के सम्बन्धों को स्थापित करना अन्य देशों के लिए उस समय की राजनीति के अन्तर्गत वैदेशिक नीति के सम्बन्धों के निर्वाह के लिए लाभप्रद था ।

कुछ विद्वानों के अनुसार वह क्षेत्र विशेष जिसमें इण्डो-युरोपियन जातियाँ बस गई थीं, आज के सोवियत यूनियन का हिस्सा था । आर्य समुदाय [इण्डो-ईरानियन] के संगठित होने के बाद आर्य जनजाति ने उस क्षेत्र में निवास करना प्रारम्भ किया जो कि अब सोवियत संघ का भाग है । सोवियत पुरातत्वशास्त्रियों ने तत्कालीन निवासियों के प्रवास की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए हिन्दुस्तान के उत्तर - पश्चिमी भाग में इण्डो-आर्य के निवास का भी उल्लेख किया है।[2]

अतीत काल में भारत के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों में अपेक्षाकृत भारत के उस क्षेत्र से सम्बन्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो कि अब सोवियत सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक्स के क्षेत्र [वर्तमान काल में] है । विभिन्न व्यापारिक युद्धों और राज्यों कि निर्माण ने भारतीय और पश्चिमी एशिया क्षेत्र को निकटता प्रदान की तथा इस निकटता ने भारत की भौतिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया ।

---

1. पी०एन०कबार, टी०एन०कौल, आर०शाम, वी०पी०दत्त, डी०मिश्रा, देविन विक्टर, डी०डी०चोपड़ा- स्टडीज इन इण्डो सोवियत रिलेशन्स पेट्रियाट पब्लिकेशंस - नई दिल्ली, जुलाई 1986, पृ०४०

मध्यकाल में भारत ने पश्चिमी एशिया क्षेत्र से घनिष्ठ व्यापारिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किए । सम्बन्धों के निरन्तर विस्तार ने भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता को बढ़ावा दिया । परिणामस्वरूप विभिन्न भाषाओं में (रूसी भाषा सहित) भारतीय संस्कृति, सभ्यता का वर्णन किया जाने लगा । इस प्रकार से धीरे-धीरे भारत के स्वरूप के वर्णन एवं प्रसार को विस्तार मिलना प्रारम्भ हुआ ।[3]

सोवियत पुरातत्वशास्त्रियों द्वारा पश्चिम - एशिया में की गई आधुनिक खोजों ने सिद्ध किया है कि पश्चिमी एशिया के दक्षिणी भाग अथवा क्षेत्रों और भारत के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध हड़प्पा युग से थे तथा विशेषकर कुषाणकाल तक घनिष्ठ होते गए । जहाँ कुषाण और शकों द्वारा शासन सीमाओं के विस्तारकाल ने पश्चिमी एशिया के भारत पर प्रभाव को प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी ओर भारत के धर्म और बुद्धवाद, संस्कृति और दर्शन ने पश्चिमी एशिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी ।

भारत और रूस, विशेषकर सेन्ट्रल एशियन क्षेत्र के साथ

---

1. जी० बोनगार्ड लेविन एण्ड ए वीगेसिन - द इमेज ऑफ इण्डिया, मास्को, 1984, पृष्ठ 13-14.

आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराने हैं । पहली शताब्दी से इस्लामी मध्ययुग के समय के बहुत अधिक संख्या में बौद्ध शिल्पकला के भवन, पूजागृह आदि सेन्ट्रल एशियन रिपब्लिक्स के उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिया और किर्गिजिया क्षेत्र में खोजे गए हैं । ये प्रमाण इस तथ्य को भी दर्शाते हैं कि कुषाण शासन का विस्तार उस दक्षिणी भाग तक था जो आज का सोवियत सेन्ट्रल एशिया है । अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों ने एक-दूसरे के सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त प्रभावित किया था ।

2. सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान-प्रदान :

रूस में भारत के सम्बन्ध में ज्ञान कैसे पहुँचा, इस प्रश्न के सन्दर्भ में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त खोजों का अभाव है फिरभी अनुमान के आधार पर प्रतीत होता है कि ये ज्ञान छपे हुए लेखों और प्रत्यक्ष सम्पर्कों के जरिये पहुँचा होगा ।

15वीं शताब्दी के भारत-रूस सम्बन्धों के विषय में भी अत्यन्त कम प्रमाण मिले हैं । सर्वप्रथम भारत के विषय में प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण एक रूसी व्यापारी अफनासी निकितिन का माना गयया है जो 15वीं शताब्दी {1466-72} में इस देश को देखने एक सद्भावना यात्रा

पर आया था । उसने हिमालय पार के इस देश की भौगोलिक स्थिति और जीवन का विस्तृत चित्रण किया और अपने अनुभवों तथा भारतीय जीवन के प्रभावों को यात्रा लेख में संकलित किया जिससे रूसी जनता में भारतीय जीवन की संस्कृति और सभ्यता के प्रति उत्सुकता जगी । भारतीय जीवन का वर्णनीय विवरण दो अन्य रूसी यात्रियों एस०एस० येफ्रेमोव और जी०एस०लेबेडेव द्वारा भी दिया गया जो कि 18वीं शताब्दी में कुछ समय तक भारत में रहे थे । येफ्रेमोव ने दिल्ली,लखनऊ, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता का वर्णन किया । लेबेडेव, जो कि भारत में 25 साल रहे, उन्हें 'इण्डियन इन्डोलॉजी का जनक' माना गया। सर्वप्रथम उन्होंने ही भारत में यूरोपियन प्रकार के थियेटर की स्थापना की । इसी प्रकार कारम्जीन,पी०पेट्रोव,के० कोसविच,आई०पी०मिन्नयेव, वोरोनित्सियन ओव इत्यादि के नाम भारत के साथ विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों की वृद्धि के लिए सदैव स्मरण किये जायेंगे ।[4]

यद्यपि 16वीं शताब्दी में रूस के भारत के साथ सम्बन्ध राजकीय स्तर पर नहीं थे फिरभी व्यक्तिगत रूप से रूसी व्यापारियों द्वारा भारत यात्रा की जाती थी । भारतीय व्यापारी भी रूस जाते थे और इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि तत्कालीन रूसी

---

4. जगदीश विभाकर - ए मॉडल रिलेशनशिप - पंजाबी पब्लिकेशंस, 34 टी०सी०बिल्डिंग,कनॉट प्लेस,नईदिल्ली-1972,पृष्ठ 1-2.

शासक जैसे बोरिस गोडुनोव आदि ने उन्हें संरक्षण भी प्रदान किया । तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में भारत और रूस के व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि होती गई । वस्त्र, मूल्यवान पत्थर, दवाइयाँ आदि काफी मात्रा में भारत से ईरान मार्ग से होते हुए रूस जाते थे ।[5]

सम्बन्धों का स्तर और अधिक महत्वपूर्ण तब हुआ जब अस्त्रेखान से एक व्यापारी सैली तुखानोव मुगल बादशाह शाहजहाँ को भेजा गया और ये निश्चित किया गया कि व्यापार से सम्बन्धित लोगों को एक-दूसरे के प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यों में आवागमन औरव्यापार करने की स्वतंत्रता है ।

अन्य महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि भारतीय व्यापारियों को उनको पारम्परिक विधानों और रस्मों तथा धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करने की स्वतंत्रता दी गई । कुछ भारतीय परिवार जो रूस में बस गए थे,उनके सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि अग्रीजान समूह और भारतीयों के मिश्रण से तातार कौम की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अन्त तक भारत - रूस सम्बन्ध एक उत्तरोत्तर विकसित अवस्था को प्राप्त कर रहे थे । मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में मोहम्मद - युसुफ कासीमोव द्वारा एक सद्भावना दल लाया गया और इस यात्रा के अन्तर्गत उसे रूस के सब्जियों के बीज,

---

1. आर०खान,वी०एन०हक्सर,टी०एन०कौल,वी०पी०दत्त,वी०मिश्रा, सेसिल विक्टर,वी०डी०चोपड़ा-स्टडीज इन इण्डो सोवियत रिलेशन्स- पैट्रियाट पब्लिशर्स,नई दिल्ली,1986.

जानवर, पशु-पक्षी, अन्य प्रकार के बहुमूल्य धातुओं को लाने की अनुमति दी गई ।[6]

16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यन्त उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी थी । नगरों में विकास के साथ-साथ छोटे गाँवों और कस्बों में चावल, मक्का, मक्खन, चीनी, सूखे मेवे इत्यादि का बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता था ।[7] इस सम्बन्ध में पश्चिमी इतिहासकारों द्वारा मान लिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के पहले भारत में औद्योगिक विकास तत्कालीन विश्व औद्योगिक विकास के स्तर के मापदण्ड के अनुसार चरम उत्कर्ष पर था। सन्-1916-18 के औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट भी उस काल के विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित करते हुए कहती है कि -"एक समय जब पश्चिमी यूरोप, आधुनिक औद्योगिक नीति का जन्मस्थान, असभ्य जनजातियों से परिपूर्ण था, भारत अपने शासकों के वैभव और शिल्पकारों की उच्च कलात्मक क्षमताओं के लिए विख्यात था और कुछ समय पश्चात् जब पश्चिमी साहसिक व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया तो अनुभव किया

---

6. जी०बोनगार्ड लेविन एण्ड ए विगेसिन - द इमेज ऑफ इण्डिया, मास्को, पृष्ठ 30-35.
7. टैवरनीर - ट्रैवल्स इन इण्डिया, लन्दन,1925, वॉल्यूम-1 पृष्ठ 238.

कि भारत का औद्योगिक विकास किसी भी दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपियन देशों से कम नहीं था ।[8]

तत्कालीन औद्योगिक और आर्थिक नीति का विकास यह स्पष्ट करता है कि भारत अपनी प्राकृतिक सम्पदा और मानवीय परिश्रम के लिए विख्यात हो चुका था । प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी बहुमूल्य मानवीय क्षमताओं द्वारा करके भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान बना चुका था ।

ऐसे समय में भारत-रूस सम्बन्धों के विकास में भी गतिशीलता आई । सन्-1720 और 1740 के अन्तराल में भारत-रूस व्यापारिक सम्बन्धों में तीव्रता आई और व्यापार में वृद्धि हुई । यह व्यापार मुख्यत: उन भारतीयों द्वारा किया गया जो अस्थाई और स्थाई रूप से रूस में बस गए थे । इस अवधि में वार्षिक व्यापारिक टर्नओवर 1000,000 रूबल तक आँका गया । इस प्रकार यह व्यापारिक सम्बन्ध मात्र आर्थिक सम्बन्धों का प्रदर्शन ही नहीं करते वरन् इस तथ्य की ओर इंगित करते है कि कैसे दोनों देश के मध्य सम्बन्धों में उत्तरोत्तर विकास की संभावनाओं को प्रोत्साहित किया गया ।

18वीं शताब्दी में रूस में विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्नों में वृद्धि होने लगी । सन्-1724 में सेन्ट पीटर्सबर्ग

---

8. इण्डियन इण्डस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट, पृष्ठ-6.

एकेडेमी ऑफ साइन्सेज की स्थापना हुई । उसी साल डेनियल मेसिरस्मिट ने साइबेरिया में एक भारतीय व्यापारी से भारतीय भाषाओं और {स्क्रिप्ट्स} हस्तलिखित दस्तावेज प्राप्त किए । यह व्यापारी मूलतः दिल्ली से आकर इर्कुत्स्क में बस गया था । इन दस्तावेजों से भी भारत की भाषाओं और लिपि के विषय में जानकारी मिली । भारतीय भाषाओं पर सर्वप्रथम काम करने वाले रूसी विद्वानों में प्रो० जार्ज जेकब केर प्रमुख थे । उन्होंने देवनागरी वर्णमाला को सीखकर भारतीय भाषाओं को जानने और समझने का प्रयास किया । इसके पश्चात् 18वीं शताब्दी के दूसरे-तीसरे दशक में प्रगतिवादी रूसी विद्वानों और पत्रकारों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की जनता का किया जाने वाला शोषण और अत्याचारों से सम्बन्धित समस्याओं पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया ताकि भारतीय जनता को उसके संकटकाल में नैतिक और प्रकट रूप में सहयोग दिया जा सके तथा शेष विश्व जनमत को इस सम्बन्ध में जागरूक किया जा सके । सन्-1788 में भारतीयों के प्रमुख ग्रन्थ गीता का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया और इसी के साथ रूसी विद्वानों का भारतीय साहित्य के प्रति तीव्र उत्सुकता और रुचि का युग प्रारम्भ हुआ । संस्कृत भाषा के साथ अन्य भाषाओं का अध्ययन भी प्रारम्भ हुआ ।

सन्-1851 में ओरियन्टल लैंग्वेजेज की मास्को विश्वविद्यालय में व्यवस्था की गई जिसमें भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई । सन्-1855 में सेन्ट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा की व्यवस्था की गई ।[10]

इस प्रकार 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता, विशेषकर पश्चिमी एशियाई और भारत की सभ्यताओं के पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन पर बल दिया ।

उपरोक्त व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राचीन रूस में भारत की छवि ज्ञान और वैभव से परिपूर्ण देश की बनी थी । यद्यपि 15वीं शताब्दी तक पहले भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं की छाप रूस पर छोड़ी, तत्पश्चात 15वीं शताब्दी के बाद रूसी यात्रियों ने यात्राओं द्वारा भारत के प्राकृतिक पर्यावरण, जनसंख्या, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को व्यापक और सार्थक रूप में जानने की चेष्टा की।

व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों की प्रगाढ़ता और प्राचीनता स्पष्ट हो जाने के बाद दोनों देशों के मध्य

---

10. एल0पी0सिंह - पालिटिक्स अयमेन्शन्स ऑफ इण्डिया-न्यू एसएसआर रिलेशन्स, 1987, एलायड पब्लिशर्स प्रा0लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ-1.

राजनैतिक सम्बन्धों की आधारशिला का अवलोकन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

§3§ राजनैतिक पृष्ठभूमि :

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन, तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण ने न केवल रूसी जनता अपितु प्रमुख साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों का भी ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया । प्रत्येक वर्ग ने भारतीय जनता की शोचनीय स्थिति के प्रति सहानुभूति दिखाई । जिस देश से अत्यन्त प्राचीन काल से प्रगाढ़ व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हों, उस देश की गिरती हुई राजनैतिक स्थिति से रूसियों का चिन्तित होना स्वाभाविक था । गिरती हुई राजनैतिक स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की कालिमा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में अशान्ति और अस्थिरता उत्पन्न करने के साथ-साथ एशिया के अन्य देशों में भी असन्तुलन उत्पन्न करके विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करती । अत: भारतीय जनता के साथ रूसी जनता के प्रत्येक वर्ग में, चाहे वह साहित्यकार हो या राजनैतिक विभूति, भारतीय स्वतंत्रता को हर प्रकार से सहयोग देने की भावना बलवती होती गई ।

सन्-1857 के भारतीय विद्रोह ने अनेक रूसी साहित्यकारों, जिनमें लियो टालस्टाय और मैक्सिम गोर्की प्रमुख है,

का ध्यान आकृष्ट किया । दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में फैली इस विद्रोह की चिन्गारी को समाप्त करने में ब्रिटिश शासन ने जो दमनकारी नीति अपनाई, उसकी टालस्टॉय ने तीव्र भर्त्सना यह कहकर की कि इससे ग्रेट ब्रिटेन की निरंकुशता और बर्बरता की नीति का परिचय मिलता है । इसके अतिरिक्त अन्य रूसी साहित्यकारों में एम०ए०दोब्रोलियुबोव का नाम भी प्रमुख है जिन्होंने सन्-1857ई के विद्रोह के सम्बन्ध में अपनाई गई ब्रिटिश दमनकारी नीति के बारे में एक पुस्तक लिखकर रूसी जनता को जानकारी दी । प्रसिद्ध व्याकरण-वेत्ता आई०पी०मिनएव ने सन्-1874 और सन्-1886 में भारत की दो बार यात्रा करके बंकिमचन्द्र चटर्जी और आर०जी०भण्डारकर जैसे साहित्यकारों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया । वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित थे और इस तथ्य के प्रमाण मिलते हैं कि वह अन्य कई भारतीय नेताओं जैसे एस०एन०बनर्जी, डब्लू०सी०बनर्जी और के०सी०तैलंग आदि के सम्पर्क में थे ।[11] इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन रूसी साहित्यकार भारतीय राजनैतिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं थे ।

---

11. एस०पी०सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डिया, यू०एस०एस० आर० रिलेशन्स - एलाइड पब्लिशर्स प्रा०लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ-2.

तत्पश्चात भारत और रूस के मध्य सम्बन्धों में 20वीं शताब्दी में नई चेतना जाग्रत हुई । रूस-जापान युद्ध [सन्-1904-1905] और प्रथम रूसी विद्रोह [सन्-1905] जैसी घटनाओं ने यूरोपियन शक्तियों और विशेषकर जार शासन की अजेय और स्थाई वाली भावनाओं के भ्रम को तोड़ा ।[12] सन्-1905 की प्रथम रूसी क्रान्ति ने भारतीय जनमानस की राजनैतिक चेतना पर व्यापक और गहरा प्रभाव डाला । महात्मा गाँधी ने पश्चिमी अफ्रीका में इस विद्रोह का अनुसरण किया और रूसी जनता को विद्रोह करने की क्षमता ने वहाँ उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया । उन्होंने अपने देशवासियों से इस विद्रोह से सीखने को कहा ।[13] रूसी और भारतीय जनता के मध्य तुलना करते हुए उन्होंने एक लेख में लिखा कि-"हम लोगों की आवाज़ को राज्य सम्बन्धी मामलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता और बिना किसी विरोध के सभी कर देने पड़ते हैं । ऐसी स्थिति रूसियों के साथ भी है । परन्तु इस तरह का दमन देखकर समय-समय पर बहादुरी से इसके विरोध में रूसियों ने निकलना प्रारम्भ कर दिया है ।" उन्होंने यह भी कहा कि "अगर रूसी जनता सफल होती है, तो यह क्रान्ति रूस में महानतम विजय

---

12. कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-5, नई दिल्ली 1961, पृष्ठ- 413.
13. वही, पृष्ठ- 5.

के रूप में और वर्तमान शताब्दी की महानतम घटना के रूप में जानी जायेगी । हम लोग भी इसी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करसकते हैं जैसाकि रूसी जनता ने किया है ।"[14]

भारत के महान् वृद्ध पुरुष दादाभाई नौरोजी ने भी रूस के [illegible] आन्दोलन की प्रशंसा की और ब्रिटिश सरकार से भारत में निरंकुशवाद की समाप्ति के लिए कहा । एस०पी०सिन्हा, बी०जी० तिलक, बी०सी०पाल, लाला लाजपतराय, मदनमोहन मालवीय आदि जैसे भारतीय नेता भी रूसी क्रान्ति के प्रभाव से अछूते नहीं रहे । तिलक ने देशवासियों को -"आयरलैण्ड, जापान एवं रूस के उदाहरणों को देखने और उनके तरीकों का अनुसरण करने को कहा ।"[15]

इस प्रकार तत्कालीन रूस की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों मे भारतीय नेताओं की रुचि एकतरफा नहीं थी अपितु रूसी साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों की भी भारतीय जनता के विषय में जानने की रुचि बढ़ रही थी । लियो टॉलस्टाय ने कुछ प्रमुख भारतीय नेताओं महात्मा गाँधी, तारकनाथ दास और श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ पत्र व्यवहार किया । उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध

---

14. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-5, नई दिल्ली, 1961, पृष्ठ 131-132.
15. स्पीचेज ऑफ बी०जी०तिलक, मद्रास, सन्-1918, पृष्ठ 103-104.

भारतीयों की नैतिक कमजोरियों, पश्चिमी सभ्यता अपनाने और शोषणकर्ताओं की आज्ञा मानने की नीति की आलोचना की । उन्होंने भारतीयों को अहिंसा और ब्रिटिश शासन से असहयोग की नीति को अपनाने पर बल दिया । रूस के महान् लेखक मैक्सिम गोर्की की रचनाएं और नैतिक सहयोग ने उन प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता संघर्ष को तीव्र करने पर बल दिया जो यूरोप में उनके सम्पर्क में आये । भारतीय क्रान्तिकारी मैडम कामा, जो उस समय पेरिस में अज्ञातवास कर रही थीं, से भी मैक्सिम गोर्की का पत्र-व्यवहार था । इस पत्र-व्यवहार के द्वारा दोनों देशों में होने वाले राजनैतिक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाता था । मैडम कामा ने वीर सावरकर की पुस्तक 'दइण्डियन वार ऑफ इण्डिपेन्डेन्स आफ 1857' और जरनल 'वन्दे मातरम' की कुछ प्रतियाँ उन्हें भेजकर राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी दी ।

अन्य दूसरे क्रान्तिकारी श्याम जी कृष्ण-वर्मा थे, जिनके साथ भी महान् लेखक गोर्की ने पत्र व्यवहार किया । अपने जरनल 'द ण्डियन सोशियोलॉजिस्ट' की प्रतियाँ रूसी लेखक को भेजकर उन्होंने तत्कालीन स्थितियों की विस्तृत जानकारी दी जिससे प्रभावित होकर भारतीय और रूसी जनता की अखण्ड एकता और संघर्ष [सामाजिक असमानता, आर्थिक दमन, राजनैतिक निरंकुशता इत्यादि के विरुद्ध] की समानता के विषय में मैक्सिम गोर्की द्वारा बहुत कुछ लिखा गया ।

फलस्वरूप महात्मा गाँधी ने उन्हें जन अधिकारों का महान् समर्थक और यूरोप का उस समय का सर्वश्रेष्ठ लेखक माना ।[16]

वी0आई0लेनिन ने (वह महान् रूसी नेता जिसके द्वारा रूसी राजनैतिक व्यवस्था को क्रान्ति के द्वारा एक नई दिशा और चेतना दी गई) भारत के औपनिवेशिक दमन को अपने विद्वतापूर्ण लेखों में निन्दा की । सन्-1908 में तिलक द्वारा बम्बई में पहली बार मजदूरों की हड़ताल का आवाहन करने पर 6 साल की कारावास सजा मिलने पर, लेनिन ने भारत के इस महान् देशभक्त के इस कार्य की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की और ब्रितानी सरकार के निर्मम और निरंकुश कार्यों की तुलना बर्बर जाति से की ।[17]

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रूस के तत्कालीन राजनीतिज्ञ और लेखक भारत के साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर दृष्टि रख रहे थे तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी देते थे ।

सम्पूर्ण एशिया को जागरूक बनाने और भारत के स्वाधीनता संग्राम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना सन्-1917 की महान्

---

16. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-5, पृष्ठ-5.
17. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ वी0आई0लेनिन, वाल्यूम 4, पृष्ठ 373.

अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति थी । इस युगान्तरकारी घटना ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे भारतीयों के मन में उत्साह और आशा का संचार किया, उन्होंने अनुभव किया यह क्रान्ति साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में अत्यधिक सहायक होगी क्योंकि उस समय महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा था ।

जून,सन्-1918 में सोवियत रूस के विदेश विभाग की तरफ से ब्रिटिश भारत की स्थिति के सम्बन्ध एक बुलेटिन जारी की गई जिसमें भारत को 'पूर्व का मोती' बताते हुए इसके शोषण और दमन की लज्जाजनक स्थिति का वर्णन किया गया । इसके लेखक ट्रोवेयनस्की ने इस तथ्य पर बल देते हुए कहा-"रूसी क्रान्तिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादियों का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दें ।"

इसी वर्ष के अन्त में, अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने चौदह सूत्री कार्यक्रम रखे । लेनिन के आदेशानुसार, सोवियत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोट लिखकर भेजा कि "आप पोलैण्ड, सर्बिया, बेल्जियम आदि देशों की स्वतंत्रता की माँग करते हैं, पर आश्चर्य है कि आयरलैण्ड,इजिप्ट,भारत और फिलिप्पाइन्स द्वीप समूह की स्वतंत्रता की कोई माँग आपके पक्ष की तरफ से नहीं होती।"[18]

---

18. जे०एल०नेहरू - ग्लिम्पजेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री,पृष्ठ 677.

उपरोक्त घटना संकेत करती है कि सोवियत राजनीतिज्ञों द्वारा भारतीय राजनैतिक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन किया जाता रहा। लेनिन द्वारा भारतीय क्रान्तिकारियों के लेखों को प्रावदा के सम्पादक को पत्र में स्थान देने को कहना तथा स्वयं 5 मई, सन्-1922 को भारतीय जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष के बारे में लेख लिखना उनकी भारतीय राजनीति में हो रहे परिवर्तन के प्रति रुचि को दर्शाता है। समय-समय पर होने वाले कॉंग्रेस अधिवेशनों में लेनिन द्वारा ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक नीति की आलोचना की गई तथा साम्यवादी दलों को, पूर्वी देशों में भारत सहित, स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय होने का निर्देश दिया गया। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् भी औपनिवेशिक प्रश्नों से सम्बन्धित लेनिन के शोध सम्बन्धी तथ्य तथा भारत के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति लेनिन के विचार प्रमुख रूप से कॉंग्रेस अधिवेशन में प्रचलित रहे।[19]

उपर्युक्त विवरण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि महान् अक्टूबर क्रान्ति, इसके सन्देश, लेनिन के क्रान्तिकारी विचार और भारत तथा अन्य पूर्वी देशों की जनता की समस्याओं के प्रति रुचि,

---

19. एस०पी०सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डिया, यू०एस०एस०आर० रिलेशन्स - प लाइट पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 10, 13.

उपरोक्त घटना संकेत करती है कि सोवियत राजनीतिज्ञों द्वारा भारतीय राजनैतिक स्थिति का क्रम अवलोकन किया जाता रहा। लेनिन द्वारा भारतीय क्रान्तिकारियों के लेखों को प्रावदा के सम्पादक को पत्र में स्थान देने को कहना तथा स्वयं 5 मई, सन्-1922 को भारतीय जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष के बारे में लेख लिखना उनकी भारतीय राजनीति में हो रहे परिवर्तन के प्रति रुचि को दर्शाता है। समय-समय पर होने वाले कांग्रेस अधिवेशनों में लेनिन द्वारा ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक नीति की आलोचना की गई तथा साम्यवादी दलों को, पूर्वी देशों में भारत सहित, स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय होने का निर्देश दिया गया। लेनिन की मृत्यु के पश्चात् भी औपनिवेशिक प्रश्नों से सम्बन्धित लेनिन के शोध सम्बन्धी तथ्य तथा भारत के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति लेनिन के विचार प्रमुख रूप से कांग्रेस अधिवेशन में प्रचलित रहे।[19]

उपयुक्त विवरण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि महान् अक्टूबर क्रान्ति, इसके सन्देश, लेनिन के क्रान्तिकारी विचार और भारत तथा अन्य पूर्वी देशों की जनता की समस्याओं के प्रति रुचि,

---

19. एस०पी०सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डिया, यू०एस०एस०आर० रिलेशन्स - द लाइड पब्लिशर्स प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 10,13.

विभिन्न परिवर्तन जो कि सन्-1917 की युगान्तरकारी घटना के बाद सोवियत रूस में आये तथा सोवियत सरकार और कामिन्टर्न का भारतीय स्वतंत्रता सम्बन्धी आन्दोलन के प्रति दृष्टिकोण आदि ने भारतीय क्रान्तिकारी योद्धाओं के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डाला । अक्टूबर क्रान्ति और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का भी भारतीय जनता पर समान रूप से गहन प्रभाव पड़ा । इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सोवियत रूस में भारतीय प्रवासियों की क्रान्तिकारी गतिविधियों ने भारत और सोवियत रूस की जनता के मध्य सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों के लिए लाभकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न की । भारत में साम्यवादी आन्दोलन की वृद्धि, प्रगतिवादी साहित्य का जन्म और ट्रेड यूनियम आन्दोलन का प्रकट होना, निश्चय ही इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम था ।

भारतीय साहित्य और प्रेस पर भी अक्टूबर क्रान्ति का अनुकूल प्रभाव पड़ा । सुब्रह्मण्यम भारती, मुंशी प्रेमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान् लेखक सोवियत रूस की तेजी से बदलती हुई परिस्थितयों से प्रभावित हुए । अपनी सोवियत रूस की यात्रा में टैगोर ने सोवियत उपलब्धियों से अत्यन्त प्रभावित होते हुए कहा कि-"यदि मैंयहाँ नहीं आया होता तो मेरे जीवन की तीर्थयात्रा अपूर्ण रह जाती ।"[20] इसके

---

20. कलेक्शन ऑफ टैगोर - 14 ओरिजिनल लेटर्स इन बंगाली -ट्रान्सलेटेड इन ट इंग्लिश बाई जयधर सिन्हा,कलकत्ता, सन्-1960.

अतिरिक्त माडर्न रिव्यू, अमृत बाजार पत्रिका, भारतवर्ष, दैनिक बसुमती, नायक, द हिन्दू, इण्डियन रिव्यू, बॉम्बे क्रानिकल, स्वराज्य, केसरी मराठा, लोकधर्म, अभ्युदय, इण्डिपेन्डेन्ट, लीडर, ट्रिब्यून, देश, संसार आदि जैसे प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में रूसी क्रान्ति और इसके कारण आये परिवर्तनों के विषय में प्रमुखता से छपा । इस प्रकार इन समाचार-पत्रों और साहित्यकारों द्वारा लिखे गये लेखों ने दोनों देशों की जनता के मध्य पारस्परिक समझ और सौहार्द का वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त की ।

प्रमुख भारतीय राजनैतिक नेताओं में तिलक ने अपने मराठी समाचार-पत्र केसरी में इस ऐतिहासिक घटना और सोवियत सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित अभूतपूर्व सफलता को प्रमुख रूप से स्थान दिया । लाला लाजपत राय ने अक्टूबर क्रान्ति को एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जनक माना और भारतीयों को रूसी तौर-तरीकों को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध अपनाने को कहा।[21] उग्रवादी कांग्रेसी नेता बी०सी०पाल, सोवियत रूस में शोषण और दमन से मुक्त एक नई प्रकार की व्यवस्था का सृजन करने के दृढ़ निश्चय से अत्यन्त प्रभावित थे।[22] एनी बेसेन्ट ने इस युगान्तरकारी घटना को प्रेरणादायी

---

21. फिरोजचन्द्र - साइटेड इन लाजपत राय - लाइफ एण्ड वर्क, फिरोजचन्द, नई दिल्ली, 1978, पृष्ठ-311.
22. बी०सी०पाल - द वर्ल्ड सिचुएशन एण्ड अवरसेल्व्स, कलकत्ता पृष्ठ 22-23.

बताया और कहा कि इससे प्रेरित होकर भारत को अपना उद्देश्य प्राप्त करने में निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी । महात्मा गांधी जो कि मूलत: साम्यवाद, हिंसा, वर्गसंघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या आदि सिद्धान्तों के विरुद्ध थे, उन्होंने भी अक्टूबर क्रान्ति के प्रति सहानुभूति दर्शाई और लेनिन का सम्मान करते हुए उसकी प्रशंसा की । महात्मा गांधी के राजनैतिक शिष्य और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के प्रमुख नेता पं० जवाहरलाल नेहरू भी सोवियत रूस की विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित थे । अक्टूबर क्रान्ति, लेनिन के विचार तथा सामाजिक, आर्थिक रूप से व्यापक बदलाव आदि पं० नेहरू के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए और अपने राजनैतिक दर्शनशास्त्र पर मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को उन्होंने स्वीकार किया । नेहरू के लिए-"यह क्रान्ति अपनी तरह की एक अलग प्रकार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जो कि संसार के अन्य क्रान्तिकारियों के लिए एक चुनौती और उदाहरण के रूप में उभरी ।"[23]

नवम्बर, सन्-1927 में अक्टूबर क्रान्ति के दसवें वार्षिकोत्सव समारोह में गये पं० नेहरू की यात्रा ने सोवियत रूस की की स्थिति के विषय में उन पर गहन प्रभाव डाला । उन्होंने यह स्वीकार

---

23. जे०एल०नेहरू - ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री - पृष्ठ 660.

किया कि मार्क्स और लेनिन के विचारों के व्यापक प्रभाव ने इतिहास और सामयिक घटनाओं को एक नए प्रकाश में देखने में सहयोग दिया तथापि सोवियत रूस के प्रति नेहरू के विचार एकपक्षीय नहीं थे । तात्पर्य यह कि उन्होंने अपने लेखों में मार्क्सवादी विचारधारा की उन कमियों और त्रुटियों के बारे में भी लिखा जो उनके लिए असहमति का कारण थीं।[24]

जून,सन्-1941 में नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण ने, विश्व की समस्त शान्तिप्रिय जनता तथा भारत की प्रगतिवादी विचारधारा के लोग,जो कि विभिन्न मत और विचार रखते थे, एकत्रित होकर सोवियत जनता और उनके महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध को सम्पूर्ण सहयोग देने के लिए आगे आए । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों देशों की राजनैतिक सम्प्रभुता पर विदेशी आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा जब - जब आक्रमण हुआ, तब-तब दोनों देशों की शान्तिप्रिय जनता और राजनीतिज्ञों द्वारा हरसंभव सहयोग और समर्थन का आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ । इसी प्रकार मुसोलिनी के बढ़ते हुए फॉसीवाद से चिन्तित होकर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परि-स्थितियों में तथ्योंको देखते हुए पं0 नेहरू ने 14नवम्बर,1938 को अलोकतान्त्रिक शक्तियों और फॉसीवाद के विरुद्ध सोवियत सरकार को यूरोप और एशिया में एक प्रभावशाली अवरोधक बताया । उन्होंने

---

24. जे0एल0नेहरू, इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड- ए कलेक्शन ऑफ सम आफ नेहरू स्पीचेज, लन्दन,1939, पृष्ठ 82-83.

विश्वास व्यक्त करते हुए कहा -"यदि सोवियत संघ नष्ट हो जाता है तो फ्रांस और इंग्लैण्ड सहित यूरोप में लोकतन्त्र पूर्णतः नष्ट हो जायेगा।"[25] वस्तुतः सोवियत संघ के प्रति पं० नेहरू के इस प्रकार के विचार दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुए। तत्पश्चात पं० नेहरू के आदेशानुसार वी०के०कृष्ण मेनन सोवियत राजदूत मेस्की से लन्दन में मिले और भारतीय जनता की तरफ से सोवियत जनता की उसकी संकट की घड़ी में संवेदना और सहानुभूति प्रकट की।[26] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने बारडोली में दिसम्बर, सन्-1941 में सभा करके सोवियत जनता की हिटलर के विरुद्ध विजय की कामना की और सोवियत जनता की अपने देश और स्वतंत्रता के लिए बलिदान और शौर्य की प्रशंसा की।[27] इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी लेखकों वैज्ञानिकों और समाचार-पत्रों ने भी हिटलर के आक्रमण का तीव्र विरोध किया। सरोजनी नायडू, प्रभाकर माचवे, बच्चन, के०ए०अब्बास, नरेन्द्र शर्मा प्रमुख वैज्ञानिक

---

25. जे०एल०नेहरू - इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड - ए कलेक्शन ऑफ सम आफ नेहरूज स्पीचेज, लन्दन, सन्-1939, पृष्ट-70.
26. एल०वी०मिस्रोरियन एण्ड एन०एम०फैदिन-इण्डियाज ट्रेड सन्, नई दिल्ली, 1975, पृष्ठ 18-20.
27. राजकुमार - बैकग्राउण्ड ऑफ इण्डियाज फारेन पालिसी-आलइण्डिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1952, पृष्ठ-85.

एच०जे० भाभा, सी०वी०रमन, साम्यवादी नेता हीरेन मुखर्जी, पी० सी० जोशी इत्यादि ने सोवियत संघ के समर्थन में लेख लिखकर सहयोग दिया । प्रमुख समाचार-पत्र ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इण्डिया, लीडर, अमृत बाजार पत्रिका तथा अन्य संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय प्रगतिवादी लेखक संगठन और अखिल भारतीय छात्र संगठन इत्यादि भी सोवियत संघ के इस संकटकाल में देने के लिए आगे आये । इस प्रकार भारत के प्रत्येक वर्ग ने सोवियत जनता की विजय की कामना की ।[28]

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, इस ऐतिहासिक अनुभव ने भारत और सोवियत संघ को आने वाली विश्व-समस्याओं के सम्बन्ध में समान विचारों का वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान किया ।

भारत में अन्तरिम सरकार के उपसभापति के रूप में पं० नेहरू ने 7 सितम्बर, 1946 को प्रसारित अपने सन्देश में कहा - "आधुनिक विश्व के उस महान् देश सोवियत संघ को जिस पर विश्व घटनाओं को नया रूप देने का उत्तरदायित्व है, हम अपनी शुभकामनायें देते हैं । वे एशिया में हमारे पड़ोसी हैं और हमें अनिवार्य रूप से कई समान कर्तव्य आरम्भ करने हैं और एक - दूसरे के लिए बहुत कुछ करना है ।"[29]

---

28. एल०वी०मित्रोखिन - फ्रेन्डस आफ द सोवियत यूनियन, नईदिल्ली, 1977.
29. जे०एल०नेहरू - इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी [सेलेक्टेड स्पीचेज, सितम्बर 1946 - अप्रैल 1961] पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली-1961, पृ-2.

तत्कालीन अकाल की गहन समस्या में सहयोग देने के लिए पं० नेहरू द्वारा के०पी०एस० मेनन और वी०के०कृष्ण मेनन को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के नेता वी०एम०मोलोतोव से सम्पर्क स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा गया । इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि उस समय तक दोनों देशों के मध्य नियमानुसार सम्बन्ध स्थापित नहीं हुए थे तथापि सोवियत नेता ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और राजनैतिक सम्बन्धों को स्थापित करने के विषय में रुचि दिखाई ।[30]

इस सम्बन्ध में के०पी०एस०मेनन को विशेष प्रतिनिधि बनाकर मास्को भेजा गया । तत्पश्चात् भारतीय विज्ञान काँग्रेस के निमंत्रण पर सोवियत वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मण्डल जनवरी,1947 में भारत आया । पं०नेहरू ने उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जायेगा । सोवियत सरकार ने के०पी०येरजिन को भारत भेजा, जहाँ उन्होंने पं० नेहरू से व्यापक विचार विमर्श किया । अन्ततः 13 अप्रैल,1947 को भारत और सोवियत संघ के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये । नई दिल्ली में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि -"भारत और सोवियत संघ के मध्य

---

30. द हिन्दुस्तान टाइम्स, नवम्बर 13, 1946.

मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थायित्व देने तथा विकास करने के लिए भारत और सोवियत सरकार द्वारा दूतावास स्तर पर राजनैतिक नियुक्तियों का आदान-प्रदान किया जायेगा।"[31] इस घोषणा का देशभर में स्वागत किया गया और आशा की गई इससे दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ होंगे। 15जून,1947 को श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में प्रथम भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया तथा 23 अक्टूबर,1947 को सोवियत सरकार द्वारा अपना राजदूत भारत में नियुक्त करने की घोषणा की गई। निकोलाई वी नोविकोव ने प्रथम सोवियत राजदूत के रूप में, 1जनवरी,1948 में भारत में कार्यभार संभाला।[32]

इस प्रकार भारत-सोवियत सम्बन्धों के सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ। 15अगस्त,1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के राजनैतिक आयाम में निरन्तर वृद्धि होती गई तथा समय के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में दोनों ने एक-दूसरे को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया।

000000000
0000000
00000
000
0

---

31. द स्टेटसमैन,अप्रैल 14, 1947.
32. जगदीश विभाकर-ए माडल रिलेशनशिप,ओल्ड लिन्क्स एण्ड न्यू बॉण्डस - पंजाबी पब्लिकेशंस,34टी०सी०बिल्डिंग,कनाट प्लेस,1972, पृष्ठ- 10.

तृतीय - अध्याय

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

भारत - सोवियत संघ सम्बन्ध

(वर्ष 1970 के पूर्व)

भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की इच्छा भारतीय नीति निर्धारकों में स्वाधीनता आन्दोलन से ही प्रबल रही । अतः स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् बनी तत्कालीन सरकार ने सोवियत संघ के प्रति मैत्री की नीति अपनाई । भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू दोनों देशों के बीच मैत्री और सक्रिय सहयोग के मुख्य प्रेरक रहे । राष्ट्रीय हित के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस मैत्री की आधारशिला रखी और उनके शासनकाल में यह मैत्री लगातार विकसित हुई । स्वतंत्रता दिवस पर सोवियत विदेश मन्त्री मोलोतोव द्वारा भेजे गए शुभ कामना संदेश और श्रीमती विजय-लक्ष्मी पण्डित को सोवियत संघ में प्रथम भारतीय राजदूत नियुक्त करने से भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों का एक नया युग प्रारम्भ हुआ । सोवियत संघ पहुँचने पर श्रीमती पण्डित के प्रति रूसियों ने सम्मानजनक व्यवहार का प्रदर्शन किया और उनका स्वागत भव्य ढंग और उत्साह से किया ।[1] तत्पश्चात् सोवियत राजदूत के०वी०नोविकोव, जो कि सोवियत संघ के संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतपूर्व राजदूत थे, को भारत में सोवियत

---

1. वी०एल०पण्डित - द स्कोप ऑफ हैप्पिनेस, ए पर्सनल मेमोर, इन्डि० एडी० नई दिल्ली, 1979, पृष्ठ 236, 240.

सोवियत राजदूत नियुक्त किया गया । जिन्होंने 1जनवरी,1948 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउन्टबेटन को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया । यद्यपि प्रारम्भिक कुछ वर्ष सन्देह और पूर्वाग्रहों से आच्छादित अवश्य रहे किन्तु यह अवस्था अधिक स्थाई नहीं रही । भारत की ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की सदस्यता,पं0नेहरू की अमेरिका यात्रा {11 अक्टूबर-7नवम्बर,1949} के अवसर पर अमेरिकी समाचार-पत्रों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सुदूर पूर्व में बढ़ते हुए साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता के रूप में प्रतिष्ठित करना,नाटो का निर्माण, ट्रूमैन सिद्धान्त आदि ऐसे अनेक प्रसंग इस समय उभर कर सामने आ रहे थे जिससे न केवल शीतयुद्ध में बल्कि भारत की घरेलू और विदेश नीति के सम्बन्ध में सोवियत नेतृत्व संशय की स्थिति अनुभव कर रहा था । नेहरू के भारत को आँग्ल-अमरीकी जगत का ही एक अंग समझा गया और भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को भी सन्देह की दृष्टि से देखा गया परन्तु कोरिया युद्ध और तत्कालीन अन्य घटनाओं ने दोनों देशों को एक दूसरे की नीति को समझने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए । पं0नेहरू द्वारा स्टॉलिन को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए संदेश में कोरिया युद्ध के शान्तिपूर्ण समाधान, संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश और मान्यता प्रदान करने, अमेरिका और जापान की शान्ति सन्धि का विरोध करने सम्बन्धी प्रसंगों ने सोवियत नेता स्टॉलिन के भारत के प्रति रूख को

परिवर्तित करना प्रारम्भ कर दिया ।[2] सोवियत संघ के इस परिवर्तित रुख के लिए विश्व की कुछ अन्य समस्याओं पर भारत द्वारा अपनाया गया उन्मुक्त दृष्टिकोण भी सहायक सिद्ध हुआ । भारतीय राजदूत डॉ० एस० राधाकृष्णन को 5मार्च,1952 में दिए गए एक साक्षात्कार में स्टालिन ने भारत की बहुमुखी प्रगति की कामना की और पश्चिमी गुट द्वारा भारत को अपने पक्ष में करने के लिए डाले गए दबावों के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की ।

स्टालिन की मृत्यु के बाद पं०नेहरू की नीति के प्रति सोवियत नेतृत्व में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन आया । नेहरू को साम्राज्यवादियों का हितसाधन करने वाला, प्रतिक्रियावादी आदि समझा जाना बन्द कर दिया गया । के०पी०एस० मेनन के शब्दों में, "स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् तटस्थ और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रति विशेषकर भारत के सम्बन्ध में सोवियत नीति ने एक नये युग में प्रवेश किया । सोवियत सरकार ने स्वतंत्र भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति होती थी।"[3]

अप्रैल 1954 में सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण उपसमिति में भारत को स्थान देने का प्रस्ताव किया जिसका

---

2. बी०एन०बनर्जी - पीस,फ्रेन्डशिप एण्ड को-आपरेशन-पब्लिशिंग कारपोरेशन - नई दिल्ली 1987 pages

3. के०पी०एस०मेनन,मेनी वर्ल्डस, बम्बई, 1965,पृष्ठ 283-286.

ब्रिटेन द्वारा सशक्त विरोध किया गया ।[4] सम्बन्धों के विकास के इस क्रमिक चरण में गोआ सम्बन्धी मामले में सोवियत संघ द्वारा भारत को पूरा समर्थन दिया गया । चीन और भारत के बीच हुए तिब्बत समझौते और पंचशीलकेसिद्धान्तों का रूसी नेताओं द्वारा स्वागत किया गया । दक्षिणी वियतनाम को भारत द्वारा मान्यता दिया जाना भी लाभप्रद सिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त पश्चिमी गुट द्वारा सैनिक सन्धियों में भारत द्वारा सम्मिलित न होने से भारत और सोवियत सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ होने में सहायता मिली । अप्रैल 1955 में हुए बान्डुंग सम्मेलन में पंचशील सिद्धान्तों का समर्थन तथा उपनिवेश और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की नीति का प्रतिपादन करने से भारत की राजनैतिक छवि एक शान्तिप्रिय सह-अस्तित्व को मान्यता देने वाले देश के रूप में बनने लगी । फलस्वरूप प0नेहरू को सोवियत सरकार द्वारा सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया गया ।

यात्राओं की राजनीति :

प0 नेहरू की प्रथम सोवियत संघ की राजकीय यात्रा पर उनका भव्य स्वागत किया गया । प्रावदा के सम्पादकीय में लिखा गया कि ऐसा अभूतपूर्व स्वागत मात्र साम्यवादी देश के नेताओं के लिए होता था । न्यूयार्क टाइम्स ने भी इसे एक अत्यन्त भव्य स्वागत की

---

4. हिन्दू, 20अप्रैल,1954.

संज्ञा दी ।[5]

उपरोक्त सम्पादकीय लेख से पुष्टि होती है कि भारत की शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के कारण सोवियत नेताओं का रुख परिवर्तित होने लगा था । दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने पारस्परिक सम्बन्धों के विकास के लिए आवश्यक विचार विमर्श करना प्रारम्भ किया और आशा व्यक्त की कि पंचशील सिद्धान्त के भावना के अन्तर्गत भारत और अन्य राष्ट्रों के मध्य शान्ति और सहयोग में वृद्धि होगी ।

इस प्रकार यात्राओं की राजनीति का नया अध्याय प्रारम्भ होने से सम्बन्धों में घनिष्ठता विकसित होने से नया मार्ग खुल गया ।

सोवियत नेताओं की यात्रा :

प्रधानमन्त्री एन0ए0बुल्गानिन और साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव एन0एस0 ख्रुश्चेव 18नवम्बर,1955 को भारत की यात्रा पर आये । सोवियत प्रतिनिधियों की इस यात्रा को पं0 नेहरू ने दोनों देशों के मध्य विकसित मैत्री और सम्बन्धों को दृढ़ करने वाली कड़ी बताया ।[6]

---

5. एस0पी0सिंह -पालिटिकल डायमेन्शन्स आफ इण्डिया-यू एसएसआर - एलायड पब्लिशर्स,नई दिल्ली,पृष्ठ-50,
6. संजय गायकवाड़-डॉयनेमिक्स आफ इण्डो सोवियत रिलेशन्स दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली-1990,पृष्ठ-143,

नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में सोवियत प्रति-निधियों द्वारा काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया तथा भारत द्वारा गोआ की स्वाधीनता की मांग को भी उचित ठहराया गया । 29दिसम्बर को सोवियत प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि कश्मीर सम्बन्धी समस्या को कश्मीरियों द्वारा अपने को भारत का अंग मानकर सुलझाया जाना चाहिए और इस प्रश्न पर भारत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया गया । भारत से सम्बन्धित प्रश्नों गोआ, कश्मीर आदि पर सोवियत नेताओं के इस प्रकार के विचारों पर पश्चिमी गुट तथा पाकिस्तान द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई ।

15जून,1956 को भारत के उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन सोवियत संघ की यात्रा पर गए । क्रेमलिन में स्वागत भोज में उन्होंने सोवियत संघ को लौह आवरण की नीति को समाप्त करने की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारत के साथ सम्बन्धों को प्रगाढ़ होने में सहायता मिलेगी ।

विश्व राजनीति में स्वेज-हंगरी समस्या का महत्वपूर्ण स्थान है और इस समस्या के प्रति भारत के दृष्टिकोण ने भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । प० नेहरू द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध आंग्ल-फ्रेंच नेताओं

को पीछे हटने तथा मिस्र की सम्प्रभुता एवं गरिमा को बनाये रखने के दृढ़तापूर्वक आग्रह ने सोवियत नेताओं को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया ।[7]

<u>सुरक्षा परिषद में कश्मीर समस्या :</u>

फरवरी 1957 में पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद में कश्मीर प्रश्न उठाये जाने पर सोवियत संघ ने भारत को पूर्ण समर्थन किया।

इसके पूर्व जनवरी, 1957 में पाँच शक्तियों आस्ट्रेलिया, कोलम्बिया, क्यूबा, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसका सोवियत प्रतिनिधि ने विरोध किया और इस प्रयास को स्वार्थ-पूर्ण बताते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप की निन्दा की ।[8] इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते की अपेक्षा कुछ देशों द्वारा बाह्य हस्तक्षेप और निरीक्षण के अन्तर्गत जनमत ग्रह की आवश्यकता पर बल दिया गया था ।

अन्ततः स्वीडन के प्रतिनिधि गुन्नार जेरिंग की रिपोर्ट, जो उन्होंने अप्रैल 1957 में समिति में प्रस्तुत की, के कुछ भागों की

---

7. जे०एन०नेहरू - इण्डियास फॉरेन पॉलिसी, पृष्ठ 535-536.
8. एस०पी०सिंह-पॉलिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डिया-यू एस एस आर रिलेशन्स, 1987, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ-57.

सोवियत प्रतिनिधि ने सराहना की तथा पाकिस्तान की कश्मीर नीति पर सीटो के सदस्य देशों द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले उत्साहपूर्ण समर्थन की निन्दा की । साथ ही भारत के शान्तिपूर्ण समाधान के प्रयासों की सराहना करते हुए अन्य पश्चिमी देशों के प्रस्ताव पर निषेधाधिकार के प्रयोग की चेतावनी दी ।

चीन - भारत विवाद :

भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विवाद में सोवियत संघ द्वारा स्पष्ट रूप से तटस्थ रहने के कारण भारत में कई नेताओं ने सोवियत रूख के प्रति शंका व्यक्त की । उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि भारत - चीन विवाद में सोवियत नेतृत्व निश्चय ही चीन का पक्ष लेगा ।[9]

भारत में नवनिर्मित स्वतंत्र पार्टी के कुछ वक्ताओं एन0जी0रंगा, मीनू मसानी, के0एम0मुंशी, रत्नास्वामी आदि द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना की गई । दक्षिण पंथी राजनैतिक भारतीय दलों और पाकिस्तान तथा पश्चिम द्वारा भारतीय विदेश नीति में बदलाव लाने के निरन्तर दबावों के बाद भी पं0 नेहरू ने चीन के प्रति सन्तुलित रूख अपनाये रखा और पाकिस्तानी राष्ट्रपति

---

9. बलराज मधोक, द डिफेन्स ऑफ इण्डिया इन द लाइट ऑफ द चाइनीज़ एग्रेशन, दिल्ली-1960, पृष्ठ-130 [हिन्दी संस्करण]

अयूब खाँ के 'संयुक्त रक्षा' के आग्रह को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मुख्यतः पश्चिम द्वारा साम्यवाद के विरुद्ध सैन्य प्रस्ताव था । भारतीय प्रधानमन्त्री के इस रवैये की मास्को में प्रशंसा की गई और समझा गया कि भारत-चीन के साथ हुए विवाद के लिए शान्तिपूर्ण समाधान की खोज की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

जनवरी, 1960 में सुप्रीम सोवियत की प्रेसीडियम के अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आये । जून, सन्-1960 में भारतीय राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सोवियत संघ की यात्रा की गई। सोवियत नेतृत्व द्वारा भारत को गुटनिरपेक्ष तथा पश्चिमी साम्राज्य-वादी गुट में भाग न लेने की नीति की सराहना की गई ।

गोआ की स्वतंत्रता के लिए मॉस्को का समर्थन :

दिसम्बर 1961 में भारत को गोआ की स्वतंत्रता की मॉग के लिए सोवियत नेताओं द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया । भारत की यात्रा पर आये सुप्रीम सोवियत की प्रेसीडियम के अध्यक्ष लियोनिद ब्रेझनेव ने भारत को मॉग को उचित ठहराया । सुरक्षा परिषद में भी सोवियत प्रतिनिधि द्वारा भारत का पक्ष लिया गया परन्तु ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिनिधियों ने भारत को आक्रमणकारी घोषित किया । अमेरिकी प्रतिनिधि ने तत्काल गोआ में युद्ध बन्दी,

सेनाओं की वापसी तथा पुर्तगाल और भारत में वार्ता की माँग की। इस सम्बन्ध में अमेरिका द्वारा लाया गया प्रस्ताव भी सोवियत निषेधाधिकार के कारण पारित न हो सका ।

पाकिस्तान की हठधार्मिता :

सुरक्षा परिषद में सन्-1962 में पाकिस्तान की प्रार्थना पर कश्मीर मुद्दा पुन: उठाया गया । पाकिस्तान द्वारा भारत का कश्मीर पर अधिकार अवैधानिक माना गया परन्तु सोवियत प्रतिनिधि ने इसका विरोध करते हुए कश्मीर को भारत का अंग माना । इस सम्बन्ध में लाये गए आयरिश प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया गया ।

मिग विमान समझौता :

भारत के चीन और पाकिस्तान सम्बन्धी विवाद से सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो गया । अत: सोवियत संघ से मिग विमानों की खरीद का फैसला किया गया । अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा इसके विरोध में भारत पर हरसंभव दबाव डाला गया । अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका की भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती की जा सकती है । परन्तु पं०नेहरू ने प्रत्येक प्रकार के दबावों को अवहेलना करते हुए

विमानों की खरीद का समझौता किया । तत्कालीन समय में यह समझौता रक्षा दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण था । इसने न केवल भारत की रक्षा सम्बन्धी क्षमता में वृद्धि की, बल्कि क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए नैतिक रूप से भी बढ़ावा दिया ।

भारत-चीन युद्ध में सोवियत रूस:/

20अक्टूबर, 1962 को चीनी सेनाओं द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला किया गया । लद्दाख और नेफा के बहुत से ठिकानों पर चीनी अधिकृत हो गया । इस अप्रत्याशित युद्ध से भारतीय राजनीति में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई । भारतीय दलों द्वारा शंका प्रकट की जाने लगी कि संकट की इस घड़ी में सोवियत संघ भाई चीन और मित्र भारत में किसका साथ देगा, परन्तु सोवियत संघ ने सन्तुलित रूख अपनाते हुए तुरन्त युद्धबन्दी और वार्ता द्वारा विवाद सुलझाये जाने की माँग की क्योंकि इस समय क्यूबा संकट उत्पन्न हो जाने से स्थिति जटिल होती जा रही थी । अमेरिका और ब्रिटेन तत्काल भारत को शस्त्र सम्बन्धी सहायता देने के लिए तैयार हो गए । इस सहायता के पीछे प्रमुख कारण यह था कि भारत को सैनिक सहायता सम्बन्धी निर्भरता पश्चिमी देशों पर बनी रहे ताकि पश्चिमी देश उसे निरन्तर

अपने दबाव में रख सकें । पश्चिमी प्रेस द्वारा भारत-चीन युद्ध के प्रति सोवियत रूस की कड़ी आलोचना की गई । परन्तु पं0नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति की रक्षा करते हुए सोवियत संघ की मैत्री के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए सभी प्रकार की सोवियत विरोधी अफवाहों का खण्डन किया ।

नेहरू के उपरान्त : भारत-रूस सम्बन्ध -

पं0 नेहरू की मई,1964 में मृत्यु के पश्चात सुप्रीम सोवियत की प्रेसिडियम के अध्यक्ष ए0आई0 मिकोयन भारत आये और प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ आवश्यक विचार-विमर्श किया । तत्कालीन रक्षा मन्त्री वाई0बी0चव्हान की मास्को यात्रा से भी प्रभावी परिणाम उत्पन्न हुए । मिग विमानों के अतिरिक्त प्रक्षेपास्त्रों और नौसेना सम्बन्धी उपकरणों के लिए भी समझौता किया गया । राष्ट्रपति डॉ0 एस0 राधाकृष्णन् की सोवियत संघ की यात्रा, पं0नेहरू की मृत्यु के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी गई । भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सोवियत नेताओं को आश्वासन दिया गया कि पं0नेहरू की साम्राज्यवादी और पूंजीवाद के विरोध की नीति का पालन किया जायेगा और दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों को दृढ़ करने के प्रयासों में तेजी लायी जायेगी । सोवियत नेताओं द्वारा भी भारत में लगाई जाने

वाली बोकारो परियोजना में सहायता का आश्वासन दिया गया ।

भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा के कुछ दिन बाद मास्को में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और एल०आई०ब्रेजनेव ने साम्यवादी दल के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला । अक्टूबर क्रान्ति की सैता-लिसवीं वर्षगाँठ के अवसर पर ब्रेजनेव ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में वृद्धि की कामना की ।

लोकसभा में प्रधानमंत्री शास्त्री ने सोवियत प्रमुख द्वारा भेजे गए पत्र को मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए प्रेरणादायी बताया । 9दिसम्बर, 1964 को एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कोसीगिन ने सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्धों को लाभप्रद बताते हुए उसके स्वर्णिम भविष्य की कामना की ।

इस समय विभिन्न परिस्थितियों के कारण अनेक घटनाएँ जन्म ले चुकी थी । चीन द्वारा सोवियत संघ और भारत के सम्बन्धों को सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा । तृतीय विश्व के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में चीन, भारत और सोवियत संघ को प्रमुख बाधा के रूप में मानने लगा था । नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनने के कारण चीन विकासशील देशों का प्रमुख नहीं बन सकता था और साम्यवादी देशों में सोवियत संघ के

नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता था । अतः सम्बन्धों की वह आपसी कटुता चीन-पाकिस्तान और अमेरिका की धुरी के रूप में सामने आई । भारत-सोवियत मैत्री के समानान्तर चीन-पाक-अमेरिका के सम्बन्धों में विस्तार होने लगा । प्रत्येक प्रकार की सैनिक और शस्त्र सहायता का प्रावधान किया जाने लगा । समस्त राजनीतिक वातावरण में सन्देह और अविश्वास की कालिमा फैलने लगी । राष्ट्रीय हित और सीमाओं के विस्तार की इच्छा ने युद्ध की संभावनाओं को जाग्रत करना प्रारम्भ कर दिया था ।

भारत - पाकिस्तान युद्ध - सोवियत रूस :

वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में जहाँ भारत की कार्यवाही को पश्चिमी देशों ने 'आक्रमण' कहकर सम्बोधित किया वहाँ सोवियत संघ ने 'आत्मरक्षा' के लिए की गयी भारतीय कार्यवाही को उचित बताया । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब भारत-पाकिस्तान में कश्मीर सीमा पर युद्ध हो रहा था और सुरक्षा परिषद में युद्ध सम्बन्धी बहस चल रही थी, चीनी विदेशमंत्री ने कराची यात्रा करके पाकिस्तान को नैतिक और भौतिक रूप से मदद की ।[10] चीन ने युद्ध को भारत के सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध पाकिस्तान

---

10. हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6सितम्बर, 1965.

की आत्मरक्षा की कार्यवाही बताया और भारत को इस प्रकार की संकटपूर्ण परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी ठहराया । जबकि सोवियत संघ द्वारा निरन्तर रक्तपात को रोकने और विवाद को वार्ता द्वारा सुलझाये जाने के प्रयास होते रहे । भारत-पाक समस्या के समाधान के लिए सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन द्वारा दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के समक्ष आपसी विचार-विमर्श का प्रस्ताव रखा गया और दोनों नेताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से युद्ध समाप्त हुआ ।

इस सम्पूर्ण परिदृश्य में सोवियत संघ ने अपनी भूमिका दक्षिणी एशिया में शान्ति स्थापित करने वाले देश के रूप में बनाई क्योंकि इस समय शान्ति न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों और सम्बन्धित शक्तियों के लिए आवश्यक थी।[11]

ताशकन्द समझौता :

सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ और भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए आमंत्रित किया । 4जनवरी,1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप

---

11. हिन्दुस्तान टाइम्स,20सितम्बर, 1965.

10 जनवरी, 1966 को ताशकन्द समझौता हुआ । समझौते के अन्तर्गत भारतीय प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहमत हुए कि-

§1§ दोनों पक्ष प्रयत्न करेंगे कि संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसियों का सम्बन्ध निर्मित हो । वे बलप्रयोग का सहारा न लेंगे और अपने विवादों को शान्ति-पूर्ण तरीकों से सुलझायेंगे ।

§2§ दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25फरवरी, 1966 के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जायेंगे, जहाँ वे अगस्त 1965 के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्धविराम की शर्तों का पालन करेंगे ।

§3§ दोनों देशों के परस्पर सम्बन्ध एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित रहेंगे ।

§4§ दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध होने वाले प्रचार को निरुत्साहित करेंगे और दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि करने वाले प्रचार को प्रोत्साहन देंगे ।

§5§ दोनों देशों के मध्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किये जायेंगे । दोनों देशों में एक-दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस जायेंगे ।

§6§ दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जायेंगे ।

(7) दोनों देश युद्धबन्दियों का प्रत्यावर्तन करेंगे । एक-दूसरे की हस्तगत की हुई सम्पत्ति की वापसी पर भी विचार करेंगे ।

(8) दोनों देश सन्धि से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर एवं अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे ।[12]

यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वह सब प्रदेश पाकिस्तान को वापस देना पड़ा जो उसने अपार धन एवं जन की उठाकर प्राप्त किया था तथापि यह समझौता निश्चित रूप से भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में एक शान्तिपूर्ण मोड़ आने का प्रतीक बन गया।

भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्रकट की । प्रजासोशलिस्ट पार्टी के नेता सुरेन्द्र मोहन के अनुसार सोवियत संघ ने ताशकन्द समझौते की आड़ लेकर भारत पर दबाव डालकर पाकिस्तान की सद्भावना को जीतने का प्रयास कियाथा।

समाजवादी नेता मधु लिमये के अनुसार यह समझौता भारत के लिए विश्वासघाती वार का रूप था ।[13]

भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी बाजपेई के अनुसार यह समझौता आत्मछल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था।[14]

---

12. डॉ०बी०एल०फड़िया – इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स –साहित्यभवन, आगरा,1988 पृष्ठ 386.
13. स्टेट्समैन 11जनवरी,1966
14. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 17जनवरी,1966.

परन्तु शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गुलजारीलाल नन्दा और बाद में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस समझौते की शर्तों के अनुसार व्यवहार करने की इच्छा प्रकट की ।

इस प्रकार गुट निरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री का, एक गुटबन्दी को प्रोत्साहन देने वाले देश पाकिस्तान के साथ हुआ यह समझौता शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का प्रतीक था ।

पश्चिमी देशों सहित चीन का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि इससे दोनों देशों की शस्त्र आपूर्ति में बाधा पड़ी और पाकिस्तान, जिसको पश्चिमी देश सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध आगे लाना चाहते थे, ने अन्ततः सोवियत मध्यस्थता से ही समस्या का समाधान कर लिया ।

परन्तु बाद के वर्षों में पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते का विरोध किया जाने लगा और इस विरोध के स्वर में चीन ने अपना पूरा सहयोग दिया ।

मास्को की प्रथम राजकीय यात्रा पर श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सोवियत नेतृत्व को ताशकन्द समझौते के पूरे पालन का आश्वासन दिया और इसे 'शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का घोषणा-पत्र' बताया । श्रीमती गाँधी की इस यात्रा ने सोवियत संघ के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों

को बनाये रखने के विश्वास की पुष्टि की ।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शान्ति और सन्तुलन बनाने के लिए सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रति भी अपने सम्बन्धों को विकसित करना उचित समझा । इस समय पाकिस्तानी नेताओं द्वारा सोवियत संघ से हर संभव सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने लगे और उन्हें एक सीमा तक सफलता भी मिली । आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए कुछ समझौते किए गए । सोवियत सरकार द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में भारत के राजनैतिक वातावरण में चिन्ता और क्षोभ की स्थिति उत्पन्न हुई । 8जुलाई, 1968 को भारतीय राष्ट्रपति डॉ0 जाकिर हुसैन मास्को यात्रा पर गए और सोवियत नेताओं से विचार विमर्श करके उनको भारत सरकार की चिन्तापूर्ण स्थिति से अवगत कराया ।

लोकसभा में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इस तनावपूर्ण स्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए सूचित किया कि सोवियत नेताओं ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सोवियत सहायता से भारत के साथ सोवियत सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । तेजी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सोवियत संघ का टर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों से सम्बन्धों में सुधार की आवश्यकता हो रही थी । अतः भारत सरकार का अनावश्यक

रूप से शस्त्र पूर्ति के सम्बन्ध में चिन्तित होना उचित नहीं है ।

अक्टूबर 1968 में रक्षामन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह मास्को की आठ दिवसीय यात्रा पर गए । उनके सम्मान भोज में सोवियत रक्षा मन्त्री ने कहा -"भारत-सोवियत मैत्री अटूट है और किसी को, भी इस सम्बन्ध में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है ।"[15] सोवियत सरकार के आश्वासन पर कि पाकिस्तान को दिए गए शस्त्र भारत के विरुद्ध नहीं प्रयुक्त किए जायेंगे तथा भारत को आर्थिक, तकनीकीऔर रक्षा सम्बन्धी सहायता में और अधिक वृद्धि की जायेगी, रक्षामन्त्री वापस लौटे । उनकी यह यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध हुई ।

इसके अतिरिक्त सोवियत संघ द्वारा प्रस्तावित एशिया की सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा एशियाई देशों के मध्य आर्थिक सहयोग तथा राजनैतिक स्थिरता को प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया गया । भारतीय विदेश मन्त्री दिनेश सिंह की वर्ष 1969 में 11से 15सितम्बर,की मास्को यात्रा के अन्त में जारी भारत-सोवियत संयुक्त वक्तव्य में एशिया की सामूहिक सुरक्षा के सोवियत प्रस्ताव में भारतीय विचार को समाहित करते हुए परस्पर दोनों देशों द्वारा सहयोग वृद्धि पर

---

15. हिन्दुस्तान टाइम्स, 27 अक्टूबर, 1968.

कल किया गया ।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे प्रगतिवादी कार्य की सोवियत प्रेस द्वारा अत्यन्त सराहना की गई । प्रिवी पर्स के उन्मूलन को भारतीय समाज के लोकतांत्रिक चरण का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उसे भारत के सामन्तवाद और अराजकतावाद की समाप्ति का कारक बताया गया ।

सन्-1970ई0 में सोवियत प्रेस द्वारा भारत की राजनैतिक परिस्थितियों,प्रगतिवादी कार्यों और दक्षिणपंथी राजनैतिक दलों की कार्यवाहियों का प्रमुख रूप से अवलोकन किया गया तथा आशा की गई कि इन महत्वपूर्ण सुधारों से भारत को अपने समाजवादी लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी । किसी भी देश की प्रगति में वाणिज्य वृद्धि का प्रभावकारी महत्व है । अतः भारत द्वारा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को प्रमुखता देने के कारण सोवियत संघ ने भारत को वाणिज्य के क्षेत्र में सहायता देने का प्रावधान किया जिसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । पश्चिम पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक अभूतपूर्व सोवियत अभियान शुरू हुआ । परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच वाणिज्य के परिमाण में तीव्र गति से वृद्धि हुई । पूर्ववर्ती वर्षों में 81 लाख रुपयों की राशि से शुरू होकर यह

परिमाण सन्-1961 में 71 करोड़ 97 लाख रुपयों तक तथा सन्-1965 में 175 करोड़ 36 लाख रुपयों की राशि तक पहुंच गया। सन्-1966-67 में यह राशि रु0 266करोड़ 95 लाख तथा सन् 1968 के अन्त तक 497 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुकी थी। 7जनवरी,1966 को 1966-67 के लिए व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें यह आशा व्यक्त की गई कि इन दोनों देशों के बीच सन्-1970 तक व्यापार 1964 के अनुपात में दुगुना हो जायेगा।[16]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए सोवियत संघ द्वारा वाणिज्य क्षेत्र में जो सहयोग दिया गया,उससे सिद्ध होता है कि इस सहायता का उद्देश्य नव-स्वतंत्र भारत की आर्थिक संरचना को स्थिरता प्रदान करना था ताकि आने वाले वर्षों में वह सर्वतोमुखी प्रगति कर सके। अन्य क्षेत्रों में भी समय-समय पर सहायता प्राप्त होती रही। इस प्रकार की सहायता से सम्बन्धों के विकास में गतिशीलता आई और विश्व राजनीति के मंच पर भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में सोवियत संघ का साथ मिला।

---

16. डॉ0बी0एल0फड़िया - इन्टरनेशनल पालिटिक्स, साहित्य भवन,आगरा-1988,पृष्ठ 372.

भारत और सोवियत संघ सम्बन्ध :

वर्ष 1970 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के पश्चात् आने वाले वर्ष भारतीय राजनीति के लिए नयी सम्भावनाएँ लेकर आये । पूर्ववर्ती वर्षों में भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों की आधारशिला सुदृढ़ हो चुकी थी परन्तु कालान्तर की घटनाओं ने पारस्परिक सम्बन्धों को और अधिक स्थायित्व दिया । भारतीय राजनीति के विभिन्न चरणों में विभिन्न सत्ता परिवर्तन हुए । वर्ष 1970 से सन्-1988 के दीर्घकाल में भारत-सोवियत सम्बन्धों को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया जा सकता है -

भारतीय राजनीति :

1. श्रीमती इन्दिरा गाँधी काल सन्-1970 - 1977.
2. श्री मोरारजी देसाई एवं चौ०चरणसिंह काल सन्-1977-1979
3. श्रीमती इन्दिरा गाँधी काल 1980 - 1984
4. श्री राजीव गाँधी काल सन्-1984 - 1988.

उपरोक्त कालावधि की विभिन्न घटनाओं का विवेचन करने से यह ज्ञात होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में किस तरह से गतिशीलता आती गई और कहाँ तक दोनों देश एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालने में

सफल रहे । साम्यवादी सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष भारत का गठबन्धन परिवर्तनों के दौर से गुजर कर भी स्थिर रहा, यह वस्तुतः सराहनीय है । यद्यपि भारत-सोवियत सन्धि, अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया समस्या आदि कुछ प्रश्न ऐसे उभरे जिन्होंने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की गरिमा को कुछ समय तक सीमा की स्थिति में रखा तथापि ये स्थिति स्थाई नहीं रही,। प्रत्येक प्रकार के दबावों और प्रतिक्रियाओं का सामना करते हुए दोनों देशों ने अपनी सम्प्रभुता, अखण्डता और सम्बन्धों की गरिमा को बनाये रखते हुए उस पर किसी प्रकार का प्रश्नचिन्ह नहीं लगने दिया । किन्हीं प्रश्नों पर वैचारिक असमानता का सम्बन्धों के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, वरन् सहयोग की नवीन संभावनाओं की खोज पर अधिक बल दिया गया ।

भारत - सोवियत संघ सम्बन्ध : श्रीमती इन्द्रिरा गाँधी काल :

भारतीय राजनीति में श्रीमती इन्द्रिरा गाँधी के कार्यकाल को दो भागों में बाँटा जा सकता है -

§1§ प्रथम कार्यकाल सन-1966 से सन्-1977 तक तथा,

§2§ द्वितीय कार्यकाल सन्-1980 से 1984 तक

प्रथम कार्यकाल में श्रीमती इन्द्रिरा गाँधी के नेतृत्व में भारत ने पं० नेहरू द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति का पालन

करते हुए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की क्षमता का परिचय दिया । भारत ने न केवल विश्वशान्ति बनाये रखनी चाही बल्कि एशिया और अफ्रीका में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने का भी यत्न किया जिससे आर्थिक प्रगति हो सके तथा सब देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके । इस काल में घरेलू मोर्चे पर भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण पैदा हुई विषम परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करके भारत को विश्व-मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान मिला ।

भारत और सोवियत संघ सम्बन्धों को इस युग में नवीन एवं सार्थक दिशा मिली । यात्राओं की राजनीति का निरन्तर विकास होता गया जिससे दोनों देश के सम्बन्ध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण होते गए ।

स्टॉलिन की मृत्यु के बाद का सोवियत संघ अपनी लौह आवरण की नीति को त्यागकर विश्व के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध बनाकर विश्व-राजनीति के वातावरण को सौहार्द्रपूर्ण और शान्तिमय बनाना चाहता था । अतः एशिया महाद्वीप में भारत के साथ सम्बन्धों को विकसित करने में उसने पर्याप्त रुचि दिखाई । भारत की गुट निरपेक्ष तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति ने सोवियत संघ के साथ मित्रता को नए राजनैतिक आयाम दिए ।

सन्-1970 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा देश के आर्थिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम चलाया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स की समाप्ति आदि ऐसे अनेक क्रान्तिकारी सुधार किए गए जिससे देश की आर्थिक संरचना को स्थायित्व मिल सके तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सोवियत संघ द्वारा इन रचनात्मक सुधारों की सराहना की गई और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही राजनैतिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए सोवियत सहयोग अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण था।

सितम्बर, सन्-1970 में भारतीय राष्ट्रपति वी०वी० गिरि की सोवियत संघ की यात्रा ने दोनों देशों की मैत्री के विकास की दिशा को बढ़ाया। सन्-1971 में भारत में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। जैसे - अमेरिका, डॉ०किसिंजर के माध्यम से चीन से मित्रता बढ़ा रहा था। चीन में गुप्त वार्ताओं के बाद राष्ट्रपति निक्सन की पेकिंग यात्रा की घोषणा की गई जिससे इस समय वाशिंगटन - पेकिंग - पिण्डी गठबन्धन की रचना की सम्भावना को बल मिला।

पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और अत्याचारों

के कारण भारत में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई । इस कारण भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और भारतीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया ।[17]

अतः 6जून,सन्-1971 को भारत के विदेशमंत्री द्वारा मास्को यात्रा की गई, जहाँ उन्होंने सोवियत नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान संकट की गम्भीरता से अवगत कराया । इस सम्बन्ध में भारतीय विदेशमंत्री द्वारा सोवियत राष्ट्रपति पोदगोर्नी के प्रति आभार व्यक्त किया गया क्योंकि सोवियत राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को पत्र भेजकर संकटपूर्ण स्थिति का शीघ्र समाधान करने को कहा था, परन्तु पाकिस्तान के असहयोगी दृष्टिकोण के कारण स्थिति की जटिलता बढ़ती गई । चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान के दृष्टिकोण को उचित मानते हुए भारत पर स्थिति के तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाया । परिणामस्वरूप भारत और सोवियत संघ को परिस्थितियों की गम्भीरता को देखते हुए सन्धि की दिशा की ओर अग्रसर होना पड़ा । तत्कालीन राजनैतिक घटनाक्रम ने भारत के संकटकाल के प्रति सोवियत संघ को सहयोगी रूख अपनाने को

---

17. आशीष कुमार मजूमदार - साउथ ईस्ट एशिया इन इण्डियन फॉरेन पालिसी - ए स्टडी ऑफ इण्डियास रिलेशन्स विद साउथ - ईस्ट एशियन कन्ट्रीज-नयाप्रकाश,कलकत्ता-1982,पृ-113.

इसके अतिरिक्त इण्डोचीन, दक्षिणी वियतनाम तथा मध्यपूर्व की समस्याओं पर भी विचार किया गया। भारतीय, प्रधानमन्त्री द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र को 'शान्ति क्षेत्र' बनाने का आश्वासन दिया गया। सोवियत पक्ष ने समानता के आधार पर अन्य देशों के साथ हिन्द महासागर सैन्यीकरण की समस्या को सुलझाने की तत्परता व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के प्रति दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता दिखाते हुए शान्ति और सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करने पर बल दिया।

भारतीय पक्ष द्वारा न केवल यूरोप महाद्वीप बल्कि सम्पूर्ण विश्व में तनावों में कमी के लिए सुरक्षा और सहयोग के प्रश्नों पर एक ऑल यूरोपियन सम्मेलन के आयोजन के प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताया गया।

शस्त्रों की दौड़ की समाप्ति तथा पूर्ण निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए आण्विक तथा पारम्परिक शस्त्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण को शान्ति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया गया।

रंगभेद, जातिवाद तथा उपनिवेशवाद की दोनों पक्षों ने निंदा करते हुए औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता की माँग का समर्थन किया ।

अन्त में दोनों पक्षों द्वारा विश्वास प्रकट किया गया कि भारतीय प्रधानमन्त्री की सोवियत नेताओं के साथ हुई वार्ताओं से दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सहयोग के विकास में वृद्धि होगी ।[18]

श्रीमती गाँधी की सोवियत संघ की इस यात्रा से दो महत्वपूर्ण लाभ हुए प्रथम - दोनों देशों ने शान्ति, मैत्री और सहयोग की सन्धि के ऐतिहासिक महत्व को भविष्य में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास का आधार माना ।

द्वितीय- दोनों देशों ने सन्धि के अनुसार एक अन्तर्-राजकीय आयोग के गठन का निश्चय किया जिसका उद्देश्य आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग करना था ।[19]

इसके पश्चात् सोवियत विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि मंत्री अक्टूबर, 1971 में भारत आये और भारतीय विदेश सचिव के साथ वार्ता की । यह वार्ता भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी

---

18. फॉरेन अफेयर्स रिकार्ड, नई दिल्ली, सितम्बर, 1971, पृ-187-90
19. वही, पृष्ठ - 187

पाकिस्तान के संकट से उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण थी ।

भारत - पाकिस्तान युद्ध :

श्रीमती गाँधी ने अपनी इस यात्रा में सोवियत नेतृत्व का यह आश्वासन प्राप्त कर लिया था कि यदि भारत को बाध्य होकर पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा तो सोवियत संघ उसको पूर्ण समर्थन देगा ।[20]

अन्ततः तनावपूर्ण स्थिति का विस्फोट दिसम्बर, सन्-1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के रूप में हो गया । सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लेते हुए और देशों को हस्तक्षेप न करने को कहा। वास्तव में यह चेतावनी पेकिंग को इंगित करके दी गई थी । सोवियत संघ ने पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं के साथ राजनैतिक समाधान को अस्वीकृत करके युद्ध प्रारम्भ करने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया ।

इस समय अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में नौसेना बेड़े को उतारने पर सोवियत राजदूत निकोलोई पेगोव ने भारत सरकार को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह बंगलादेश युद्ध में सैन्य

---

20. देव मुरारका - द फोल्ड गेन फॉर इण्डिया - वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद 16अक्टूबर,सन्-1971.

फ्लीट को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे ।[21] इस प्रकार सोवियत समर्थन के कारण अमेरिका का भारत के विरुद्ध "युद्धपोत राजनय" व्यर्थ हो गया तथा अमेरिका भारत के विरुद्ध हस्तक्षेप की नीति न अपना सका। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और चीन, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति भारतीय विचारों से चिन्तित थे क्योंकि जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में था । कश्मीर के इन हिस्सों को पुनः लेने की भारतीय कोशिश युद्ध को विभीषिका की ओर बढ़ा सकती थी और वह कोई भी पक्ष नहीं चाहता था ।[22] अतः पाकिस्तानी सेनाओं के समर्पण से युद्ध को दो सप्ताह पश्चात् समाप्ति हो गई और एक नए राष्ट्र का अभ्युदय हुआ । महाशक्तियों में सोवियत संघ पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी । प्रावदा द्वारा कुछ दिनों बाद शेख मुजीबुर रहमान की सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की घोषणा की गई ।

इस प्रकार एशिया महाद्वीप के दो देशों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति की समाप्ति एक नवीन राष्ट्र की उत्पत्ति से हुई । यह समय भारत के लिए मात्र राजनैतिक उथल-पुथल का नहीं

---

21. संजय गायकवाड-डायनेमिक्स ऑफ इण्डो सोवियत रिलेशन्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-1990, पृष्ठ-129.
22. जैक एण्डरसन - वाशिंगटन पोस्ट, 21 दिसम्बर, 1971.

था वरन् भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की परीक्षा का समय था । ऐसे संकट के अवसर पर भारत-सोवियत सम्बन्धों को नया आयाम मिला और सोवियत संघ के सुदृढ़ समर्थन से भविष्य में सम्बन्धों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ ।

इस प्रकार भारतीय राजनीति के इतिहास में सन् 1971 का विशिष्ट स्थान है । राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भारत-सोवियत सन्धि, भारत-पाकिस्तान युद्ध तथा शिमला समझौता अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनायें हुई । इन घटनाओं ने भारत और सोवियत संघ के मध्य सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया । साथ ही इस तथ्य को भी प्रकट किया कि दक्षिणएशिया में शान्ति और स्थायित्व बनाये रखने की प्रक्रिया में उपनिवेश और साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध भारत के प्रयासों में सोवियत संघ द्वारा पूर्णतः समर्थन दिया जायेगा । भारत-पाक के मध्य शिमला समझौते का स्वागत करते हुए सोवियत संघ ने इसे भारतीय उपमहाद्वीप की स्थाई शान्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया ।

राजनैतिक समस्याओं के समाधान में सोवियत संघ की समान भागीदारी के साथ भारत के बहुमुखी विकास के लिए आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों आदि मेंभी विभिन्न प्रकार के समझौतों का प्रावधान किया गया । समय-समय पर दोनों

देशों के मध्य नेताओं की यात्राओं ने पारस्परिक सहयोग के नए आयाम खोले ।

समझौतों का युग :

वर्ष 1970 में कटक में भारत-सोवियत सांस्कृतिक समिति में एक अराजकीय सांस्कृतिक समझौता होने से समझौतों के युग का प्रारम्भ हुआ ।[23] मई, सन्-1970 में नई दिल्ली में भारत-सोवियत शिपिंग प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए ।[24] 12जुलाई, 1970 को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए । कलकत्ता में मेट्रो परियोजना के लिए दोनों पक्षों में समझौता हुआ ।[25]

18जून, 1971 को कृषि और जन्तुविज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक पंचवर्षीय समझौता हुआ ।[26] हिन्द महासागर में संयुक्त अन्वेषण के लिए आगामी पाँच सालों के लिए समझौता हुआ ।[27] भारतीय विश्वविद्यालयों में सोवियत तकनीकी पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था के लिए समझौता हुआ ।[28] 19सितम्बर

---

24. नेशनल हेराल्ड, 27मई, 1970.
25. इण्डियन एक्सप्रेस-16सितम्बर, 1970.
26. पेट्रियाट - 19जून, 1971.
27. इण्डियन एक्सप्रेस 23जून, 1971.
28. पेट्रियाट - 15सितम्बर, 1971.

तथा 2 अक्टूबर, 1972 को क्रमश: दो समझौते आर्थिक वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए हुए ।

पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ आधार :

त्रिवेन्द्रम में सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र की सांस्कृतिक गतिविधियों से वर्ष 1973 की गैर राजनैतिक घटनाओं का काल आरम्भ हुआ । भारत और सोवियत विशेषज्ञों के मध्य, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए गठित आयोग की विशेष सभा के लिए वार्ताओं के प्रारम्भिक दौर के लिए 9 से 17 फरवरी का समय निश्चित किया गया । वार्ता में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में सोवियत सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया ।

पूरा वर्ष दोनों देशों की राजनैतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण रहा । भारतीय फिल्म समारोह का आयोजन सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत सोवियत संघ में हुआ । इसके अतिरिक्त भारत-सोवियत सांस्कृतिक सम्बन्धों पर 6 दिन का सेमिनार सम्पन्न हुआ जिसमें दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए सम्बन्धों में विकास की कामना की गई ।

खाद्यान्न सहायता :

भारत के खाद्यान्न संकट को देखते हुए सोवियत सरकार ने सितम्बर में 20लाखटन की खाद्यान्न सहायता ऋण आधार पर देने

का फैसला किया । भारतीय प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में सोवियत नेता ब्रेझनेव ने कहा कि भारत के अन्न संकट को देखते हुए सोवियत संघ भारत की सहायता के लिए इच्छुक है । भारत सरकार द्वारा इस आग्रह को स्वीकार कर लेने से यह सहायता तत्काल प्रभावी हो जायेगी ।

भारत ने इस मैत्रीपूर्ण सहायता को स्वीकार किया । इस सम्बन्ध में विशेष तथ्य यह हैकि सोवियत सरकार ने स्वयं यह निर्णय लिया था । इसके लिए भारत के पक्ष से प्रयत्न नहीं किया गया था ।[29]

सन्-1973 में सोवियत नेता ब्रेझनेव की भारत यात्रा ने भारत-सोवियत परम्परागत सम्बन्धों के लिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । मई, सन्-1974 को भारत द्वारा प्रथम आणविक विस्फोट किए जाने पर सोवियत संघ ने समर्थन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारत के शान्तिपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम को सहायता मिलेगी । जबकि चीन तथा पाकिस्तान द्वारा भारत के आणविक विस्फोट का उग्र विरोध किया गया। चीन तथा पाकिस्तान का भारत के प्रति निरन्तर असहयोगी रुख

---

29. श्रीराम शर्मा, इण्डियन फारेन पॉलिसी - एन्वल सर्वे, 1973 एसाइड पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1973

अपनाया गया । मई, 1974 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो के चीन पहुँचने पर चीनी उपप्रधानमंत्री टेंग सियाओ पेंग द्वारा काश्मीर प्रश्न पर चर्चा किए जाने पर तथा काश्मीरी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किये जाने को सोवियत संघ ने भारत के आन्तरिक मामलों में चीन के इस हस्तक्षेप की निन्दा की तथा काश्मीर पर भारत के अधिकार का समर्थन किया ।[30]

भारत में सन्-1974 में कुछ राज्य विधानसभाओं में चुनाव होने थे । उस समय गुजरात और बिहार में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और सम्पूर्ण भारत में रेलवे की आम हड़ताल से तनावपूर्ण स्थिति को और गम्भीर बना दिया था । परन्तु श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस की जीत तथा स्थिति के सामान्यीकरण के लिए किए गए काँग्रेस के प्रयासों की सोवियत संघ ने सराहना की तथा विरोधी पक्षों में दक्षिणपंथी दलों पर देश में अराजकता, हिंसा तथा तनाव उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए काँग्रेस सरकार को दक्षिणपंथियों के प्रति सावधान किया ।

सन्-1975 में भारतीय संघ में सिक्किम को सम्मिलित किए जाने की समस्या उत्पन्न हुई । भारतीय संघ में सिक्किम को

---

30. डॉ0एम0के0श्रीवास्तव, फॉरेन पालिसी आफ इण्डिया, साहित्य भवन, आगरा, 1978, पृष्ठ 287.

राज्य का स्थान दिये जाने के विषय में चीनी सरकार ने असन्तोष प्रकट किया । सोवियत संघ ने भारत का पक्ष लेते हुए चीन के रूख का विरोध किया ।[31]

आपातकालीन स्थिति एवं सोवियत नीति :

भारत केराजनैतिक इतिहास में 25जून,1975 की आपात स्थिति की घोषणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । सोवियत संघ द्वारा भारत में आपात स्थिति की घोषणा का समर्थन किया गया । प्रावदा के राजनैतिक प्रवक्ता ने 13 जुलाई,1975 को आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिणपंथी विरोधियों द्वारा कुछ समय से देश में अव्यवस्था, अराजकता एवं हिंसा का वातावरण बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा था । अतः श्रीमती गाँधी की सरकार द्वारा उठाया गया कदम समयानुकूल एवं आवश्यक था ।[32] प्रावदा द्वारा दक्षिणपंथीउग्रवादी गुटों पर लगाये गए प्रतिबन्ध का स्वागत किया गया ।[33] भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबन्ध को उचित बताते- उचित बताते हुए भारत सरकार के 20सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की सराहना की गई ।

---

31. संजय गायकवाड़-डॉयनेमिक्स ऑफ इण्डो सोवियत रिलेशन्स दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ-132.
32. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 27जून,1975.
33. प्रावदा,7जुलाई,1975.

परन्तु पश्चिमी प्रेस जगत ने श्रीमती गाँधी की इस अलोकतान्त्रिक घोषणा की निन्दा की । टाइम्स, न्यूज़वीक, न्यूयार्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट आदि समाचार-पत्रों द्वारा श्रीमती गाँधी की इस कार्यवाही को अनुचित बताया गया । पश्चिम जर्मनी तथा इटली के प्रेस जगत द्वारा आपात स्थिति की घोषणा को सैनिक तख्ता पलट (कूपडिटेट) की संज्ञा दी गई ।

पेकिंग में चीनी प्रेस जगत ने सोवियत संघ द्वारा श्रीमती गाँधी को दिए गए समर्थन की भर्त्सना की ।[34]

प्रत्युत्तर में सोवियत प्रेस ने पश्चिमी और चीनी प्रेस के दृष्टिकोण पर आपत्ति की । प्रावदा के प्रवक्ता वी०कुदरियिगिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी प्रेस तथा पीपुल्स डेली द्वारा भारतीय परिस्थितियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहीं किया गया ।[35]

इस प्रकार सोवियत नेतृत्व ने श्रीमती गाँधी द्वारा आपात् स्थिति की घोषणा के निर्णय को पूर्णतः समर्थन दिया । घोषणा का स्वागत करते हुए उसे उचित एवं तर्कसंगत बताया तथा विपक्षी दलों की प्रतिक्रियावादी, विघटनकारी एवं अराजकतावादी शक्तियों को

---

34. सिनहुआ न्यूज बुलेटिन,पेकिंग,नं०-9663,30जून,1975.
35. प्रावदा,4जुलाई,1975.

प्रोत्साहन देने की नीति की निन्दा की ।

भारतीय राजनीति का यह काल अलोकतान्त्रिक गतिविधियों के कारण दूषित हो चुका था । प्रत्येक वर्ग द्वारा आपतकाल की घोषणा का विरोध हो रहा था । सर्वत्र आतंक का वातावरण बन गया था । सत्तारूढ़ दल की अधिनायकवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की इच्छा विपक्ष में बिखरे हुए दलों को एकता के सूत्र में बाँधकर एक मंच पर आने को प्रेरित कर रही थी ।

अन्तत: विभिन्न दलों के एकजुट होने के प्रयास को सफलता मिली और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर जनता पार्टी का उदय हुआ ।

<u>प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा :</u>

ऐसे आरोपों - प्रत्यारोपों के वातावरण में श्रीमती गाँधी वर्ष 1976 में 8 से 13 जून (तक) को मास्को यात्रा पर गईं। सोवियत प्रमुख ब्रेझनेव ने श्रीमती गाँधी के साथ वार्ता में एशिया में सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव, हिन्द महासागर तथा भारत की आन्तरिक स्थिति पर चर्चा की ।

श्रीमती गाँधी ने एशिया में सहयोगवसहानुभूतिपूर्ण वातावरण की तुरन्त आवश्यकता पर बल देते हुए एशिया के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगी सम्बन्धों को बनाने की सोवियत

संघ की इच्छा के प्रति सहयोग देने को कहा तथा भारत-सोवियत मैत्री को मात्र राजकीय स्तर पर आधारित न करके दोनों देशों की जनता के पारस्परिक सौहार्द्र पर आधारित बताया ।

भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा : 11जून,1976 :

श्रीमती गाँधी तथा एल0आई0ब्रेझनेव के मध्य 11जून, 1976 को भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए । संयुक्त घोषणा में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार व्यक्त किए गये और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नये क्षेत्रों की खोज पर बल दिया गया।

दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक रूप से स्थापित पारम्परिक सम्बन्धों के विकास में 9अगस्त,सन्-1971 की सन्धि को महत्वपूर्ण बताते हुए 29नवम्बर,1973 की भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा को सहयोग में और अधिक वृद्धि के लिए प्रेरक बताया ।

राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग की प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया गया ।

सोवियत नेता ने श्रीमती गाँधी से साम्यवादी दल की 25वीं कांग्रेस की रिपोर्ट, सोवियत संघ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की सफलतायें, सोवियत जनता के जीवन-स्तर तथा सोवियत

विदेश नीति के विषय में चर्चा की ।

श्रीमती गाँधी ने भारतीय सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सामाजिक-आर्थिक साधनों, भारतीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व एवं गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ में चर्चा की ।

आल यूरोपियन कान्फ्रेन्स ऑन सीक्योरिटी एण्ड को-आप्रेशन की चर्चा करते हुए दोनों पक्षों ने यूरोप में होने वाले परिवर्तनों का स्वागत किया और यूरोप महाद्वीप में शान्ति की वृद्धि के लिए साम्प्रदायी परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया ।

दोनों पक्षों ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप के विरुद्ध, उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान की सराहना की ।

मध्यपूर्व समस्या पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने मध्यपूर्व समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए इजरायल द्वारा 1967 में अरब देशों की अधिग्रहीत भूमि से शीघ्र अपनी सेनाओं को वापस हटाने पर बल दिया ।

साइप्रस समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए समान विचार प्रकट किए गए ।

भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति के सामान्यीकरण

के लिए 14मई, 1976 में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के विषय में भारतीय पक्ष द्वारा सोवियत पक्ष को जानकारी दी गई। इण्डो-चीन के स्वाधीनता संघर्ष की विजय को दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थिति में सुधार लाने वाला बताया गया तथा इस सन्दर्भ में दोनों पक्षों द्वारा आशा व्यक्त की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वियतनाम को शीघ्र ही उचित स्थान दिया जायेगा।

कोरिया के आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को अनुचित बताया गया।

कई वर्षों के उपनिवेशवादी दमन और शोषण से मुक्त हुए, अंगोला, मोजाम्बिक, गिनिया बिसाऊ, साओटोम और प्रिंसिपी के क्षेत्रों में प्रभुसत्तासम्पन्न राज्यों के उदय का दोनों पक्षों द्वारा स्वागत किया गया तथा आशा व्यक्त की गई कि जिम्बाब्वे और नामीबिया शीघ्र ही नव उपनिवेशवाद और जातिवाद के शोषण से मुक्त होंगे। भारत और सोवियत पक्षों ने विश्व शान्ति अक्षुण्ण तथा राजनैतिक तनाव शैथिल्य के लिए युद्ध सम्बन्धी तनावों को दूर करने में नि:शस्त्रीकरण को अपरिहार्य बताया। पूर्णत: नि:शस्त्रीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते हुए विश्व-नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन के शीघ्र आयोजन की माँग की।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा नि:शस्त्रीकरण की प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के सैन्य बजट में

दस प्रतिशत की कटौती जैसे व्यावहारिक निर्णय का स्वागत किया गया।

हिन्द महासागर को विदेशी सैनिक अड्डों की राजनीति से दूर रखकर ही हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाया जा सकता है, ऐसा विश्वास दोनों देशों ने प्रकट किया ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यन्त प्रभावकारी बताया गया ।

दोनों पक्षों ने भारतीय राजनीति में भारत तथा सोवियत संघ के मध्य सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि पर सन्तोष प्रकट किया तथा उच्च स्तर पर नेताओं की समय-समय पर होने वाली बैठकों की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से तीव्र गति से होने वाले विकास पर प्रकाश डाला गया तथा इस तथ्य पर बल दिया कि 29नवम्बर 1973 के आर्थिक-व्यापारिक समझौते में व्यापार वृद्धि के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आवश्यक है कि और अधिक नए क्षेत्रों की खोज की जाये ।

इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए गठित अन्तर्राजकीय भारत-सोवियत आयोग

के तीसरे दौर की समाप्ति पर निर्माण तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए नए क्षेत्रों तथा विशिष्ट प्रस्तावों की खोज पर बल दिया गया।

भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक सोवियत क्षेत्र से छोड़े जाने के बाद दूसरे उपग्रह के छोड़े जाने की व्यवस्था से दोनों देशों के मध्य तकनीकी और वैज्ञानिक आदान-प्रदान में सहायता मिलने से पारस्परिक सौहार्द्र और मैत्री में वृद्धि होगी, ऐसी दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की।[36]

इस प्रकार श्रीमती गाँधी की यह मास्को यात्रा द्विपक्षीय वार्ता के सन्दर्भ में सफल रही। सोवियत नेताओं ने श्रीमती गाँधी के आपातकालीन स्थिति के निर्णय को उचित माना।

जून, 1976 में ब्रेझनेव ने सार्वजनिक रूप से कहा-"श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में आपातकाल ने भारत में स्थिति को स्थिर किया। यह दृढ़ और निश्चित प्रयत्नों का परिणाम था कि श्रीमती गाँधी ने आन्तरिक और बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पराजित किया।"[37]

भारतीय गणतंत्र दिवस की आमसभा में बोलते हुए सोवियत उद्योग मन्त्री एन0वी0गोल्विन ने कहा-"वामपंथी, लोकतान्त्रिक,

---

36. फॉरेन अफेयर्स रिकार्ड, जून 1976, नं0-6, पृष्ठ-188-93.
37. सोवियत रिव्यू, यू0एस0एस0आर0एम्बेसी, नई दिल्ली, 6दिसम्बर 1976, पृष्ठ-52.

राष्ट्रीय तथा राष्ट्रभक्त शक्तियों के समर्थन और भारत सरकार के तीव्र-गामी प्रयत्नों के सम्मिलन से प्रतिक्रियावादियों के कार्यक्रम व्यर्थ हो गये।[38]

मास्को यात्रा पर गए विदेश सचिव जगत मेहता से वार्ता में सोवियत नेता कोसिगिन ने श्रीमती गांधी की नीतियों की सराहना की ।[39]

भारत में आम चुनावों तथा जनता पार्टी के गठन से सम्बन्धित समाचारों पर सोवियत प्रेस ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं की । इजवेस्ता ने कहा कि प्रतिक्रियावादी चुनावों के माध्यम से अपने को प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं । जनता पार्टी के नेताओं का उद्देश्य श्रीमती गांधी की सरकार को किसी भी मूल्य पर सत्ताच्युत करना है । उसने आरोप लगाते हुए लिखा कि दक्षिणपंथी राष्ट्रभक्ति-पूर्ण तथा लोकतान्त्रिक शक्तियों को विभाजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय साम्यवादी दल के मध्य संघर्ष उत्पन्न करना चाहते हैं।[40]

जनता पार्टी को भूतपूर्व राजाओं और सामन्तों के समर्थकों द्वारा एकत्र हुई भीड़ का रूप बताते हुए इजवेस्ता ने जनता पार्टी के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम न होने का आरोप लगाया ।[41]

भारत में अपने चुनावी प्रचार अभियान में जनता पार्टी

---

38. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 28जनवरी,1977.
39. हिन्दुस्तान टाइम्स, 5फरवरी,1977.
40. इजवेस्ता, 5 फरवरी,1977.
41. वही, 13-15 मार्च 1977.

अध्यक्ष मोरारजी देसाई द्वारा भारत-सोवियत मैत्री सन्धि की आलोचना की गई और घोषणा की गई कि यदि जनता पार्टी सत्ता में आई तो सन्धि स्वतः समाप्त हो जायेगी ।[42] इस सन्दर्भ में अटल बिहारी बाजपेई द्वारा भी समान विचार व्यक्त किए गए ।

इस प्रकार श्रीमती गाँधी के अलोकतान्त्रिक निर्णय के प्रति सोवियत समर्थन के कारण जनता पार्टी द्वारा कठोर रूख अपनाये जाने से भारत-सोवियत सम्बन्धों की स्थिति अत्यन्त संवेदनशील हो गई थी । जनता पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा-पत्र में 'विशुद्ध गुटनिरपेक्षता तथा किसी महाशक्ति की ओर झुकाव को नहीं करने जैसे काँग्रेस से भिन्न विचार प्रकट करने से सोवियत राजनीति में संशय की स्थिति उत्पन्न होने लगी और यह अनुमान लगाया जाने लगा कि सम्भवतः सोवियत संघ के प्रति भारतीय नीति में कोई परिवर्तन आए ।

राजनैतिक घटनाओं के अवलोकन के साथ-साथ सन्- 1970 से 1977 तक के काँग्रेस शासनकाल में सोवियत संघ द्वारा भारत के आर्थिक और औद्योगिक में दिए गए सहयोग का उल्लेखभी आवश्यक है-

भारत-सोवियत राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की रजत जयन्ती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सभा में भाषण करते हुए सरदार स्वर्णसिंह ने भारत की उन समस्याओं का सविस्तार विवेचन

---

42. इण्डियन एक्सप्रेस, 11फरवरी,1977.

किया जिनका औद्योगीकरण के प्रारम्भिक चरण में सामना करना पड़ा था । सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों के अनुकूल दृष्टिकोण की पश्चिमी देशों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा -"जब देश के अर्थतन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने देश के औद्योगीकरण के प्रयास में हमने अन्य देशों की ओर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया तब हमें कुछ देशों से पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला । ये देश वैचारिक कारणों से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार के लिए सहयोग के विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता के लिए आगे नहीं बढ़े । दूसरी तरफ, सोवियत संघ ने न केवल हमारे उद्योगों को विकसित करने, और न केवल हमारे अर्थतन्त्र को सुदृढ़ बनाने बल्कि अपने यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के निरन्तर विस्तार और सुदृढ़ीकरण के हमारे कार्यक्रम को वस्तुतः सार्थक बनाने में हमारे साथ तत्परतापूर्वक सहयोग किया और मिल-जुलकर काम किया ।[43]

व्यापारिक समझौता :

26दिसम्बर,1970 को हस्ताक्षरित 1971-75 के लिए पंचवर्षीय भारत-सोवियत व्यापार समझौते का विस्तृत रूप 5 मई,1972 को हस्ताक्षरित व्यापार संधि था जिसकी एक धारा में कहा गया था-

---

43. जगदीश विभाकर, नयी सीमायें नई सम्भावनायें, भारत-सोवियत सम्बन्ध, जुलाई 1975, शब्दकार, नई दिल्ली, पृष्ठ-74.

आवश्यकता पड़ने पर दोनों देश औद्योगिक सहायता के क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार का और अधिक संवर्धन करने के विचार से परस्पर लाभ के आधार पर प्रत्येक देश में वर्तमान और अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं के सृजन के और अधिक प्रयोग के लिए नये क्षेत्रों की खोज के लिए परामर्श करेंगे ।

इस उद्देश्य से आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए अन्तर्राजकीय आयोग गठित करने का निश्चय किया गया। 19सितम्बर,सन्-1972 को समझौते पर हस्ताक्षर होने से यह आयोग औपचारिक रूप से स्थापित हो गया । इसने सहयोग के नये आयाम निर्मित किए तथा तेल शोधन, बिजली, उर्वरक और इस्पात के क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाने के आवश्यक कार्यक्रम में सोवियत सहायता निश्चित की । आयोग का महत्व व्यक्त करते हुए सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के वरिष्ठ विशेषज्ञ इवान नेस्तोरोव ने कहा -"अन्तर्राजकीय आयोग के गठन ने इस समय विशेष महत्व धारण कर लिया है जबकि भारत अपने आर्थिक विकास की पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर रहा है । जहाँ तक दोनों देशों के बीच सहयोग की सम्भावनाओं का सम्बन्ध है, आयोग के कार्यकलाप न केवल इस सहयोग की प्रवृत्तियाँ निर्धारित करेंगे बल्कि ठोस उद्देश्य भी अत्यन्त सफलतापूर्वक निर्धारित करेंगे ।"[44]

---

44. सोवियत रिव्यू - अंक-43,14अक्टूबर, 1972, पृष्ठ-7.

आर्थिक सहयोग :

मई,सन्-1972 के व्यापार समझौते में भारत और सोवियत संघ के बीच सन्-1972 के दौरान कुल मिलाकर 387 करोड़ रुपये के व्यापार की परिकल्पना की गई थी । वस्तुत: सन्-1971 के आँकड़ों की तुलना में यह 25 प्रतिशत वृद्धि थी ।

इस समझौते में सोवियत संघ भारत को 400 टन से 1500 टन ताँबा और 50,000 टन अखबारी कागज देने के लिए सहमत हुआ था । 2,00,000 टन उर्वरक तथा 5,00,000टन मिट्टी का तेल देना सोवियत संघ द्वारा स्वीकार किया गया था ।

भारत जूट, चाय,काजू, पारम्परिक वस्तुयें, ऊनी वस्त्र, बिजली के उपकरण तथा रासायनिक पदार्थ आदि बड़े पैमाने पर सोवियत संघ भेजने के लिए सहमत हुआ था । अक्टूबर 1972 को श्रीमती गाँधी ने बोकारो इस्पात संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उसे भारतीय सोवियत मित्रता तथा आर्थिक विकास का प्रतीक बताया ।[45]

वैज्ञानिक सहयोग :

मई,सन्-1972 को सोवियत विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष एम०वी०केल्दिश तथा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष

---

45. जगदीश दिवाकर-नयी सीमायें नयी सम्भावनायें - भारत सोवियत सम्बन्ध - जुलाई 1975, शब्दकार, दिल्ली, पृष्ठ 75.

प्रो० एम०जी०के० मेनन ने बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण अन्वेषण में द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए । इस समझौते के अन्तर्गत भारत में निर्मित उपग्रह सोवियत-भू-क्षेत्र से एक सोवियत वाहक राकेट द्वारा सन्-1974 के अन्त में छोड़ा जाना था । यह भी निश्चित किया गया था कि सोवियत संघ प्रयोग करने में प्रत्येक प्रकार की आवश्यक तकनीकी सहायता और भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देगा ।

अक्टूबर,सन्-1972 में मास्को में सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद के उपाध्यक्ष ब्लादीमिर किरिल्लिन और भारत के तत्कालीन औद्योगिक विकास व विज्ञान मंत्री सी०सुब्रह्मण्यम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार औद्योगिक व विज्ञान के क्षेत्रों में सहायता देना तय हुआ था । वैज्ञानिक विषयों में जानकारी उपकरण तथा विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रावधान था ।

<u>व्यापारिक सहयोग :</u>

सन्-1970 के व्यापारिक समझौते में सोवियत संघ द्वारा विशेष रूप से भारत को औद्योगिक सहायता प्रस्तावित की गई । भारत के तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री एल०एन०मिश्र व सोवियत विदेश व्यापार के उपमन्त्री आई०टी०ग्रीशिन ने सन्-1973 के भारत-व्यापार पर 25नवम्बर,सन्-1972 को हस्ताक्षर किएजिसमें 410 करोड़ रुपए के

कुल व्यापार की परिकल्पना की गई थी । 29नवम्बर,सन्-1973 को दोनों देशों के मध्य एक 15वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार सन्-1980 तक दोनों देशों के व्यापार में 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक वृद्धि की जायेगी ।

अन्तर्राजकीय आयोग समझौता :

अन्तर्राजकीय आयोग की पहली बैठक 9 से 17फरवरी, सन्-1973 तक नई दिल्ली में हुई । इसमें सोवियत मंत्रिपरिषद की वैदेशिक आर्थिक सम्बन्धों की समिति के अध्यक्ष स्काकोव और भारतीय योजना मंत्री डी0पी0धर ने ऐतिहासिक महत्त्व के संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने अर्थतंत्र, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग की शाखाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की । इसके साथ विज्ञान और तकनीकी विभाग के अध्यक्ष एम0एन0 इक्रेमोव तथा भारतीय सचिव ए0जे0किदवई ने विज्ञान और प्रविधि के क्षेत्र में एक दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्तावों की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं -

§1§ सोवियत संघ मध्यप्रदेश के तांबा भण्डार के आधार पर खान तथा सैकेन्डक §ड्रेसिंग काम्पलेक्स§ के निर्माण में सहायता करेगा।

§2§ सोवियत संघ भूगर्भीय सर्वेक्षण, तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन

में भू-रासायनिक तरीकों के प्रयोग में तथा तेल-शोधन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने में भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता करेगा ।

(3) दोनों देश मिलकर रसायन, पेट्रो रसायन तथा अन्य क्षेत्रों की वैज्ञानिक परियोजनायें में मिलकर अनुसन्धान करेंगे ।

(4) यह भी आशा की जाती है कि भारत के विशेषीकृत उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ।

(5) सोवियत संघ सोवियत सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरण देगा ।

(6) नयी परियोजनायें स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता के विस्तार में भारतीय प्रतिभा तथा औद्योगिक क्षमताओं के अधिकतम उपयोग पर बल दिया जायेगा ।

(7) सन्-1976-80 के व्यापार के लिए सहयोग का कार्यक्रम दोनों देशों में वाणिज्य का और अधिक विस्तार करेगा ।

(8) सोवियत संघ कलकत्ता स्थित भूमिगत रेलवे के निर्माण में, उर्वरकों के उत्पादन में, लौह व अलौह धातुकर्म आदि के उत्पादन में सहायता करेगा ।

(9) भिलाई व बोकारो इस्पात कारखानों की वार्षिक क्षमता में वृद्धि के लिए सोवियत संघ द्वारा सहायता दी जायेगी ।

इसकेअतिरिक्तसोवियत संघ भारत को टैंकरों व भण्डारों के लिए 22हजार टन इस्पात भी देने को सहमत हुआ था ।

भारत के योजना आयोग तथा सोवियत राज्यीय योजना समिति के बीच हुए समझौते में योजना के क्षेत्र में सहयोग के लिए अन्तर्-राजकीय आयोग के ढाँचे के अन्तर्गत भारत-सोवियत संयुक्त अध्ययन दल स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी । इस अध्ययन दल का मुख्य कार्य अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करना था ।[46]

ब्रेझनेव की मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा के परिणामों का अनुमोदन करते हुए सोवियत संघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति, सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष मण्डल और सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद ने 4 दिसम्बर,1973 को आयोजित एक सभा में कहा-" सोवियत संघ और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग के और अधिक विकास से सम्बन्धित दीर्घकालीन समझौता अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह परस्पर लाभदायक एवं फलप्रद आर्थिक सहयोग की दिशा का निर्धारण करता है । समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त पर सोवियत संघ के आर्थिक और भारत की (जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान और विकसित होते सामाजिक रुपान्तरणों के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है) आर्थिक स्वतंत्रता के दृढ़ीकरण, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ।"[47]

---

46. जगदीश विभाकर-नयी सीमायें-नयी सम्भावनायें,भारत-सोवियत सम्बन्ध, जुलाई 1975, शब्दकार, दिल्ली, पृष्ठ-77.
47. सोवियत संघ के समाचार और विचार,5दिसम्बर,1973.

ऊर्जा संकट के सन्दर्भ में भारत व सोवियत संघ के बीच 27दिसम्बर,1973 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत वर्तमान खानों से 50 से 60 लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन किया जाना तय हुआ था ।

म०प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र को विकसित करने के अतिरिक्त मिर्जापुर जिले में कोयला खोजने में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सोवियत सहायता का प्रावधान किया गया ।

कृषि, तेल उद्योग के विकास तथा व्यापार से सम्बन्धित तीन समझौते हुए ।

कृषि उद्योग के क्षेत्र में व्यापक अनुसन्धान और विकास पर बल देते हुए संघ द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति, मत्स्यपालन एवं पशुपालन के अन्तर्गत सोवियत कराकुल व मेरीनो जाति की भेड़ों को भारत में भेजने की व्यवस्था में सहायता दी गई ।

तेल उद्योग के क्षेत्र में 1जनवरी,सन-1974 को भारत के पेट्रोलियम एवं रसायनमन्त्री डी०के०बरूआ तथा सोवियत तेल उद्योग मंत्री वी०डी०शाशिन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । सोवियत विशेषज्ञों के अनुसार आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के पास यथेष्ठ तेल भण्डार है । इसके सम्भावित तेल व गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सोवियत संघ आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री भेजने तथा भारतीय तकनीशि-

यनों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गया । इसके अतिरिक्त 10लाख टन मिट्टी का तेल, एक लाख टन डीजल तेल तथा 3·25 लाख टन उर्वरक की सहायता का प्रावधान किया गया ।

व्यापार क्षेत्र :

21जनवरी, सन्-1974 को हस्ताक्षरित व्यापार समझौते में दोनों देशों के व्यापारिक विकास में 35 प्रतिशत वृद्धि का उद्देश्य रखा गया ।

इस समझौते के विशेष रूप से कुछ लाभदायक पक्ष थे । सोवियत संघ उस वर्ष भारत की पाँचवी पंचवर्षीय योजना की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को चार गुना अधिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सहमत हुआ था । सोवियत निर्यात में होने वाली इस बढ़ोत्तरी को सन्तुलित करने के लिए सोवियत संघ उस वर्ष भारत से अपना आयात बढ़ाने और इसमें अधिक प्रकार के माल शामिल करने के लिए सहमत हुआ ।

19मार्च, सन्-1975 को प्रायोगिक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सन्-1975 -80के रचनात्मक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए । 5अप्रैल, सन्-1976 को द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया गया।[48]

---

48. टाइम्स आफ इण्डिया, 6अप्रैल, 1976.

11जून, 1976 को संयुक्त घोषणा में मैत्री और सहयोग तथा 29जून, 1976 को तकनीकी तथा अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया।[49] 5 वर्षों के लिए 19जुलाई, 1976 को शिपिंग समझौता किया गया।

12अगस्त, 1976 को हस्ताक्षरित समझौते में तृतीय विश्व के देशों तथा भारत में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर बल दिया गया।[50]

इस प्रकार श्रीमती गाँधी के शासनकाल के अन्तिम चरण तक दोनों देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की वृद्धि के लिए समझौतों का विकास तीव्र गति से होता रहा। विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में सोवियत तथा भारतीय सम्बन्ध अधिक प्रगाढ़ हुए। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ० मनमोहन सिंह ने सोवियत व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा "निर्यात और आयात की कीमतें शेष दुनिया से वैसे ही व्यापार की तुलना में भारत के लिए कहीं अधिक अनुकूल हैं, इससे हमारी उत्पादक व्यवस्था और हमारी आयात क्षमता बढ़ती है। भुगतान माल के रूप में होता है। पश्चिमी देशों से भारत की सौदे की ताकत बढ़ती है। प्रचारात्मक दावों के बिना ऐसी

---

49. नेशनल हेराल्ड, 11जून, 1976. हिन्दुस्तान टाइम्स, 30जून, 1976.
50. स्टेट्समैन, 13अगस्त, 1976.

चीजों का निर्यात बढ़ता है जो पहले निर्यात नहीं की जाती थीं, निर्यात के खर्चे में कमी होती है, निर्यात के दाम कम करके आयात के दाम बढ़ाकर दिखाने की बुराइयां दूर होती हैं। औद्योगिक विशिष्टीकरण और समन्वय के लिए अपनी सन्तोषजनक व्यवस्था समेत विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग के नए स्वरूपों का परिप्रेक्ष्य खुलता है। निष्कर्ष यह है कि यह पहलू आर्थिक सम्बन्धों के ऐसे आदर्श हैं जो प्रभुसत्तासम्पन्न स्वतंत्र राज्यों तथा अधिकाधिक रूप से स्वतंत्र होती दुनिया में कायम किए जाने चाहिए।"[51]

मोरारजी देसाई एवं चरण सिंह काल :1977-1979:

मार्च,1977 में आयोजित लोकसभा के आम चुनावों में 30 वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद केन्द्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल में परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस का करारी हार से जनता पार्टी को सत्ता में आने और देश की राजनीति में नए युग की छवि को प्रतिबिम्बित करने का अवसर मिला।

सोवियत परिप्रेक्ष्य में चुनाव-परिणाम आशा के विपरीत निकले। सोवियत प्रतिक्रिया के अनुसार लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रभक्तिपूर्ण

---

51. गुटनिरपेक्षता, आत्मनिर्भरता और भारत-सोवियत मित्रता सेमिनार भाषण - 30 जनवरी, सन्-1972.

शक्तियों में एकता न हो पाने का चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिससे विपक्षी दल को लाभ मिला ।

रेडियो मास्को ने चुनाव में हार का कारण सन्-1975 में आपातस्थिति लागू करने के साधनों की अधिकता से हुई त्रुटियों को बताया । जनता पार्टी के विजय परिणाम को पश्चिमी तथा चीनी प्रेस ने प्रमुखता से छापा ।

टाइम्स के अनुसार जनता पार्टी की विजय से नेहरू शासन का पतन तथा इन्दिरा गांधी के राजनैतिक जीवन का अन्त हो गया ।[52]

श्रीमती गांधी की हार का उल्लेख करते हुए वाशिंगटन पोस्ट ने इस समय को अमेरिका तथा चीन की नई दिल्ली से सम्बन्धों में सुधार के लिए एक सुनहरा अवसर बताया ।[53]

न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा कि भारत में चुनाव परिणामों से भारत-सोवियत सम्बन्धों का विकास भी अवश्य प्रभावित होगा ।[54] पेकिंग रिव्यू ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावों में पराजय को भारत-सोवियत सम्बन्धों में अवरोधक बताया ।[55]

---

52. टाइम्स, 22मार्च, 1977.
53. वाशिंगटन पोस्ट, 22मार्च, 1977
54. न्यूयार्क टाइम्स, 3अप्रैल, 1977.
55. पेकिंग रिव्यू, 8अप्रैल, 1977, पृष्ठ 23.

जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने से भारत-सोवियत सम्बन्धों में शिथिलता आने का विभिन्न समाचार-पत्रों द्वारा अनुमान लगाना निराधार नहीं था क्योंकि मोरारजी देसाई ने टाइम पत्रिका तथा न्यूजवीक को दिए गए साक्षात्कारों में स्पष्ट कहा था कि-"हम किसी भी देश के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं। अगर सोवियत संघ को इस पर आपत्ति हो तो वह शान्ति मैत्री तथा सहयोग की नीति को समाप्त करने के लिए मुक्त है। अब तक यह आरोप लगाया जाता रहा है कि भारत-सोवियत संघ की तरफ झुक रहा है, परन्तु अब ऐसा नहीं होगा।"[56]

नई सरकार के विचार और नीतियों का तत्कालीन परिस्थितियों में सोवियत-संघ द्वारा सूक्ष्म अवलोकन किया गया। 25मार्च, 1977 को सोवियत प्रधानमन्त्री कोसिगिन ने भारतीय प्रधानमंत्री देसाई को शुभकामना सन्देश भेजकर दोनों देशों के मध्य परम्परागत सम्बन्धों और सहयोग के प्रगाढ़ होने की इच्छा प्रकट की। मोरारजी देसाई द्वारा धन्यवाद सन्देश में आशा व्यक्त की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सौहार्द्र तथा दोनों देशों की जनता के हित में भारत सोवियत सम्बन्धों का निरन्तर विकास किया जायेगा।[57]

---

56. टाइम, 4अप्रैल,सन्-1977,पृष्ठ-13, न्यूजवीक,14अप्रैल,1977.
57. हिन्दुस्तान टाइम्स, 31 मार्च,1977.

इस प्रकार दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में शिथिलता तथा उदासीनता की नीति की अपेक्षा एक नवीन उत्साह की शुरुआत हुई। विदेशमंत्री अटल बिहारी बाजपेई तथा भारत में सोवियत राजदूत विक्टर माल्तसेव के बीच 30मार्च,सन्-1977 को हुई वार्ता में सरकारी स्तर पर कहा गया कि भारत और सोवियत संघ पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों तथा सहयोग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।[58]

सोवियत विदेश मंत्री ग्रोमक्यो को भेजे गए सन्देश में भारतीय विदेश मन्त्री बाजपेई ने आशा व्यक्त की कि भारत के सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा पारस्परिक सौहार्द्र को और अधिक विकसित करेंगे।[59] दोनों देशों के सम्बन्धों की राजनयिक स्तर पर स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने पर सोवियत नेताओं द्वारा भारतीय नेतृत्व को शुभकामनायें भेजी गईं। सोवियत प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि दोनों देशों के सम्बन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा सोवियत संघ द्वारा भारत-सोवियत सन्धि के अनुसार भारत को हर सम्भव सहायता दी जायेगी।[60]

प्रत्युत्तर में भारतीय विदेश मन्त्री द्वारा समर्थन करते हुए सम्बन्धों के उत्तरोत्तर विकास की कामना व्यक्त की गई।[60]

---

58. हिन्दुस्तान टाइम्स, 9अप्रैल,1977.
59. वही, 13अप्रैल,1977
60. वही, 14अप्रैल,1977.

प्रधानमन्त्री की मास्को यात्रा : 21-27अक्टूबर, सन्-1977 :

प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई 21 अक्टूबर को मास्को यात्रा पर गए । क्रेमलिनमें आयोजित उनके सम्मान भोज में राष्ट्रपति ब्रेझनेव ने भारत-सोवियत सम्बन्धों के पारस्परिक एवं लाभदायक सहयोग के विकास की कामना की ।

प्रधानमंत्री देसाई ने भारत की सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों को विकसित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि "दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि उनके सम्बन्ध व्यक्तित्व तथा विचारधाराओं पर आधारित न होकर समानता की नींव पर आधारित हैं । राष्ट्रीय हित एवं समान उद्देश्य भारत और सोवियत संघ को और अधिक निकट लाये हैं । सोवियत आर्थिक सहायता भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है । भारत-सोवियत सम्बन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारे दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों का विकास पूर्व स्थापित सोवियत मैत्री के मूल्य पर नहीं होगा ।"

यात्रा के अन्त में दोनों देशों द्वारा संयुक्त घोषणा जारी की गई जिसमें उच्च स्तर के दोनों देश के नेताओं के मध्य व्यक्तिगत सम्पर्कों के विकास पर बल दिया गया । आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग की नयी तथा प्रभावकारी विधियों की खोज की कामना प्रकट की गई ।

सोवियत-भारत संयुक्त घोषणा : 26अक्टूबर, 1977 मास्को :

दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक सम्बन्धों के विकास पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के मध्य सहयोग स्थापित हो सकता है, जबकि वह शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित हो।

भारत-सोवियत मैत्री की भावना के अन्तर्गत पारस्परिक सहयोग के बहुपक्षीय आयामों पर प्रकाश डालते हुए तथा आने वाली महान् अक्टूबर समाजवादी की 60वीं वर्षगाँठ के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई ने सोवियत नेताओं को भारत में तत्कालीन नेतृत्व परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों से अवगत कराया।

यह भी स्वीकार किया गया कि दोनों देशों के मध्य आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए एवं प्रभावशाली साधनों के सहयोग से अत्यन्त लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए। सोवियत-भारत व्यापार में विस्तार की वृद्धि पिछले दशक {1967-77} की वृद्धि से चार गुना अधिक हुई।

इसके अतिरिक्त संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, पर्यटन, खेल आदि के क्षेत्रों में सहयोग के विकास पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

दोनों पक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में आवश्यक सेक्टर के विकास में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम पर सहमत हुए। तृतीय विश्व के आर्थिक विकास में सहयोग तथा पेट्रोलियम, कोयला, कृषि, सिंचाई एवं लोह- अलोह धातुओं के शोधन आदि क्षेत्र में सहयोग के आयामों के अध्ययन के लिए सोवियत तथा भारतीय संस्थानों के विशेषज्ञों के दल की स्थापना का निश्चय किया गया तथा भारत में अल्युमीनियम संयंत्र के निर्माण के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनावों को कम करने के लिए निःशस्त्रीकरण पर बल देते हुए आणविक युद्ध तथा शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करने को कहा गया। नए प्रकार के रासायनिक शस्त्रों के विकास को अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा प्रतिबन्धित करने पर सहमति व्यक्त की गई। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति के प्रयोग को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति के प्रयोग न करने के लिए विश्व सन्धि जैसे समान विचार व्यक्त किए।

पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में तनाव में कमी को महत्वपूर्ण मानते हुए यूरोप के इन भागों की प्रगति की सराहना करते हुए दोनों पक्षों ने दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा समस्याओं को सुलझाने के प्रयास का स्वागत किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में वियतनाम की सदस्यता को मान्यता मिलने का दोनों पक्षों ने समर्थन किया ।

मध्यपूर्व की समस्या के प्रति राजनैतिक समाधान के लिए इजरायली सेनाओं के अरब सीमाओं पर हटने को उचित बताते हुए फिलिस्तीनियों को उनकी न्यायोचित मांगों के लिए समर्थन दिया गया ।

सोमालिया और इथियोपिया के बीच जारी संघर्ष को शीघ्र शान्तिपूर्वक प्रस्ताव द्वारा सुलझाने तथा दोनों पक्षों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को शीघ्र समाप्त करने, नामीबिया को स्वतंत्रता देने तथा जिम्बाब्वे में बहुमत के प्रतिनिधियों को बिना शर्त के शीघ्र सत्ता हस्तान्तरण पर बल दिया गया ।

हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के लिए विदेशी सैनिक अड्डों को प्रतिबन्धित करने पर सहमति व्यक्त की गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में निहित सिद्धान्तों और उद्देश्यों को दोनों पक्षों ने आवश्यक बताया ।

शान्ति एवं सुरक्षा के लिए नवउपनिवेशवाद जातिवाद तथा रंगभेद की नीति के विरुद्ध गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अभियान की दोनों पक्षों ने सराहना की ।

अन्ततः दोनों पक्षों द्वारा प्रधानमंत्री देसाई की इस यात्रा को दोनों देशों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग के लिए लाभदायक बताया गया ।[61]

लोकसभा में प्रधानमंत्री देसाई ने एक वक्तव्य में कहा- "यह यात्रा भारत के सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों की आवश्यक निरन्तरता को प्रकट करती है ।..... इस यात्रा ने वास्तव में भारत-सोवियत सम्बन्धों को शक्ति तथा स्थिरता का नया आयाम प्रदान किया है ।"[62]

12सितम्बर,1978 को विदेशमंत्री श्री बाजपेई सोवियत यात्रा पर गए । सोवियत नेताओं से वार्ता में उन्होंने भारत और सोवियत संघ के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों के तीव्र विकास की आवश्यकता पर बल दिया । चीन के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण में कांग्रेस सरकार के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए विदेशमंत्री ने जनता सरकार द्वारा चीन सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य

---

61 . फारेन अफेयर्स रिकार्ड,अक्टूबर,1977 नं0-77 पृष्ठ-203-206.

62. लोकसभा डिबेट,सिक्सथ सीरीज,वाल्यूम-7,नं0-1,14नवम्बर,1977 पृष्ठ 307-309.

बनाने के प्रयत्नों पर भी प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि उनकी चीन यात्रा भारत-सोवियत सम्बन्धों को किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं करेगी ।[63]

वार्ता में सोवियत सरकार द्वारा भारत को परिशोधित यूरेनियम आपूर्ति की इच्छा प्रकट की गई जिसके लिए अमेरिका ने अस्वीकृति दी थी ।[64]

सोवियत एवं भारतीय प्रेस जगत द्वारा वाजपेयी-ग्रोमिको वार्ता को अत्यन्त सफल बताया गया । जनता सरकार के कार्यकाल में भारतीय प्रधानमंत्री तथा विदेशमंत्री की सौहार्द्रपूर्ण यात्राओं में सोवियत नेतृत्व को भारत द्वारा सोवियत संघ से मैत्री सम्बन्धों को बनाये रखने के सम्बन्ध में आश्वस्त किया तथा सन्देह और अविश्वास की भ्रान्तियों को समाप्त किया ।

प्रधानमन्त्री की पुनः मास्को यात्रा :

10जून,1979 को प्रधानमंत्री देसाई सोवियत नेताओं के साथ कुछ आवश्यक प्रश्नों पर विचार-विमर्श के लिए मॉस्को गए। पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के प्रश्नों के अतिरिक्त वियतनाम में चीन की

---

63. स्टेट्समैन,हिन्दू 13सितम्बर,1978.

64. इण्डियन एक्सप्रेस,स्टेट्समैन,टाइम्स ऑफ इण्डिया,20सितम्बर,1978.

भूमिका तथा अफगानिस्तान समस्या पर भी विचार किया गया । सोवियत विदेशमंत्री द्वारा आशा व्यक्त की गई कि भारत को उन देशों को चेतावनी देनी चाहिए जो अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे ।[65]

सोवियत संघ भारत को 2.5 से 3 मिलियन टन कच्चा तेल देने को तैयार हो गया । भारत को उसके नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भारी जल (हेवी वाटर) की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति के लिए सोवियत सहायता का प्रावधान किया गया ।

नेतृत्व परिवर्तन :

जनता पार्टी के आन्तरिक मतभेदों के कारण भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ स्तर में पुनः नेतृत्व परिवर्तन हुआ । इस बार शासन का संचालन श्री चौधरी चरण सिंह ने संभाला और जुलाई, 1979 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने ।

सोवियत प्रमुख को भेजे गए धन्यवाद संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों को हर प्रकार से विकसित करने का प्रयास करेगी ।[66]

अपने संक्षिप्त कार्यकाल में प्रधानमंत्री चरण सिंह ने अफगान समस्या के शीघ्र समाधान पर बल दिया । इस सन्दर्भ में मॉस्को

---

65. इण्डियन एक्सप्रेस, 13जून, 1979
66. स्टेट्समैन, 10अगस्त, 1979.

ने नई दिल्ली को सूचित किया कि अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं मास्को द्वारा अफगान-सोवियत सन्धि [दिसम्बर 1978] के प्रावधान के अन्तर्गत भेजी गई थी ।

भारत ने अफगान जनता को विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध आत्मनिर्णय के सम्प्रभुता सम्पन्न अधिकार को समर्थन दिया । विदेश मंत्रालय से जारी एक वक्तव्य में कहा गया भारत ने सदैव से एक देश द्वारा दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया और यह आशा व्यक्त की गई कि कोई भी देश अथवा बाह्य शक्ति ऐसे कदम नहीं उठायेगी जो कि स्थिति की जटिलता को बढ़ाये । स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति का शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है ।[8] इस प्रकार जनता पार्टी कार्यकाल में राष्ट्रीय विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विचार-विमर्श में सोवियत संघ द्वारा खुलेपन की नीति अपनाई गई ।

राजनैतिक समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त सोवियत नेतृत्व में, भारत के आर्थिक विकास में, विभिन्न समझौतों के द्वारा, भारत को आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

<u>विभिन्न समझौते :</u>

जनता पार्टी के अल्पशासन काल में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए । व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में तीन समझौतों

पर हस्ताक्षर हुए ।

पहले समझौते में कोयला और इस्पात उद्योग में विकास के लिए 250 मिलियन रूबल की दीर्घकालीन सहायता का प्रावधान किया गया ।

दूसरा समझौता भारत और सोवियत संघ के मध्य संचार साधनों के लिए किया गया ।

तीसरा समझौता, द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग की वृद्धि के सम्बन्ध में किया गया ।

आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए एक दीर्घकालीन प्रोटोकाल का प्रावधान किया गया ।[67]

उपरोक्त दो महत्वपूर्ण दलों के शासनकाल में सोवियत सम्बन्धों के फलस्वरूप हुई सन्धि तथा समझौतों के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, यह विवेच्य पारस्परिक सम्बन्धों की गहनता को समझने के लिए आवश्यक है ।

भारत-सोवियत सहयोग का भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव :

{सन्-1970 से 1979 तक}

भारत सोवियत सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में द्विपक्षीय सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हुई । व्यापारिक

---

67. द हिन्दू, 6 मार्च, 1978.

तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत-सोवियत सम्बन्धों ने लाभप्रद परिणामोंको प्रदर्शित किया ।

भारत-सोवियत सहयोग ने उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक ढाँचे में सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आन्तरिक बचत, श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में सन्तुलन, रोजगार तथा लघु उद्योगों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया ।

30अप्रैल, 1977 तक भारत और सोवियत सहयोग का कुल विस्तार 1920 करोड़ रु0 तक पहुँच गया था । सोवियत संघ द्वारा भारत को रु0 1237 करोड़ की सीमा तक सहायता दी गई । आर्थिक सहायता का वार्षिक औसत उपयोग 1972/73 - 1974/75 में 12·2 करोड़ से बढ़कर सन्- 1975/76-1976/77 में रु0 22·8 करोड़ रु0 तक हो गया ।

सोवियत संस्थानों द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण में तकनीकी सहायता दी गई जो कि अप्रैल सन्-1977 तक 520करोड़ रु0 तक पहुँच गई थी । यह सहायता देर से भुगतान की नीति पर आधारित थी ।

भारत-सोवियत सहयोग से निर्मित तथा संचालित परियोजनाओं का भारतीय उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 80 से अधिक परियोजनाओं को सोवियत सहायता से

स्थापित करने का प्रयास किया गया । भारत-सोवियत सहयोग से 4 धातु शोधन उद्योग, 10कोयला तथा 13 तेल उद्योग, 15मशीनी उपकरण उद्योग, 11 विद्युत स्टेशन,6 कृषि तथा 14 शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में परियोजनायें स्थापित की गई ।[68]

लघु उद्योग विकास :

भारत-सोवियत सहयोग की दस मुख्य परियोजनाओं के आधार पर सन्-1977 तक 813 लघु उद्योग लगाए गए जो कि परियोजनाओं के लिए कच्चा माल की आपूर्ति के साथ-साथ तकनीकी सहायता और मेन्टेनेन्स करेंगें ।

बोकारो स्टील प्लान्ट की स्थापना ने औद्योगिक क्षेत्र में 300 लघु उद्योगों का सृजन किया । भिलाई स्टील प्लान्ट ने 120 लघु उद्योगों को जन्म दिया जिसमें कि 45 योजनाओं ने मुख्य प्लान्ट के लिए काम शुरू कर दिया । सन्-1973/74 - 1975/76 में लघु उद्योगों से 900 लाख रु0 की खरीद हुई । हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रति वर्ष 200 लाख के उत्पादन वाले लघु उद्योग लगाये गए । 85 से अधिक लघु उद्योग रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लान्ट की आवश्यकताओं की

---

68. ए शेनोविस्की,बो0कोप्टेविस्की,एल0रैतमिन-इन्डो सोवियत इकोनॉमिक को-आप्रेशन एण्ड ट्रेड रिलेशन्स,सुमीत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-1977पृ0 25

पूर्ति करेंगे । दुर्गापुर माइनिंग एण्ड एलाइड इक्विपमेन्ट प्लान्ट का औद्योगिक क्षेत्र 76 लघु उद्योगों सहित, 250 लाख वार्षिक के उपकरण तथा अतिरिक्त कल पुर्जे की पूर्ति करेगा । इस प्रकार भारत-सोवियत सहयोग द्वारा न केवल भारी उद्योग के विकास के लिए बल्कि लघु स्तर के उद्योगों के लिए भी सहायता प्रदान की गई जिससे भारत के औद्योगीकरण का तीव्र एवं सुदृढ़ विकास हुआ ।

रोजगार तथा कार्मिक प्रशिक्षण :

सन्-1977 की शुरुआत तक लगभग 140 हजार कार्मिकों को भारत-सोवियत सहयोग की परियोजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मिला । यह सोवियत सहयोग की विशेषता है कि योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है । सोवियत सहायता से सन्-1977 तक 96 हजार भारतीय विशेषज्ञों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया जिसमें कि 77 हजार प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं तथा 19 हजार विशेषज्ञों ने डिप्लोमा पास किया ।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास :

भारत-सोवियत सहयोग की परियोजनाएं देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की गई जिससे औद्योगिक स्तर तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हो सके ।

विद्युतीकरण विकास (पावर प्रोजेक्ट)

किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए विद्युत उत्पादन में विकास अति आवश्यक है । भारत-सोवियत सहयोग में विद्युत विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया । सोवियत अनुभव के साथ, भारत के औद्योगीकरण में दस वर्षों के लिए विद्युतीकरण परियोजना प्रारम्भ की गई । भिलाई, बोकारो स्टीलप्लान्ट, बरोनी तथा कोयली आदि परियोजनाओं की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में अधिक क्षमता वाले विद्युत घरों (पावर स्टेशन) को इन परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किया गया ।

सोवियत सहायता से स्थापित विद्युत घरों की क्षमता 3200 मेगावाट अथवा कुल भारतीय क्षमताओं की 15 प्रतिशत है। ये विद्युत घर देश में उत्पादित विद्युत का एक-पाँचवा हिस्सा उत्पन्न करते हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग :

भारत-सोवियत सम्बन्धों में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में पर्याप्त सहयोग हुआ। विज्ञान और इन्जीनियरिंग[अभियान्त्रिकी] की विभिन्न शाखाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ, दोनों देशों में संस्थानों के निर्माण तथा अनुसंधान केन्द्रों में विशेषज्ञों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया।

फरवरी 1975 में दोनों देशों द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में संयुक्त कार्यक्रम के लिए पंचवर्षीय समझौता किया गया। सौर्य उर्जा, जल संसाधनों के उपयोग, रासायनिक पदार्थों, चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य आदि के विषय में सहयोग का प्रावधान किया गया। सहयोग के नए क्षेत्रों में बायोमीट्रोलॉजी में संयुक्त अन्वेषण के लिए भी प्रावधान किया गया जो दोनों देशों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका था।

आर्थिक सहयोग :

द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के लिए अन्तर्राजकीय समझौते पर वर्ष 1953 में हस्ताक्षर हुए थे जिसके अन्तर्गत दोनों देशों द्वारा समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों पर आधारित व्यापार के लिए अधिक अवसरों को बढ़ाने, देशी मुद्रा में भुगतान तथा दोनों देशों की आवश्यकतानुसार माल के आयात-निर्यात की व्यवस्था की गई थी।

समझौते के फलस्वरूप आने वाले वर्षों में निरन्तर बढ़ोत्तरी को निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता है -

सारिणी सं0- 1

रु0करोड़

	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71	1975-76
टर्नओवर	9·47	44·68	176·15	314·53	708·6
एक्सपोर्ट फ्राम यू0एस0 एस0आर0	3·26	28·81	92·98	209·85	412·8
इम्पोर्ट फ्राम यू0एस0एस0 आर0टू0 इण्डिया	6·21	15·87	83·17	104·68	295·8

सोर्स : मन्थली स्टेटिस्टिक्स ऑफ इण्डियास फारेन ट्रेड

व्यापारिक विस्तार :

वर्ष 1973 में ब्रेझनेव यात्रा के दौरान हुए समझौते ने व्यापारिक और आर्थिक सहयोग में नयी सम्भावनाओं को विस्तार दिया। विकासशील देशों के साथ सोवियत संघ के व्यापारिक सहयोग में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ । इस प्रकार सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बना ।

सन्-1976 से 80 के लिए हुए पंचवर्षीय दीर्घकालीन व्यापार समझौते का वर्ष 1976 पहला साल होने के कारण महत्वपूर्ण था । भारतीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत और सोवियत संघ के मध्य व्यापारिक टर्नओवर में 940 करोड़ रु0 की वृद्धि होगी । पाँच सालों में, वर्ष 1971-75 में 248 करोड़ रु0 के विपरीत 435 करोड़ रु0 का

विस्तार होगा । यह आशा व्यक्त की गई कि आगामी वर्षों में भारत को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को सोवियत आर्थिक सहायता से सुलझाने में सफलता मिलेगी ।

कृषि विकास में सोवियत सहायता :

भारत की मुख्य समस्या कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए सोवियत संघ द्वारा प्रत्येक प्रकार से सहायता का प्रावधान किया गया । कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित उर्वरक समस्या के लिए सोवियत संघ ने निरन्तर भारत को उर्वरक आपूर्ति की ।

ऊर्जा क्षेत्र में सहायता :

विश्व तेल बाजार में बहुराष्ट्रीय अधिपत्य के कारण उत्पन्न पेट्रोलियम पदार्थों के आयात की समस्याओं के समाधानार्थ सोवियत संघ ने केरोसिन और डीजल तेल के लिए सहायता प्रदान की । जहाँ यह सहायता वर्ष 1973 में 1·3 मिलियन टन थी, वर्ष 1976 में बढ़कर दुगुनी हो गई । भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकताओं की 50प्रतिशत पूर्ति सोवियत संघ से प्राप्त सहायता से की जाती है ।

भारत की आवश्यकता पूर्ति तथा पारस्परिक व्यापार के विस्तार में सन्तुलन के लिए सोवियत संघ द्वारा भारत को 5·5मिलियन टन क्रूड आयल देने का प्रस्ताव किया गया जिसको सन् 1976-80 में दिया गया । बदले में भारत द्वारा समान राशि के माल को सोवियत संघ की आवश्यकतानुसार भेजा गया ।

यह व्यापार विश्व तेल बाजार में तेल की बढ़ी हुए

(कुई)कीमतों के सन्दर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत 5.5 मिलियन टन तेल की कीमत देने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकता था परन्तु इसके एवज में भारत को लौह धातुओं को सोवियत आवश्यकतानुसार उसे बेचने का अवसर मिला । भारतीय कम्पनियों का लौह भण्डार 13 मिलियन टन तक पहुँच चुका था । अतः विशाल सोवियत बाजार को, उनकी आवश्यकतानुसार पूर्ति करके, इच्छित माल की प्राप्ति, भारत को अस्थिरता और अधीनता न देकर दोनों देशों के मध्य सहयोग के सन्तुलन को प्रकट करती है ।

उपरोक्त आँकड़े भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग को, जो कि समानता एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित है, बताते हैं और भविष्य के विकास के लिए नए परिप्रेक्ष्य खोजते हैं ।

वर्ष 1973 का समझौता तथा सन्-1976-80 के लिए हुआ पंचवर्षीय व्यापारिक समझौता, दोनों ने भारत और सोवियत संघ के मध्य गुणात्मक निर्भरता तथा संख्यात्मक रूप से विस्तार में वृद्धि के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया । इसके पश्चात् सोवियत विदेशमंत्री की यात्रा के समय वर्ष 1977 में हुए समझौतों ने भारत-सोवियत सहयोग के सुदृढ़ आधार को और अधिक गतिशीलता प्रदान करते हुए आने वाले वर्षों में होने वाली आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के लिए द्वार खोले । वर्ष 1979 में पन्द्रह वर्ष के लिए हुआ दीर्घकालीन समझौता, पूर्ववर्ती समझौतों के लाभ के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि भारत-सोवियत आर्थिक, व्यापारिक तथा वैज्ञानिक सहयोग को उत्तरोत्तर विकसित दिशा को प्राप्त करना है।

इस प्रकार भारत-सोवियत सम्बन्धों में राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग ने यह स्पष्ट किया कि प्रारम्भ में सत्ता में आने के

पूर्व जनता पार्टी के नेताओं ने सोवियत संघ के प्रति भारतीय नीति में परिवर्तन के जो संकेत दिए थे, वह सत्ता का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के पश्चात् निर्मूल सिद्ध हुये। जनता सरकार ने संकट के समय सोवियत संघ के सदैव भारत के प्रति सहायता और मैत्री के दृष्टिकोण को तथा देश के आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्धी हितों को दृष्टि में रखकर सोवियत संघ के प्रति अपनी मैत्री में कोई कमी नहीं आने दी बल्कि उसे और अधिक विकसित करने पर बल दिया।

इन्दिरा गाँधी युग (1980-84) काँग्रेस की वापसी :

जनता पार्टी के आन्तरिक मतभेदों के कारण देश में जो राजनैतिक अव्यवस्था और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसका समापन मध्यावधि चुनाव के रूप में हुआ तथा जनवरी, 1980 में पुन: काँग्रेस सत्तारूढ़ हुई।

सोवियत संघ द्वारा देश के राजनैतिक क्षितिज में होने वाले परिवर्तनों का कुशलतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रावदा के अनुसार जनता पार्टी की हार का कारण उसके आन्तरिक मतभेद तथा भारतीय जनता की आशाओं को पूरा न कर पाना था।[70] काँग्रेस शासन के प्रति शुभकामनायें प्रकट करते हुए प्रावदा ने आशा व्यक्त की कि शक्तियों का नया सन्तुलन, संसद तथा पूरे देश में राजनैतिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए आवश्यक रचनात्मक तथा लाभदायक परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा।[71]

---

70. प्रावदा, 10 जनवरी, 1980.
71. प्रावदा, 15 जनवरी, 1980.

तत्कालीन चुनावों में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने पर सोवियत नेतृत्व द्वारा श्रीमती गाँधी को भेजे गए बधाई सन्देश के प्रत्युत्तर में भारतीय प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ को भारत का सच्चा मित्र बताते हुए उसके साथ सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ करने की आशा व्यक्त की ।[72]

अफगानिस्तान समस्या :

कार्यभार संभालने के पश्चात् श्रीमती गाँधी ने अफगान समस्या के सन्दर्भ में शीघ्र यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित निर्देश दिए -

§1§ सोवियत संघ ने अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी है ।

§2§ भारत किसी भी देश में बाहरी सेना की उपस्थिति को अनुचित मानता है ।

§3§ सोवियत संघ ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगान सरकार के आग्रह पर उनके सैनिक वापस बुला लिए जायेंगे । इस सन्दर्भ में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा -"मित्र देश सोवियत संघ पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है ।"

§4§ भारत यह आशा करता है कि सोवियत संघ अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगा एवं सोवियत सैनिक आवश्यकता से अधिक एक भी दिन अफगानिस्तान में नहीं रहेंगे ।

§5§ भारत अफगानिस्तान में अशान्ति एवं विवाद फैलाने वाली बाहरी

---

72. हिन्दुस्तान टाइम्स, 24 जनवरी, 1980.

शक्तियों का विरोध करता है ।

(6) अफगानिस्तान के निकट के क्षेत्र में (अर्थात पाकिस्तान में) सैनिक अड्डों की स्थापना एवं भारी मात्रा में सैनिक सामान पहुँचने से भारत की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सोवियत संघ से परम्परागत मैत्री के कारण भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध करने में अत्यन्त संयम से काम लिया । भारत ने स्पष्ट किया कि सोवियत संघ की अफगानिस्तान से वापसी होनी चाहिए । साथ ही इस तथ्य पर भी बल दिया कि अन्य बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप भी समाप्त होना चाहिए । अफगानिस्तान एवं सोवियत संघ की ओर से पाकिस्तान पर आक्रमण का भय दिखाकर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अधिक मात्रा में सैनिक सहायता दिए जाने से दक्षिण एशिया की तनावपूर्ण स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही थी । इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया था । अतः दक्षिण एशिया क्षेत्र को महाशक्तियों के संघर्ष का केन्द्र न बनने देने के लिए भारत ने सोवियत हस्तक्षेप के साथ अमेरिकी हस्तक्षेप का भी विरोध किया ।[73]

मास्को द्वारा अफगान समस्या में भारत के संयमपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना की गई । सोवियत दैनिक के एक लेख में वी० सिदोकोव ने अफगान समस्या को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए सराहना करते हुए भारतीय संसद में दिए गए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के

---

73. लोकसभा डिबेट, सेवेन्थ सीरीज, वाल्यूम-1, नं०-3, जनवरी 1980 कोलम 156-157.

भाषण के उस अंश को उद्धृत किया जिसमें उन्होंने अमेरिका की भूमिका की आलोचना करते हुए उन कारणों पर भी प्रकाश डाला था जिन्होंने सोवियत सेना को अफगानिस्तान में प्रवेश के लिए बाध्य किया था ।[74]

वर्ष 1980 का राजनैतिक घटनाक्रम मुख्यत: अफगान समस्या पर केन्द्रित रहा । अप्रैल में दर-एस-सलाम- की यात्रा के दौरान, विश्व-मानसिकता के दोहरे स्तर की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने कहा-" उन्होंने जो सोवियत सेनाओं के हस्तक्षेप की उच्च स्वर में निंदा करते हैं, चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण के समय क्यों नहीं विरोध किया ।"[75] इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश मंत्री राव ने भी अफगानिस्तान में बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण सोवियत कार्यवाही को सन्तुलित परिप्रेक्ष्य में रखा और समस्या के शीघ्र राजनैतिक समाधान की आशा की ।

फरवरी वर्ष 1981 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष देशों के विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन में अफगान समस्या के सन्दर्भ में भारत के विचारों की पश्चिमी देशों ने आलोचना की जबकि 23 फरवरी 1981 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल की 26वीं कांग्रेस में अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में भारत की बढ़ती हुई भूमिका की सराहना की गई तथा आशा व्यक्त की गई कि भारत-सोवियत सम्बन्धों की मैत्रीपूर्ण परम्परा निरन्तर विकसित होती रहेगी ।

---

74. प्रावदा, 29 जनवरी, 1980.
75. सीलोन डेली न्यूज, कोलम्बो, 18अप्रैल,1980.

अमेरिका तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को निरन्तर दी जा रही सैन्य सहायता के सम्बन्ध में भारतीय विदेशमंत्री पी0वी0नरसिंहा-राव ने मास्को में जुलाई 1981 में सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको से वार्ता की तथा भारत की सुरक्षा तथा स्थायित्व के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों से अवगत कराया। सोवियत नेता ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को महत्व-पूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि सोवियत संघ अपने मित्र देशों की सहायता के लिए सक्षम है। भारत-पाक सम्बन्धों में पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिका सहायता को सामान्यीकरण की प्रक्रिया में सोवियत संघ द्वारा अवरोधक बताया गया। इसके अतिरिक्त राजनैतिक क्षेत्र में सहयोग के साथ आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी सोवियत सहायता का क्रम जारी रहा।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की मास्को यात्रा:

सितम्बर, 1982 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मास्को यात्रा पर गई। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेझनेव द्वारा दिए गए सम्मान भोज में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तथा पारस्परिक सहयोग में वृद्धि पर चर्चा की गई। हिन्द महासागर को विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त रखने तथा अमेरिका द्वारा उचित एवं सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान को संवेदनशील शस्त्रों की पूर्ति अमेरिका द्वारा किए जाने पर भारत की चिन्ता को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए सोवियत राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनके देश द्वारा नईदिल्ली को संकट में प्रत्येक सम्भव सहायता दी जायेगी।[76]

---

76. हिन्दुस्तान टाइम्स, 22सितम्बर, 1982.

अफगान समस्या के प्रति श्रीमती गाँधी ने कहा, "इस समस्या को सम्पूर्णता में देखा जाना चाहिए क्योंकि समस्या के दो पक्ष हैं - सोवियत प्रवेश तथा बाह्य हस्तक्षेप । अतः विद्रोह का भय समाप्त होने पर ही सोवियत सेनाओं की वापसी हो सकेगी ।"[77] यात्रा के अंत में जारी भारत-सोवियत संयुक्त वक्तव्य में मुख्यतः हिन्द महासागर को विदेशी सैनिक अड्डों से मुक्त रखने पर बल दिया गया ।

श्रीमती गाँधी की मास्को यात्रा दोनों देशों के सम्बन्धों के विकास के लिए प्रभावकारी रही । दोनों देश के नेताओं की वार्ता में सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 1986 तक भारत-सोवियत व्यापार में डेढ़ से दोगुनी वृद्धि होगी ।

सोवियत नेतृत्व परिवर्तन :

श्रीमती गाँधी की मॉस्को यात्रा के पश्चात् सोवियत राजनीति में साम्यवादी दल के महासचिव एल०आई० ब्रेझनेव के देहान्त हो जाने से नेतृत्व परिवर्तन हुआ । यूरी व्लादीमिरोविच आन्द्रोपोव साम्यवादी दल के नए महासचिव बने । नवम्बर, 1982 में उन्होंने शीर्षस्थ नेता के रूप में सत्तासूत्र सँभाला ।

भारत-सोवियत सम्बन्धों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के साथ हुई नये महासचिव की वार्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि सोवियत संघ भारत के साथ अपने सम्बन्धों को बनाये रखना चाहता है । इस सन्दर्भ में विशेष तथ्य यह है कि दिवंगत

---

77. प्रावदा, 22सितम्बर, 1982.

नेता ब्रेझनेव के दाहसंस्कार के लिए आये हुए नेताओं में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी प्रथम नेता थीं जिन्हें आन्द्रोपोव ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। सोवियत नेता ने शान्ति तथा उन्नति के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति की सराहना करते हुए श्रीमती गाँधी को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का प्रभावकारी नेता बताया। श्रीमती गाँधी ने सोवियत संघ को सच्चा एवं विश्वासयोग्य मित्र बताते हुए भारतीय इतिहास के कठिन क्षणों में सहायता देने के लिए सराहना की और आशा व्यक्त की कि नवनिर्वाचित दल प्रमुख भारत-सोवियत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास की ओर अग्रसर करेंगे। सोवियत नेता ने पूर्ववर्ती परम्परा के निर्वाह का आश्वासन देते हुए प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी की भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किया।[78]

आन्द्रोपोव के संक्षिप्त कार्यकाल में सोवियत नीति द्वारा भारत के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रगाढ़ मैत्री की कामनाकीगई।

पुनः परिवर्तन :

10फरवरी,1984 को साम्यवादी दल के नेता यूरी आन्द्रोपोव की मृत्यु के पश्चात् कोन्स्तेन्तिन उस्तीनोविच चेरनेन्को दल प्रमुख के रूप में सत्तारूढ़ हुए।

क्रेमलिन में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी से वार्ता में महासचिव चेरनेन्को ने आश्वासन दिया कि सोवियत नेतृत्व भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय

---

78. इंडियन एक्सप्रेस, 17नवम्बर,1982.

तनावों में कमी तथा चिरशान्ति के लिए भारत का सहयोग सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण मानते हुए भारत की शान्तिप्रिय विदेशनीति की सराहना की।[79]

सोवियत नेता ने भारत की आन्तरिक समस्याओं पर गहनतापूर्वक विचार करते हुए उग्रवादी शक्तियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की । उन्होंने आशाव्यक्त की कि भारत की लोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रीय शक्तियाँ अन्ततः आन्तरिक तथा बाह्य संघर्षों को अवश्य समाप्त कर देंगी ।

भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या :

31अक्टूबर,1984 में प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी की नृशंस हत्या से सम्पूर्ण विश्व स्तब्ध रह गया । भारतीय राजनीति के इतिहास में यह घटना राजनैतिक वातावरण में अस्थिरता और अस्थायित्व का सूचक हुई । सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के साथ सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई तिखोनोव दिवंगत नेता के दाह संस्कार में भाग लेने भारत आये ।

6नवम्बर,1984 को अक्टूबर क्रांति के 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको ने श्रीमती गाँधी और उनकी विदेश-नीति के सम्बन्ध में कहा-"भारतीय गणतंत्र की गौरवशाली नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी का नाम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास में सदैव रहेगा । उनकी मृत्यु एक अक्षम्य अपराध है और शान्तिप्रिय शक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण हानि है ।"[80]

---

79. पैट्रियाट, 15 फरवरी,1984.

80. दर्शन सिंह-सोवियत फारेन पालिसी डाक्यूमेन्ट्स,1984,स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा0लिमिटेड,नई दिल्ली-1986,पृष्ठ-17.

प्रमुख समाचार-पत्रों ने श्रीमती गांधी को सोवियत संघ का महान् मित्र बताते हुए भारतीय और सोवियत जनता के मध्य प्रगाढ़ मैत्री की मुख्य निर्माता की संज्ञा दी। साम्यवादी दल के पालिटब्यूरो की सभा में कहा गया-"सोवियत संघ सदैव से भारत का विश्वसनीय मित्र रहा है और रहेगा। सामाजिक प्रगति तथा शान्ति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि के सोवियत संघ प्रयत्नशील रहेगा।"[81]

सन्- 1980-84 के मध्य सोवियत तथा भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में विभिन्न परिवर्तन सत्ता प्रमुख के सन्दर्भ में हुए। प्रत्येक समय परिवर्तन होने पर दुविधा तथा संशय की स्थिति उत्पन्न हुई तथापि दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में विकास की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि प्रत्येक नवीन नेतृत्व ने अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए स्वर्णिम भविष्य की आशा में सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को गतिशीलता प्रदान करने का प्रयास किया।

राजनैतिक सम्बन्धों ने भारत-सोवियत आर्थिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आदि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते किए। इन समझौतों ने न केवल तत्कालीन स्थितियों को सुदृढ़ता प्रदान की अपितु सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज पर दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

विभिन्न समझौते :

कांग्रेस के सत्ता में आने के पश्चात् प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा सोवियत संघ से सम्बन्धों में प्रमुखता दिए जाने से सोवियत

---

81. सोवियत सूचना विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित-यू०एस०एस०आर० रेपर्ट, इण्डियास ग्रीफ, 1984, पृष्ठ-8.

सहयोग में वृद्धि हुई । सहयोग के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते किए गए ।

दोनों देशों के मध्य वर्ष 1980-83 के लिए 28मार्च,1980 को विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए 3वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए ।[82] वर्ष 1980-82 के लिए धातुशोधन क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास में संयुक्त कार्य के लिए समझौता हुआ ।[83] 31मई,1980 को भारत को सैनिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ ।[84]

28अक्टूबर,1980 को यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति के सम्बन्ध में समझौता हुआ ।[85] 11अप्रैल,1981 को विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में विशेषकर उल्का विज्ञान सम्बन्धी {मीटियरोलॉजी} समझौता हुआ।[86] 21 सितम्बर,1982 को सोवियत संघ द्वारा 1000 मेगावाट की क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लान्ट तथा 800 से 1000 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लान्ट के लिए प्रस्ताव किया गया । इसके अतिरिक्त सोवियत संघ द्वारा भारत से वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में रुचि दिखाई गई ।[87]

भारतीय प्रतिनिधि आर०वेंकटरामन की मास्को यात्रा में मार्शल उस्तीनोव से वार्ता के पश्चात सोवियत संघ द्वारा भारत को आधुनिक

---

82. हिन्दुस्तान टाइम्स,29मार्च,1980.
83. हिन्दुस्तान टाइम्स,27मार्च,1980.
84. इण्डियन एक्सप्रेस-2जून,1980.
85. स्टेट्समैन - 29अक्टूबर,1980.
86. स्टेट्समैन - 12 अप्रैल, 1981.
87. हिन्दुस्तान टाइम्स-22 सितम्बर,1982.

प्रक्षेपास्त्रों तथा मिग विमान की आपूर्ति के सम्बन्ध में सहमति प्रकट की गई। इसके अतिरिक्त सोवियत नेताओं द्वारा तकनीकी के हस्तान्तरण में भी रुचि दिखाई गई।[88]

सोवियत प्रतिनिधि ए०आई. वेलेव तथा भारतीय प्रतिनिधि डी०वी०कपूर के मध्य यांत्रिक उत्पादन में अनुसंधान तथा विकास के लिए 9जुलाई 1983 को समझौता हुआ।[89] वर्ष 1984 के लिए एकमिलियन टन कुछ आयल की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए सोवियत संघ ने सहमति दी।[90]

इस प्रकार भारत-सोवियत सम्बन्धों में राजनैतिक एवं आर्थिक सहयोग का क्रम विभिन्न सत्तापरिवर्तन के बाद भी निरन्तर चलता रहा। राजनैतिक परिवर्तन से पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में कोई शिथिलता नहीं आई वरन् सहयोग के अन्य नए क्षेत्रों की खोज पर बल दिया गया।

राजीव गाँधी युग : 1984 से 1988 :

श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या से राजनैतिक वातावरण में पुनः परिवर्तन हुआ। दिसम्बर,1984 में हुए लोकसभा चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को प्रचण्ड बहुमत मिला और इक्कीसवीं सदी का आह्वान तथा आधुनिकता का रुझान लिए राजीव गाँधी भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री बने।

---

88. ट्रिब्यून - 27 जून,1983.
89. ट्रिब्यून - 10 जुलाई,1983.
90. टाइम्स ऑफ इण्डिया- 14सितम्बर,1984.

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रियों पं०नेहरू और श्रीमती गांधी की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में राजीव गांधी के प्रति सोवियत सरकार ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके योग्य नेतृत्व में सोवियत संघ तथा भारत के परम्परागत सम्बन्धों का बहुमुखी विकास होगा। राष्ट्रपति कोन्स्टेन्तिन चेरनेन्को ने अपने एक संदेश में कहा - "क्रेमलिन नई दिल्ली के साथ मधुर सम्बन्धों को बनाये रखने और भविष्य में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है।"[91]

सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको द्वारा भारतीय राजदूत नूरुल हसन से वार्ता में भारतीय जनता तथा सरकार को उनकी एकता तथा क्षेत्रीय अखण्डता की वृद्धि के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया तथा नई सरकार को भारत-सोवियत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों तथा सहयोग की वृद्धि में महत्वपूर्ण बताया।[92]

सोवियत राष्ट्रपति चेरनेन्को ने भारत-सोवियत संघ के मध्य आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग को विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के मध्य सम्बन्धों की समानता का उदाहरण देते हुए इस प्रकार के सहयोग को विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का बताया।[93]

सोवियत राजनैतिक क्षितिज में नए नेता का प्रादुर्भाव :

11 मार्च, 1985 को राष्ट्रपति चेरनेन्को के देहावसान के पश्चात् मिखाइल सर्गुयेविच गोर्बाचोव साम्यवादी दल के महासचिव हुए।

---

91. मॉस्को डेली न्यूज - 2 नवम्बर, 1984.
92. हिन्दुस्तान टाइम्स, 17 जनवरी, 1985.
93. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 फरवरी, 1985.

दिवंगत नेता के दाहसंस्कार में सम्मिलित होने के लिए राजीव गाँधी मास्को यात्रा पर गए । नए महासचिव के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने आशा व्यक्त की कि नए नेतृत्व में सोवियत संघ पहले से अधिक सुदृढ़ होगा तथा भारत के साथ सोवियत सम्बन्ध निरन्तर विकसित होते रहेंगे ।[94]

अन्य शक्तियों द्वारा भारत और सोवियत सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न किए जाने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मास्को की समय-परीक्षित मैत्री के प्रति भारत प्रतिबद्ध है ।[95] गोर्बाचोव को 'उचित दृष्टिकोण वाले प्रेरक' की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री ने महासचिव के साथ हुए वार्ता पर सन्तोष प्रकटकिया ।[96]

राजीव गाँधी की मास्को यात्रा के पूर्व मास्को में भारतीय संवाददाता को दिए गए साक्षात्कार में गोर्बाचोव ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों पर बल देते हुए उनकी संभावित यात्रा को दो राष्ट्रों के जीवन के मध्य बड़ी घटना बताया ।[97]

साथ ही वर्तमान विश्व के लिए संयुक्त,संगठित तथा शान्तिप्रिय भारत की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए गोर्बाचोव ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को अद्वितीय और बहुमूल्य धरोहर का परिणामबतायी[98]

---

94. हिन्दुस्तान टाइम्स,15मार्च,1985.
95. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 15मार्च,1985.
96. हिन्दुस्तान टाइम्स, 15मार्च,1985.
97. नेशनल हेराल्ड, 20मई,1985.
98. इण्डियन एक्सप्रेस,20मई,1985.

भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा :

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी 21 से 26मई,1985 तक की मास्को की राजकीय यात्रा पर रहे । क्रेमलिन में आयोजित सम्मान भोज में सोवियत महासचिव द्वारा भारत-सोवियत सहयोग के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए सहयोग के नए क्षेत्रों में गुणात्मकता के स्तर में वृद्धि के लिए बल दिया गया । अमेरिका के 'स्टार वार्स' कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा नाभिकीय युद्ध से उत्पन्न होने वाले खतरों का उल्लेख करते हुए सोवियत नेता ने विश्व राजनीति के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को महत्वपूर्ण घटक बताया ।

भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम विदेश यात्रा के रूप में मास्को का चयन किए जाने को महत्वपूर्ण बताते हुए सोवियत नेता ने कहा "सोवियत संघ,भारत-सोवियत सम्बन्धों को,विशेषकर आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में, सहयोग के लिए नए आयाम देने के लिए सदैव तत्पर रहेगा ।"[99] प्रधानमंत्री गाँधी ने भारत और सोवियत सहयोग को भारतीय विदेश नीति का अनिवार्य तत्व बताते हुए सोवियत संघ को ऐसे मित्र के रूप में चित्रित किया जो सदैव आवश्यकता के समय में सहायक सिद्ध हुआ है।[100]

हिन्द महासागर का सैन्यीकरण तथा पाकिस्तान को विभिन्न स्रोतों से दी जाने वाली शस्त्र सहायता के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए राजीव गाँधी ने दक्षिण एशिया में शान्तिमय स्थिति के लिए बाह्य हस्तक्षेप की उपस्थिति को अनुचित बताया । उन्होंने आणविक

---

99. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 22मई, 1985.
100. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 22मई, 1985.

युग में विश्व जनता की परम आवश्यकता शान्ति के लिए सोवियत प्रयासों को सराहना करते हुए भारत के आर्थिक विकास में सन्तुलित सहायता के लिए सोवियत-नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया ।

एशियाई सुरक्षा के सन्दर्भ में राजीव गाँधी ने एशियाई देशों से तनावों को कम करने का आग्रह किया । अफगान संकट के विषय में उनके द्वारा बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप को अनुचित बताया गया । सोवियत महासचिव ने एशियाई सुरक्षा के सम्बन्ध में नयी व्याख्या प्रतिपादित करते हुए कहा- "एशियाई राष्ट्रों को अपनी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समस्याओं को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप, विशेषकर महाशक्तियों के स्वयं सुलझाना चाहिए ।"[101] इस प्रकार पूर्व प्रतिपादित ब्रेझनेव के सिद्धान्त की अपेक्षाकृत यह सिद्धान्त अधिक रचनात्मक था ।

22मई, 1985 को दोनों नेताओं द्वारा दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए । इन समझौतों में वर्ष 2000 के अन्त तक के लिए आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग का प्रावधान किया गया था । समझौतों के परिणामस्वरूप भारत को महत्वपूर्ण तेल, ऊर्जा, कोयला, लौह तथा अलौह धातुएँ, विद्युत आदि परियोजनाओं के लिए 1100 करोड़ रु० की सहायता प्राप्त हुई । आवश्यकतानुसार सोवियत संघ में औद्योगिक परियोजनाओं में भारतीय संस्थानों द्वारा सहयोग किया जायेगा । इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा तृतीय विश्व के देशों में संयुक्त सहयोग का भी प्रावधान किया गया ।[102]

---

101 . इण्डियन एक्सप्रेस, 24मई, 1985.

102. इण्डियन एक्सप्रेस तथा टाइम्स आफ इण्डिया, 23मई, 1985.

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की यह मास्को यात्रा कई अर्थों में अत्यन्त सफल रही । दोनों देशों के उच्चस्तरीय नेताओं में जहाँ एक ओर सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप से घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध हुए वहीं दूसरी ओर इस यात्रा ने दोनों नेताओं को एक-दूसरे की समस्याओं को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर प्रदान किया ।

सोवियत - भारत संयुक्त वक्तव्य :

मई,1985 में सोवियत-भारत संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया । जिसमें पारस्परिक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों द्वारा भारत सोवियत सम्बन्धों की वृद्धि पर सन्तोष प्रकट किया गया ।

दोनों पक्षों द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के मध्य सम्बन्धों का विकास हो सकता है, यदि वह शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, समानता, पारस्परिक सम्मान की भावना तथा अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों पर आधारित हो । भारत और सोवियत सहयोग एशिया तथा विश्व में शान्ति और स्थिरता की वृद्धि में सहायक सिद्ध हुए । भारत-सोवियत सन्धि को दोनों देशों के मध्य मित्रता के विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया गया तथा विश्व शान्ति एवं तनाव शैथिल्य के प्रति सन्धि की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया ।

दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2000 तक के लिए आर्थिक,वैज्ञानिक, व्यापारिक तथा तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए किए गए समझौतों को पारस्परिक सम्बन्धों की घनिष्ठता बढ़ाने में प्रेरक माना गया। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के और नए क्षेत्रों की खोज पर बल दिया गया ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में संयुक्त कार्यवाही पर प्रकाश डालते हुए अप्रैल, 1984 में सोवियत-भारत अन्तरिक्ष प्रेक्षण [मिशन] को तकनीकी सहयोग की सफल उपलब्धि बताया गया तथा अन्तर्राज्यकीय सोवियत-भारतीय आयोग को, जो कि आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए गठित किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए लाभदायक बताया गया ।

शस्त्र निर्माण में वृद्धि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के तनावपूर्ण होने पर चिन्ता व्यक्त की गई । जनसंहार के लिए बनाये गए आणविक शस्त्रों का अन्तरिक्ष में प्रयोग विश्व को विनाश की सीमा तक पहुँचा सकता है, ऐसा विचार दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त किया गया । इस तथ्य पर बल देते हुए कहा गया कि छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों को शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए यथार्थवादी समाधान ढूँढने चाहिए ताकि विश्व तनाव में कमी हो सके । इसके लिए शीघ्र ही शस्त्र निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दोनों देशों ने सहमति प्रकट की ।

जनवरी में छः राष्ट्र प्रमुख अर्जेन्टीना, ग्रीस, भारत, मेक्सिको, तन्जानिया तथा स्वीडेन द्वारा प्रतिपादित दिल्ली घोषणा को दोनों पक्षों द्वारा महत्वपूर्ण बताया गया । इस घोषणा में आणविक अस्त्रों के परीक्षण तथा उत्पादन पर प्रतिबन्ध का प्रावधान किया गया था । इस सन्दर्भ में सोवियत प्रस्ताव में अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने तथा आणविक अस्त्रों की पूर्ण समाप्ति का उद्देश्य तथा दिल्ली घोषणा में अत्यधिक समानता थी ।

दोनों पक्षों द्वारा जेनेवा में सोवियत-अमेरिकन वार्ता को अन्तरिक्ष तथा आणविक शस्त्र सम्बन्धी समस्या के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। भारतीय पक्ष द्वारा सोवियत संघ की उस घोषणा का स्वागत किया गया जिसमें उसने आणविक अस्त्रों के प्रयोग को सर्वप्रथम न करने के लिए कहा था।

अन्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग विकसित करने के लिए समानता, पारस्परिक सम्मान तथा अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों को अनिवार्य बताते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में मध्य पूर्व में इजरायल के अरब क्षेत्र पर अधिकार तथा लेबनान पर आक्रमण की दोनों पक्षों द्वारा निन्दा की गई। लेबनान से इजरायली सेनाओं की वापसी, मध्यपूर्व में राजनैतिक समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन बुलाने की माँग की गई।

दोनों देशों द्वारा ईरान-ईराक युद्ध पर चिन्ता व्यक्त करते हुए संघर्ष के शीघ्र राजनैतिक समाधान पर बल दिया गया। दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया के क्षेत्र में निरन्तर तनावों में कमी के लिए स्वतंत्रता, सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता आदि सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना को आवश्यक बताया गया।

हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा की घोषणा को तत्काल लागू किए जाने की माँग की गई। इस घोषणा में सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव था।

दोनों देशों द्वारा मारीशस की शागोस आर्किपेलेगो तथा डियागो गार्सिया पर सम्प्रभुता की माँग का समर्थन किया गया तथा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध करते हुए नामीबिया को स्वतंत्रता की

माँग की गई । सेन्ट्रल अमेरिका तथा केरीबियन के क्षेत्र में विशेषकर निकारागुआ की स्थिति के राजनैतिक समाधान के लिए माँग करते हुए तथा उस क्षेत्र में स्थित गुट निरपेक्ष देशों की स्वतंत्रता के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के दबावों तथा आक्रमण की कार्यवाहियों का विरोध किया गया।

दोनों देशों द्वारा नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए आर्थिक सहायता के द्वारा शोषण की नीति का विरोध किया गया तथा विकासशील देशों को उचित तथा समान मूल्यों पर माल निर्यात करने का समर्थन किया गया ।

विश्व तनावों की कमी में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की गई तथा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंगभेद तथा प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रयत्नों को दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण माना ।

दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया गया । विश्वशान्ति का प्रभावशाली साधन बताते हुए इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण कारक बताया । संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्थापना के 40 वर्ष पूरे होने को दोनों देशों ने फांसीवादी तथा सैन्यवादी शक्तियों के ऊपर विजय बताया ।

अन्त में, पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के और अधिक विकास के लिए निरन्तर उच्च स्तरीय वार्ता तथा विचार-विमर्श को आवश्यक बताते हुए भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय मैत्रपूर्ण यात्रा पर

सन्तोष प्रकट करते हुए इसे सम्बन्धों के विकास में महत्वपूर्ण बताया गया।[103] भारतीय तथा सोवियत प्रेस जगत में प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी की यह यात्रा भारत-सोवियत बहुआयामी सम्बन्धों में अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी गई जिसने सहयोग के नए आयाम विकसित किए ।[104]

इस प्रकार विश्व की विभिन्न समस्याओं के प्रति सोवियत और भारतीय दृष्टिकोणों की समानता ने प्रदर्शित किया कि भारत की विदेश नीति सोवियत विदेश नीति के अनुकूल है ।

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की पुन: मास्को यात्रा:

संयुक्त राष्ट्र संघ समारोह तथा पाँच राष्ट्रों की यात्रा के पश्चात्, सोवियत संघ द्वारा आवश्यक सैदेश भेजे जाने पर प्रधानमंत्री राजीव गाँधी हेग से 26अक्टूबर,1985 को मास्को गए । सोवियत नेता भी अपनी सोफिया यात्रा को स्थगित करके स्वदेश लौटे । पश्चिमी प्रेस जगत में भारतीय प्रधानमन्त्री द्वारा अचानक मास्को यात्रा के कार्यक्रम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई । भारतीय सूचना स्रोत ने प्रधानमंत्री की इस अचानक मास्को यात्रा का कारण जेनेवा में होने वाले अमेरिका तथा सोवियत संघ शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में सोवियत महासचिव की प्रधानमंत्री राजीव गाँधी से वार्ता की इच्छा बताया ।[105]

---

103. दर्शन सिंह - सोवियत फॉरेन पालिसी डाक्यूमेन्टस 1985, स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स प्रा०लि० नई दिल्ली-1986,पृष्ठ-137-146.
104. पैट्रियाट, 27मई, 1985.
105. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 27 अक्टूबर, 1985.

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा सोवियत महासचिव गोर्बाचोव को राष्ट्रपति रीगन से हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर वार्ता के सम्बन्ध में जानकारी दी गई । सोवियत नेता गोर्बाचोव ने राजीव गांधी को सोवियत में हुयी वहता सन्धि के सम्बन्ध में जानकारी दी । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास में आधारभूत परिवर्तन के लिए आवश्यक उन सोवियत प्रस्तावों के विषय में बताया जिनमें पृथ्वी पर शस्त्रों की दौड़ की समाप्ति तथा बाह्य अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण के विस्तार को रोकने का प्रावधान किया गया था ।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा वार्ता में आणविक निरस्त्रीकरण, बाह्य अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण को रोकने तथा पारम्परिक शस्त्रों में कमी के लिए समर्थन का आश्वासन दिया गया । अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सामग्री की पूर्ति तथा अमेरिका एवं चीन द्वारा पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम में सहायता दिए जाने पर प्रधानमन्त्री द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई । अफगान-समस्या के सन्दर्भ में स्पष्ट किया गया जब तक अमेरिका अहस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाता है और इसका आश्वासन नहीं देता है, सोवियत संघ की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी में कठिनाई होगी ।[106]

जेनेवा शिखर सम्मेलन, पाकिस्तान के आणविक कार्यक्रम तथा उपमहाद्वीप सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर भी दोनों नेताओं द्वारा

---

106. हिन्दुस्तान टाइम्स, 28अक्टूबर, 1985.

पारस्परिक विचार-विमर्श किया गया ।

इस प्रकार राजीव-गोर्बाचोव वार्ता ने दोनों नेताओं को एशिया तथा विश्व सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए समान दृष्टिकोण से परिचित कराया ।

भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का प्रमाण 23सितम्बर, 1986 को मिला, जब सोवियत विदेशमंत्री एडवर्ड शेवर्दनाद्जे ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में सोवियत प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए यह वक्तव्य दिया कि सोवियत संघ किसी भी समय और किसी भी स्थान पर आणविक अस्त्रों के प्रतिबन्ध सम्बन्धी सन्धि के लिए सहमत है जो कि भारत तथा पाँच दूसरे राष्ट्रों के प्रस्तावों के अन्तर्गत प्रमाणित की गई हो ।[107] मास्को यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता नारायणदत्त तिवारी से वार्ता में सोवियत नेता गोर्बाचोव ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन से साथ सोवियत संघ के सम्बन्ध भारत के मूल्य पर नहीं लिए जायेंगे[108] । सोवियत संघ की नीति मे भारत-सोवियत सम्बन्धों का विशिष्ट स्थान है तथा इन पारस्परिक सम्बन्धों के विस्तार में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने देने का प्रयास किया जायेगा ।

सोवियत संघ में भारत-महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जुलाई 1987 में मास्को यात्रा पर गए । 16करोड़ की लागत के भारत महोत्सव ने भारत-सोवियत सांस्कृतिक सम्बन्धों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । सोवियत जनता को भारतीय

---

107. इण्डियन एक्सप्रेस, 24सितम्बर, 1986.

108. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 4नवम्बर, 1986.

सांस्कृतिक धरोहर को निकटता से जानने का अवसर मिला ।

सोवियत नेता के साथ वार्ता में प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने मुख्यत: भारत की आन्तरिक स्थिति में बढ़ते हुए आतंकवाद तथा पड़ोसी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान आदि के दृष्टिकोण पर चर्चा की । विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों द्वारा वर्ष 2000 तक के लिए दीर्घकालीन एवं विस्तृत समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए । सहयोग में वृद्धि के लिए आठ मुख्य क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के विकास का प्रावधान किया गया । ये क्षेत्र अन्तरिक्ष अनुसंधान, कम्प्यूटर विज्ञान, इम्युनोलॉजी, मैटीरियल साइंस, सिनक्रोटन, रेडियेशन सोर्सेज तथा वाटर टैपिंग आदि है । इसके अतिरिक्त अनुसन्धान तथा विकास के परिणामों के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया ।

6 जुलाई, वर्ष 1988 में भारतीय राष्ट्रपति आर०वेंकटरामन मास्को यात्रा पर गए । सोवियत नेताओं के साथ हुई वार्ता में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए खालिस्तानियों को दी जा रही सहायता के विषय में सूचित किया । सोवियत पक्ष द्वारा ~~सोवियत~~पाकिस्तान के अनुचित एवं असंगत व्यवहार पर चिन्ता व्यक्त की गई।[109]

सोवियत महासचिव गोर्बाचोव ने पाकिस्तान तथा अन्य दूसरे देशों द्वारा भारत की आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए इसे भारत को प्रभुत्वशाली शक्ति बनने से रोकने की विस्तृत एवं षड्यन्त्रपूर्ण

---

109. प्रेव्दा, 7 जुलाई, 1988.

रणनीति बताया तथा प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के शान्तिपूर्ण कार्यक्रम तथा नीतियों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया ।[110]

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति की मास्को यात्रा के अवसर पर सोवियत महासचिव द्वारा भारत की आन्तरिक तथा बाह्य समस्याओं की गम्भीरता को समझते हुए भारत को यथासंभव सहायता का आश्वासन दिया गया ।

भारतीय राजनीति का यह काल निरन्तर बढ़ते हुए आतंकवाद का सामना कर रहा था । आतंकवादी गतिविधियों को कुछ बाह्य शक्तियों द्वारा सहायता देने के कारण स्थिति की जटिलता बढ़ती जा रही थी । ऐसी विषम परिस्थितियों में सोवियत नेता द्वारा विघटनकारी शक्तियों की आलोचना तथा संकट के समय प्रत्येक संभव सहायता के आश्वासन ने पारस्परिक सम्बन्धों के विकास की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर विकसित होने की प्रेरणा दी ।

भारत-सोवियत सहयोग का आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव [1980-89]

सोवियत सहयोग एवं आर्थिक सहायता से भारत की औद्योगिक संरचना में विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ ।

वर्ष 1980 में ब्रेझनेव यात्रा ने आर्थिक सहयोग की नवीन सम्भावनाओं को जाग्रत किया । मास्को से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार व्यापारिक टर्नओवर जो कि वर्ष 1976 में 647 मिलियन रूबल था, वर्ष 1981

110. हिन्दुस्तान टाइम्स, 9जुलाई, 1988.

में 2398·9 मिलियन रूबल तक पहुँच गया। इस साल सोवियत संघ द्वारा 1333·8 मिलियन रूबल के मूल्य का सामान भारत से आयात किया गया तथा 1084·1 मिलियन रूबल के मूल्य का सामान भारत को निर्यात किया गया। वर्ष 1980-81 के भारत के कुल निर्यात में सोवियत संघ की 1127 करोड़ रु0 के माल की भागीदारी थी।[111]

वर्ष 1982 में उड़ीसा में नए स्टील प्लान्ट की स्थापना तथा प0 बंगाल में बर्नपुर स्टील प्लान्ट तथा झाजरा कोयला खान में उत्पादन के लिए भारत-सोवियत आयोग द्वारा समझौता किया गया। पारादीप के निकट देतरी में नए स्टील प्लान्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में सोवियत सहायता से भारत ने परियोजना की क्षमता का लक्ष्य 1·7 मिलियन टन रखा गया जो बाद के वर्षों में बढ़कर 2·5 मिलियन टन हो गया।

मई, 1983 में सोवियत प्रतिनिधि आर्किपोव द्वारा अत्यन्त संवेदनशील तकनीक [कम्प्यूटर क्षेत्र] देने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1984 में टर्नओवर का स्तर 3,800 करोड़ रु0 हुआ। वर्ष 1982 तक भारत और सोवियत संघ के व्यापार सन्तुलन की निम्नलिखित सारिणी पारस्परिक सहयोग को प्रदर्शित करती है।[112]

---

111. हिन्दुस्तान टाइम्स, 31 सितम्बर, 1982.

112. स्रोत: 1. स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया [विभिन्न वर्ष]
सारिणी 2. रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स [विभिन्न वर्ष]
3. हैण्डबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स [विभिन्न वर्ष]
4. इकोनामिक सर्वे 1979-80, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, पृ-131.
5. डाटा इण्डिया, 1982, एण्ड 1983. इन इन्डो-सोवियत रिलेशन्स - विनोद भाटिया, पंचशील पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1984, पृ० 162-163

सारिणी 2

व्यापार सन्तुलन

वर्ष	सोवियत संघ को आयात	सोवियत संघ से निर्यात	रु०करोड़ में व्यापार सन्तुलन सोवियतसंघके साथ
1	2	3	4
1950-51	1·34	0·22	1·12
1951-52	6·92	1·39	5·53
1952-53	0·85	0·24	0·61
1953-54	1·15	0·60	0·55
1954-55	2·12	1·81	0·31
1955-56	3·26	6·21	2·95
1956-57	15·50	16·91	1·41
1957-58	16·66	24·47	7·81
1958-59	25·90	17·21	8·69
1959-60	30·38	17·19	13·19
1960-61	28·81	15·01	12·94
1961-62	32·21	39·94	7·73
1962-63	28·25	58·64	20·39
1963-64	52·10	68·64	16·36
1964-65	77·92	77·98	0·06

वर्ष	सोवियत संघ को आयात	सोवियत संघ से निर्यात	रु०करोड़ में व्यापार सन्तुलन सोवियतसंघ के साथ
1	2	3	4
1965-66	92·98	83·18	9·81
1966-67	123·37	113·80	9·51
1967-68	121·79	111·22	10·17
1968-69	140·31	185·51	37·20
1969-70	176·37	171·33	5·04
1970-71	209·85	104·68	105·17
1971-72	208·70	81·66	127·04
1972-73	340·76	105·72	199·04
1973-74	285·80	254·70	31·10
1974-75	418·20	402·50	35·70
1975-76	416·70	309·80	106·90
1976-77	440·40	307·20	133·20
1977-78	660·04	446·40	313·64
1978-79	410·59	468·90	58·31
1979-80	645·65	728·60	82·95
1981	1,601·0	1,277·0	324·00
1982	1,473·8	1,040·2	433·60

व्यापारिक समझौतों के फलस्वरूप भारत-सोवियत संघ के मध्य व्यापारिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है -

सारिणी - 3

समझौते	सोवियत संघ से आयात	सोवियत संघ को निर्यात	रु0करोड़ कुलव्यापार
प्रथम 1954-58	124	53	177
द्वितीय 1959-63	242	198	440
तृतीय 1964-70	902	1,024	1,926
चतुर्थ 1970-75	888	1,953	2,421
पंचम 1976-80	2,725	3,033	5,888
षष्ठ 1981-85	8,235 (प्राविजनल)	8,393 (प्राविजनल)	16,628

भारत के कुल व्यापार में सोवियत संघकी भागीदारी में निरन्तर वृद्धि से सोवियत संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना। निम्नलिखित सारिणी[113] दोनों देशों के मध्य व्यापारिक वृद्धि को रेखांकित करती है -

सारिणी - 4

वर्ष	भारत के कुल व्यापार में भागीदारी का प्रतिशत
1970-71	10
1975-76	8
1980-81	12
1984-85	12

113. सारिणी 3 तथा 4-पी0एन0कक्कर, टी0एन0कौल, अमरखान, वी0पी0दत्त, जी0मिश्रा, सैनिन, विक्टर, वी0डी0चोपड़ा-स्टडीज इन इन्डो-सोवियत रिलेशन्स-पैट्रियाटपब्लिशर्स, नईदिल्ली, 1986.

भारत के औद्योगिक विकास के कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में दी गई सोवियत सहायता निम्नलिखित है -

(1) लौह अयस्क क्षेत्र :

भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम तथा अरकोनम स्टील प्लान्ट सोवियत सहायता के दूरगामी परिणाम है। इस सहायता के कारण भारत विश्व में मुख्य इस्पात उत्पादक माना जाता है। भारत वह पहला देश है जिसके साथ सोवियत संघ इस्पात के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान किया। वर्ष 1984 में दोनों देशों ने लौह अयस्क क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया जिसका विस्तार 1985-89 तक था।

(2) अलौह अयस्क क्षेत्र :

सोवियत संघ द्वारा इस क्षेत्र में उच्च आधुनिक स्तर की तकनीक का विकास किए जाने से भारत को कोबरा काम्पलेक्स, आन्ध्र बाक्साइट योजना तथा प्योर अल्युमीनियम योजना आदि में सहायता प्राप्त हुई जो भारत को अलौह धातुओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हुई।

(3) विद्युत क्षमता विकास :

ऊर्जा एवं हाइड्रो पावर स्टेशन भारतीय कार्मिकों को निर्माण तथा कार्यान्वयन में प्रशिक्षण, विद्युत स्टेशन के संरचनात्मक विकास आदि में सोवियत संघ द्वारा दी गई सहायता के परिणामस्वरूप 11 स्टेशन स्थापित हुए जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 1985 में हुए समझौते ने बिहार में 840 मेगावाट

क्षमता वाले थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण में सोवियत सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त 1000 मिलियन रूबल की सहायता भी दी। आज पावर इक्विपमेन्ट उद्योग न केवल देश की आवश्यकता को पूरी करता है बल्कि विदेशों को भी उत्पाद निर्यात करता है।

(4) तेल उद्योग :

भारत में तेल उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त सोवियत सहायता दी गई। देहरादून में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा केन्द्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तथा बड़ौदा में हिन्द आयल ड्रिलिंग इन्स्टीट्यूट की स्थापना सोवियत प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। अक्टूबर, 1985 में दोनों देशों में समझौता हुआ जिसमें नार्थ ट्राम्बे तथा कावेरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए संयुक्त प्रयास का प्रावधान था।

(5) चिकित्सा क्षेत्र :

मई, 1980 में दोनों देशों के मध्य वर्ष 1980-85 के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा नई औषधियों की खोज तथा उत्पादन के विकास पर बल दिया गया।

(6) अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में :

विश्व में कुछ ही प्रमुख देश ऐसे हैं जिनमें अन्तरिक्ष विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और भारत उनमें से एक है। मई 1983 में भारत-सोवियत संघ के मध्य दूर-संवेदन उपग्रह छोड़ने के लिए समझौता हुआ। 3अप्रैल, 1984 भारतीय अन्तरिक्ष के इतिहास में स्वर्णिम दिन था, जब भारतीय अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियों के

साथ संयुक्त उड़ान में सम्मिलित किया गया । वर्ष 1984 में भारतीय अन्तरिक्ष अन्वेषण संस्थान तथा सोवियत विज्ञान अकादमी के मध्य आगामी 10वर्षों के संयुक्त प्रयासों के विकास के लिए समझौता हुआ ।

(7) कृषि क्षेत्र में :

वर्ष 1983 में दोनों देशों द्वारा वर्ष 1984-85 के लिए कृषि में अनुसन्धान तथा सहयोग के लिए समझौता किया गया । 1986 में हुए नवीन समझौते के अनुसार 1986-87 तक के लिए दोनों देशों द्वारा बंजर तथा सिंचाई की सुविधा वाली भूमि पर फसल उगाने तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग आदि के विकास पर बल दिया गया ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1986 में आर्थिक तथा तकनीकी समझौते, 1987 में विज्ञान एवं तकनीकी समझौते तथा 1988 में दी गयी आर्थिक सहायता ने भारत में विकास की प्रक्रिया के प्रति सोवियत सहयोगी दृष्टिकोण को विकसित किया ।

उपरोक्त आँकड़े न केवल सोवियत सहायता द्वारा होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं बल्कि दोनों देशों द्वारा सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की समान उत्कंठा का भी परिचय देते हैं ।[114]

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अध्ययनकाल 1970 से 1988 के मध्य भारत- सोवियत सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे । राजनैतिक,

---

114. एम०एम०मेनन, वी०पी० मोरोजोव - इण्डो सोवियत ट्रेड एण्ड इकोनॉमिक टाइज - 1986 - सुमीत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ०20

आर्थिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग एवं सदभाव रहा । भारत की विदेशनीति जिसका मुख्य तत्व गुटनिरपेक्षता है, का पूर्ण पालन करते हुए, भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सोवियत संघ के अनुकूल रुख रखा ।

00000000000
000000000
0000000
00000
000
0

च तु र्थ अ ध्या य

सोवियत संघ और भारत सम्बन्ध

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् सोवियत विदेश नीति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

§1§ स्टालिन युग 1945-1953.

§2§ शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता का युग 1953-1988.

सन्-1945 से 1953 तक की कालावधि में सोवियत विदेश नीति के प्रणेता मार्शल स्टालिन थे। स्टालिन की विदेश-नीति के मुख्य उद्देश्य थे - राष्ट्रीय एकता एवं सुदृढ़ता, सोवियत संघ की शक्ति का विस्तार, साम्यवाद का प्रसार और पश्चिम पर अविश्वास। स्टालिन की उग्र एवं कठोर नीति के कारण सोवियत संघ ने लौह आवरण के सिद्धान्त को अपना कर शेष विश्व से सम्बन्ध बनाने में विशेष रुचि नहीं दिखाई।[1]

स्टालिनकी मृत्यु के पश्चात् सोवियत संघ की विदेश नीति में यथार्थवादी परिवर्तन आने लगे। इस कालावधि को छः भागों में विभाजित किया जा सकता है।

§1§ मैलेन्कोव काल 1953-1955

§2§ ख्रुश्चेव काल 1955-1964

§3§ ब्रेझनेव काल 1964-1982

---

1. पामर एण्ड पार्किन्स, इन्टरनेशनल रिलेशन्स, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ-659.

{4} आन्द्रोपोव काल 1982-1984

{5} चेरनेन्को काल 1984-1985

{6} गोर्बाचोव काल 1985-88

मैलेन्कोव युग में लक्ष्य स्टालिन निर्धारित रखे गए परन्तु उन्हें प्राप्त करने की पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया था। कुछ गैर साम्यवादी देशों जैसे भारत, ईरान, तुर्की तथा अफगानिस्तान के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया।

ख्रुश्चेव युग अपेक्षाकृत अधिक उदार सिद्ध हुआ। शीत युद्ध के स्थान पर शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता पर बल दिया गया। यात्राओं की कूटनीति का अध्याय प्रारम्भ हुआ। ख्रुश्चेव द्वारा विभिन्न देशों भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान आदि की यात्रा की गई। इसके अतिरिक्त विदेशियों को सोवियत संघ में भ्रमण तथा दूसरे देश के नेताओं की सोवियत संघ की यात्रा का प्रावधान किया गया।

जून, 1959 में भारतीय प्रधानमन्त्री पं0नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पर गए। जुलाई, 1960 में भारतीय राष्ट्रपति डॉ0राजेन्द्रप्रसाद सोवियत संघ गए। इस प्रकार भारतीय नेताओं की मास्को यात्रा के क्रम ने सोवियत नेतृत्व को भारतीय विचारों तथा दृष्टिकोणों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर दिया। इसके अतिरिक्त शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल, अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ साम्राज्यवाद के विरोध की नीति द्वारा सोवियत संघ के परिवर्तित नए स्वरूप का परिचय मिलना प्रारम्भ हुआ।

भारत में भिलाई, बोकारो इस्पात कारखाने, सूरतगढ़ का कृषि फार्म, हैदराबाद और ऋषिकेश में स्थापित कारखाने तथा रांची स्थित भारी मशीन उद्योग आदि सोवियत सहायता के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए । निर्गुट राष्ट्रों के महत्व को स्वीकार करते हुए ख्रुश्चेव ने उनके प्रति मृदु नीति अपनाई और कश्मीर प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ दिया । इस प्रकार भारत के साथ सोवियत सहयोग के युग का सूत्रपात हुआ ।

ब्रेझनेव युग में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को दृढ़ समर्थन प्राप्त हुआ और सोवियत विदेश नीति ने वैदेशिक सम्बन्धों के विस्तार को प्रमुखता दी ।

वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के लिए सोवियत प्रमुख द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समझौते के लिए ताशकन्द के शान्ति-पूर्ण वातावरण में वार्ता की सुविधा प्रदान करना, सोवियत राजनय का क्रान्तिकारी विचार था । दो राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को अपनाकर सोवियत संघ द्वारा एक नई शुरुआत की गई ।

वस्तुत: ताशकन्द समझौता भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की परम्परा में सोवियत नीति की महत्वपूर्ण सफलता थी । इस समझौते के द्वारा सोवियत संघ ने सिद्ध कर दिया कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का सोवियत विदेश नीति में अत्यधिक महत्व है । एम०एस० राजन के अनुसार -"यह समझौता उस देश के लिए राजनैतिक और कूटनीतिक उपलब्धि की दृष्टि से बहुत मूल्यवान है । इससे सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति में शान्ति निर्माता के रूप में पदार्पण करता है ।"[2]

ताशकन्द समझौते के उपरान्त सोवियत संघ की नीति भारत के साथ-साथ पाकिस्तान से भी सम्बन्ध विकसित करने की रही । फलस्वरूप पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के सोवियत निर्णय का भारत में विरोध किया गया । प्रत्युत्तर में सोवियत संघ द्वारा आश्वासन दिया गया कि पाकिस्तान को दिए गए रूसी हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। पाकिस्तान को हथियारों की सहायता देने का सोवियत नीति का उद्देश्य मात्र पश्चिमी गुट के प्रभाव को रोकना था, भारत के हितों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करना नहीं था । सितम्बर, 1968 में सोवियत उपविदेश मंत्री निकोलोई फिरयुबिन ने नई दिल्ली में तत्कालीन बाह्य मामलों के सम्बन्धी बी0आर0भगत से वार्ता में स्पष्ट किया कि भारत के साथ सोवियत मैत्री का प्रयोग भारत-पाक सहयोग में वृद्धि के लिए भी किया जायेगा ।[3] सोवियत संघ द्वारा भारत को पूर्ववत् सहयोग देने तथा सम्बन्धों को और घनिष्ठ बनाने का आश्वासन दिया गया । वर्ष 1969 में भारत में कांग्रेस के विभाजन के कारण राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी । ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी सोवियत संघ ने भारत के साथ सम्बन्धों में शिथिलता सहयोग न आने देते हुए सहयोग एवं समर्थन का क्रम जारी रखा ।

भारत के प्रति सोवियत सम्बन्धों के विकास की पराकाष्ठा को स्पष्ट करते हुए ब्रेझनेव ने कहा -"हमारी मैत्री के विकास की तुलना शिखर

---

2. एम0एस0राजन - द ताशकन्द डिक्लयरेशन , इन्टरनेशनल स्टडीज, वाल्युम-8, नं0- 1-2, पृष्ठ 21.
3. इण्डियन एक्सप्रेस, 17सितम्बर, 1968.

आरोहण से की जा सकती है । हम जितना ही ऊपर चढ़ते जाते हैं,उतने ही विशाल क्षितिज हमारे सामने खुलते जाते हैं और जी चाहता है कि अधिकाधिक ऊंचाई पर चढ़ते जायें ताकि सदैव नवीन और आकर्षक वातायन हमारे सामने उन्मुक्त होते रहें ।[4]

वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या के कारण भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । पाकिस्तान द्वारा समस्या के समाधान शीघ्र न किए जाने तथा चीन-पाकिस्तान तथा अमेरिका के गठबन्धन से स्थिति जटिल होती जा रही थी । ऐसी विषम परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारत-सोवियत शान्ति,मैत्री तथा सहयोग की सन्धि को प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला ।

भारत - सोवियत शान्ति, मैत्री और सहयोग की सन्धि :

भारत की विदेशनीति को एक क्रान्तिकारी दिशा देने वाली शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की यह 20वर्षीय सन्धि भारत और सोवियत संघ के मध्य 9अगस्त,1971 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।सन्धि पर सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिको और भारतीय विदेशमंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने हस्ताक्षर किए ।

सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद सोवियत विदेशमंत्री ने कहा कि -"दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच कभी-कभी ऐतिहासिक घटनायें होती हैं । शान्ति, मित्रता और सहयोग की जिस सन्धि पर हस्ताक्षर हुए हैं , इसी प्रकार की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । यह एक मील

---

4. जगदीश विभाकर - नयी सीमायें-नयी सम्भावनायें,शब्दकार, नई दिल्ली,1975, पृष्ठ-69.

का पत्थर है ।" विरोधी दल के प्रमुख नेता अटल बिहारी बाजपेई ने भी कहा कि -"मैं इस सन्धि का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके द्वारा भारत को एक मित्र प्राप्त हो गया है । एक मित्र जिसका विश्वास किया जा सकता है और संकट के समय हमारा साथ दे सकता है ।"[5]

यह एक प्रथम राजनैतिक सन्धि थी, जिसे भारत ने किसी अन्य देश के साथ की थी और भारतीय विदेश नीति में यह सन्धि निर्णायक सिद्ध हुई । वस्तुत: यह सन्धि तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाचक्र का परिणाम थी । इस मैत्री सन्धि की 12 धारायें इस प्रकार हैं -

§1§ शान्ति और मित्रता में वृद्धि करना एवं सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना ।

§2§ एशिया और विश्व में शान्ति बनाये रखना तथा नि:शस्त्रीकरण पर बल देना ।

§3§ साम्राज्यवाद तथा जातिवाद का विरोध करना और इसकी समाप्ति के लिए प्रयत्न करना ।

§4§ शान्ति की रीति में विश्वास रखना और गुटनिरपेक्षता की नीति का सम्मान करना ।

§5§ विश्वशान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरन्तर सम्पर्क व सहयोग करना ।

§6§ व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग एवं सुविधायें उपलब्ध कराना ।

---

5. डॉ0बी0एल0फड़िया,अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 1988,साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ-374.

(7) विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, खेल आदि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सम्बन्ध एवं सम्पर्क को अधिक विकसित करना ।

(8) एक-दूसरे के विरुद्ध सैनिक सन्धि में सम्मिलित नहीं होना ।

(9) किसी तीसरे पक्ष को जो महान संविदाकारी पक्ष के विरुद्ध संघर्षरत हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जायेगी । दोनों में किसी भी पक्ष पर आक्रमण अथवा आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर महान् संविदाकारी पक्ष तुरन्त ही पारस्परिक परामर्श करेंगे जिससे कि ऐसे खतरे को समाप्त किया जा सके तथा दोनों देश शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित एवं प्रभावकारी कदम उठा सकें ।

(10) इस सन्धि के विरुद्ध अन्य कोई सन्धि नहीं करने का दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया ।

(11) इस सन्धि 20वर्ष की अवधि के लिए होगी ।एकवर्ष का नोटिस देकर इस सन्धि को समाप्त किया जा सकता है । नोटिस नहीं दिए जाने पर यह सन्धि 5 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है तथा इसे स्थाई व्यवस्था का रूप भी दिया जा सकता है ।

(12) इस सन्धि के मतभेदों को आपसी सहयोग तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से दूर किया जायेगा ।

भारत और सोवियत संघ के मध्य हुई मैत्री सन्धि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई । जहाँ सोवियत प्रेस जगत ने सन्धि को अच्छे पड़ोसी और मित्रवत् सम्बन्धों के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना बताई, पश्चिमी प्रेस ने असन्तोष प्रकट करते हुए भारत की

गुटनिरपेक्ष नीति पर प्रश्नचिन्ह लगाया ।

अमेरिकी प्रेस ने भारत-सोवियत सन्धि को एशिया में दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में सोवियत प्रभाव को, अमेरिका के मूल्य पर बढ़ाने वाला माना ।[6]

ब्रिटिश समाचार-पत्र ने भारत और सोवियत संघ की शान्ति, मैत्री और सहयोग की सन्धि के सन्दर्भ में एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भारत का साथ सोवियत संघ के लिए लाभदायक माना ।[7]

पाकिस्तानी समाचार-पत्र ने भारत-सोवियत सन्धि को सुरक्षा समझौते का रूप देते हुए पाकिस्तान की चीन से मैत्री के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा सोवियत संघ की सहायता से पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए तैयारी माना ।[8]

भारतीय प्रेस जगत ने भारत-सोवियत सन्धि का स्वागत किया । भारतीय उपमहाद्वीप में उभरती हुई प्रतिक्रियावादी स्थितियों का सामना करने के लिए नई दिल्ली और मास्को द्वारा सन्धि को संयुक्त रूप से योग्य उत्तर माना गया । इस घटना को भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के लिए हानिप्रद नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी सन्धि करने का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया गया ।

समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान' ने 'भारत-सोवियत सन्धि को चाऊ-किसिन्जर की कूटनीति का योग्य प्रत्युत्तर' की संज्ञा दी ।[9]

---

6. द न्यूयार्क टाइम्स - 10अगस्त, 1971.
7. द टाइम्स - 10अगस्त, 1971.
8. द पाकिस्तान टाइम्स- 11अगस्त, 1971.
9. हिन्दुस्तान 10अगस्त, 1971.

पश्चिमी प्रेस के विचारों के बाद भारतीय राजनीतिज्ञों के विभिन्न विचार जानना भी समीचीन होगा -

§1§ मोरार जी देसाई -" यह सन्धि जनरल याहिया खां के युद्ध के भय से उपजी मानसिक स्थिति का परिणाम है । दुर्बल और शक्तिशाली राष्ट्र के मध्य हुआ यह समझौता मात्र शक्तिशाली §सोवियत संघ§ की सहायता करता है ।"[10]

§2§ ई0एम0एस0नम्बूदरीपाद -"भारत-सोवियत मैत्री सन्धि को साम्यवादी चीन के विरुद्ध हथियार के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए । अमेरिका साम्राज्यवाद के उपमहाद्वीप पर बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध यह एक सशक्त अवरोधक है ।"[11]

§3§ के0कामराज :"यह सन्धि स्वागत योग्य है,परन्तु दुर्बल राष्ट्र होने के कारण भारत को अन्य देशों की भी सदभावना और मित्रता जीतने का प्रयास करना चाहिए ।"[12]

§4§ सी0राजगोपालाचारी : "सन्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि भारत की सम्प्रभुता को सीमित कर दिया गया है ।"[13]

§5§ एम0एस0गोलवाकर :"सन्धि द्वारा भारत को सोवियत उपग्रह बना दिया गया है ।"[14]

उपरोक्त कथनों के अवलोकन के पश्चात् सन्धि के विपक्ष में निम्नलिखित कुछ और तर्क उभर कर सामने आते हैं -

---

10. द मदरलैण्ड 15 अगस्त, 1971 11. मदरलैण्ड 16अगस्त, 1971.
12. द मदरलैण्ड 17 अगस्त, 1971 13. मदरलैण्ड 19अगस्त, 1971.
14. द मदरलैण्ड 23 अगस्त, 1971.

(1) कुछ का आरोप है कि यह सन्धि भारत की सुरक्षा के लिए की गई सैनिक सन्धि है।

(2) यह सन्धि दुर्बल भारत और शक्तिशाली सोवियत संघ के मध्य एक असमान सन्धि है।

(3) इस सन्धि के द्वारा भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया ।

(4) भारत की सम्प्रभुता को सीमित कर दिया गया है।

परन्तु यदि सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाये तो विपक्ष के समस्त तर्क अर्थहीन हो जाते हैं -

सर्वप्रथम यह सन्धि मैत्री,शान्ति और सहयोग की सन्धि है और इसके उद्देश्य,साधन किसी भी सैनिक सन्धि से भिन्न है । सैनिक सन्धि में संविदाकारी पक्षों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने से उस सन्धि के अन्य सदस्य देश सामूहिक रूप से आक्रमणकर्ता पर आक्रमण करेंगे जबकि मैत्री सन्धि में किसी पक्ष पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न होने पर दोनों पक्ष पारस्परिक परामर्श करके शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी कदम उठायेंगे ।

मैत्री सन्धि के सम्बन्ध में सन्देह को दूर करते हुए,भारत सरकार ने इस तथ्य पर बल दिया कि इस तरह की शान्ति और सहयोग की सन्धियाँ अन्य देशों से भी विश्वशान्ति की सुरक्षा के लिए की जायेगी ।[15]

---

15. टाइम्स ऑफ इण्डिया, बम्बई, 11अगस्त, 1971.

भारत को आवश्यकता पड़ने पर संकट की घड़ी में, सोवियत संघ ने सदैव समर्थन दिया । वह ऐसे मित्र के रूप में सहायक सिद्ध हुआ जिस पर विश्वास किया जा सकता था ।[16] तत्कालीन रक्षा मन्त्री जगजीवनराम के अनुसार वास्तव में यह सन्धि एक औद्योगिक देश और विकासशील देश के मध्य सम्बन्धों की पूर्ण समानता का प्रतीक थी ।[17] उदाहरणार्थ चीन के बांग्लादेश संकट के समय के असन्तोषजनक व्यवहार के कारण सोवियत संघ और भारत ने वैचारिक स्तर पर समान दृष्टिकोण अपनाया ।

इस प्रकार यह सन्धि दो समान भागीदारों के बीच पारस्परिक आत्म सम्मान और आत्मवित पर आधारित एक समझौता थी।[18]

सन्धि की चौथी धारा ने स्पष्ट रूप से भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को विश्व समस्याओं के तनावों को कम करने और शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक माना है ।

भारत-सोवियत मैत्री में दोनों पक्षों को सम्प्रभुता तथा अखण्डता का सम्मान करते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर बल दिया गया । अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड केनेडी के अनुसार इस शान्ति, मैत्री और सहयोग की सन्धि तथा भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के बीच कोई असंगति नहीं दिखाई देती और न ही इससे किसी देश की सम्प्रभुता सीमित होती है।[19]

---

16. लोकसभा डिबेट, 10अगस्त, 1971, पृष्ठ 149.
17. टी0एन0आनन्द, इण्डो-सोवियत रिलेशन्स, नई दिल्ली, 1979, पृष्ठ-4.
18. लोकसभा डिबेट 10अगस्त, 1971, पृष्ठ 283.
19. स्मीरोनोव-एनइमार्टेन्ट फैक्टर ऑफ पीस एण्ड सीक्योरिटी, इन्टरनेशनल अफेयर्स[मास्को] नवम्बर, 1971, पृष्ठ-90.

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के उद्देश्यों और नीतियों का भी इस सन्धि द्वारा कोई विरोध नहीं होता ।

उपरोक्त पक्ष-विपक्ष के तर्कों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि भारत-सोवियत सन्धि तत्कालीन राजनैतिक वातावरण का परिणाम थी और इसका उद्देश्य भय तथा सन्देह उत्पन्न करना नहीं अपितु एशिया महाद्वीप में शान्ति और स्थिरता बनाये रखना था । कालान्तर की घटनाओं ने सन्धि के उद्देश्यों को स्वस्थ एवं सार्थक गरिमा प्रदान की ।

भारत-सोवियत आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से सन्धि का महत्व:

आर्थिक सहयोग के दृष्टिकोण से भी सन्धि का महत्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में यह ~~तकनीकी~~ सन्धि बहुउद्देश्यीय है और भारत के आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है । भारत के विदेशमंत्री वाई०बी०चौहान ने सन्धि के आर्थिक पक्ष की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कहा-"यह सन्धि हमारे वर्षों पुराने सम्बन्धों मेंएक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ है ।"[20] श्रीमती गाँधी ने आर्थिक सहयोग के महत्व को उजागर करते हुए कहा-"आज भारत के औद्योगिक और आर्थिक जीवन को व्यापक आधार सन्धि के द्वारा मिला है । सत्तर से भी अधिक प्रोजेक्ट भारत-सोवियत सहयोग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । भारत को विकसित औद्योगिक देश बनाने के प्रयत्नों में हम सोवियत संघ के प्रयत्नों का सम्मान करते हैं।"[21]

---

20. वाई०बी०चह्वाण, फॉरेन अफेयर्स रिकार्ड, नई दिल्ली,अगस्त 1975 पृष्ठ 214.
21. स्ट्रैटेजिक डाइजेस्ट, नई दिल्ली, अक्तूबर,1981, पृष्ठ-879.

सोवियत संघ के लिए सन्धि का महत्व : चीन और अमेरिका के सन्दर्भ में :

सोवियत दृष्टिकोण से इस सन्धि का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सन्धि को अस्तित्व में लाने की सोवियत संघ की उत्सुकता को देखते हुए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसका सोवियत राजनीति के लिए क्या महत्व था ।

प्रधानमंत्री शास्त्री के संक्षिप्त कार्यकाल में शुरू हुई मुख्यत: प्रारम्भिक प्रक्रिया वर्ष 1971 में इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में सन्धि के रूप में सम्पन्न हुई । सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में चीन और अमेरिका की दक्षिणपंथी शक्तियों को रोकना था और नए राष्ट्रों में सुरक्षा सन्धियों के स्वरूप को प्रतिष्ठित करना था । इस प्रक्रिया में सोवियत संघ पहले चीन, तत्पश्चात अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता था । यह करने के लिए सोवियत संघ ने एशिया सामूहिक सुरक्षासिद्धान्त का प्रतिपादन करके पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया । दक्षिणपंथी शक्तियों को रोकने का सोवियत संघ का उद्देश्य उनकी शोषणवादी प्रवृत्तियों की समाप्ति थी ।[22]

भारत के साथ-साथ सोवियत संघ पाकिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहता था, इसलिए उसने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी परन्तु फिरभी पाकिस्तान की चीन के साथ मैत्री को कम नहीं किया जा सका और न ही उसको पाकिस्तान का समर्थन क्षेत्रीय आर्थिक गुट बनाने के विचार पर मिल सका ।[23]

---

22. कर्नल रवि नन्दा - इण्डो-पाक दितान्त-सुपर एण्ड बिग पॉवर्स इन एशिया-लैन्सर्स बुक्स, नई दिल्ली 1989, पृष्ठ-167.
23. द चायना क्वार्टर्ली, लन्दन, सितम्बर 1975, पृष्ठ 481.

इस सन्दर्भ में सोवियत प्रस्ताव की चीन ने निन्दा करते हुए कहा कि यह आर्थिक सहयोग और कुछ नहीं, मात्र एशियाई देशों के राजनैतिक और आर्थिक नियंत्रण तथा चीन के विरुद्ध सैनिक गठबन्धन का जाल तैयार करना है ।[24]

इस प्रकार सन्धि के निर्माण के पीछे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों पक्षों को एक साथ सन्धि के मंच पर आने का अवसर प्रदान किया । चीन और पाकिस्तान द्वारा सोवियत संघ की मैत्री भावना का उचित सम्मान न किए जाने पर स्वाभाविक रूप से सोवियत संघ को भारत पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करनी पड़ी ।

<u>सोवियत नेता ब्रेझनेव की भारत यात्रा</u> : 30नवम्बर,1973.

यह लियोनेद इलियिच ब्रेझनेव की दूसरी भारत यात्रा थी । 1961 में सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष के रूप में वह पहली बार भारत आए थे परन्तु सोवियत साम्यवादी दल के प्रमुख के रूप में उनकी यह प्रथम भारत यात्रा थी । पाँच दिनों की इस राजकीय यात्रा पर आये सोवियत नेता का भव्य स्वागत हुआ । उनके साथ पोलिटब्यूरो के तीन सदस्य तथा साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के छः सदस्य साथ आये । लाल किले में आम सभा में बोलते हुए ब्रेझनेव ने कहा कि उनका देश भारत को सुख और दुःख में समान रूप से साथ देगा ।

भारतीय संसद में भाषण में उन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के राजनैतिक एवं आर्थिक पक्ष पर प्रकाश डाला । सामूहिक

---

24. पेकिंग रिव्यू, नम्बर-29, 18जुलाई 1979, पृष्ठ 23-25.

के सिद्धान्तों तथा पंचशील की नीति के पुनर्ग्रहण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस प्रश्न से सम्बन्धित उदार, रचनात्मक तथा व्यापक विचार-विमर्श से एकऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए जो सभी राष्ट्रों को स्वीकार्य हो ।

भारत के शान्तिपूर्ण प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने दक्षिण एशिया की स्थितियों के सामान्यीकरण में भारत के योगदान को बहुमूल्य बताया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ०शंकर दयाल शर्मा से वार्ता में कांग्रेस और सोवियत साम्यवादी दल के मध्य सम्पर्कों और संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया । कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा ब्रेझनेव को आश्वासन दिया गया कि दोनों देशों के मध्य शान्ति, मैत्री और सहयोग की नीति को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार से लोकतान्त्रिक और प्रगतिवादी ताकतों का सहारा लिया जायेगा । सोवियत प्रमुख ने यह भी कहा कि उनके देश द्वारा की गई भारत को आर्थिक सहायता का उद्देश्य दोनों देशों के सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है । उन्होंने भारत के साम्यवादी दल को श्रीमती गाँधी के समाजवादी कार्यक्रम को प्रत्येक प्रकार से सहयोग देने को कहा ।[25]

भारत-सोवियत : संयुक्त घोषणा 29नवम्बर,1973;नई दिल्ली

ब्रेझनेव की यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश 29नवम्बर,को की गई भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा थी ।

---

26. श्रीराम शर्मा – इण्डियन फॉरेन पालिसी,एन्यल सर्वे 1973, कन्लाइड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

भारतीय पक्ष की तरफ से सरदार स्वर्णसिंह विदेशमंत्री, वाई0बी0चह्वाण वित्त मंत्री, डी0पी0धर योजना मंत्री, सुरेन्द्रपाल सिंह बाह्य मामलों के राज्यमंत्री, केवल सिंह विदेश सचिव, प्रो0पी0एन0धर प्रधानमंत्री सचिव, बी0के0सान्याल भारतीय राजदूत, ए0पी0वेंकटेश्वरन संयुक्त सचिव ने भाग लिया ।

सोवियत संघ के पक्ष में ए0ए0ग्रोमिको विदेशमंत्री, डी0ए0 कुनायेव पोलिटब्यूरो सदस्य, एन0के0बैबकोव केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव, एल0ए0 स्कोकोव राज्य योजना समिति के अध्यक्ष, ए0एस0पेत्नकोव आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के अध्यक्ष, बी0के0ओल्देरेव केन्द्रीय समिति के जनरल सेक्रेट्री के सहायक, ने भाग लिया ।

पारस्परिक सौहार्द्र एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों में वार्ता हुई जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर समान विचारों को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया । सोवियत प्रमुख द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सोवियत आर्थिक प्रगति, सोवियत जनता के जीवन स्तर तथा सोवियत विदेश नीति के विषय में सूचित किया ।

भारतीय प्रधानमंत्री ने सोवियत विदेश नीति की शान्ति नीति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थायित्व के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया ।

सोवियत नेता ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति तथा उपनिवेशवाद जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष की सराहना करते हुए उसके शान्ति प्रयासों को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया ।

दोनों पक्षों ने भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग को प्रत्येक प्रकार की स्थिति में विकसित करने की दृढ़ आशा को व्यक्त किया ।

भारतीय प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया को विश्व समस्याओं के तनाव को कम करने में सहायक बताया । इस सन्दर्भ में उन्होंने आशा व्यक्त की कि तनाव शैथिल्य के कारण शान्ति का प्रसार होगा और आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होगी जो कि मानवता के लिए भयंकर है ।

यूरोप में तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया का स्वागत करते हुए यूरोप में सुरक्षा और सहयोग की कॉन्फ्रेन्स के आयोजन को महत्वपूर्ण बतायागया।

दोनों पक्षों ने उन सभी देशों के साथ सहयोग करने को कहा जो नवउपनिवेशवाद,जातिवाद तथा रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे है।

वियतनाम की समस्या में पेरिस समझौते को तुरन्त लागू करने पर बल दिया गया ताकि शान्ति और स्थायित्व की प्राप्ति हो सके ।

डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा रिपब्लिक आफ कोरिया के मध्य सम्पर्कों को एशियाई सुरक्षा और शान्तिके लिए प्रेरक बताते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि कोरिया क्षेत्र में तनावों में कमी के स्वरूप एवं रचनात्मक वातावरण बनने में सहायता मिलेगी ।

17 अप्रैल, 1973 को की गई भारत और बांग्लादेश की संयुक्त घोषणा तथा भारत और पाकिस्तान के मध्य 28 अगस्त, 1973 के समझौते को उपमहाद्वीप की स्थिति को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण बताया गया ।

पश्चिम एशिया में इजरायल द्वारा निरन्तर अरब सीमाओं पर आगे बढ़ने पर दोनों पक्षों ने चिन्ता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या-338को समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण बताया।

पुनः: निःशस्त्रीकरण को आवश्यक बताते हुए विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के शीघ्र आयोजित करने की मांग परबल दिया गया।

हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने पर दोनों पक्षों ने अन्य देशों के साथ प्रत्येक प्रकार से सहयोग देने को कहा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ द्वारा दिए गए प्रस्ताव का, जिसमें उन देशों के सैनिक बजट को कम करने का प्रावधान था जो कि सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य थे, भारत द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया और सैनिक बजट कम करने से फलस्वरूप बची राशि को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में देने की मांग की गई।

इसके अतिरिक्त पारस्परिक आर्थिक और तकनीकी सहयोग की सम्भावनाओं की वृद्धि पर भी विचार किया। सोवियत संघ द्वारा उन योजनाओं के विस्तार पर चर्चा की गई जोकि सोवियत सहायता से भारत में स्थापित हो चुकी थी। यह भी प्रस्तावित किया गया कि भिलाई धातु शोधन संयंत्र की क्षमता 70लाख टन करने तथा बोकारो इस्पात संयंत्र की एक करोड़टन की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 70लाख टन की जायेगी। मलान्जखण्ड में कॉपर माइनिंग एण्ड ड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स,कलकत्ता में मेट्रो योजना के अतिरिक्त अलौह धातुशोधन सम्बन्धी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया गया।

सोवियत नेता की इस पाँच दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण

में तीन महत्वपूर्ण समझौते किए गए ।

{1} भारत और सोवियत संघ के मध्य आर्थिक सहयोग के विकास के लिए एक पन्द्रहवर्षीय समझौता हुआ ।

{2} भारत के योजना आयोग तथा सोवियत संघ का राज्य योजना समिति के मध्य सहयोग के लिए समझौता हुआ ।

{3} भारत और सोवियत संघ की सरकारों के मध्य प्रतिनिधि स्तर के सम्मेलन {कोंसलर कन्वेन्शन} की व्यवस्था के लिए समझौता हुआ।[26]

अन्ततः दोनों पक्षों द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि उपरोक्त समझौते भारत और सोवियत संघ के मध्य बहुपक्षीय सहयोग और मैत्री की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे ।

प्रतिक्रियायें :

ब्रेझनेव यात्रा के परिणामस्वरूप प्राप्त समझौतों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिक्रियायें हुईं ।

भारत में सोशलिस्ट पार्टी ने उपमहाद्वीप में सामान्यीकरण के लिए सोवियत समर्थन को उचित नहीं माना ।[27]

कांग्रेस{ओ} नेता सी0डी0पाण्डे के अनुसार समझौतों पर हस्ताक्षर करके भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष देश की छवि को खो दिया ।[28]

स्वतंत्र दल नेता रंगास्वामी ने भारत सरकार को मात्र एक मित्र पर निर्भर रहने की अपेक्षा अमेरिका और चीन के साथ भी इस प्रकार

---

26. संजय गायकवाड़ - इकनॉमिक्स ऑफ इण्डो सोवियत रिलेशन्स - दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा0लि0नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ195.
27. जनता वाल्यूम 28, नं0-41 दिसम्बर 1973, पृष्ठ-3
28. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6दिसम्बर, 1973.

के समझौते करने की सलाह दी ।[29]

§1§ सोवियत प्रतिक्रिया :

सोवियत संघ में साम्यवादी दल के शान्ति कार्यक्रम में ब्रेझनेव की भारत यात्रा को एक नया अध्याय बताया गया । लेनिन की शान्ति नीति के सन्दर्भ में इस यात्रा को अविस्मरणीय उपलब्धि माना गया ।

प्रमुख समाचार-पत्रों ने समझौतों को मास्को और नईदिल्ली के मध्य पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए लाभदायक बताया । भारत और सोवियत सम्बन्धों को शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग का उदाहरण बताते हुए सोवियत संघ और तृतीय विश्व के बीच सहयोग का प्रतीक माना ।

प्रावदा ने भारत और सोवियत संघ के पारस्परिक सहयोग पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य पर बल दिया कि एशिया में शान्ति और सुरक्षा के स्थायित्व के लिए अन्य सभी देशों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए ।

§2§ अमेरिकी प्रतिक्रिया :

ब्रेझनेव यात्रा से अमेरिका में सन्देह और अविश्वास का वातावरण बना । अमेरिकी नेतृत्व को अनुभव हुआ कि ब्रेझनेव द्वारा प्रतिपादित एशियाई सुरक्षा के विचार को भारत प्रमुखता देगा ।

दूसरे भारत हिन्द महासागर में सोवियत संघ को बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें देगा । इसके बदले में सोवियत संघ भारत को शस्त्रों की

---

29. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 6दिसम्बर, 1973.

आपूर्ति में वृद्धि करेगा जिससे भारत की निर्भरता उस पर बनी रहेगी ।

परन्तु एक वर्ग की प्रतिक्रिया यह भी थी कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इससे अमेरिका और चीन के प्रति सम्बन्धों के लचीलेपन की क्रिया प्रभावित होगी ।

ब्रेजनेव की दिल्ली यात्रा पर सर्वप्रथम उच्च अमेरिकी स्तर पर डॉ0किसिन्जर द्वारा टिप्पणी की गई । उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और सोवियत संघ के मध्य बढ़ते हुए सम्बन्धों को लेकर चिन्तित नहीं है । कुछ मुद्दों पर विरोधों को हो सकता है, भारत-सरकार से समर्थन न मिले परन्तु इससे दो महान् लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं हो जाता । भारत और अमेरिका के सम्बन्ध अभी अच्छी स्थिति में है और आशा है कि भविष्य में ये सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होंगे तथा पारस्परिक सहयोग को विस्तार प्रदान करेंगे ।

इस कथन के साथ ही डॉ0किसिन्जर ने वर्ष 1974 में अपनी भारत यात्रा की घोषणा की । तत्पश्चात् भारत सरकार ने अमेरिका सरकार के दृष्टिकोण में आये हुए परिवर्तन का स्वागत किया । राज्यसभा में बाह्य मामलों के राज्यमन्त्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार डॉ0 किसिन्जर के इस कथन का स्वागत करती है कि भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों के विकास से अमेरिका की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है।[30]

{3} चीन की प्रतिक्रिया :

न्यू चायना न्यूज एजेन्सी ने अप्रत्यक्ष रूप से एशिया में सोवियत कूटनीति के विस्तार, विशेषकर ब्रेजनेव की भारत यात्रा के सन्दर्भ

---

30. श्रीराम शर्मा, इण्डियन फॉरेन पालिसी, एन्युल सर्वे 1973, ज्लाइव पब्लिशर्स, पृ० 20 नई दिल्ली

में सन्देह को व्यक्त किया । उसके अनुसार ब्रेझनेव यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत को सामूहिक सुरक्षा के विचार पर सहमत कराना तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के द्वारा अन्य दक्षिण एशियाई देशों को सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय मैत्री सन्धियों के लिए बाध्य करना है ।

यदि भारत और सोवियत मैत्री का गठबन्धन और अधिक दृढ़ होता है तो रूसी साम्राज्यवादी भारतीय विस्तारवादियों के साथ मिलकर दक्षिण-पूर्वी एशिया उपमहाद्वीप के अन्य देशों के लिए आतंक की स्थिति उत्पन्न करेंगे ।

चीनी व्याख्या के अनुसार भारत-सोवियत शान्ति मैत्री और सहयोग की नीति एक सैनिक सन्धि थी और ब्रेझनेव की भारत यात्रा का उद्देश्य उसी सन्दर्भ में, भारत से बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करना था । चीनी सूचना के अनुसार सोवियत संघ भारत से विशाखापट्टनम और पोर्टब्लेयर में जहाजों को खड़ा करने तथा मरम्मत सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त कर चुका था और इसके बदले में भारत को विभिन्न प्रकार की सैनिक सहायता का वचन दिया गया था ।

(4) ब्रिटिश प्रतिक्रिया :

डेली टेलीग्राफ के अनुसार ब्रेझनेव यात्रा का सुनियोजित उद्देश्य हिन्द महासागर में सुविधायें प्राप्त करना था ।[31]

गार्जियन के अनुसार सोवियत सहायता के बदले सोवियत संघ हिन्द महासागर में सुविधायें तथा सामूहिक सुरक्षा सन्धि में भारत द्वारा भागीदारी का आश्वासन चाहता था ।[32]

---

31. डेली टेलीग्राफ, 24नवम्बर एवं 3दिसम्बर, 1973.
32. गार्जियन, 28नवम्बर, 1973.

इन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने भी समान विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रेझनेव यात्रा का उद्देश्य सोवियत प्रभाव को एशिया में जापान और चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध तीव्रगति से बढ़ाना था। उसने आरोप लगाया कि इससे सोवियत सलाहकारों का भारत में प्रवेश बढ़ेगा।[33]

भारतीय प्रत्युत्तर :

ब्रेझनेव यात्रा की आलोचना को निराधार सिद्ध करते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि सोवियत नेताओं के साथ हुए समझौतों और वार्ताओं में सैनिक सम्बन्धी मुद्दों को स्थान नहीं दिया गया।[34] ब्रेझनेव द्वारा भारतीय संसद में दिए गए भाषण में तथा भारत - सोवियत संयुक्त संदेश में निहित किए गए एशिया सुरक्षा के विचार का तात्पर्य किसी सैनिक गुट का निर्माण अथवा महाद्वीप के कुछ देशों के विरुद्ध समझौता करना नहीं था वरन् इन सबका उद्देश्य सम्पूर्ण महाद्वीप द्वारा अपने प्रयत्नों से एशियाई सुरक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए स्वस्थ्य वातावरण के निर्माण की आवश्यकता पर बल देना था जो कि सम्प्रभुता, समानता, आर्थिक सहयोग तथा दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित था।

सोवियत सद्भावना के विषय में भारतीय प्रधानमंत्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सोवियत संघ सदैव से भारत का सच्चा मित्र रहा है।

---

33. इन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून, 30नवम्बर, 4,9दिसम्बर 1973.
34. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 7दिसम्बर, 1973.

पूर्वी पाकिस्तान के संकट के समय दिए गए सोवियत समर्थन से स्थिति से निपटने में भारत के आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायता मिली ।[35]

ब्रेजनेव की भारत यात्रा से पश्चिमी और पड़ोसी देशों की राजनीति में जो अविश्वास और सन्देह का वातावरण बन रहा था, उसे भारतीय नेतृत्व ने समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता शान्ति थी, तनाव नहीं ।

ब्रेजनेव की भारत-यात्रा के पूर्व हुए विभिन्न प्रकार के समझौतों को सोवियत नेता की इस यात्रा से एक सुदृढ़ आधार मिला जिसने आने वाले वर्षों में सहयोग में वृद्धि की संभावनाओं को जन्म दिया । इसके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य सोवियत प्रतिनिधियों द्वारा भारत आकर किए गए समझौते और उनके विस्तार ने भी भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को स्पष्ट किया ।

सहयोग के नवीन आयाम :

25 अप्रैल, 1977 को सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको की भारत-यात्रा, भारत में सत्ता परिवर्तन के कारण आये नवीन नेतृत्व के साथ राजनैतिक सामंजस्य करने में पर्याप्त सफल रही । नए दल के सत्ता में आने के बाद से यह किसी भी प्रथम विदेशी राजनयिक की उच्च स्तर की यात्रा थी।

प्रधानमंत्री देसाई के साथ हुई वार्ता के सम्बन्ध में सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको ने सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा-" न केवल दोनों देशों के सम्बन्धों के स्तर को बनाये रखने के विषय में बल्कि सम्बन्धों के स्तर को और

---

35. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 3दिसम्बर, 1973.

अधिक व्यापक बनाने में यह वार्ता अत्यधिक सफल रही । उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के सम्बन्धों का अतीत ही नहीं अच्छा था वरन् भविष्य भी अच्छा होगा ।"36

विदेशमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने भारत के औद्योगीकरण तथा संकट के समय में पर्याप्त सोवियत समर्थन को स्मरण करते हुए सोवियत विदेशमंत्री से कहा-"हमें सोवियत सहायता का स्मरण है और हम आपके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं । सन्धि पर हस्ताक्षर के पूर्व हमारी आपकी मित्रता थी और आज इतने वर्ष बाद भी हमारी मैत्री में कमी नहीं आई है ।"37

सोवियत विदेशमंत्री की यात्रा के अन्त में दोनों देशों द्वारा संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए । सोवियत पक्ष द्वारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक शान्ति एवं सुरक्षा के लिए चलाये जा रहे गुट-निरपेक्ष नीति के अभियान की सराहना की गई । दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि भारत-सोवियत सन्धि की भावना के अन्तर्गत पारस्परिक सहयोग और सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा ।

इस संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग और व्यापार के विस्तार की सम्भावनाओं पर भी चर्चा की गई ।

इस प्रकार नए दल के सत्ता में आने के पहले सोवियत नेताओं में जो अविश्वास और सन्देह की भावनाओं ने जन्म लिया था, वह अब निरर्थक सिद्ध हुई । पुनः सौहार्द्र, मैत्री और विश्वास का वातावरण

---

36. अन्सारचन्द - इण्डो-सोवियत रिलेशन्स, 1947-77नईदिल्ली-पृष्ठ-143.
37. इण्डियन एक्सप्रेस, 27अप्रैल, 1977.

बनने लगा था । यद्यपि नवीन दल कांग्रेस से पृथक विचारधारा थी तथापि भारत-सोवियत सम्बन्धों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । दोनों पक्षों द्वारा समय-समय पर सहयोग में वृद्धि के लिए आपसी विचार-विमर्श तथा यात्रा पर बल दिया गया ।

प्रधानमंत्री देसाई के निमंत्रण पर सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन 9मार्च,1979 को भारत-यात्रा पर आये । भारतीय संसद में अपने भाषण में कोसिगिन ने एशिया महाद्वीप में शान्ति स्थापना के लिए किए जा रहे भारत के प्रयासों में सहयोग में वृद्धि पर बल दिया ।[38]

14मार्च,1979 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए पन्द्रह वर्षीय दीर्घकालीन समझौता किया गया । इसके अतिरिक्त चार पृथक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए ।

§1§ जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ।

§2§ वर्ष 1979 तथा 1980 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में

§3§ कृषि उपकरणों तथा मोटर वाहनों के क्षेत्र में तथा -

§4§ वर्ष 1979 में कुछ आवश्यक अतिरिक्त व्यापारिक सामग्री के लिए ।

जुलाई,1979 में भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन होने से चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने परन्तु सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया तथा सम्बन्ध सामान्य रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगान समस्या के सन्दर्भ में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता में वृद्धि किए जाने से भारत की सुरक्षा

---

38. सोवियत रिव्यू,सप्लीमेन्ट टू नं0 14, 1979, पृष्ठ 10.

एवं स्थायित्व के लिए संकटपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई । 31 दिसम्बर, 1979 को सोवियत राजदूत के भारत आने पर प्रधानमंत्री चरण सिंह ने उन्हें गंभीर स्थिति से अवगत कराया तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की शीघ्र वापसी के लिए कहा । सोवियत राजदूत द्वारा आश्वासन दिया गया कि सोवियत सरकार सन्धि के प्रावधानों के अन्तर्गत समाधान का प्रयास करेगी।[39]

जनवरी, 1980 में कांग्रेस दल को विजय प्राप्त होने पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला । सोवियत संघ द्वारा कांग्रेस की विजय को भारत-सोवियत सम्बन्ध के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया ।

सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको 12 फरवरी, 1980 को नई दिल्ली की यात्रा पर आये । इस बार भारत और सोवियत पक्ष कीवार्ताओं का मुख्य विषय अफगान संकट था । दक्षिण एशिया में अमेरिका, चीन तथा पाकिस्तान द्वारा स्थिति को जटिल बनाने की आलोचना करते हुए विदेशमंत्री ने भारत की शान्तिप्रिय नीति की सराहना करते हुए उसे महान् 'एशियाई शक्ति' बताया ।

ब्रेजनेव यात्रा :

8 से 11 दिसम्बर, 1980 तक सोवियत प्रमुख ब्रेजनेव की पुनः भारत यात्रा ने दोनों देशों के नेताओं से मध्य द्विपक्षीय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रत्यक्ष वार्ताओं के लिए अवसर प्रदान किए । सोवियत राष्ट्रपति के सम्मान

---

39. एन0पी0सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डिया-यू0एस0एस0आर0 रिलेशन्स, एलाइड पब्लिशर्स प्रा0लिमिटेड, दिल्ली 1987, पृष्ठ 235.

में आयोजित समारोह में भारतीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने दक्षिण पशिया क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए आशा व्यक्त की कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों तथा वार्ताओं के द्वारा पशिया क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे संघर्षों का शीघ्र राजनैतिक समाधान किया जायेगा ।[40]

प्रत्युत्तर में सोवियत राष्ट्रपति ने भारत-सोवियत सम्बन्धों की गौरवशाली परम्पराओं की चर्चा करते हुए कहा - भारत और सोवियत संघ सदैव से शान्ति और संकट के समय मित्र रहे हैं ।

दोनों देशों के नेताओं तथा राजनैतिक प्रतिनिधियों द्वारा पशिया की सुरक्षा तथा शान्ति, अफगान संकट, चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका गुटबन्दी के कारण बढ़ती हुई तनावपूर्ण स्थिति आदि अनेक ज्वलन्त प्रश्नों पर विचार किया गया ।

<u>भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा :</u>

10दिसम्बर,1980 को भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी तथा सोवियत साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के महासचिव एल0आई0ब्रेझनेव के मध्य भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए ।

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के मध्य प्रगाढ़ एवं पारम्परिक सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए उनके विकास की आशा व्यक्त की ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति गम्भीरता व्यक्त करते हुए शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों पर समान दृष्टिकोण व्यक्त किया गया।

भारत-सोवियत मैत्री का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के

---

40. स्टेट्समैन, 9दिसम्बर,1980.

गहन प्रगाढ़ एवं पारम्परिक सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए उनके विकास की आशा व्यक्त की गई।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति गम्भीरता व्यक्त करते हुए शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों पर समान दृष्टिकोण व्यक्त किया गया ।

भारत-सोवियत मैत्री का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के राष्ट्रीय हित तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए भारत-सोवियत सम्बन्धों को अधिक प्रगाढ़ करने की इच्छा व्यक्त की गई ।

दोनों पक्षों द्वारा आर्थिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए सन्तोष व्यक्त किया गया। वर्ष 1973 के आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता तथा वर्ष 1979 के आर्थिक, व्यावसायिक,वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के दीर्घकालीन कार्यक्रम को अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बताया गया तथा वर्ष 1975 की तुलना में वर्ष 1980 में भारत-सोवियत व्यापारिक टर्नओवर की दुगुनी वृद्धि पर प्रकाश डाला गया ।

सोवियत संघ ने भारत को आश्वासन दिया कि भारत में दीर्घस्तरीय परियोजनाओं तथा आर्थिक क्षेत्रों में वृद्धि के लिए सोवियत सहायता सदैव प्रस्तुत रहेगी ।

भारतीय पक्ष द्वारा भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास तथा आर्थिक उपलब्धियों में सोवियत योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया ।

एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ में भारत-सोवियत सम्बन्धों को बताते हुए कहा गया कि अन्तर्राज्य सम्बन्धों को आधारभूत तथा सार्वभौमिक सिद्धान्तों जैसे सम्प्रभुता के प्रति सम्मान, समानता,क्षेत्रीय अखण्डता तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप पर आधारित होना चाहिए ।

भारतीय पक्ष द्वारा सोवियत संघ के रचनात्मक शान्ति प्रयत्नों जैसे भारतीय शस्त्रों में कटौती तथा बची राशि को आर्थिक-सामाजिक विकास में लगाने के निर्णय की सराहना की गई तथा सोवियत पक्ष द्वारा भारत की शान्तिप्रिय विदेशनीति के गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

वर्तमान परिस्थितियों में शान्ति को परम आवश्यक बताते हुए आणविक शस्त्रों की पूर्णत: समाप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण द्वारा प्रभावकारी साधनों को अपनाने की माँग की गई ।

आणविक परीक्षण पर तथा रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

पश्चिमी एशिया की समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए दोनों पक्षों ने अरब क्षेत्रों से इजरायली सेनाओं की शीघ्र वापसी का समर्थन किया तथा फिलिस्तिनीयों को उनके उचित अधिकार दिए जाने की माँग को दोहराया ।

दक्षिण-पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया गया कि इस क्षेत्र के गुटनिरपेक्ष देशों

द्वारा सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना को प्रधानता दी जानी चाहिए ।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में स्थिति के सामान्यीकरण के लिए दोनों पक्षों द्वारा इस क्षेत्र के देशों में बाह्य हस्तक्षेप का विरोध किया गया तथा मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगी सम्बन्धों को विकसित करने में शान्ति को आवश्यक बताया गया ।

हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस क्षेत्र में सभी प्रकार के विदेशी सैनिक तथा नौसैनिक अड्डों की समाप्ति पर बल दिया गया ।

हिन्द महासागर के उन क्षेत्रों के लिए जो कि उपनिवेशवादी अधिपत्य में है, की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई घोषणा को लागू करने का समर्थन किया गया ।

दोनों पक्षों द्वारा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत विकासशील देशों को निर्यात किया जाने वाला माल उचित मूल्य पर देने के लिए बल दिया गया ।

विश्व में तनावों को कम करने तथा शान्ति एवं स्थिरता बनाने में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका पर बल दिया गया ।

सोवियत संघ ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सक्रिय सदस्य के रूप में भारत के योगदान को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद,जातिवाद,रंगभेद तथा प्रत्येक

प्रकार के शोषण की समाप्ति में महत्वपूर्ण बताया ।

इस प्रकार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों देशों की विदेश नीति समान रही क्योंकि दोनों देशों के दृष्टिकोण में समानता रही।

तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रेझनेव की भारत यात्रा कई अर्थों में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ भारतीय राजनैतिक तथा आर्थिक विकास के सन्दर्भों में आशातीत वार्तायें और समझौते हुए ।[41]

वर्ष 1981-85 के लिए व्यापारिक समझौता, वर्ष 1981-82 के लिए सांस्कृतिक-वैज्ञानिक,शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान तथा आयोजन के क्षेत्र में समझौता हुआ । आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग में विस्तार के लिए भी समझौता हुआ ।

इस प्रकार भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण सोवियत सम्बन्धों की रचनात्मक परम्परा के संवर्धन के परिणामस्वरूप भारत को अपने बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त सहायता सोवियत संघ से प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर समान दृष्टिकोण होने से दोनों देशों को और अधिक समीप आने का अवसर मिला ।

आन्द्रोपोव काल में भारत की शान्तिप्रिय तथा गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को पर्याप्त समर्थन दिया गया । एशिया तथा यूरोप में तनावपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा किए गए प्रयासों की सोवियत नेतृत्व द्वारा सराहना करते हुए उसे वर्तमान विश्व में

---

41. फारेन अफेयर्स रिकार्ड, दिसम्बर 1980,न0-12,पृष्ठ 298-301.

शान्ति के विकास के लिए आवश्यक बताया गया ।

चेरनेन्को के समय में तत्कालीन तनावों को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति के प्रयासों पर बल दिया गया तथा पूँजीवादी विस्तार के विरोध में कार्य करने वाले देशों को सहायता का आश्वासन दिया गया । भारत की शान्तिप्रिय नीति के प्रति सोवियत निष्ठापूर्वक रहा । भारत द्वारा राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे शान्ति के रचनात्मक प्रयासों का दृढ़ समर्थन करते हुए सोवियत संघ ने मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण बनाये रखा । 12मार्च, 1984 को मार्शल उस्तीनोव की भारत-यात्रा सुरक्षा-सहयोग में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । इस यात्रा में सोवियत विदेशमंत्री उस्तीनोव द्वारा भारत को, आधुनिक उपकरण एवं तकनीकी ज्ञान, रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में देने का आश्वासन दिया गया ।

सोवियत राजनीति में वर्ष 1982 से 1985 के समय में शीघ्रता से नेतृत्व परिवर्तन हुए । आन्द्रोपोव के आकस्मिक देहान्त से चेरनेन्को ने सत्ता का कार्यभार संभाला परन्तु चेरनेन्को का कार्यकाल भी अत्यन्त संक्षिप्त रहा । शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होने से भारत और सोवियत सम्बन्धों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आई ।

मिखाइल एस०गोर्बाचोव द्वारा वर्ष 1985 में सत्ता सूत्र संभालने से दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तीव्र गति से वृद्धि हुई ।

भारत यात्रा पर आने के पूर्व गोर्बाचोव ने यात्रा को दोनों देशों के मध्य विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए वर्तमान तनावपूर्ण विश्व में

सुदृढ़ और शान्तिमय भारत के स्वरूप की कामना की ।[42]

सोवियत महासचिव मिखाइल एस०गोर्बाचोव का भारत आगमन :
[25-28नवम्बर, 1986]

सोवियत महासचिव मिखाइल एस०गोर्बाचोव 25नवम्बर, 1986 को चार दिवसीय यात्रा पर भारत आये । स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने गोर्बाचोव को शान्ति योद्धा बताते हुए सोवियत संघ को भारत की आवश्यकता के समय का पूर्वपरीक्षित तथा विश्वसनीय मित्र बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता होते हुए भी दोनों देशों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध विकसित हुए । प्रधानमंत्री ने पारस्परिक मैत्री को सहअस्तित्व तथा सहयोग पर आधारित ऐतिहासिक विश्व व्यवस्था का उदाहरण बताया ।[43]

प्रत्युत्तर में सोवियत नेता गोर्बाचोव ने भारत-सोवियत सम्बन्धों के विस्तृत विकास की कामना प्रकट की । उन्होंने कहा- "भारत-सोवियत सहयोग में निहित रचनात्मक क्रियाशीलता का कारण पारस्परिक विश्वास, समानता, सम्मान की भावना तथा एक-दूसरे की विशेष आवश्यकताओं तथा हितों के प्रति सावधानीपूर्वक किया गया विचार विमर्श है ।"[44]

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने सोवियत नेता की यात्रा को विश्व शान्ति तथा दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की दृष्टि में एक ऐतिहासिक निर्णायक बिन्दु बताया ।[45]

---

42. दर्शन सिंह - सोवियत फॉरेन पालिसी डाक्युमेन्ट्स, 1985, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा०लिमिटेड, नई दिल्ली-1986, पृ०10
43. स्टेट्समैन 26नवम्बर, 1986.
44. स्टेट्समैन, 26नवम्बर, 1986.
45. हिन्दुस्तान टाइम्स, 26नवम्बर, 1986.

दोनों नेताओं द्वारा वार्ता के प्रथम तथा द्वितीय चरण में शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आणविक निःशस्त्रीकरण, एशिया सुरक्षा तथा भारत-सोवियत आर्थिक एवं तकनीकी आदि प्रश्नों पर विचार किया गया।

27नवम्बर, को भाषण में गोर्बाचोव ने भारत-सोवियत सन्धि को एशिया में शान्ति तथा स्थिरता तथा दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा-"हम अपनी विदेशनीति में ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों को क्षति पहुंचती हो।" सोवियत नेता द्वारा उन सभी दबावों तथा षड्यन्त्रों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया गया जिससे भारत की अखण्डता तथा एकता को खतरा उत्पन्न हो।[46]

संसद में भाषण देते हुए गोर्बाचोव ने स्टार पीस कार्यक्रम, हिन्द महासागर के सैन्यीकरण को रोकने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार में वृद्धि पर बल दिया।

उन्होंने अन्तरिक्ष पर सम्पूर्ण मानवता के समान अधिकार का समर्थन करते हुए स्टार वार्स कार्यक्रम की अपेक्षा स्टार पीस कार्यक्रम पर बल दिया। विकासशील देशों की अन्तरिक्ष तकनीक में संयुक्त अन्वेषण की माँग के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए प्रमुख अन्तरिक्ष शक्तियों से सहयोग का आग्रह किया।

गोर्बाचोव ने हिन्द महासागर क्षेत्र में राजनैतिक स्थिरता के लिए अमेरिका सहित उन देशों से वार्ता का प्रस्ताव किया जिनकी नौसेना की उपस्थिति स्थिति को जटिल बना रही थी।

---

46. प्रेस विज्ञप्ति, भारत में सोवियत सूचना विभाग द्वारा, 27नवम्बर, 1985.

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, अफ्रीकी एकता संगठन आदि के महत्वपूर्ण स्थिति के सन्दर्भ में उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका में वृद्धि पर बल दिया ।

भारत-सोवियत मैत्री तथा सहयोग के सम्बन्ध में उन्होंने कहा जब भी परिस्थितियों की माँग हुई, दोनों देशों ने सन्धि की भावना के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कार्य किया ।[47]

ऐतिहासिक दस सूत्रीय दिल्ली घोषणा [27नवम्बर, 1986]

सोवियत महासचिव मिखाइल एम0गोर्बाचेव तथा भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के मध्य 27नवम्बर, 1986 को अहिंसात्मक तथा आणविक अस्त्रों से मुक्त विश्व की कल्पना को साकार रूप देने के लिए दस सूत्रीय कार्यक्रम पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए जिसे "दिल्ली-घोषणा" की संज्ञा दी गई । प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने इसे गाँधी जी और लेनिन के आदर्शों की अभिव्यक्ति बताया । 'दिल्ली-घोषणा' के प्रावधानों के अन्तर्गत यह कहा गया कि -आज मानवता इतिहास के निर्णायक बिन्दु पर खड़ी है । आणविक अस्त्रों के सृजन ने मानव और पृथ्वी पर जीवन के सन्दर्भ में प्रश्नचिन्ह लगा दिया है । इस आणविक युग में मानवता को उस नयी राजनैतिक विचारधारा तथा नए स्वरूप के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए जिसमें मानवता के जीवन की प्रतिश्रुति हो । जनता सुरक्षित तथा न्यायपूर्ण विश्व में रहना चाहती है । अतः तनावपूर्ण विश्व परिस्थिति को परिवर्तित करना तथा भय, हिंसा और सन्देह से मुक्त आणविक-शस्त्र रहित विश्व का निर्माण करना परम आवश्यक है ।

---

47. प्रेस विज्ञप्ति, भारत में सोवियत सूचना विभाग द्वारा, नई दिल्ली, 27नवम्बर, 1986.

वर्तमान विश्व की माँग है कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाये और प्रत्येक राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा शान्ति के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए । शक्ति प्रयोग अथवा शक्ति प्रयोग के आतंक को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के उसके सामाजिक,राजनैतिक तथा विचारधाराओं के चुनाव के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए । शोषणवादी नीतियों का त्याग किया जाना चाहिए ।

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सार्वभौमिक मानदण्ड बनना चाहिए । आणविक युग में यह आवश्यक है कि तनावपूर्ण स्थिति तथा झगड़ों को सैन्य साधन की अपेक्षा शान्तिपूर्ण राजनैतिक साधनों से सुलझाया जाना चाहिए ।

मानवीय संसाधनों का प्रयोग भू-मण्डलीय समस्याओं जैसे खाद्य संकट, जनसंख्या वृद्धि अशिक्षा आदि को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए। विश्व महासागर भी अन्तरिक्ष की तरह मानवता की समान सम्पत्ति है । शस्त्र दौड़ की समाप्ति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक उचित स्थितियाँ उत्पन्न करेगी ।

सम्पूर्ण विश्व एक है और इसकी सुरक्षा अविभाज्य है । पूर्व-पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सामाजिक व्यवस्थाएं सन्दर्भहीन हैं । विचारधाराओं धर्मों तथा जातियों को निःशस्त्रीकरण तथा विकास के प्रति समान प्रतिबद्धता में सम्मिलित होना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिभूति आणविक निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में उचित एवं प्रभावकारी साधनों को अपनाकर तथा क्षेत्रीय

संघर्षों के राजनैतिक समाधान के लिए शान्तिपूर्ण वार्ताओं तथा राजनैतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षेत्र में सहयोग की नीति के द्वारा दी जा सकती है ।

आणविक अस्त्र रहित तथा अहिंसात्मक विश्व की आवश्यकता शीघ्र निःशस्त्रीकरण की कार्यवाही है । यह निम्नलिखित समझौतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है -

§1§ इस शताब्दी के अन्त तक आणविक शस्त्रागार की समाप्ति

§2§ बाह्य अन्तरिक्ष से आणविक अस्त्रों की समाप्ति

§3§ सभी आणविक अस्त्र परीक्षण पर प्रतिबन्ध,

§4§ जनसंहार के लिए नए प्रकार के अस्त्रों के विकास पर प्रतिबन्ध

§5§ रासायनिक अस्त्रों पर प्रतिबन्ध,तथा

§6§ पारम्परिक शस्त्रों तथा सेनाओं में कमी ।

आणविक अस्त्र रहित अहिंसात्मक विश्व के लिए दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी रूपान्तरण की आवश्यकता है जिसके लिए जनशिक्षा तथा शान्ति, सहनशीलता एवं पारस्परिक सम्मान आवश्यक है ।

मानवता के लिए आणविक अस्त्रों का निर्माण घातक है, परन्तु शान्तिप्रिय देशों, राजनैतिक दलों तथा जनसंगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास जैसे कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शान्ति प्रस्ताव, छः राष्ट्रों के शान्ति प्रस्ताव आदि के द्वारा आशा एवं उत्साह का संचार होता है परन्तु आवश्यकता निर्णायक तथा शीघ्र कार्यवाही की है ।

अतः मानवता के सन्तुलित विकास के लिए सभी राष्ट्रों को संस्कृति, कला,विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सम्मिलित प्रयास करके विश्व को

नवीन दिशा देनी चाहिए । आणविक अस्त्र रहित विश्व इन सभी सम्भावनाओं के विकास के लिए नए अवसर प्रदान करेगा ।[48]

<u>भारत - सोवियत संयुक्त वक्तव्य :</u>

27 नवम्बर, 1986 को दोनों नेताओं द्वारा संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए ।

दोनों पक्षों द्वारा भारत-सोवियत सन्धि के 15 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत होने पर सन्तोष व्यक्त किया गया तथा परिवर्तित विश्व परिस्थिति के सन्दर्भ में पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग की भावना में वृद्धि के लिए मैत्री, शान्ति तथा सहयोग की सन्धि को महत्वपूर्ण बताया गया ।

नियोजित तथा दीर्घकालीन आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी सहयोग के बहुमुखी विकास पर सन्तोष प्रकट किया गया । वर्ष 1985 मई में हुए दीर्घकालीन समझौते द्वारा सहयोग की सीमाएँ विस्तृत करने में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान पर दोनों पक्षों ने प्रकाश डालते हुए एक आर्थिक तथा तकनीकी समझौता किया । सहयोग के विकास के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किए -

{1} टेहरी हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण के लिए,

{2} बोकारो स्टील प्लान्ट के पुनर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण के लिए,

{3} झरिया कोयला क्षेत्र में चार भूमिगत कोयला खानों के विकास के लिए

{4} प0बंगाल में हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए ।

---

48. डॉयलॉग बिटवीन ट्रस्टेड फ्रेन्ड्स - ऑफिशियल फ्रेन्डली विजिट बाई गोर्बाचोव टू इण्डिया - एलाइड पब्लिशर्स प्रा0लिमिटेड, नई दिल्ली-1986,पृ0 32

इसके अतिरिक्त भारत को सोवियत संघ द्वारा लगभग 2000 करोड़ रु० की सहायता इस्पात और ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए दी गई ।

पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए तथा संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए बल दिया गया ।

दोनों देशों में एक-दूसरे के उत्सव तथा समारोह के आयोजन के लिए समझौते में प्रावधान किया गया तथा विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास पर बल दिया गया ।

भारतीय पक्ष द्वारा अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सैनिक सहायता के सम्बन्ध में सोवियत पक्ष को जानकारी दी गई । सोवियत पक्ष द्वारा एशियाई महाद्वीप में शान्ति तथा स्थिरता के लिए दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के मध्य सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने पर बल दिया गया ।

आतंकवाद के विषय में चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी आतंकवादी गतिविधियों का विरोध किया गया चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो अथवा संगठनों एवं राष्ट्रों के माध्यम से हो ।

सोवियत पक्ष द्वारा भारतीय पक्ष को रिक्जाविक में हुई सोवियत-अमेरिकन शिखरवार्ता के विषय में सूचित किया गया ।

भारतीय पक्ष द्वारा आर्थिक क्षेत्र में दी गई सर्वाधिक सोवियत सहायता को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए सोवियत सम्बन्धों में नयी सम्भावनाओं की खोज पर बल दिया गया ।[49]

---

49. इण्डियन एक्सप्रेस, 28नवम्बर, 1986.

यात्रा के अन्त में सोवियत महासचिव गोर्बाचोव ने यात्रा को भारत – सोवियत सम्बन्धों में युगान्तरकारी घटना बताया ।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा यात्रा को भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों के मध्य मील का पत्थर की संज्ञा दी गई । उन्होंने कहा कि – "सोवियत संघ के साथ भारत को सहयोग के क्षेत्र में हुए सौहार्द्रपूर्ण अनुभवों ने पारस्परिक द्विपक्षीय सहयोग को उच्च गुणात्मक स्तर प्रदान किया है ।"[50]

इस प्रकार सोवियत नेता की यात्रा ने भारत को आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के साथ-साथ उसके शान्ति प्रयासों को 'दिल्ली-घोषणा' के रूप में दृढ़ समर्थन दिया ।

नई दिल्ली में सोवियत नेता अनातोली दोबरियनिन तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मध्य मई, 1987 में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में शस्त्रों की आपूर्ति के सम्बन्ध में वार्ता की गई । सोवियत नेता ने अमेरिका को शस्त्र सहायता के मूल्य पर दी जा रही पाकिस्तान में अड्डे बनाने की सुविधा पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भारत-पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों को इसने बाधक बताया ।

अफगान प्रश्न पर जानकारी देते हुए सोवियत नेता ने बताया कि सोवियत सेनाओं की शीघ्र वापसी सम्भव नहीं है तथापि अफगानिस्तान सरकार की सलाह से निश्चित किया गया 18 महीने का समय सेनाओं की वापसी के लिए उचित है ।[51]

---

50. स्टेट्समैन, 3 दिसम्बर, 1986.

51. टाइम्स आफ इण्डिया, 22 मई, 1987.

सोवियत राजनीति में यह काल परिवर्तनों की ओर अग्रसर हो रहा था । सोवियत महासचिव गोर्बाचोव द्वारा पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त की नीति का प्रतिपादन किया गया । इस 'उदारवादी खुलेपन' की प्रक्रिया से सोवियत राजनीति में आधारभूत परिवर्तन होने लगे । रूढ़िपंथी साम्यवादियों द्वारा उदारता और असहमति की प्रक्रिया का विरोध किया जाने लगा । ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में भी सुधारवाद का दृढ़ समर्थन करते हुए गोर्बाचोव ने भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे ।

1अक्टूबर,1988 को ऐतिहासिक राजनैतिक उथल-पुथल के बाद सोवियत महासचिव गोर्बाचोव को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया । सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव तथा सोवियत राष्ट्रपति दोनों पद प्राप्त होने के कारण गोर्बाचोव को देश की राजनैतिक व्यवस्था में सुधार करने के अधिकारों में वृद्धि हुई ।

गोर्बाचोव की पुनः भारत यात्रा :

सोवियत राष्ट्रपति के पदग्रहण के पश्चात् गोर्बाचोव तीन दिवसीय भारत-यात्रा पर 18नवम्बर,1988 को आये । शान्ति,निःशस्त्रीकरण तथा विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्दिरा गाँधी पुरस्कार तथा भारत में सोवियत महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेने के लिए आये. सोवियत नेता की इस यात्रा ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम खोले । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह था कि भारत पहला देश था जिसकी यात्रा पर दुबारा गोर्बाचोव आए । उनकी दोबारा भारत यात्रा वस्तुतः भारत-सोवियत सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का स्पष्ट संकेत था ।

राष्ट्रपति वेंकटरामन द्वारा पुरस्कार ग्रहण समारोह में कहा गया - "श्री गोर्बाचोव ने ऐसे विचारों और कार्यों का सूत्रपात किया है जो विश्व को संघर्ष, हिंसा और विध्वंस के जाल से निकाल सकते हैं । उनका यह प्रयत्न राजनीति नहीं सम्पूर्ण दर्शन है ।"

प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा सोवियत नेता के राजनैतिक सुधारों के समर्थन में कहा गया - "राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन लाकर गोर्बाचोव ने सम्पूर्ण विश्व को परम्परा से हटकर सोचने के लिए प्रेरित किया है ।"[52]

प्रत्युत्तर में गोर्बाचोव ने भारत के शान्ति प्रयासों की सराहना करते हुए कहा - "सोवियत संघ इस सुझाव से पूर्णतः सहमत है कि परमाणु शस्त्र प्रयोग करने की धमकी को पूर्णतः प्रतिबन्धित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाये । मानव जाति एवं सम्पदा को बचाने के लिए आवश्यक है कि बदलते परिवेश एवं मनोवृत्ति का लाभ उठाकर स्थाई आर्थिक एवं राजनैतिक सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जाये ।"[53]

तीन दिवसीय यात्रा के अन्त में दोनों देशों के नेताओं द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र को मिलाकर कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए । सोवियतसंघ द्वारा भारत को 51 अरब 20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई । यह दोनों देशों के बीच अब तक की सर्वाधिक सहायता राशि का समझौता था ।

---

52. नवभारत टाइम्स, 20नवम्बर, 1988.

53. नवभारत टाइम्स, 20नवम्बर, 1988.

<u>भारत - सोवियत संयुक्त वक्तव्य :</u>

20नवम्बर,1988 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए ।

दोनों पक्षों द्वारा दिल्ली घोषणा के प्रति सम्पूर्ण विश्व की आशाजनक प्रतिक्रिया पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि दिल्ली घोषणा ने वस्तुत: दोनों देशों के भूराजीय प्रश्न तथा मानवता के भविष्य के प्रति समान विचारों को प्रकट किया है । पिछले दो वर्षों में हुए अफगान समस्या पर जेनेवा समझौता,ईरान-ईराक में युद्धबन्दी, दक्षिण-पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा अन्य भागों में हो रहे संघर्षों के समाधान के लिए रचनात्मक प्रयासों ने दिल्ली घोषणा की समयोचित आवश्यकता को प्रदर्शित किया है ।

नि:शस्त्रीकरण विशेषकर आणविक नि:शस्त्रीकरण को सभी राष्ट्रों की प्राथमिकता बताया गया । आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर शीघ्र प्रतिबन्ध, बाह्य अन्तरिक्ष में शस्त्रों की दौड़ की समाप्ति, तथा सामरिकमहत्व के आणविक शस्त्रों में 50 प्रतिशत की कटौती द्वारा मानवता को विनाश से बचाये जा सकने के प्रयास में प्रभावकारी कदम उठाने पर बल दिया गया । आणविक शस्त्रों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर प्रतिबन्ध तथा रासायनिक शस्त्रों को नष्ट करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की माँग की गई ।

अफगानिस्तान समस्या पर हुए जेनेवा समझौते को शीघ्र एवं गम्भीरतापूर्वक लागू करने पर बल दिया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव

से संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के प्रस्ताव को शीघ्र कार्यरूप देने का आग्रह किया गया जिसमें अफगान जनता के निर्णय द्वारा सरकार की स्थापना का प्रावधान था।

पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए माँग की गई ।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ईरान-ईराक संघर्ष में युद्धबन्दी की घोषणा का समर्थन करते हुए दोनों देशों में शीघ्र शान्ति तथा न्याय की स्थापना की कामना व्यक्त की गई ।

कोरिया क्षेत्र में तनाव में कमी को एशिया की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कम्पूचिया समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए दोनों देशों द्वारा सहयोग का प्रस्ताव किया गया ।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए सभी प्रकार के विदेशी सैन्य अड्डों को समाप्त करने तथा अन्य नए अड्डों को न बनने देने का दृढ़ता से समर्थन किया गया । इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के प्रस्ताव के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शीघ्र आयोजन की माँग की गई ।

दोनों पक्षों द्वारा मारीशस को दियागोगर्सिया पर सम्प्रभुता सम्बन्धी न्यायोचित माँग का समर्थन किया गया । दक्षिण अफ्रीका के सन्दर्भ में जातिवाद तथा रंगभेद की नीति के विरोध का समर्थन किया गया तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन द्वारा स्थापित किए गए अफ्रीका कोष के उद्देश्यों की सराहना की गई।

सेन्ट्रल अमेरिका क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति की समाप्ति के लिए न्यायोचित राजनैतिक समाधान की माँग की गई । इस क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र देशों के विरुद्ध सभी प्रकार के दबावों तथा आक्रमण के प्रयत्नों की दोनों देशों द्वारा कटु आलोचना की गई ।

दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि सार्वभौमिक शान्ति और स्थिरता एक स्वस्थ आर्थिक आधार से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को न्यायोचित तथा समान आधार पर आधारित होना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व की तनावपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावकारी संस्था बताते हुए इसके अन्य अभिकरणों के प्रति आशा व्यक्त की गई कि विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए इन अभिकरणों द्वारा सतत् प्रयास किए जायेंगे ।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की रचनात्मक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के तनावों में कमी तथा शान्ति, नि:शस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण बताया गया ।

अन्त में दोनों पक्षों द्वारा दोनों देशों के मध्य राजनयिक तथा उच्चस्तर के सम्पर्कों को आवश्यक बताते हुए भारत-सोवियत मैत्री तथा सद्भावपूर्ण सम्बन्धों की प्रगाढ़ता में निरन्तर वृद्धि के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया गया।[54]

विभिन्न समझौते :

पारस्परिक सम्बन्धों के सहयोग में विस्तार के लिए वर्ष 1986 में एक आर्थिक तथा तकनीकी समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत परियोजनाओं के पुर्नर्निर्माण तथा आधुनिकीकरण का प्रावधान था । आर्थिक क्षेत्र में 2000करोड़ रु0 की सहायता दी गई ।

वर्ष 1987 में विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में वर्ष 2000 तक के लिए

---

54. नेशनल हेराल्ड, 21 नवम्बर,1988.

दीर्घकालीन एवं विस्तृत समझौता किया गया । इस समझौते ने वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

वर्ष 1988 में किए गए समझौते ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता 91 अरब 20करोड़ रुपये की दी । इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए दोहरे कराधान की व्यवस्था की समाप्ति की गई । इस समझौते के अन्तर्गत व्यापार लाभ पर दूसरे देश में तभी कर लगेगा जब उस देश में व्यापार करने वाली संस्था की कोई स्थाई शाखा कार्यालय या प्रबन्ध व्यवस्था हो ।

समझौते के अन्तर्गत दोनों देश परस्पर हवाई यात्रा के क्षेत्र में मुनाफा नहीं लेंगे । जहाजरानी के क्षेत्र में लाभ के बारे में यह प्रावधान किया गया कि द्विपक्षीय व्यापार के मामले में निर्यातक देश में आय को करमुक्त किया जायेगा । किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में दोनों ओर से कर में दो-तिहाई छूट दी जायेगी । लाभांश, ब्याज, रायल्टी और तकनीकी सेवा से होने वाली आय में निर्यातक देश में समझौते के तहत निर्धारित छूट की दर पर कर लगाया जायेगा ।

भारतीय निजी कम्पनियों को सीधे व्यापार करने और कार्यालय खोलने की सुविधा दी गई ।

सोवियत संघ द्वारा विंध्याचल ताप विद्युतघर के लिए 6•40 अरब रुपये की सहायता दी गई । अन्तरिक्ष विज्ञान,तकनीकी तथा सुदूर संवेदन प्रणाली आदि क्षेत्रों में आपसी-सहयोग के अतिरिक्त वायुमण्डल में की जा रही खोजों तथा अन्तरिक्ष से पर्यावरण सम्बन्धी खोजों में आपसी सहयोग का प्रावधान

किया गया ।

सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में सहयोग के विकास के लिए वर्ष 1989-90 के लिए नया समझौता किया गया । समझौते में ग्रन्थों के प्रकाशन तथा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने तथा वैज्ञानिक अनुवाद की विधि के अध्ययन का प्रावधान किया गया ।

इस प्रकार वर्ष 1988 की राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के समझौतों एवं यात्राओं के द्वारा भारत-सोवियत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विकास के नवीन आयाम दिए ।

राजनैतिक क्षेत्र में दोनों देशों में नेतृत्व परिवर्तन ने सुधारवाद का अभियान प्रारम्भ किया । भारतीय राजनीति में युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत की कल्पना की तो सोवियत राजनीति में महासचिव एवं राष्ट्रपति दोनों पदों को एक साथ संभालने वाले गोर्बाचोव ने 'पेरेस्त्रोइका-ग्लासनोस्त' की नवीन शुरुवात की । सोवियत संघ की कट्टरपंथी साम्यवादी संरचना के अस्तित्व को नकार कर उदारवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया को लाने के प्रयास ने गोर्बाचोव को युगपुरुष बनाया । राजनीति में अर्थहीन परम्पराओं को अस्वीकार करके नवीन चेतना और दृष्टिकोण को अपना कर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को विस्तृत एवं सुधारवादी मानसिकता का परिचय दिया और इसी विस्तृत मानसिकता की समानता ने दोनों नेताओं के मध्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर सहमति के अवसर प्रदान किए । परिणामस्वरूप विश्व राजनीति के रंगमंच पर दोनों देशों के सम्बन्ध प्रगाढ़ होते गए । इसमें विभिन्न समय पर होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक समझौतों ने

सम्बन्धों के विकास को गहराई तक प्रभावित किया । आर्थिक विकास में दी जाने वाली सहायता में निरन्तर वृद्धि स्वाभाविक रूप से इस तथ्य का सूचक है कि राजनैतिक रूप से दोनों देश के सम्बन्ध कितने प्रगाढ़ हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आन्तरिक राजनीति के सुधारात्मक परिवर्तनों के कारण दोनों देशों की विदेशनीतियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि पारस्परिक सम्बन्धों के उत्तरोत्तर विकास की सम्भावनाओं की खोज पर बल दिया गया । शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन ने भी दोनों देशों की विदेशनीतियों में परिवर्तन का कोई संकेत नहीं दिया । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए अपनाये गए समान विचारों से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देश विदेश नीति के स्तर पर भी समान दृष्टिकोण रखते हैं।

विचारों में असमानता प्राय: संघर्ष की स्थिति को तब जन्म देती है, जब उसमें स्वार्थों की प्रधानता होती है परन्तु भारत तथा सोवियत विदेश नीति ने विभिन्न घटनाओं के माध्यम से न केवल पारस्परिक सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया वरन् विदेश नीति के आदर्शों और लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया ताकि आदर्श और लक्ष्य मात्र सिद्धान्त रूप में ही न स्थापित रहें ।

वर्ष 1988 के उपरान्त भारत-सोवियत संघ सम्बन्ध :

वर्ष 1988 के उपरान्त दोनों देशों की आन्तरिक परिस्थितियों में शीघ्रता से महत्वपूर्ण परिवर्तन होने प्रारम्भ हो गए ।

भारतीय राजनीति में इस काल में अनेक संवेदनशील समस्यायें विकसित हो रही थी । पंजाब एवं असम समस्या, झारखण्ड एवं बोडो आदि

समस्यायें पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रही थी । विपक्षी दलों द्वारा सत्तारूढ़ दल पर अक्षमता का आरोप लगाया जा रहा था । ऐसे निर्णायक काल में भारत में शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ और जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सत्ता के संचालन का भार सँभाला । जनता दल के संक्षिप्त कार्यकाल के पश्चात् वर्ष 1990 में समाजवादी जनता दल के नेता चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए । वर्ष 1991 के चुनाव में चन्द्रशेखर सरकार के अल्पमत में आ जाने से पुन: कांग्रेस के नेता पी0वी0नरसिंहाराव ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

वर्ष 1989 में सोवियत संघ की आन्तरिक परिस्थितियों में भी सोवियत नेता गोर्बाचोव की पेरोस्त्राइका एवं ग्लास्नोस्त {उदारवादी खुलेपन} की नीति के अन्तर्गत आमूल परिवर्तन प्रारम्भ हो गए । सोवियत संघ की परम्परागत, अनुदार राजनीति में परिवर्तन के स्वर तीव्रता से मुखरित होने लगे । 15गणराज्यों से मिलकर बने सोवियत संघ में, गणराज्यों के पृथक होने तथा स्वायत्तता प्राप्ति की माँग होने लगी । गोर्बाचोव ने गणराज्यों से सोवियत संघ को प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्यों का एक महासंघ बनाये रखने की अपील की तथा यह विकल्प रखा कि वे देश के नाम से'सोवियत सोशलिस्ट' हटाकर नया नाम'यूनियन आफ सोवरिन इक्वल रिपब्लिक्स' रखें जिससे कि उन्हें अपनी प्रभुसत्ता का आभास हो परन्तु 15 में से 7 गणराज्यों ने इस प्रस्ताव को भी नकार कर अपने अलगाववादी रुख को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया । गोर्बाचोव को लोकतंत्र समर्थकों तथा दक्षिणपंथियों के निरन्तर दबाव का सामना करना पड़ा । लोकतंत्रवादी जहाँ यह चाहते थे कि गणराज्यों को स्वतंत्र किया

किया जाये, वहीं दक्षिणपंथी इसके विरुद्ध थे ।[54] इस प्रकार गोर्बाचोव को उनकी नीति के कारण आर्थिक और घरेलू राजनैतिक मोर्चे पर अनेक तनावपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा । गोर्बाचोव के प्रबल विरोधी के रूप में रूसी गणराज्य के शक्तिशाली नेता बेरिस येल्तसिन ने गोर्बाचोव की नीतियों की कटु आलोचना करते हुए उनसे त्यागपत्र की माँग की । 19अगस्त, 1991 को गोर्बाचोव को आन्तरिक संघर्षपूर्ण स्थितियों के कारण सत्तात्याग करना पड़ा । 19अगस्त से 22अगस्त, 1991 तक का समय कई क्रान्तिकारी परिवर्तनों को लाया । गोर्बाचोव के सत्ता त्याग तथा 15 सोवियत गणराज्यों में से 7 गणराज्यों - 3बाल्टिक गणराज्य, रूस, आर्मेनिया, जार्जिया तथा बेलोरूसिया द्वारा स्वाधीनता की घोषणा के साथ ही सोवियत साम्राज्य के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया । सोवियत संघ के साम्यवादी दल को भंग कर दिए जाने से गणराज्यों के मध्य एकता के सूत्र की स्थाई रूप से समाप्ति हो गई ।[55]

इस प्रकार बहुराष्ट्रीय और बहुधर्मी सोवियत संघ वर्ष 1989 से चली आ रही आन्तरिक राजनैतिक एवं आर्थिक कलह की परिणति सोवियत साम्राज्य के विघटन में हुई ।

इस ऐतिहासिक बदलाव के क्रम में भारत-सोवियत सम्बन्धों का आकलन महत्वपूर्ण है ।

फरवरी, 1990 में विदेश सचिव एस0के0सिंह की मास्को यात्रा के दौरान भारत-पाक के मध्य कश्मीर समस्या के सन्दर्भ में सोवियत विदेश

---

54. इण्डिया टुडे - 15फरवरी, 1990, पृष्ठ-16 एवं दैनिक जागरण- सोवियत साम्राज्य की परीक्षा की घड़ी - 16मार्च, 1991.
55. कम्पटीशन सक्सेस रिव्यू, अक्टूबर 1991, पृष्ठ- 24.

उपमंत्री यूली वोरोन्सोव ने कहा-"हम भारत के साथ है परन्तु हमें पूरा विश्वास है कि भारत-पाक तनाव युद्ध का रूप नहीं लेगा।" इस सन्दर्भ में सोवियत संघ में भारतीय राजदूत अल्फ्रेड गोंजाल्वेस के अनुसार-"यह सच है कि विदेश नीति में वहाँ काफी बदलाव हुए हैं, पर मेरा मानना है कि यदि भारत-सोवियत सम्बन्धों को कसौटी पर परखा जाये तो उनमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा।" सोवियत विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया के निदेशक ओलेग बोस्तोरिन के अनुसार,"पश्चिमी देशों से सम्बन्ध बढ़ाने का काम भारत के मूल्य नहीं होगा। हमारे देश में भारत-सोवियत नीति भी राष्ट्रीय नीति है।' इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थितियों में भी भारत के प्रति सोवियत नीति में परिवर्तन न आना वास्तव में दोनों देशों के सम्बन्धों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है।[56]

जुलाई,1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की मास्को यात्रा ने दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय आर्थिक सन्धि पर हस्ताक्षर करने, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग वृद्धि तथा शान्ति, मैत्री एवं सहयोग की सन्धि के नवीनीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। दोनों देशों की संयुक्त घोषणा में न्याय और समानता के सिद्धान्तों पर आधारित नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना को आवश्यक बताते हुए आणविक अस्त्रों से मुक्त अहिंसात्मक विश्व की कल्पना को साकार करने के प्रयासों में शीघ्रता लाने पर बल दिया गया तथा 1991 में किए जाने वाले व्यापारिक समझौते पर सहमति दी गई।[57]

---

56. इण्डिया टुडे - फरवरी 1990 - शेखर गुप्ता - भारत-सोवियत रिश्ते मजबूत गाँठ - पृष्ठ 22-23.
57. इण्डियन एक्सप्रेस 22 जुलाई, 1990.

इसके अतिरिक्त सूचना के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ ।

द्विपक्षीय समझौतों के अतिरिक्त सोवियत नेताओं द्वारा सोवियत संघ, चीन तथा भारत तथा सोवियत संघ, प०जर्मनी तथा भारत के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए ।[58] सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव द्वारा भारत यात्रा का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा गया, "विश्व में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सन्दर्भ में सोवियत संघ और भारत द्वारा हितों की समानता के आधार पर पारस्परिक सहयोग एवं समझ की भावना का प्रदर्शन किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देश समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में समान विचार रखते हैं ।[59]

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दोनों देशों के सम्बन्धों को परिवर्तनों एवं समस्याओं से अप्रभावित बताते हुए सुदृढ़ ऐतिहासिक प्रक्रिया पर आधारित बताया । अगस्त, 1990 में भारत एवं सोवियत संघ के मध्य तेल अनुसन्धान के क्षेत्र में समझौता हुआ । दिसम्बर, 1990 में सोवियत संघ में आर्थिक तथा खाद्यान्न संकटकाल उत्पन्न होने से भारत द्वारा आपातकालीन सहायता का प्रावधान कारण दोनों देशों के सम्बन्धों को दृढ़ करने में सहायक हुआ ।[60]

8अगस्त, 1991 में भारत-सोवियत शान्ति मैत्री और सहयोग की सन्धि को वर्ष 2001 के लिए विस्तृत किया गया । इसी वर्ष 29 अगस्त को सोवियत क्षेत्र से भारत का दूसरा संवेदनशील उपग्रह छोड़ा गया ।[61]

---

58. फ्रन्टलाइन - अगस्त 4-17, 1990. पृ० 9.
59. इण्डियन एक्सप्रेस - 27 जुलाई, 1990.
60. इण्डियन एक्सप्रेस - 13दिसम्बर, 1990.
61. कान्फ्टीशन सलेक्ट रिव्यू - अक्टूबर, 1991, पृष्ठ 22.

17 से 19अगस्त,1991 में राजकीय यात्रा पर उज्बेकिस्तान के अध्यक्ष भारत आए । इस यात्रा के दौरान आर्थिक एवं सांस्कृतिक दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए ।[62]

वर्तमान स्थिति में सोवियत संघ के विभाजन हो जाने से पारस्परिक हितों और सम्बन्धों को नए मूल्यांकन के आधार की आवश्यकता है। तीव्रता से बदलती हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में नीति में अनुकूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने आशा व्यक्त की कि नई दिल्ली द्वारा रूसी गणराज्य को राजनैतिक मान्यता दिए जाने से नवीन सम्बन्धों का सूत्रपात होगा।[63]

भारत और नए रूसी संघ ने पहली व्यापार सन्धि में 1992 का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये रखा । इस सन्धि के अन्तर्गत भुगतान रुपये में होगा । दोनों देश प्रमुख मुद्राओं में भी व्यापार कर सकते हैं और सामान का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है । रूस भारत को कच्चा तेल, पालिएथीलीन, सिंथेटिक रबर और अखबारी कागज देगा । भारत रूस को चाय, काफी, वस्त्र, कालीमिर्च, सोयाबीन उत्पाद, दवा, डिटर्जेंट तथा प्लास्टिक आदि का सामान निर्यात करेगा ।

इसके अतिरिक्त कज़ाकिस्तान के साथ भारत ने दूतावास स्तर के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने सहित चार अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए । इस समझौते से कज़ाकिस्तान रूसी गणराज्य के बाद नवगठित राष्ट्रकुल का ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसके साथ भारत के प्रत्यक्ष राजनयिक सम्बन्ध

---

62. सोवियत भूमि - अक्टूबर,1991.
63. काम्पटीशन मास्टर जनवरी,1992, पृष्ठ 389.

स्थापित हुए हैं । पाँचवा समझौता आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से सम्बन्धित है ।[64]

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर गम्भीर समस्याओं का सामना करते हुए भी भारत एवं पूर्व सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में सहयोग तथा आदान प्रदान का क्रम जारी है । सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट आने के कारण रूसी संघ के नेतृत्व में भी मतभेद सामने आ रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति येल्तसिन की आर्थिक सुधार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है । रूस और अन्य पूर्व - सोवियत गणतंत्रों का समाजवाद से मुक्त अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति की जटिलता बढ़ती जा रही है । भारत के आन्तरिक परिदृश्य में भी आतंकवाद तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण जटिलतायें उत्पन्न हो रही हैं । अतः आवश्यकता है कि वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन लाया जाये ।

0000000
00000
000
0

---

64. सिविल सर्विसेज क्रानिकल - अप्रैल 1992, पृष्ठ-30.

पंचम अध्याय

भारतीय विदेश नीति - उद्देश्य, निर्णायक तत्व, एवं सिद्धान्त :

वर्तमान युग पारस्परिक अन्तर्निर्भरता का युग है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में कोई भी देश दूसरे देश से पृथक नहीं रह सकता। उसे दूसरे देश से सम्यक् सम्बन्ध स्थापित करके विकास की दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। अतः प्रत्येक देश अपनी गृहनीति के साथ वैदेशिक नीति का भी निर्माण करता है। विश्व राजनीति का संचालन विभिन्न देशों की वैदेशिक नीतियों से होता है। विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध दो देशों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व पराधीन भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं थी। भारतीय नेता अखिल भारतीय काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में प्रस्तावों के रूप में विश्व राजनैतिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। खिलाफत आन्दोलन के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए। जैसे भारत उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करेगा, पराधीन राष्ट्रों के स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता देगा, विश्व शान्ति के लिए प्रयत्न करेगा तथा प्रजाति भेद की नीति का विरोध करते हुए अन्य राष्ट्रों से सहयोग करेगा।

वर्ष 1930 में काँग्रेस में विदेश नीति का पृथक विभाग बन जाने से काँग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर स्वतंत्र प्रतिक्रियायें व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया।

उद्देश्य :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रधानमंत्री पं० नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का सृजन हुआ । पं० नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधार स्तम्भ शान्ति, मित्रता और समानता को सर्वाधिक महत्व दिया । भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आदर्श अथवा उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

§1§ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना

§2§ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति को प्रत्येक सम्भव उपाय से प्रोत्साहन देना,

§3§ सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना

§4§ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में सन्धियों के पालन के प्रति आस्था रखना

§5§ सैनिक गुटबन्दियों और सैनिक समझौतों से अपने आपको पृथक रखना तथा ऐसी गुटबन्दी को प्रोत्साहन नहीं देना

§6§ उपनिवेशवाद का चाहे वह किसी रूप में हो, उग्र विरोध करना

§7§ प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना

§8§ उपनिवेशवाद,जातिवाद तथा साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों की सक्रिय सहायता करना ।

निर्णायक तत्व :

किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में अनेक तत्वों का समावेश होता है । समय एवं परिस्थितियों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों

पर इन तत्वों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, फलतः विदेश नीति में विभिन्न उतार-चढ़ाव परिलक्षित होते हैं ।

ऐतिहासिक परम्पराओं, भौगोलिक स्थिति और अतीत काल के अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावकारी तत्व रहे हैं ।[1]

उपरोक्त कथन को निम्नलिखित निर्णायक तत्वों के प्रकाश में देखा जा सकता है -

(1) भौगोलिक तत्व :

किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का प्रमुख स्थान होता है । भौगोलिक सीमायें देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए पारस्परिक सम्बन्धों का भी निर्धारण करती हैं ।

भारत की सीमा पूर्व में बांग्लादेश, बर्मा तथा पश्चिम में पाकिस्तान से मिली हुई है । उत्तरी सीमा पर साम्यवादी गुट के दो देश सोवियत संघ और चीन समीप हैं जबकि दक्षिणी सीमा पर श्रीलंका पड़ोसी देश है।

अतः इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए उचित था कि वह सभी पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखे ।

(2) ऐतिहासिक परम्परायें :

भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परम्पराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । प्राचीनकाल से ही शान्तिप्रिय नीति का

---

1. वी०पी०दत्त, इण्डियाज फॉरेन पालिसी - विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि० नई दिल्ली 1984 पृष्ठ-3.

अनुसरण करके भारत ने विभिन्न देशों से मधुर सम्बन्ध स्थापित किए। शान्तिकाल में सर्वाधिक प्रगति सम्भव है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारकों द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराओं का पालन किया गया।

[3] विचार धाराओं का प्रभाव :

भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शान्ति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी के जिन सिद्धान्तों ने ब्रिटिश शासन की पराधीनता से भारत को स्वतंत्र कराया उनका प्रभाव विदेश नीति के सृजन पर पड़ना स्वाभाविक था।

[4] सैनिक तत्व :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अतः नीति निर्धारकों को दुर्बल सैनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति का प्रतिपादन करना था जिससे विश्व की अन्य सभी महत्व-पूर्ण शक्तियों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकें।

[5] आर्थिक तत्व :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक संरचना के विकास के लिए भारत को अधिकतम विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक थे। पूर्वी व पश्चिमी गुट से अलग रहने के कारण उसे दोनों महाशक्तियों से आर्थिक तथा तकनीकी सहायता मिलने की सम्भावना अधिक थी। अतः विदेशनीति निर्माताओं ने वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में किसी एक राष्ट्र के प्रति विदेश नीति को उन्मुख नहीं किया।

§6§ गुटबन्दियों का प्रभाव :

स्वाधीनता प्राप्ति के समय विश्व दो गुटों में विभाजित था । पूर्वी गुट के प्रमुख सोवियत संघ और पश्चिमी गुट के प्रमुख अमेरिका के मध्य साम्यवादी और पूँजीवादी विचारधाराओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर तनाव बढ़ने से शीतयुद्ध की स्थिति प्रारम्भ हो गई थी । नवस्वातंत्र्य भारत के लिए उचित नहीं था कि वह किसी गुट में सम्मिलित होता । अतः नीति निर्माताओं ने भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्षता का स्वरूप प्रदान किया ।

§7§ राष्ट्रीय हित :

किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण मात्र आदर्शों से नहीं होता । पारस्परिक सम्बन्धों के संचालन के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय हित को भी प्रधानता दी जाये । राष्ट्रीय हित वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं । 14दिसम्बर,1947 को संविधान सभा में पं0 नेहरू ने राष्ट्रीय हित को प्रबलतम आधार स्वीकार करते हुए कहा था-" हम चाहे कोई भी नीति निर्धारित करें किन्तु देश की वैदेशिक नीति से सम्बन्धित व्यक्ति की होशियारी राष्ट्र-हित को सुरक्षित रखने में ही निहित है । हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भावना की बात करें और अपनी आस्थाओं पर पूरी निष्ठा रखें लेकिन वास्तविकता यह है कि हर एक सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता और सर्वोपरिता देगी । कोई भी सरकार ऐसे आचरण का खतरा नहीं उठा सकती जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हो । अतः किसी भी राष्ट्र का,चाहे वह राष्ट्र साम्राज्यवादी हो, समाजवादी अथवा साम्यवादी हो, विदेशमंत्री अपनी नीति आचरण में निरन्तर राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देगा ।"[2]

---

2. पं0जवाहरलाल नेहरू - इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी,सेलेक्टेड स्पीचेज 1946से1961 प्रकाशन विभाग,नई दिल्ली 1961, पृष्ठ-18.

(8) पं0नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव :

भारत की विदेश नीति पर प्रथम प्रधानमंत्री पं0नेहरू के बहुमुखी व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी । उन्होंने भारत की विदेश नीति की नींव डाली । पं0नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा फासीवाद के प्रबल विरोधी थे तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने के समर्थक थे । वह महाशक्तियों के संदर्भ में भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे ।

तत्कालीन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पं0 नेहरू के विचार भारत की विदेश नीति में साकार हुए ।

भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों तथा निर्णायक तत्वों के साथ कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया । विदेश नीति के निर्माता पं0 नेहरू ने निम्नलिखित मूलभूत सिद्धान्तों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पृथक एवं स्वतंत्र नीति का परिचय दिया -

1- गुटनिरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जाता है । इस नीति के अन्तर्गत विश्व राजनीति के दो विरोधी गुटों में किसी का भी साथ न देकर तनाव में कमी करना था । किसी गुट विशेष का साथ देने में स्वनिर्णय और विचार की स्वतंत्रता को खोना पड़ता जो किसी भी दृष्टिकोण से भारत के लिए उचित नहीं था । अतः वैदेशिक स्तर पर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर भारत ने सभी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध स्थापित किए ।

2- भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व-शान्ति की समर्थक रही है। भारतीय नीति निर्माताओं ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों से अनुभव किया कि युद्ध और संघर्ष नवस्वातंत्र्य भारत के आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को अवरुद्ध कर सकता है, अत: विदेश नीति के सृजन में विश्वशान्ति को प्राथमिकता दी गई। शान्तिवादी नीति की घोषणा करते हुए पं0नेहरू ने कहा-"हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोके, दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति बचाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाय तो हम रोकने में समर्थ हो सकें।"[3]

विश्व शान्ति के लिए भारत द्वारा कई रचनात्मक प्रयास किए गए। नि:शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भारत ने सर्वप्रथम आणविक परीक्षण रोक सन्धि पर अविलम्ब हस्ताक्षर करके अपनी शान्तिप्रियता का परिचय दिया।

3- भारत की विदेश नीति मैत्री और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल देती है। नीति निर्धारकों की मान्यता थी कि विश्व में परस्पर विरोधी विचार-धाराओं में सहअस्तित्व की भावना उत्पन्न हो। यदि सहअस्तित्व और मैत्री के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रों से मानवता का विनाश हो जायेगा। पं0नेहरू ने स्पष्ट कहा,-"विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है, हम दूसरों से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शान्ति चाहते हैं। अपना का

---

3. डॉ0एम0के0श्रीवास्तव - भारत की विदेश नीति - साहित्य भवन, आगरा 1987, पृष्ठ-43.

चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते ।"[4]

समय-समय पर की गई भारत-सोवियत शान्ति मैत्री और सहयोग की सन्धि, भारत-नेपाल मैत्री सन्धि, भारत-इराक मैत्री सन्धि, भारत-जापान शान्ति सन्धि, भारत-बांग्लादेश मैत्री सन्धि भारतीय विदेश नीति की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को प्रकट करती है ।

4- विरोधी गुटों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की भारतीय विदेश नीति सदैव पक्षधर रही । अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए विदेश नीति द्वारा सेतुबन्ध का कार्य करने का प्रयास किया गया ।

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि भारतीय विदेश नीति ने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए विश्व शान्ति के लिए उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया । आणविक परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर, नई दिल्ली में छः राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तथा सोवियत संघ के साथ मिलकर निःशस्त्रीकरण की नई दिल्ली घोषणा इत्यादि के उदाहरण भारत की शान्तिप्रियता को प्रदर्शित करते हैं ।

5- भारतीय विदेश नीति द्वारा साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का समर्थन किया गया । अवसरवादिता और अनैतिकता को स्थान नहीं दिया गया ।

साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाली विदेश नीति का उदाहरण ताशकन्द समझौते एवं शिमला समझौते के सन्दर्भ में समझा जा सकता है

---

4. पं0 जे0एल0नेहरू-इण्डियाज फॉरेन पालिसी-सेलेक्टेड स्पीचेज 1946 से 1961 प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 1961.

6- भारत और चीन ने वर्ष 1954 में पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए राष्ट्रों के लिए दूसरे राष्ट्र के साथ आचरण के सम्बन्ध निश्चित किए। पंचशील के सिद्धान्तों ने भारत की विदेश नीति को नयी दिशा प्रदान की। पंचशील के सिद्धान्त निम्नांकित हैं -

(1) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना
(2) अनाक्रमण
(3) एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना
(4) समानता एवं पारस्परिक लाभ
(5) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व

ये सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए निःसन्देह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं। पं0नेहरू ने स्पष्ट कहा-"यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जायेगा। पंचशील के सिद्धान्त आदर्श हैं जिन्हें यथार्थ जीवन में उतारा जाना चाहिए। इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम अन्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं।"[5]

7- भारतीय विदेश नीति ने साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करके समानता और विश्व बन्धुत्व के प्रसार पर बल दिया।

विश्व में जिन देशों में साम्राज्यवाद,उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोधी आन्दोलन हुआ, भारत ने सदैव समर्थन किया।

---

5. डॉ0एन0के0श्रीवास्तव - भारत की विदेश नीति - साहित्य भवन,आगरा 1978, पृष्ठ-53.

ड्डोचीन, स्वेज नहर विवाद, मोरक्को, नामीबिया की परतंत्रता तथा बाद के वर्षों में दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिस पर भारत ने प्रबल विरोध किया ।

8- भारतीय विदेश नीति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की एक प्रमुख, प्रभावशाली एवं न्यायोचित विश्व संस्था माना गया । भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और विशेष अभिकरणों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं । पं०नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था-" हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते ।"[6]

इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों के द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया गया जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि शान्तिप्रिय और स्वतंत्र विचारधारा वाले देश के रूप में निखरी ।

पश्चिमी देशों के प्रति भारत की नीति और सोवियत संघ :

[संयुक्त राज्य अमेरिका के सन्दर्भ में]

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से विश्व इतिहास के एक युग का अन्त हो गया । एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें नए राज्यों और नई महाशक्तियों का उदय हुआ । नवीन प्रभुत्व क्षेत्रों, प्रवृत्तियों एवं सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ । विश्व का नेतृत्व ब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका करने

---

6. पं०जे०एल०नेहरू - इण्डियाज फॉरेन पालिसी - सेलेक्टेड स्पीचेज़ 1946-1961 प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1961, पृष्ठ 173-174.

लगा । अपनी राजनैतिक, भौगोलिक एवं उच्च आर्थिक व्यवस्था के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व-मानचित्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता पृथकतावादी नीति थी परन्तु युद्धोपरान्त अमेरिका ने विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । साम्यवादी रूस में भी विश्व नेतृत्व की महत्वाकांक्षा जाग्रत होने से विश्व राजनीति के मंच पर दो प्रमुख विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी, साम्यवादी तथा पूंजीवादी समूह की संज्ञा दी गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सैद्धान्तिक विचार मतभेद तथा तत्कालीन परिस्थितियों के कारण एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में नवजागरण हुआ । साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों ने पृथक नीति का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया ।

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने गुट निरपेक्षता को प्रमुखता देते हुए उसे अपनी आधारनीति बनाया ।

डॉ0 बलदेव राजनायर के अनुसार, "अमेरिकी विदेश नीति संसार के हर देश को प्रभावित करती है । इसके क्रियान्वयन में मित्रों एवं सहयोगी राष्ट्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिकी काफी दृढ़ और शत्रुओं के साथ निर्मम और क्रूर तक रहा है । तटस्थ राज्यों के प्रति उसका रवैया कठोर रहा है । भारत को अक्सरहा विश्व व्यापी रणनीति का आक्रोश सहना पड़ा है ।"[7]

फलस्वरूप प्रारम्भ से ही भारत और अमेरिकी सम्बन्धों में उतार

---

7. डॉ0बलदेव राजनायर - अमेरिका और भारत - संघर्ष की जड़ें, सं0काशी प्रसाद मिश्र - भारत की विदेश नीति, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1977 पृष्ठ- 319.

चढ़ाव आने प्रारम्भ हो गए । परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितियों के कारण सम्बन्धों में सहयोग तथा असहयोग का दृष्टिकोण समय-समय पर परिलक्षित हुआ । वस्तुत: इन दो देशों के सम्बन्धों और नीतियों को दो मौलिक किन्तु परस्पर विरोधी प्रेरणा स्रोतों की गतिशील अन्तर्क्रिया के सन्दर्भ में समझा जा सकता है । ....अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की सामर्थ्य एक ऐसी स्वतंत्र शक्ति बनने की जो अप्रिय निर्णयों का विरोध करसके, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना का अंग बनने की तथा प्रमुख शक्तियों के साथ विश्व को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदार बनने की महत्वाकांक्षा है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सुनिश्चित नीति रही है, विशेषत: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, कि मित्र या विपक्षी, कोई भी नया शक्ति केन्द्र न बनने पाये । उनका अस्तित्व ही अमेरिका के प्रभाव को घटा देगा और इस प्रकार अमेरिका के उन स्वार्थों और हितों को आघात लगेगा जिनके साथ अमेरिका ने अपनी सफलता और कल्याण जोड़ रखा है।[8]

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, चीन में साम्यवाद की सफलता के पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण एशिया के प्रति स्पष्ट नीति नहीं थी और भारत के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण उदासीनता का था ।[9] परन्तु चीन में साम्यवाद की विजय के पश्चात सम्पूर्ण परिदृश्य परिवर्तित हो गया जिसने भारत के महत्व तथा दक्षिण एशिया के निर्णायक क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान की । प्रो० वैंकटरमानी तथा हरीशचन्द्र आर्य के अनुसार-"अमेरिकी नीति निर्माताओं के

---

8. डॉ० बलदेव राजनायर, अमेरिका और भारत - संघर्ष की जड़े, सं० कारी प्रसाद मिश्र, भारत की विदेश नीति, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली-1977, पृष्ठ-321.
9. विन्सेन्ट शीन - द केस फॉर इण्डिया, फॉरेन अफेयर्स, न्यूयार्क, अक्टूबर1951.

चीन में साम्यवाद की सफलता ने भारतीय उपमहाद्वीप के उन देशों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो कि संसाधनों और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के समान थे।"[10]

स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट हो जाने से भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को संगठित करके भारत ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व करना प्रारम्भ कर दिया। अमेरिका के नीति निर्धारकों को भारत की यह भूमिका प्रारम्भ में रुचिकर नहीं लगी। फलस्वरूप भारत की शान्ति और मैत्री की नीति को अमेरिका द्वारा सहयोगी दृष्टिकोण से नहीं देखा गया।

पचास और साठ के दशक के मध्यकाल में भारतीय नीति के प्रति अमेरिकी रुख में आंशिक परिवर्तन हुआ और अधिकांश आर्थिक सहायता कृषि फसल के रूप में दी गई परन्तु भारत द्वारा बोकारो परियोजना में सहायता माँगी जाने पर अमेरिकी काँग्रेस में इसका विरोध किया गया। राष्ट्रपति कैनेडी के शासन काल में चीन के साथ बिगड़ते हुए सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार होने लगा। वर्ष 1962 में भारत-चीन सीमा विवाद में अमेरिका ने भारत को अस्त्र-शस्त्र भेजने की तत्परता दिखाई तथा 1965 में भारत-पाक युद्ध में अमेरिका ने तटस्थता की नीति अपनाई। राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में चीन से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के अमेरिकी निर्णय से चीन को दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में महत्ता प्राप्त हुई।

---

10. एम०एस० वेंकटरमानी, हरीशचन्द्र आर्य- अमेरिकाज मिलिट्री एलायन्स विद पाकिस्तान, द इवोल्यूशन एण्ड कोर्स ऑफ एन अनइजी पार्टनरशिप - इण्टरनेशनल स्टडीज, बॉम्बे, वाल्यूम-8, नं०-1-2, जुलाई-अक्टूबर, 1966.

बांग्लादेश संकट :

भारत और अमेरिकी सम्बन्धों की मुख्य और लगातार रहने वाली समस्या, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैनिक सहायता देना है। भारत और अमेरिकी सम्बन्धों में बांग्लादेश का प्रश्न उस समय उपस्थित हुए जबकि अमेरिकी प्रशासन चीन से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर रहा था। पेकिंग और वाशिंगटन के मध्य कड़ी के रूप में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत-पाक युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी द्वारा वाशिंगटन यात्रा इस्लामाबाद पर राजनैतिक समाधान के लिए दबाव डालने के लिए की गई परन्तु अमेरिकी नीति में परिवर्तन नहीं आया। राष्ट्रपति निक्सन के अनुसार भारत ने उचित कार्य नहीं किया और पाकिस्तान द्वारा अनुचित कार्य नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रशासन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सोवियत संघ ने निषेधाधिकार द्वारा निरस्त कर दिया।[11] अमेरिकी प्रतिनिधि डॉ०किसिंजर द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया - "यदि पूर्वी बंगाल में भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए संकट उत्पन्न किया गया और यदि चीन द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ दिया गया तो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं रखनी चाहिए।"[12]

वर्ष 1974 में राष्ट्रपति निक्सन ने एक प्रेस सम्मेलन में दिए गए

---

11. आफिशियल रिकार्डस ऑफ द सिक्योरिटी कौन्सिल -[एस०सी०ओ०आर०] 5/पीवी/606,4दिसम्बर,1971.

12. द टाइम्स, लन्दन, 23अगस्त,1971.

वक्तव्य से सम्बन्धों में सुधार की आशा दिखाई पड़ी । उन्होंने कहा-"अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप के सब देशों के साथ नए सम्बन्ध विकसित करेगा । हम लोगों ने कुछ त्रुटियाँ की हैं फिरभी अमेरिकी नीति युद्ध तथा युद्ध के सम्भावित खतरों को रोकने की रही है और अब हम दिसम्बर 1971 के युद्ध से घावों को ठीक करने के लिए सब कुछ करेंगे ।"[13]

पी०एल० 480 के सम्बन्ध में अमेरिका द्वारा भारत को 1,664 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई परन्तु पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में भी समय-समय पर वृद्धि होती रही ।

जनता शासनकाल में तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए यूरेनियम सप्लाई पर मतभेद उत्पन्न हो गए । परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर न करने के भारतीय निर्णय से अमेरिकी नीति निर्धारकों को निराशा हुई तथा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप में भारत द्वारा प्रबल विरोध न किए जाने से अमेरिकी प्रशासन द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई ।

अमेरिकी राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने वर्ष 1982 में अमेरिका यात्रा करके सम्बन्धों के तनावों को कम करने का प्रयास किया । भारत की नीति के आधारभूत सिद्धान्तों, सम्पर्कों को विकसित करने तथा पारस्परिक तनाव के मुद्दों के विषय में अमेरिकी राष्ट्रपति से भारतीय प्रधानमंत्री ने चर्चा की ।[14] अफगान समस्या पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री ने पाक को दी जा रही अमेरिकी सैन्य सहायता के औचित्य के सन्दर्भ में अमेरिकी

---

13. वी०पी०दत्त, इण्डियाज फॉरेन पालिसी, विकास प्रकाशन नई दिल्ली, सन् 1984, पृष्ठ 87.
14. टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स - 29जुलाई, 1982.

राष्ट्रपति को भारत के रक्षा बजट में वृद्धि को बताया । श्रीमती गाँधी की इस यात्रा से यूरेनियम आपूर्ति के सम्बन्ध में समझौता हुआ, साथ ही अमेरिका प्रशासन को भारतीय नीति के तर्कसंगत सिद्धान्तों के विषय में स्पष्ट जानकारी हुई।

जून, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की अमेरिका यात्रा से पुन: सम्बन्धों के विकास पर प्रभाव पड़ा । तकनीकी व सैनिक सहयोग के सम्बन्धों की स्थापना तथा भारत की अखण्डता में रुचि दर्शाकर अमेरिका ने परिवर्तित दृष्टिकोण का परिचय दिया । इस समय अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत को नविदनशील सैनिक तकनीक देने का भी निर्णय लिया गया ।

परन्तु उपरोक्त घटनाओं के प्रकाश में देखने पर भारत-अमेरिकी सम्बन्धों का इतिहास असहमति और तनावों से युक्त लगता है । बांग्लादेश प्रश्न पर अमेरिका द्वारा जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा जाना, भारत को पूर्वी बंगाल की संकटपूर्ण स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराना, पाकिस्तान को निरन्तर शस्त्र सहायता देना, भारत-सोवियत मैत्री के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण, कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान का पक्ष लेना तथा अफगानिस्तान प्रश्न पर भारत की भूमिका की आलोचना आदि ऐसे विवादग्रस्त प्रश्न रहे हैं जिन्होंने भारतीय नीति के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण को असहयोगी बनाया ।

जबकि अमेरिकी दृष्टिकोण के विपरीत सोवियत संघ ने संकटकाल में भारत को सहयोग दिया । चाहे वह बांग्लादेश समस्या हो अथवा काश्मीर प्रश्न, भारत-पाकिस्तान युद्ध हो अथवा आर्थिक सहायता का संकट, आवश्यकता पड़ने पर निषेधाधिकार तथा आर्थिक सहायता द्वारा सोवियत संघ ने भारत के प्रति अपने दृढ़ समर्थन को सदैव प्रकट किया । जिसके परिणामस्वरूप जहाँ प्रारंभिक कुछ वर्षों में भारतीय नीति अमेरिका के प्रति उन्मुख थी, उसमें परिवर्तन आना

प्रारम्भ हो गए । समय-समय पर होने वाली घटनाओं ने भारत के प्रति अमेरिका के असहयोगी तथा सोवियत संघ के सहयोगी दृष्टिकोण को प्रकट करके भारत के सोवियत संघ के प्रति स्वाभाविकझुकाव को बढ़ावा दिया । यह अत्यन्त स्वाभाविक था कि संकट की घड़ी में, चाहे वह प्रश्न चीन-अमेरिका-पाक के गठबन्धन का हो अथवा आर्थिक सहायता का, अमेरिका के निरन्तर असन्तोषजनक व्यवहार से भारत एवं सोवियत संघ की मैत्री को प्रगाढ़ होने का अवसर मिला ।

अतः अमेरिका के सन्दर्भ में भारत का झुकाव सोवियत संघ के प्रति अपेक्षाकृत अधिक रहा । अमेरिका द्वारा सैन्य संगठन बनाने, पाकिस्तान को सहायता देने, सैनिक अड्डे स्थापित करने, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को प्रोत्साहन देने, वियतनाम, कम्बोडिया, कोरिया प्रश्न में हस्तक्षेप करने,अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल को सहायता देने, ईरान-ईराक युद्ध में इराक को सहायता देने तथा नवीनतम इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की घटना का समाधान युद्ध द्वारा करने पर भारतीय नीति ने अमेरिकी नीति का विरोध करके यह साफ कर दिया कि अमेरिकी नीति का अवसरवादी तथा विस्तारवादी दृष्टिकोण सर्वथा अनुचित है।

<u>पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति एवं सोवियत संघ :</u>

(चीन के सन्दर्भ में)

भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर साम्यवादी चीन का क्षेत्र है। साम्यवादी क्रान्ति (1949) के बाद विश्व राजनीति में पूर्वी एशिया में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ जिसे साम्यवादियों के नेतृत्व ने शक्तिशाली एवं सुगठित बनाया ।

एशिया महाद्वीप में भारत और चीन दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं । विशाल जनसंख्या, क्षेत्र प्रचुर प्राकृतिक-संसाधन तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु,यहाँ

की विशेषता है । भारत एवं चीन पड़ोसी देश होने के कारण न केवल एक-दूसरे की बल्कि एशिया के अन्य देशों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं ।

भारत की चीन के प्रति नीति को समझने के पूर्व चीनी विदेश नीति के उद्देश्यों को समझना आवश्यक हो जाता है । दीर्घकाल के आर्थिक एवं राजनैतिक शोषण के उपरान्त चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से शक्ति के दर्शन को प्रधानता दी गई । चीनी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य चीन की स्वतंत्रता एवं अखण्डता की रक्षा करते हुए एशिया में प्रभुत्व स्थापित करना था । इसके अतिरिक्त रूसी प्रभाव क्षेत्र को कम करते हुए तथा चीनी सीमाओं का विस्तार करके उसे विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था । इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता थी शक्तिशाली संगठन की अतः चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि भी प्रमुख लक्ष्य बन गया । माओ के इस कथन से कि राजनैतिक शक्ति बन्दूक की नली में से उत्पन्न होती है, चीनी राजदर्शन के आधारभूत सिद्धान्त का अनुमान लगाया जा सकता है । राष्ट्रहित की प्रधानता चीन की विदेशनीति का प्रधान तत्व रहा है ।

इसके विपरीत भारत की विदेश नीति शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित रही है । महाशक्तियों के साथ-साथ पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति मैत्री और सहयोग की रही है । प्रत्येक विवाद को न्यायसंगत साधनों से सुलझाने के कारण शक्ति तथा अवसरवादिता की नीति को स्थान नहीं दिया गया है । गुटनिरपेक्षता को अपनाकर अनावश्यक रूप से किसी भी देश की सम्प्रभुता एवं आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भारतीय विदेश नीति का आधारभूत सिद्धान्त रहा है ।

मूलभूत विचारधाराओं में भिन्नता होने पर भी पचास के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे । कालान्तर में चीनी सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति में समयानुकूल परिवर्तन किए जिससे दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के विकास पर गहन प्रभाव पड़ा।

अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के विषय में भारत से सन्धि की तथा इसमें पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया । चाऊ एन लाई ने शान्तिपूर्ण इरादों का विश्वास कराने के लिए घोषणा की कि संसार के सभी देश वे चाहे छोटे हों या बड़े, निर्बल हो या बलवान, विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शान्तिपूर्ण रीति से रह सकते हैं । पं0 नेहरू ने स्पष्ट कहा,-"यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश मान्यता दे दें तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जायेगा । पंचशील के सिद्धान्त आदर्श हैं जिन्हें यथार्थ जीवन में उतारा जाना चाहिए । इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम न्याय और आक्रमण का प्रतिकार का प्रतिकार कर सकते हैं ।"[15] अप्रैल 1955 में बाण्डुंग सम्मेलन में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धान्त को मान्यता देते हुए उसमें आस्था प्रकट की ।

यात्राओं की राजनीति का सिलसिला प्रारम्भ करने में जून, 1954 में चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस यात्रा से दोनों देशों के नेतृत्व प्रमुखों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने की इच्छा जाग्रत हुई । अक्टूबर,1954 में पं0 नेहरू पेकिंग यात्रा पर गए तथा वर्ष 1956 में चाऊ-एन-लाई भारत यात्रा पर आये । चीन की मृदु और शान्ति

---

15. डॉ0बी0एल0फाड़िया - अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति,साहित्य भवन,आगरा 1988, पृ0- 346.

नीति के कारण यह काल सम्बन्धों के विकास का उदारकाल था ।

वर्ष 1959 में तिब्बत में चीन सरकार द्वारा विद्रोह की समाप्ति के लिए दमनकारी नीति अपनाये जाने के कारण दलाई लामा और अन्य शरणार्थियों ने भारत में शरण ली । इस घटना से चीन सरकार की भारत के प्रति नीति में कटुता आने लगी । भारत - चीन सीमा विवाद होने से सम्बन्ध और तनावपूर्ण हो गए । भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाये जाने पर भारत के विरोध को चीन सरकार ने यह कहकर समाप्त करना चाहा कि भारत और चीन के मध्य कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है । सितम्बर,1962 में चीनी सेनाओं ने मैकमोहन रेखा पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया तथा 20 अक्टूबर,1962 को उत्तर-पूर्वी सीमान्त तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ आक्रमण किया । इस अप्रत्याशित आक्रमण के विरुद्ध भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त हुई । सोवियत संघ द्वारा चीन के इस आक्रमण को उचित नहीं समझा गया फलस्वरूप चीन को मिग फाइटर विमानों की पूर्ति रोक दी गई । सोवियत संघ द्वारा भारत को न केवल मिग विमान देने का समझौता किया गया बल्कि भारत में ऐसे विमानों के उत्पादन के लिए सोवियत सहायता का भी प्रावधान किया गया । नवम्बर,1962 में चीन द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा के साथ युद्ध समाप्त हो गया ।

भारत-चीन सीमा विवाद के सम्बन्ध में एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र देशों ने कोलम्बो सम्मेलन में एक छः सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया परन्तु भारत द्वारा इस प्रस्ताव के विषय में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं की गई । भारत और चीन के सम्बन्धों में कटुता में वृद्धि होने से चीन ने पाकिस्तान से

सम्बन्ध बढ़ाने प्रारम्भ कर दिए । पाकिस्तान को सैन्य तथा आर्थिक सहायता अधिक मात्रा में दी जाने लगी ।

इन घटनाओं के फलस्वरूप भारत-चीन सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति बढ़ने लगी । तनाव में वृद्धि स्वाभाविक थी क्योंकि प्रारम्भ से ही भारत का दृष्टिकोण चीन के प्रति मित्रतापूर्ण रहा था । चीन में साम्यवादी क्रान्ति का भारत द्वारा स्वागत किया गया तथा चीन को राजनयिक मान्यता सर्वप्रथम गैर साम्यवादी देशों में भारत द्वारा ही दी गई । कोरिया युद्ध में भारत द्वारा चीन का समर्थन किया गया तथा अमेरिका के प्रबल विरोध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने के लिए भारत द्वारा सतत प्रयास किया गया । भारतीय नीति सदैव से पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत सम्बन्धों का समर्थन करती रही जबकि चीनी नीति ने अवसरवादिता को प्रधानता देते हुए भारत के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण को नहीं अपनाया ।

दीर्घकाल के तनावपूर्ण सम्बन्धों में शिथिलता का युग वर्ष 1970 से प्रारम्भ हुआ । मई,1970 को चीनी नेता माओ द्वारा भारतीय प्रभारी राजदूत बी0एन0मिश्रा से दोनों देशों की पारस्परिक मित्रता के सम्बन्ध में की गई वार्ता ने संवाद के युग की शुरुआत की ।[16] चीनी दृष्टिकोण से यह एक सद्भावना प्रदर्शन था ।

भारतीय विदेशमंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने राज्यसभा में एक वक्तव्य में चीनी दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत द्वारा सहयोगी रूख को अपनाये जाने पर बल दिया ।[17] संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेस

---

16. वी0पी0दत्त-इण्डियाज फॉरेन पालिसी -विकास पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली 1984,पृ0 215.
17. फॉरेन अफेयर्स रिकार्ड, अगस्त 1970, पृ0 156.

सम्मेलन में बोलते हुए विदेशमंत्री स्वर्णसिंह ने कहा -"सांस्कृतिक क्रान्ति के अन्त में विश्व के प्रति चीनी दृष्टिकोण में एक स्पष्ट और विशिष्ट परिवर्तन आया है।"[18] प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा भी पेकिंग के व्यवहार में आए परिवर्तन को अनुभव किया गया।[19]

परन्तु सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण पुनः भारत और चीन सम्बन्ध में अवरोध उत्पन्न हो गए। चीन द्वारा भारत-पाकिस्तान युद्ध को भारत की विस्तारवादी नीति का परिणाम बताया गया और सोवियत संघ की, भारत को सहयोग देने के सम्बन्ध में तीव्र आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के स्थाई प्रतिनिधि द्वारा भारत के हस्तक्षेप को अनुचित बताते हुए पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान का आन्तरिक मामला बताया गया। भारत द्वारा की गई कार्यवाही को 'सैनिस्टर सौजिक' की संज्ञा दी गई। इस दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को निरन्तर सहयोग दिया गया।[20] संयुक्त राष्ट्र संघ में बांग्लादेश को प्रवेश दिए जाने के प्रश्न पर चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया।

इसके पूर्व भारत-सोवियत सन्धि के प्रति चीन द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। सोवियत संघ द्वारा स्पष्ट रूप से भारत को समर्थन दिए जाने से चीनी दृष्टिकोण में और अधिक कटुता आ गई। फलस्वरूप सम्बन्धों के सामान्य विकास में शिथिलता आने लगी।

---

18. हिन्दू, 27 सितम्बर, 1970.
19. स्टेट्समैन, 28 अक्टूबर, 1970.
20. वी०पी०दत्त-इण्डियाज फॉरेन पालिसी - विकास पब्लिशिंग, नई दिल्ली 1984, पृष्ठ-217.

मई,1974 में भारत द्वारा परमाणु विस्फोट किए जाने के कार्यक्रम को चीनी नीति द्वारा छोटे देशों को आतंकित करने की कार्यवाही बताया गया तथा इस सम्बन्ध में चीनी प्रतिनिधि को इस्लामाबाद यह आश्वस्त करने भेजा गया कि पाकिस्तान को आणविक विस्फोट से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है तथा उसे काश्मीर प्रश्न पर पहले की भाँति चीन का समर्थन मिलता रहेगा।[21]

वर्ष 1974 एवं 1975 में सिक्किम प्रश्न पर चीनी दृष्टिकोण की कटुता में कोई अन्तर नहीं आया। भारत को इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने तथा पड़ोसियों को धमकाने की नीति का सहारा लेने वाला बताते हुए चीनी सरकार ने पाकिस्तान के बंटवारे के लिए दोषी ठहराया।[22] भारत में आपातकालीन स्थिति लागू होने की पेकिंग द्वारा आलोचना की गई परन्तु साथ ही सम्बन्धों को सामान्य स्थिति के लिए प्रयास प्रारम्भ हो गए।

फरवरी 1975 में टेबिल टेनिस की टीम भारत यात्रा पर आई। पिंगपोंग कूटनीति के अन्तर्गत चीन द्वारा उन देशों में खेल दल भेजा जाता था जिनसे सम्बन्धों को सामान्य बनाना होता था। चीनी प्रेस जगत द्वारा इस भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बताया गया।[23] मार्शल चिन ही लिन द्वारा दोनों देशों के मध्य मुद्दों पर वार्ता के लिए चीन की इच्छा को प्रकट किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पारम्परिक मित्रता पुनः स्थापित हो सकेगी।[24]

---

21. जेन मिन जिह पाओ - 6दिसम्बर,1971-उद्धृत-वी0पी0दत्त -इण्डियाज फॉरेन पालिसी - विकास पब्लिशिंग, नई दिल्ली,1984,पृष्ठ-219.
22. जेन मिन जिह पाओ - 3 जुलाई,1974 - वही.
23. पेकिंग रिव्यू, 21 फरवरी,1985 - वही.
24. स्टेटसमैन,27फरवरी,1975.

15 अप्रैल को लोकसभा में विदेश मंत्री द्वारा चीन में राजदूत भेजने की घोषणा की गई । भारत द्वारा सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया का स्वागत करते पेकिंग द्वारा राजदूत नियुक्ति की घोषणा की गई । इस सन्दर्भ में विशेष तथ्य यह है कि चीन द्वारा भारत को राजदूत भेजने में पहल करने को कहा गया क्योंकि भारत ने पहले अपने राजदूत को वापस बुलाया था । भारतीय नीति ने शान्ति प्राप्ति और तनावों को समाप्त करने के कारण पहले राजदूत भेजने का निर्णय लेने में तत्परता दिखाई ।

भारत में जनता पार्टी के सत्ता में आने से पेकिंग सरकार को आशा हुई कि भारतीय नीति का सोवियत संघ की तरफ झुकाव कम हो गा तथा पेकिंग एवं वाशिंगटन से सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे । इस सन्दर्भ में जनता पार्टी की वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति ने पेकिंग सरकार को अधिक आशान्वित भी किया । विदेशों से चीनी मैत्री स्थापित करने के संगठन के अध्यक्ष वान पिन्गनैन द्वारा प्रधानमंत्री देसाई तथा विदेशमंत्री बाजपेई को चीन यात्रा पर आमन्त्रण दिया गया । प्रधानमंत्री देसाई द्वारा स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार सीमा विवाद को प्राथमिकता देगी तथा सीमा विवाद के सन्तोषजनक समाधान के अभाव में सम्बन्धों का पूर्ण सामान्यीकरण नहीं हो सकता ।[25]

12 फरवरी, 1979 में विदेशमंत्री बाजपेई चीन यात्रा पर गए किन्तु चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण किए जाने से वह यात्रा अधूरी छोड़कर स्वदेश वापस आ गए । तथापि विदेशमंत्री द्वारा संसद में इस यात्रा को सम्बन्धों की नई शुरूआत बताया गया ।[26]

---

25. मोरारजी देसाई स्टेटमेन्ट इन द लोकसभा, 28 फरवरी 1977, इण्डियन एक्सप्रेस.
26. गार्गी दत्त - चायना एण्ड इण्डिया - एन अनसर्टेन रिलेशन इन वी०पी०दत्त - इण्डियाज फॉरेन पालिसी - विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-1984, पृष्ठ-220

कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने के बाद सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास किए गए । मई,1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा बेलग्रेड में चीनी प्रधानमंत्री हुआ कुओ फेंग से वार्ता की गई । वर्ष 1961 के बाद से यह दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्तर की प्रथम वार्ता थी । जून,1981 में चीनी विदेशमंत्री हुआंग हुआ द्वारा सम्बन्धों की विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भारत यात्रा की गई । अक्टूबर,1981 में हुए वार्ता के प्रथम चरण में दोनों पक्षों के विरोधी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए । भारत द्वारा सीमा विवाद हल को प्रमुखता तथा चीन द्वारा अन्य क्षेत्रों में सम्बन्ध सुधार पर बल दिए जाने से समस्या का समाधान नहीं हो पाया । दूसरे तथा तीसरे चरण में भी सन्तोषजनक समाधान नहीं हो पाया । चौथे चरण में भारत के क्षेत्रवार विचार किए जाने के प्रस्ताव को चीन द्वारा स्वीकार कर लिया गया ।[27] वार्ता के पांचवे चरण में समस्या के समाधान ढूंढने के अतिरिक्त विज्ञान, तकनीकी,सांस्कृतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर बल दिया गया । दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्र को शक्ति के द्वारा प्राप्त न करने पर सहमति हुई ।[28] वार्ता के छठे चरण में पूर्वी क्षेत्र में सीमा निर्धारण के प्रश्न पर कुछ प्रगति हुई परन्तु पश्चिमी क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ ।

वर्ष 1986 में भारत द्वारा चीन पर अरुणाचल प्रदेश की समदुरांग छू घाटी में अनुचित रूप से घुसपैठ का आरोप लगाया गया । चीन द्वारा घुसपैठ को अस्वीकृत करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र को चीनी क्षेत्र बताया गया तथा भारतीय

---

27. वी०पी०दत्त - इण्डियाज फॉरेन पालिसी, विकास पब्लिकेशन्स,1984, पृष्ठ-399.
28. जे०के०बराल,जे०के०महापात्र,एस०पी०मिश्रा - इण्टरनेशनल स्टडीज वाल्यूम नं०-13,जुलाई-सितम्बर 1989, सेज पब्लिकेशन्स नई दिल्ली,लन्दन,न्यू बरी पार्क, पृष्ठ-260.

सैनिकों के घुसपैठ की कार्यवाही की निन्दा की गई ।[29]

भारतीय मंत्री तिवारी द्वारा चीनी विदेश मंत्री से न्यूयार्क में भेंट वार्ता में समदुरांग छू घटना पर विचार-विमर्श किया गया तथा दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर होने वाली ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पर सहमति जताई गई ।[30]

भारत और चीन के मध्य सीमा प्रश्न को हल करने के विषय में वार्ता का सातवाँ चरण जुलाई 1986 में सम्पन्न हुआ । वार्ता में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गतिरोध जारी रहा ।

चीन द्वारा दिसम्बर 1986 में भारतीय संसद द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने का विधेयक पारित करने की कार्यवाही को अनुचित बताया गया ।[31]

नवम्बर, 1987 में नई दिल्ली में हुए वार्ता के आठवें चरण में चीन के दृष्टिकोण में अपेक्षाकृत सुधार हुआ । तिब्बत के आन्दोलन में भारत द्वारा नैतिक तथा भौतिक रूप में सहयोग न किए जाने की नीति की चीन द्वारा सराहना की गई ।[32]

भारत द्वारा इस वार्ता में चीन द्वारा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के प्रश्न को प्रमुखता दी गई, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी पहली बार दोनों पक्षों द्वारा विचार किया गया । इस वार्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों पक्षों

---

29. नी विले मैक्सवेल - इण्डिया चाइना - द वर्डेस इण्डियास सैकेण्ड चाइना वार मैनस्ट्रीम, नई दिल्ली 13जून 1987 - पृ0 27-30.

30. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10अगस्त, 1986.

31. दिलीप बॉब - लिनो - इण्डियन रिलेशन्स - इण्डिया टुडे, नईदिल्ली 15मई, 1987.

32. सलामत अली - फॉर ईस्टर्न इकोनामिक रिव्यू हांगकांग, 27अक्टूबर, 1987 पृष्ठ 13-14.

द्वारा सीमा पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए किया गया समझौता था ।[33]

19 दिसम्बर,1988 को भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी चीन यात्रा पर गए । दोनों पक्षों द्वारा व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में समझौते किए गए । इसके अतिरिक्त सीमा विवाद का उचित समाधान न हो जाने तक सीमाओं पर शान्ति एवं व्यवस्था के निर्धारण पर बल दिया गया । भारत के विदेश सचिव तथा चीन के उपविदेश मंत्री के संयुक्त कार्यकारी समूह को सीमा प्रश्न के समाधान के लिए नियुक्त किया गया । भारत द्वारा सीमा प्रश्न के समाधान को 2 अथवा 3 सालों में निकालने पर बल दिया गया तथा चीन द्वारा इस वक्तव्य को खण्डन नहीं किया गया ।

भारतीय प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों के नए युग का सूत्रपात किया । दीर्घकाल से दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति में शिथिलता आनी प्रारम्भ हो गई जो भविष्य के सम्बन्धों को सामान्य बनाने में सहायक प्रतीत होने लगी ।[34] यद्यपि सीमा विवाद का आज भी दोनों देशों द्वारा उचित एवं सन्तोषजनक समाधान नहीं ढूँढा जा सका है तथापि इस दिशा में प्रयास जारी है । भारतीय विदेश नीति ने समय-समय पर वार्ता द्वारा तनाव को कम करके शान्तिप्रिय तथा मृदु नीति का परिचय दिया है।

सोवियत संघ द्वारा एशिया महाद्वीप के इन दो विशाल देशों के मध्य सामंजस्य के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए गए । सीमा प्रश्न को शान्ति वार्ता

---

33. जे0के0बराल,जे0के0मसारदार,एस0पी0मिश्रा - इन्टरनेशनल स्टडीज -वाल्यूम-26, नं0-3,जुलाई सितम्बर 1989 सेज पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली, लन्दन, न्यूबरी पार्क, पृष्ठ 266

34. टाइम्स ऑफ इण्डिया - 25 दिसम्बर, 1988.

के द्वारा सुलझाये जाने पर बल देते हुए सोवियत संघ ने दोनों देशों के तनावपूर्ण सम्बन्धों को विकास में अवरोधक बताया ।

वस्तुत: शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार के कारण भारत की विदेश नीति चीन के सन्दर्भ में मैत्रीपूर्ण रही है तथा सोवियत संघ द्वारा भी उपरोक्त सिद्धान्त को अपनाने के कारण भारत की शान्तिप्रिय नीति को समर्थन देकर समस्याओं के उचित समाधान के लिए प्रयास किया गया ।

पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति और सोवियत संघ :

(पाकिस्तान के सन्दर्भ में)

प्रत्येक देश की विदेश नीति के निर्माण में भू-राजनीति के कारण पड़ने वाले आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक राजनीति भारतीय विदेश-नीति के लिए गुटनिरपेक्ष तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तों की माँग करती है । किसी भी महाशक्ति के साथ न बंधकर, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए, प्रत्येक मुद्दे पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना वस्तुत: भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परिपक्वता का परिचायक है । भारत द्वारा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त का पालन न केवल महाशक्तियों के साथ बल्कि पड़ोसी देशों के साथ भी कियागया।

ब्रिटिश शासन की समाप्ति की परिणति भारत के विभाजन से हुई । विभाजन के फलस्वरूप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान राष्ट्र का उद्भव हुआ । अपने जन्मकाल से ही पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति अविश्वास एवं असहयोग का दृष्टिकोण अपनाया गया जबकि भारत की नीति का उद्देश्य दक्षिण एशिया में अनावश्यक तनावों को दूर करके शान्ति स्थापना रहा। भारतीय विदेश नीति द्वारा प्रत्येक समस्या का शान्तिपूर्ण तथा न्यायसंगत समाधान

ढूँढने का प्रयास किया गया परन्तु पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो गईं जिनके कारण प्रारम्भ से ही दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में कटुता आ गई । भारतीय संसद में भारत-पाक सम्बन्धों की चर्चा करते हुए पं0 नेहरू ने कहा-"व्यक्तियों, विशेषकर विदेशियों की यह भ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि काश्मीर विवाद ही दोनों देशों के संघर्ष का कारण है । ..... हमारी मूलभूत विचारधारा ही भिन्न है । हम धर्म निरपेक्षवाद में विश्वास करते हैं किन्तु पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धान्त में विश्वास करता है । इस सिद्धान्त के अनुसार काश्मीर में मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के लिए एक असहनीय तथ्य है । भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धार्मिक-राजनैतिक नीति का एक अनिवार्य अंग बन गया है ।"[35]

पाकिस्तान के प्रति भारतीय नीति का भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के सन्दर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है । भारत-पाकिस्तान के प्रारम्भिक सम्बन्धों में हैदराबाद तथा जूनागढ़ विवाद, शरणार्थियों का प्रश्न, ऋण की अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी विवाद आदि के साथ काश्मीर प्रश्न भी विवादास्पद बन गया । भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित काश्मीर भारत एवं पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है । अगस्त,1947 तक काश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया परन्तु 22 अक्टूबर,1949 को उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के कबायलियों एवं अनेक पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण किए जाने से काश्मीर शासक ने भारत सरकार से रक्षा सहायता की माँग की और साथ ही काश्मीर को भारत में सम्मिलित करने

---

35. डॉ0 बी0एल0फाड़िया - इन्टरनेशनल पालिटिक्स, साहित्य भवन आगरा, 1988, पृष्ठ 383.

के लिए सहमति दी । भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारतीय सेनाओं को रक्षार्थ काश्मीर भेजा । युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ काश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया परन्तु बाद में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर विलय को ही अवैधानिक बताये जाने से पुनः संकट उत्पन्न हो गया ।

6फरवरी, 1954 को काश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास कर जम्मू-काश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी । भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन करके 14मई, 1954 को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत काश्मीर को विशेष दर्जा दिया । 26जनवरी, 1957 को जम्मू-काश्मीर का संविधान लागू हो गया । इसके साथ ही जम्मू-काश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग हो गया । 1957 में पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद में इस प्रश्न को उठाने पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए जनमत संग्रह तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना भेजने पर बल दिया जिसका भारत ने विरोध किया । भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया । पाकिस्तान द्वारा 1954 तथा 1955 में अमेरिका से सैनिक सन्धि तथा बगदाद समझौता किए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि वह समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए उत्सुक नहीं है । वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध ने पाकिस्तानी नीति के कटु उद्देश्य को प्रदर्शित किया । सोवियत संघ के प्रयासों के फलस्वरूप भारत- तथा पाकिस्तान के मध्य ताशकन्द समझौता हुआ । इस समझौते के द्वारा सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए प्रयास किया गया । परन्तु शीघ्र ही सामान्यीकरण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो गए । यद्यपि वर्ष 1969 में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहया खाँ को दोनों देशों के मध्य संचार तथा सांस्कृतिक, वाणिज्यिक सम्बन्धों के विकास के

के लिए पत्र लिखा । उन्होंने लिखा "यदि आप सहमत हों तो किसी भी स्तर पर जो आपको स्वीकृत हो, भारत-पाकिस्तान की संयुक्त संस्था स्थापित की जा सकती है । इसके पूर्व मैंने आपको दोनों देशों के बीच युद्ध न करने की सन्धि के लिए कहा था उस भी विचार करना आवश्यक है ।[36] परन्तु पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रयासों में रुचि नहीं दिखाई गई ।

भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए सम्बन्धों में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । चीन द्वारा आर्थिक तथा सैन्य सहायता भारी मात्रा में पाकिस्तान को दी जाने लगी । यह सहायता भारत-सोवियत संघ की बढ़ती हुई मैत्री के प्रति शंकित होकर चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने लगी । अमेरिकी नीति चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में पहले से ही पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी । ऐसे संकटपूर्ण अवसर पर सोवियत संघ ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा बाहर प्रत्येक सम्भव सहायता दी और यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध की स्थिति में वह भारत का पक्ष लेगा ।[37]

भारत-सोवियत शान्ति - मैत्री और सहयोग की सन्धि ने चीन-पाक-वाशिंगटन के गठबन्धन को और अधिक प्रगाढ़ करने में सहायता की ।

भारतीय विदेश-नीति की उपलब्धियों के इतिहास में बांग्लादेश समस्या का समाधान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीब के नेतृत्व में प्रारंभ हुए स्वायत्तता आन्दोलन की समाप्ति के लिए पाकिस्तानी

---

36. एस०एम०बर्क - पाकिस्तान्स फॉरेन पालिसी - एन हिस्टोरिकल एनालिसिस लन्दन, 1973, पृष्ठ 350.
37. अजय सक्सेना - इण्डिया एण्ड पाकिस्तान - देयर फॉरेन पालिसीज 1987 नई दिल्ली, पृष्ठ 95-96.

नेतृत्व ने दमनकारी नीति अपनाई जिसके कारण शरणार्थियों का भारत आवागमन बढ़ गया और भारत के लिए आर्थिक तथा राजनैतिक संकट उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान के असहयोगी रवैये के कारण दिसम्बर 1971 में युद्ध प्रारम्भ हो गया। पाकिस्तानी आत्मसमर्पण के साथ युद्ध की समाप्ति हुई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पाकिस्तान में शासन पर जुल्फिकार अली भुट्टो का अधिकार होने से 3जुलाई,1972 को दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा यह निश्चित किया गया कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करेंगे, एक-दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगे, स्थाई शान्ति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला प्रारम्भ करेंगे तथा शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिए दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त संचार, डाक-सेवा, आवागमन, व्यापारिक तथा नागरिक सम्बन्धी समझौतों का सिलसिला शीघ्र प्रारम्भ करने पर बल दिया गया।

वर्ष 1972 तथा 1976 के मध्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक, नागरिक सुविधा आदि सम्बन्धी तेरह महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस प्रकार भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में एक नवीन शुरुआत हुई तथा आपसी तनावों को दूर करने के शिमला समझौते का स्वागत विश्व के अन्य देशों द्वारा किया गया। भारत द्वारा वर्ष 1979 में आणविक विस्फोट किए जाने पर पाकिस्तान ने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की गई परन्तु सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए प्रयास भी किए जाते रहे।

वर्ष 1977 में भारतीय तथा पाकिस्तानी राजनीति में महत्वपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुए। भारत में जनता पार्टी का शासन पर अधिकार हुआ और

पाकिस्तान में जनरल जिया-उल-हक ने शासन पुन सँभाला । पाकिस्तानी जनरल को भेजे गए सन्देश में प्रधानमंत्री देसाई ने भारत की शान्तिप्रिय तथा पाकिस्तान के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति का उल्लेख किया । इस काल में व्यापारिक,सांस्कृतिक, नागरिक सम्बन्धी आदान-प्रदान समान्य रहा ।[38]

श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पुन: सत्ता में आने के बाद भारतीय नीति द्वारा दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में वृद्धि पर अधिक बल दिया जाने लगा।

वर्ष 1981 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा भारत को युद्ध न करने का समझौता प्रस्तावित किया गया । पाकिस्तान और भारत के सम्बन्धों में यह एक सुधारवादी प्रयत्न था ।[39]

दोनों देशों में युद्ध न करने के प्रस्ताव से सम्बन्धों के विकास के सन्दर्भ में आशायें उत्पन्न हुई परन्तु फरवरी 1982 में जेनेवा में मानव अधिकार आयोग की बैठक में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर प्रश्न उठाये जाने से अवरोध उत्पन्न हुआ तथापि मई,1982 में अनाक्रमण तथा शक्ति के प्रयोग न करने सम्बन्धी प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा भारत सरकार को भेजा गया जिसके प्रत्युत्तर में अगस्त 1982 में भारत सरकार ने शान्ति, मैत्री और सहयोग की नीति का प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजा ।

22 अगस्त को पाकिस्तान तथा चीन के मध्य सेवर दरों को लेकर हुए समझौते ने भारत के लिए संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी । भारत ने इस

---

38. रिपोर्ट 1977-78 तथा रिपोर्ट 1978-79, भारत सरकार,विदेश मंत्रालय नई दिल्ली.
39. वार्षिक रिपोर्ट 1981-82,विदेश मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली.

समझौते का प्रबल विरोध किया ।[40]

मार्च,1983 में दोनों देशों के संयुक्त आयोग के लिए समझौता हुआ तथा आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं यात्रा सम्बन्धी वार्ता के लिए चार उपआयोग की दो बैठकें भी हुई । इन बैठकों ने दोनों देशों के सम्बन्धों की समस्याओं के समाधान में एक सीमा तक सहायता की तथा पिछले कई दशकों से चले आ रहे संघर्षों के तनावों को कम करने का प्रयास किया ।

भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक के मध्य दिसम्बर,1985 को एक छः सूत्री समझौता हुआ जिसमें निश्चित किया कि दोनों देश परस्पर एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे ।[41] पाकिस्तानी प्रमुख द्वारा सिख आतंकवाद को किसी तरह की सहायता, प्रशिक्षण न देने का आश्वासन दिया गया तथा दोनों पक्ष सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर करने और व्यापार की रूपरेखा पर भी सहमत हो गए ।

वर्ष 1986 में भारत और पाकिस्तान के आर्थिक सम्बन्धों का नया युग प्रारम्भ हुआ । दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार पुनः शुरू करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार को दुगुना करने, सीधी संचार सुविधा प्रारम्भ करने तथा वायुसेवा सुविधा बढ़ाने पर सहमति हुई ।

वर्ष 1988 नवम्बर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सत्ता में आने पर नई सरकार के गठन से सम्बन्धों में तीव्र सुधार की आशा जगी । यह अनुभव किया जाने लगा कि नवीन सरकार अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक होने से

---

40. आर०जी०सावनी -जियाज पीस आफेन्सिव, स्ट्रेटिजिक एनालिसिस, वाल्यूम सात,नं०-3,1984,पृष्ठ 23.
41. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 18 दिसम्बर,1985.

कारण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए शान्ति तथा स्थिरता की आवश्यकता को सहयोगी तथा तनावपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास करेगी ।

पाकिस्तान के जन्म से वर्तमान तक घटनाओं के आंकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विदेश नीति ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के मध्य कटुता को दूर करने का सदैव प्रयत्न किया । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रमुखता देते हुए भारत ने पाकिस्तान के निरन्तर असहयोगी एवं असन्तोषजनक व्यवहार के प्रति सन्तुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया । समय-समय पर पाकिस्तान की नीति तथा चीन एवं अमेरिका के विरोध के कारण आए संकट के अवसर पर सोवियत संघ ने भारत को सदैव अपना दृढ़ समर्थन दिया । भारत-पाक युद्ध हो अथवा काश्मीर प्रश्न, आणविक विस्फोट हो या सैन्य सहायता, आवश्यकतानुसार सोवियत संघ ने भारत को प्रबल समर्थन देकर पाक - चीन - अमेरिका की धुरी के समक्ष दो विभिन्न विचारधाराओं वाले देशों के विचारों की समानता तथा मैत्री को परिलक्षित किया ।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एवं सोवियत संघ :

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता की नीति का विशेष महत्व है । भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय विश्व राजनीति दो विरोधी गुटों - साम्यवाद और पूँजीवाद - में विभाजित हो चुकी थी । विश्व के अधिकांश देशों के दो विरोधी गुटों में विभाजित हो जाने के कारण शीतयुद्ध का वातावरण बनने लगा था । भारत के किसी भी गुट में सम्मिलित होने से तनाव में वृद्धि होती तथा आर्थिक सहायता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती । साथ ही

स्वतंत्र निर्णय की स्वाधीनता भी समाप्त हो जाती । अतः दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति भारत के नीति निर्धारकों द्वारा अपनाई गई । उसे "गुट-निरपेक्षता" की नीति के नाम से जाना जाता है । भारत द्वारा इस नीति का पालन किए जाने के बाद से एशिया तथा अफ्रीका के अन्य नवस्वतंत्र देशों ने इस नीति में आस्था व्यक्त की । भारत के प्रधानमंत्री पं०नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने इस धारणा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया ।

वस्तुतः शीतयुद्ध के राजनैतिक ध्रुवीकरण ने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया । औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के दीर्घकालीन संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो । क्षमता के स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए एक ऐसी स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न होता, जिसकी सम्भावनायें भी अत्यधिक सन्दिग्ध बनतीं । अतः आत्मसम्मान की एक अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी, अपितु आवश्यक भी । स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनैतिक नींव रखी । इस प्रक्रिया को शीतयुद्ध के तात्कालिक राजनैतिक वातावरण ने गति प्रदान की ।[42]

गुटनिरपेक्षता की नीति का आशय है - भारत विश्व राजनीति

---

42. डॉ० एम०एस०राजन - गुटनिरपेक्षता और भारत भविष्य, नई दिल्ली, मैसूर, पृष्ठ 351.

से दोनों गुटों से पृथक रहते हुए भी उनसे मैत्री सम्बन्ध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा । यह नीति सैनिक गुटों का विरोध करते हुए पड़ोसी तथा अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है ।

सकारात्मक अर्थ में गुटनिरपेक्षता की नीति उचित और न्यायसंगत का समर्थन करती है तथा अनुचित एवं अन्यायसंगत का विरोध करती है । पं०नेहरू ने स्पष्ट कहा था-"यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे ।"[43]

अतः गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता से इस प्रकार भिन्न है कि विश्व के किसी भी देश में होने वाली अन्यायपूर्ण स्थिति के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण न अपनाकर न्यायोचित माँगों के प्रति समर्थन एवं सहयोग की नीति है । इस नीति का उद्देश्य समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शान्ति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करना तथा अपना एवं अन्य अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना है ।

शीतयुद्ध में भाग न लेते हुए, गुटों से पृथक रहते हुए, प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति है । पं०नेहरू के अनुसार-"किसी गुट के साथ सैनिक सन्धियों में बंध जाने के कारण सदा उसके संकेतों पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है । जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं । किसी देश से बंधना आरम्भ

---

43. पं०जवाहरलाल नेहरू -सेलेक्टेड स्पीचेज,1949-1953,प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 1957,वाल्यूम-11,पृष्ठ 125.

आत्म-सम्मान खोना है, वह बहुमूल्य निधि का विनाश है ।"[44]

वस्तुत: गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में - विशेषत: दोनों महाशक्तियों के प्रति नीतियों और अभिव्यक्तियों के सन्दर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाये रखी जाये ।

वर्ष 1961 में गुट निरपेक्षता नीति के सन्दर्भ में पं0नेहरू, राष्ट्रपति नासिर तथा मार्शल टीटो द्वारा पाँच आधार स्वीकार किए गए -

{1} सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो -

{2} सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो,

{3} सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो,

{4} सदस्य देश ने किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, तथा

{5} सदस्य देश ने किसी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो ।

एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों द्वारा भारत की इस नीति को अपनाये जाने से स्पष्ट होता है कि गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थकता एवं प्रासंगिकता निरन्तरबढ़ती जा रही है ।

प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधार तत्व गुटनिरपेक्षता के प्रति अमेरिका, चीन तथा सोवियत संघ का दृष्टिकोण उदार नहीं था । अमेरिकी सचिव डलेस ने इस नीति को अनैतिक बताया तथा माओ का कथन था कि राजनीति में कोई मध्य मार्ग नहीं होता है तथा किसी पक्ष की

---

44. पं0 जे0एल0नेहरू - इण्डियाज फॉरेन पालिसी - सैलेक्टेड स्पीचेज-1949-1953, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली-1957.

और अवश्य चुकना पड़ेगा । स्टालिन को सोच था कि यह नीति नव-स्वाधीनता प्राप्त देशों को सोवियत संघ के विरुद्ध करने का साम्राज्यवादी कुचक्र है ।[45]

स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् तत्कालीन घटनाओं के सन्दर्भ में गुटनिरपेक्ष नीति तथा आन्दोलन के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया । सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों ने अनुभव किया कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन साम्राज्यवादी उपकरण नहीं है वरन् विकासशील देशों की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाया गया एक स्वतंत्र आन्दोलन है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शान्ति जैसे सिद्धान्तों पर आधारित है । इन देशों ने यह भी अनुभव किया कि गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य मात्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न हुई सैन्य सन्धियों का विरोध करना ही नहीं, अपितु साम्राज्यवाद,उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध रचनात्मक स्वरूप प्रस्तुत करना था ।

अन्ततः तत्कालीन समय में होने वाली विभिन्न विश्व - समस्याओं पर भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर अपनाये गए दृष्टिकोण ने सोवियत संघ के भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति सोच और सन्देह की स्थिति को समाप्त कर दिया ।

वर्ष 1950 के पूर्व गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति बड़ी अस्पष्ट थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद तक भारत का व्यापारिक सम्बन्ध

---

45. विनोद भाटिया, सम्पादित- इण्डो-सोवियत रिलेशन्स - में टी०एन०कौल - सोवियत यूनियन एण्ड नान अलाइनमेन्ट, पंचशील पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1984,पृ०59

पश्चिमी देशों से होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में भारत की नीति पश्चिमी गुट की एक सीमा तक पक्ष-पोषक रही। पश्चिमी जर्मनी को कूटनीतिक मान्यता देना तथा कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया को, जो पश्चिमी गुट से सम्बद्ध नहीं था, आक्रामक घोषित करना, उपरोक्त तथ्य का उदाहरण है।

परन्तु वर्ष 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य सैनिक सन्धि तथा विशाल पैमाने पर शस्त्र देने के निर्णय तथा गोआ के प्रश्न पर पुर्तगाल को समर्थन दिए जाने की घटनाओं से भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में कटुता आ जाने से भारत-सोवियत मैत्री का मार्ग प्रशस्त होने लगा। भारतीय तथा सोवियत नेताओं की सद्भावना यात्राओं ने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के नवीन आयामों को विकसित किया। 1956 के काल में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई। स्वेज प्रश्न पर ब्रिटेन तथा फ्रांस का मिस्र पर आक्रमण तथा हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। स्वेज संकट में पश्चिमी देशों की कार्यवाही के विरोध ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति सोवियत संघ के दृष्टिकोण को उदार बनाया तथा हंगरी समस्या में भारत द्वारा प्रबल विरोध न किए जाने से सोवियत संघ को भारत के निकट आने का अवसर मिला। इसके पूर्व काश्मीर तथा गोआ प्रश्न पर भारतीय नीति को सोवियत संघ द्वारा पूर्ण समर्थन दिया जा चुका था। वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका द्वारा काश्मीर में जनमत संग्रह के प्रश्न पर सोवियत संघ के निषेधाधिकार ने सिद्ध कर दिया कि वह भारतीय नीति का प्रबल पक्षधर है।

भारत-चीन युद्ध में यद्यपि प्रारम्भ में सोवियत संघ ने तटस्थता का रुख अपनाया क्योंकि उस समय क्यूबा संकट में अमेरिका से मतभेद के कारण

स्थिति जटिल होती जा रही थी परन्तु बाद में भारत को न केवल मिग विमान सम्बन्धी सहायता दी गई बल्कि चीन को शीघ्र युद्ध विराम के लिए भी कहा गया। इस युद्ध में भारत को पश्चिमी देशों अमेरिका, इंग्लैण्ड, पं०जर्मनी द्वारा भी तत्काल सहायता दी गई जिससे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के महत्व को पुनः रेखांकित किया।

वर्ष 1963 के भारत-चीन सीमा विवाद पर सोवियत संघ ने स्पष्ट रूप से भारत को समर्थन देकर भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति को बल प्रदान किया। भारत-पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में भारत की कार्यवाही को जहाँ पश्चिमी देशों ने आक्रमणात्मक माना, वहीं सोवियत संघ ने आत्मरक्षा के लिए की गई भारतीय कार्यवाही को उचित बताया। समस्या के समाधान के लिए ताशकन्द समझौते का सोवियत प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया। वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होने पर अन्तिम क्षणों में सोवियत हस्तक्षेप के कारण वार्ता भंग होने से रुक गई।[46] इस समझौते का महत्व यह है कि सोवियत संघ ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद में पहली बार मध्यस्थ की भूमिका निभाई। डॉ० एम०एस०राजन के अनुसार,-"इस समझौते से सोवियत संघ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शान्ति निर्माता के रूप में पदार्पण करता है और यह शान्ति स्थापना दो बड़े देशों के बीच की वार्ता है जिनमें से एक पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संलग्न है और दूसरा असंलग्न है।[47]

---

46. हरीश कपूर - सोवियत यूनियन एण्ड इन्डो-पाक रिलेशन्स - इन्टरनेशनल स्टडीज -वाल्यूम 1-8, नं० 1-2, पृष्ठ 150-157.
47. डॉ०एम०एस०राजन - द ताशकन्द डिक्लेयरेशन - इन्टरनेशनल स्टडीज, वाल्यूम 8, नं० 1-2, पृष्ठ 21.

इस प्रकार सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थ की भूमिका ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति सोवियत रुख को स्पष्ट किया । वर्ष 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी शासन को प्रतिक्रियावादी शक्तियों से बचाने के लिए की गई सैन्य कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में निन्दा प्रस्ताव लाये जाने पर भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया । भारत की इस कार्यवाही को साम्यवाद के प्रति तुष्टीकरण की नीति बताया गया ।

परन्तु तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा,-"भारत के सोवियत संघ पोलैण्ड, हंगरी तथा बल्गारिया से घनिष्ठ सम्बन्ध है परन्तु हम चेकोस्लोवाकिया की घटनाओं पर गहन दुख प्रकट किए बिना नहीं रह सकते ।[48]

भारत-सोवियत सन्धि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के विकास का महत्वपूर्ण चरण है । चीन,अमेरिका तथा पाक के गठबन्धन के कारण पूर्वी पाकिस्तान की समस्या भारत के लिए आर्थिक और राजनैतिक संकट उत्पन्न कर रही थी । अतः ऐसे कठिन क्षणों में भारत-सोवियत मैत्री सन्धि ने सोवियत संघ को भारतीय नीति से सहायक रूप में प्रस्तुत किया ।

वर्ष 1971 में भारत द्वारा सोवियत संघ से की गई सन्धि की कटु आलोचना हुई । ऐसा कहा जाने लगा कि इससे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को आघात पहुँचा है और अब वह वास्तविक अर्थों में गुटनिरपेक्ष नहीं रहा। पाल एफ०पावर के अनुसार-"भारत-सोवियत सन्धि ने गुटनिरपेक्षता में एक संदिग्धशील स्थिति की शुरुआत की है । यह भारत के हितों की रक्षा के लिए एक बाह्य

---

48. डॉ०एन०के०श्रीवास्तव - फॉरेन पालिसी ऑफ इण्डिया-साहित्य भवन आगरा. पृ०168

शक्ति को रचनात्मक भूमिका प्रदान करती है ।"49

परन्तु भारत-सोवियत सन्धि के अनुच्छेद-4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोवियत संघ भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का सम्मान करता है और इसमें आस्था प्रकट करता है । सन्धि के द्वारा बिना शर्त सहायता प्राप्त करना गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग करना नहीं है । वस्तुतः इस सन्धि के द्वारा चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान जैसे देशों के कूटनीतिक प्रयासों को भारत-सोवियत संघ ने उचित प्रत्युत्तर दिया तथा दक्षिण एशिया की संकटपूर्ण समस्याओं को कम करने का प्रयास किया । यह सन्धि राजनैतिक यथार्थवाद के दृष्टिकोण से अत्यन्त व्यावहारिक सिद्ध हुई और भारत की निर्णायक परिस्थितियों में इसने महत्वपूर्ण योगदान किया । वर्ष 1971 के बांग्लादेश प्रश्न पर भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति का सम्मान करते हुए सोवियत संघ ने पूरा समर्थन दिया।

इस प्रकार इस घटना के द्वारा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत संघ की मान्यता प्राप्त हुई तथा भारत के विश्वस्त मित्र के रूप में सोवियत संघ की छवि निखरी । भारत पर सोवियत प्रभाव की वृद्धि की आशंकायें व्यवहार में निर्मूल सिद्ध हुई । परिस्थितिवश भारत एवं सोवियत संघ की मैत्री प्रगाढ़ होती गई परन्तु इससे भारत के स्वतंत्र आत्म निर्णय के अधिकार को कोई हानि नहीं हुई ।

भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का सम्मान करते हुए सोवियत संघ ने इसे एशिया तथा यूरोप की समस्याओं से तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण

---

49. पाल एफ०पावर - आइडियोलाजिकल कोन्टेस्ट इन इण्डियाज फॉरेन पालिसीज इन, के०पी० मिश्रा सम्पादित-फॉरेन पालिसी आफ इण्डिया ए बुक आफ रीडिंग्स, नई दिल्ली 1977, पृष्ठ-23.

साधन माना । परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में बांग्लादेश की सदस्यता के लिए भारतीय प्रस्ताव का सोवियत प्रतिनिधि द्वारा समर्थन किया गया । इसके अतिरिक्त काश्मीर समस्या पर चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन किए जाने तथा भारत विरोधी प्रचार अभियान की सोवियत संघ द्वारा स्पष्ट रूप से निन्दा की गई । पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर विवाद को उठाने तथा अमेरिका द्वारा सहयोग दिए जाने पर सोवियत संघ ने सदैव निषेधाधिकार का प्रयोग किया । इन घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि गुटनिरपेक्ष नीति के सन्दर्भ में भारत और सोवियत संघ के विचारों में प्रगाढ़ समानता परिलक्षित होने लगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1979 को अफगानिस्तान समस्या तथा 1980 में कम्पूचिया समस्या पर अपनाये गए भारत के दृष्टिकोण की गुट-निरपेक्षता के सन्दर्भ में तीव्र आलोचना हुई । अफगानिस्तान में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप पर भारत द्वारा समयानुकूल आलोचना न किए जाने के निर्णय पर पश्चिमी देशों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई । यह समझा जाने लगा कि किसी भी गुट के साथ न बंधने की नीति का प्रतिपादन करने वाला देश अब सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चला गया है ।

कम्पूचिया विवाद में सोवियत समर्थक हैंग सामरिन सरकार को भारत ने कूटनीतिक मान्यता देकर पुनः अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर प्रश्न-चिन्ह लगा दिया । भारत-सोवियत सम्बन्धों का प्रभाव भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाने लगा । इस सन्दर्भ में विशेषकर पश्चिमी शक्तियों का यह मत था कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को भारत द्वारा मात्र

सिद्धान्त रूप में मान्यता दी गई है तथा व्यवहार में उसकी नीति सोवियत समर्थक एवं सोवियत संघ से प्रभावित रही है। सोवियत संघ द्वारा अन्य देशों की सम्प्रभुता तथा स्वतंत्रता का उल्लंघन किए जाने पर भी भारत द्वारा उसकी निन्दा नहीं की गई।

परन्तु वास्तविकताओं तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा उपरोक्त घटनाओं में समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया। भारत ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों तथा बाह्य शक्तियों को एक साथ वापसी पर बल देते हुए अशान्ति एवं अस्थिरता फैलाने वाली शक्तियों के कार्य का विरोध किया।

कम्पूचिया विवाद में भारत ने बाह्य शक्तियों द्वारा पोल-पोट सरकार के अत्याचारी शासन के विरोध में हैंग सामरिन सरकार को मान्यता दी।

इस प्रकार भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह एक गतिशील नीति सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवसर उपस्थित हुए जब भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की परीक्षा हुई। हंगरी, चेकोस्लाविकया, भारत-सोवियत सन्धि, अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया विवाद आदि कुछ ऐसे प्रमुख प्रश्न थे जिनके सन्दर्भ में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थकता संदिग्ध हो उठी थी।

उपरोक्त प्रश्नों पर भारतीय दृष्टिकोण को न केवल पश्चिमी देशों अपितु गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों तथा घरेलू मोर्चे पर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं का भी केन्द्र बनना पड़ा। परन्तु भारतीय नीति द्वारा

वास्तविकताओं के धरातल पर राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में विभिन्न समस्याओं में सन्तुलित एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया । विश्व की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार गुटनिरपेक्षता की नीति को व्यावहारिकता पर आधारित करके वस्तुतः भारत ने इसकी गतिशीलता को सार्थक गरिमा प्रदान करने का प्रयास किया ।

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में जहां भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति पश्चिमी और साम्यवादी गुटों में सन्देह की स्थिति थी, उत्तरार्द्ध में उसमें परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया । भारत को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनैतिक संकट में दोनों गुटों से सहायता मिली वरन् अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के तनावों में कमी करने में भी भारतीय नीति ने सफलता पाई । दोनों महाशक्तियों ने कालान्तर में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के महत्व को स्वीकार किया । संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया जाना, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति केप्रभाव को स्पष्ट करता है । एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनना भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की सार्थक दिशा को प्रकट करता है । इसके अतिरिक्त गुटबन्दी में लिप्त देश भी गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलने लगे हैं । पाकिस्तान का गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होना यह सिद्ध कर देता है कि भारत की नीति उचित है । वी०पी०दत्त के अनुसार, "गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त विदेश नीति का विशेष पृथक रहा है क्योंकि इससे राष्ट्रीय हितों का संवर्धन हुआ है ।"[50]

---

50. वी०पी०दत्त - इण्डियाज फारेन पालिसी, विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 1984, पृष्ठ 1-24.

यद्यपि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को प्रारम्भ से वर्तमान तक अनेक संकटपूर्ण प्रश्नों का सामना करना पड़ा तथापि इसकी प्रासंगिकता में कमी नहीं आई है । पश्चिमी तथा सोवियत गुट के देशों के अतिरिक्त अन्य देशों द्वारा निरन्तर गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता देने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण उचित एवं प्रासंगिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत-सोवियत सम्बन्ध :

द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस और विभीषिका से संत्रस्त मित्र राष्ट्रों के राजनेताओं ने यह संकल्प लिया कि युद्धोपरान्त एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाये जो अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को युद्ध का रूप लेने से रोक सके । विशेष प्रयासों के फलस्वरूप जून 1945 में सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन में घोषणा-पत्र को अन्तिम रूप दिया गया तथा 24 अक्टूबर, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत् स्थापना हुई ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र की प्रस्तावना में घोषित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने, मानव अधिकारों की पुनः स्थापना एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण के हेतु की गई है । इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं -

§1§ सामूहिक व्यवस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना.।

§2§ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान करना ।

§3§ राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना,

§4§ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना,

§5§ निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना तथा

§6§ नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र की धारा-2 में कुछ मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं -

§1§ इसका प्रधान आधार छोटे-बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धान्त है ।

§2§ सदस्य देश घोषणा-पत्र द्वारा लागू होने वाले दायित्वों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे ।

§3§ सदस्य देश अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण साधनों से करेंगे ।

§4§ सदस्य देश किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ऐसा कार्य करेंगे ।

§5§ सदस्य देश घोषणा-पत्र के प्रतिकूल कार्य करने वाले देश की सहायता नहीं करेंगे ।

§6§ संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने वाले सिद्धान्तों का पालन करायेगा तथा,

§7§ संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्, न्यास परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय इसके प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा विश्व समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है । इनमें सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है ।

जिन 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके उसे पारित किया वे इसके प्रारम्भिक सदस्य हैं। भारत भी उनमें से एक है।[51]

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारतीय नीति की आस्था को प्रकट करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा- "संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्रति भारत का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सहयोग और निष्ठा का है। भारत द्वारा इसकी विभिन्न गतिविधियों में सदैव भाग लिया जायेगा। सभी प्रकार के शोषण तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत द्वारा अन्य देशों को उनकी स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार को सम्पूर्ण रूप से समर्थन दिया जायेगा।[52]

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण इसके प्रारम्भ से वर्तमान तक पूर्ण समर्थन और सहयोग की रही है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रति सहयोग के दृष्टिकोण को भारतीय विदेश नीति में भी स्पष्ट देखा जा सकता है -

§1§ संयुक्त राष्ट्र संघ को शान्ति बनाये रखने के संगठन के रूप में विकसित करने का प्रयास करना,

§2§ संयुक्त राष्ट्र संघ को शीतयुद्ध अथवा महाशक्तियों के अधिपत्य का उपकरण बनने से रोकना,

§3§ संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक सदस्यता के सिद्धान्त को अधिक प्रभावी

---

51. डॉ0एम0के0श्रीवास्तव - फॉरेन पालिसी आफ इण्डिया, साहित्य भवन, आगरा 1978, पृष्ठ 384.

52. एस0सी0पाराशर सम्पादित युनाइटेड नेशन्स एण्ड इण्डिया में-खुर्शीद आलम द्वारा-इण्डिया एण्ड यू0एन0-सुरजीत पब्लिकेशन्स, नईदिल्ली-1985,डी0ए0 सप्लीमेन्ट ए-एस-पी-वी 37.

बनाने के लिए समर्थन देना,

(4) महाशक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सामंजस्य बनाये रखने के लिए कार्य करना,

(5) समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए छोटे तथा विकासशील देशों के प्रति सहयोग को दृढ़ करना तथा,

(6) साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति और विश्व के अन्य देशों के आर्थिक विकास के लिए जा रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में विकास को प्रोत्साहन देना ।

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को "पुलिसमैन" की भूमिका निभाने की अपेक्षा एक ऐसी विश्व संस्था के रूप में देखा गया जो वर्तमान विश्व की वास्तविकताओं तथा समस्याओं को न केवल प्रतिबिम्बित करती है, वरन् समस्याओं के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता भी देती है ।[53]

सोवियत संघ द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ को उस प्रभावशाली संस्था के रूप में स्वीकार किया गया जो राष्ट्रों के पारस्परिक तनावों को उग्र रूप धारण करने से रोकती है ।

यद्यपि यह सत्य है कि पिछले चैतालिस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संकट उत्पन्न हुए परन्तु इसके लिए उन देशों तथा महाशक्तियों की स्वार्थपूर्ण मानसिकता उत्तरदायी है, जो समस्या के सत्य तथा न्यायपूर्ण पक्ष की

---

53. बी०पी०दत्त - इण्डिया एण्ड द युनाइटेड नेशन्स-सोशलिस्ट इण्डिया रिव्यू 5(12)अगस्त 12,1972,पृष्ठ 123-6.

अवहेलना करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं । अतः विश्व राजनीति के तनावपूर्ण वातावरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में आने वाले विवादों के प्रति भारत ने स्वतंत्र तथा गुटनिरपेक्ष नीति से विचार किया । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शान्ति की वृद्धि के लिए भारत द्वारा प्रत्येक विवाद का उसके गुण-दोष के आधार पर आकलन किया गया । किसी भी गुट के साथ बंधने की अपेक्षा भारत द्वारा उनके मध्य सेतु का कार्य करके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकतानुसार मिस्र तथा लेबनान संकट में भारत द्वारा दिए गए समर्थन ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा में वृद्धि की ।[54]

राजनैतिक गतिविधियों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों में भी भारत द्वारा रचनात्मक सहयोग देकर घोषणा-पत्र में निश्चित उद्देश्यों को साकार रूप देने का प्रयास किया गया ।[55]

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण उसकी बढ़ती हुई प्रभावकारी भूमिका को न केवल एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों द्वारा बल्कि दोनों महाशक्तियों द्वारा भी अन्ततः स्वीकार किया गया ।

---

54. के०एस०पटेल - इण्डिया एण्ड द यू०एन०-इण्डियन एण्ड फॉरेन रिव्यू 7{24} अक्टूबर।,1970,पृष्ठ 9-10.
55. सी०एस०झा - यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड फोकस,वाल्यूम-7 नवम्बर,दिसम्बर 1986.

सोवियत संघ द्वारा भारत की उसकी स्वतंत्रता की माँग का अप्रैल, 1945 में सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में समर्थन किए जाने से दोनों देशों के मध्य पारस्परिक समझ का वातावरण निर्मित होने में सहायता मिली । तत्पश्चात् अक्टूबर 1946 में सामान्य सभा में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध जातिभेद के प्रश्न पर ब्रिटेन द्वारा द०अफ्रीका को समर्थन दिए जाने तथा अमेरिका द्वारा प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुपुर्द किए जाने के विरोध में सोवियत संघ ने भारत को समर्थन दिया । भारत द्वारा 29अक्टूबर, 1946 में सोवियत प्रतिनिधि द्वारा सैन्य अस्त्रों में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया गया । इसके अतिरिक्त ग्रीस से विदेशी सेनाओं की वापसी के सोवियत प्रस्ताव का सुरक्षा परिषद् में भारत द्वारा समर्थन किया गया । इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत तथा सोवियत के मध्य सहयोग का क्रम विभिन्न प्रश्नों पर प्रारम्भ हो गया था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निरन्तर विकसित होता गया । यद्यपि वर्ष 1946 के अन्त में उभरे फिलीस्तीनी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो व्यवस्था तथा वर्ष 1947 में महासभा के सहायक अंग लिटिल असेम्बली अथवा आन्तरिम समिति के प्रश्नों पर भारत तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद उभरे[56] तथापि इससे भारत-सोवियत सम्बन्धों के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि आने वाले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत से सम्बन्धित तथा अन्य विवादों में सोवियत संघ द्वारा जो महत्वपूर्ण समर्थन दिया गया, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दोनों देशों के सम्बन्ध उदाहरण बन गए ।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली समस्या काश्मीर विवाद के रूप में उपस्थित हुई । तब से आज तक

---

56. एस०पी०सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स आफ इण्डो यू०एस०एस०आर० रिलेशन्स-ए लाइट पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 1987, पृष्ठ 27-28.

आंग्ल-अमेरिकी तथा पाकिस्तानी कूटनीति के कारण यह प्रश्न विवादग्रस्त बना हुआ है और समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकल सका है । सर्वप्रथम 1 जनवरी, 1948 को काश्मीर समस्या भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी गई जहाँ सोवियत प्रतिनिधि आन्द्रेईग्रोमिको ने भारत-पाकिस्तान के मध्य सम्बन्धों तथा काश्मीर की स्थिति में सुधार के लिए शीघ्र समस्या के समाधान की माँग की । 22 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान की प्रार्थना पर 'काश्मीर प्रश्न' को 'भारत-पाक प्रश्न' में भारत के परामर्श के बिना बदले जाने का सोवियत प्रतिनिधि द्वारा विरोध किया गया जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि द्वारा इस निर्णय का समर्थन किया गया । वर्ष 1952 में सोवियत प्रतिनिधि जैकब मलिक ने ब्रिटेन तथा अमेरिका की विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी नीति की निन्दा करते हुए अक्टूबर, 1950 में पास हुए उस प्रस्ताव को अनुचित ठहराया जिसमें जम्मू-काश्मीर राज्य के भविष्य निर्धारण के लिए संविधानिक - सभा के शीघ्र आयोजन की माँग की गई थी । काश्मीर के विसैन्यीकरण तथा जनमत संग्रह के लिए विदेशी सेनाओं को भेजे जाने की माँग को सोवियत प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से काश्मीर का जनता के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए अमेरिका की काश्मीर में सैन्य अड्डे स्थापित करने की योजना की तीव्र आलोचना की ।

सुरक्षा परिषद में काश्मीर विवाद पर उपरोक्त सोवियत दृष्टिकोण का उद्देश्य समस्या का समाधान किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के बिना निकालना था । जनवरी 1957 में पुनः काश्मीर समस्या को सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा उठाये जाने पर सोवियत प्रतिनिधि सोबोलेव ने आस्ट्रेलिया, कोलम्बिया, क्यूबा, ब्रिटेन तथा अमेरिका द्वारा लाये गए प्रस्ताव का विरोध किया । इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते की अपेक्षा अन्य

देशों के निरीक्षण में जनमत संग्रह कराने की माँग की गई थी । सोवियत प्रतिनिधि ने काश्मीर समस्या को काश्मीरी जनता द्वारा सुलझाये जाने पर बल देते हुए काश्मीर के विसैन्यीकरण तथा जनमत संग्रह विरोध में निषेधाधिकार का प्रयोग किया । फरवरी 1957 में अमेरिका द्वारा लाये गए,उस प्रस्ताव में जिसमें भारत तथा पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ सहयोग करने तथा वार्ता द्वारा समाधान निकालने को कहा गया था,सोवियत प्रतिनिधि ने मतदान में भाग नहीं लिया । स्वीडिश प्रतिनिधि गुन्नार जेरिंग की रिपोर्ट के कुछ भागों पर सोवियत प्रतिनिधि ने सहमति दिखाई जिनमें न केवल काश्मीरी जनता के जीवन में बल्कि एशिया के उस भाग की राजनैतिक स्थिति में आधारभूत परिवर्तनों का वर्णन किया गया था । 21नवम्बर,1957 को सोवियत प्रतिनिधि ने काश्मीर के विसैन्यीकरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया । वर्ष 1962 में सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर भारत के अधिकार को अनुचित ठहराते हुए जनमत संग्रह की माँग किए जाने पर सोवियत प्रतिनिधि ने पाकिस्तानी आरोपों का विरोध करते हुए काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया तथा पाकिस्तान द्वारा की जा रही सैन्य तैयारियों से उत्पन्न आतंकपूर्ण वातावरण में भारत के धैर्यपूर्वक शान्तिपूर्ण समाधान के माँग की सराहना की जबकि अमेरिका तथा ब्रिटेन की प्रतिक्रियाएँ इस सन्दर्भ में सोवियत संघ से विपरीत थीं ।

जून,1962 में लाये गए आयरिश प्रस्ताव का भारतीय तथा सोवियत प्रतिनिधि ने समान रूप से विरोध किया क्योंकि इस प्रस्ताव का मुख्य सार काश्मीर में जनमत संग्रह कराना था । सोवियत प्रतिनिधि मारोजोव ने

पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में निरन्तर घुसपैठ की प्रक्रिया से समस्या के तनाव में वृद्धि की निन्दा करते हुए आयरिश प्रस्ताव पर निषेधाधिकार प्रयोग किया। वर्ष 1964 में काश्मीर विवाद के सन्दर्भ में भारतीय प्रतिनिधि के उस प्रस्ताव का सोवियत प्रतिनिधि द्वारा समर्थन किया गया जिसमें दोनों देशों की, किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना, द्विपक्षीयवार्ता का प्रावधान किया गया था।[57] इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के इस प्रश्न पर पाकिस्तान और चीन तथा पश्चिमी शक्तियों द्वारा समस्या के सत्य तथा न्यायपूर्ण पक्ष की अवहेलना करते हुए निरन्तर स्थिति की जटिलता को बढ़ावा दिया गया जबकि सोवियत संघ ने अपने निषेधाधिकार का आवश्यकतानुसार प्रयोग करके भारत को पूर्ण समर्थन दिया। भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण सम्बन्धों का उग्र रूप वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में देखने को मिला। सुरक्षा परिषद में सोवियत प्रतिनिधि ने शीघ्र शान्तिपूर्ण समाधान की माँग करते हुए दोनों पक्षों से युद्धविराम की माँग की। 20सितम्बर,1965 को सुरक्षा परिषद में दोनों पक्षों ने युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार किया। सोवियत राष्ट्रपति की मध्यस्थता से ताशकन्द समझौता हुआ जिसने स्थिति की विभीषिका को कम करने का प्रयास किया। पाकिस्तान द्वारा काश्मीर समस्या के शिमला समझौते के बाद भी अन्तर्राष्ट्रीय-करण किए जाने का समय-समय पर सोवियत संघ ने विरोध किया। काश्मीर प्रश्न के समान गोआ प्रश्न पर भी सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा बाहर भारत को समर्थन दिया गया। दिसम्बर,1961 में सुरक्षा परिषद में

---

57. एस0पी0सिंह - पालिटिकल डायमेन्शन्स ऑफ इण्डो यू0एस0एस0आर0 रिलेशन्स - एलाइड पब्लिशर्स प्रा0लि0, नई दिल्ली 1987,पृष्ठ 105-107

सोवियत प्रतिनिधि जोरिन ने गोआ की स्वाधीनता के लिए की गई भारतीय कार्यवाही को उचित एवं वैधानिक मानते हुए युद्धविराम तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की सहायता से की जाने वाली शान्तिपूर्ण वार्ता के प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया ।

भारत से सम्बन्धित इन दो प्रमुख विवादों के अतिरिक्त सोवियत संघ द्वारा भारत को अन्य प्रश्नों पर भी समर्थन दिया गया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा द०अफ्रीका में रंगभेद नीति का मामला उठाये जाने पर जब पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया, सोवियत प्रतिनिधि विशिन्स्की ने भारत का समर्थन करते हुए समस्या को अर्न्तराष्ट्रीय प्रश्न बताया ।

साम्यवादी चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के सन्दर्भ में भारतीय तथा सोवियत नीति एकमत थी ।

वर्ष 1950 के कोरिया प्रकरण में यद्यपि प्रारम्भ में भारत ने दक्षिण कोरिया के विरुद्ध उत्तर कोरिया को आक्रान्ता घोषित किया था तथापि बाद में भारत द्वारा किए गए शान्ति प्रयासों की सोवियत संघ द्वारा सराहना की गई ।

वर्ष 1954 में सोवियत संघ द्वारा भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की निःशस्त्रीकरण समिति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया ।

वर्ष 1956 में स्वेज समस्या पर आंग्ल-फ्रेंच तथा इजरायली सेनाओं के आक्रमण का विरोध करते हुए भारत तथा सोवियत संघ ने मिस्र को समर्थन दिया ।

वर्ष 1963 की साइप्रस समस्या तथा 1967 के अरब-इज़रायल संघर्ष के प्रश्न पर भी दोनों देशों ने समान विचार व्यक्त किए ।

दोनों देशों ने इण्डोचीन प्रायद्वीप में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति की निन्दा करते हुए उसे समाधान की प्रक्रिया का अवरोधक बताया । वियतनाम, कम्बोडिया तथा लाओस के प्रश्न पर भारत तथा सोवियत संघ एकमत थे । वर्ष 1970 में सोवियत संघ व जर्मन संघ गणराज्य के मध्य हुई मास्को सन्धि का भारत ने स्वागत किया ।

बांग्लादेश समस्या के सन्दर्भ में दिसम्बर, 1971 में अमेरिकी प्रस्ताव का जिसमें समस्या के मूल कारण की समाप्ति के बिना सेनाओं की वापसी, वार्ता का प्रारम्भ तथा शरणार्थियों के पूर्वी पाकिस्तान लौटने का प्रावधान था, सोवियत संघ द्वारा समस्या का एकपक्षीय समाधान बताते हुए विरोध किया गया।

वर्ष 1972 में सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा बांग्लादेश को सदस्य बनाने के प्रस्ताव का सोवियत संघ ने समर्थन किया ।

वर्ष 1973 में पश्चिमी एशिया की स्थिति पर सोवियत संघ तथा भारत द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित सुरक्षा परिषद का वह प्रस्ताव था जिसमें विशेष रूप से अधिकृत अरब देशों से इज़रायल की वापसी का प्रावधान था ।

सितम्बर, 1973 में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के सैनिक बजटों में कमी करने का सोवियत प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन किया गया तथा आशा व्यक्त की गई कि इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन निःशस्त्रीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति करेगा ।

इसके अतिरिक्त हिन्द महासागर के सैन्यीकरण के विरोध में भी

दोनों देशों ने समान विचार व्यक्त किए तथा उपनिवेशवाद, रंगभेद तथा जातिवाद के अवशेषों को पूर्ण रूप से समाप्त करने तथा नामीबिया, जिम्बाब्वे आदि देशों को स्वतंत्रता प्रदान करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर दोनों देशों द्वारा समर्थन देने की पुष्टि की गई ।

ईरान-ईराक युद्ध की विभीषिका की समाप्ति के लिए फरवरी, 1986 में सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया जिसमें युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित करने की अपील की गई थी । इस सन्दर्भ में भारत तथा सोवियत संघ द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते रहे ।

नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय विवाद अगस्त 1990 में ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करके उसका विलय करना है । सुरक्षा परिषद द्वारा कुवैत के विलय को अवैधानिक बताते हुए ईराक के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने तथा सैनिक कार्यवाही की स्वीकृति दी गई । यद्यपि भारत तथा सोवियत संघ ने ईराकी आक्रमण कार्यवाही की निन्दा की तथापि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में शक्ति के प्रयोग का विरोध करने वाली शान्ति नीति के कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ईराक के विरुद्ध शक्ति प्रयोग का समर्थन नहीं किया । भारत द्वारा अलग से एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें मानवीय आधार पर कुछ आर्थिक प्रतिबन्धों तथा खाद्य आपूर्ति को रोकने सम्बन्धी निर्णयों को समाप्त करने का आग्रह किया गया था ।[58]

ईराक द्वारा कुवैत की समस्या को फिलिस्तीनी प्रश्न से जोड़े जाने पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत प्रतिनिधि

---

58. दैनिक जागरण - 23 मार्च, 1991.

शारोन्त्सोव द्वारा फिलीस्तीनी प्रश्न के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी आग्रह किया गया ।[59]

अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत से सम्बन्धित विवादों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत तथा सोवियत दृष्टिकोण पारस्परिक रूप से अनुकूल रहे, जहाँ पश्चिमी देशों, पाकिस्तान तथा चीन आदि का रुख विभिन्न समस्याओं पर भारत के प्रति असहयोगी रहा, वहाँ अपेक्षाकृत सोवियत नीति भारत सहयोगी रही । इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न ऐसे भी उपस्थित हुए जिनमें सोवियत संघ के प्रति भारतीय नीति को अपने दृष्टिकोण के कारण तीव्र आलोचनाओं का सामना करना पड़ा । ये प्रश्न हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप से सम्बन्धित हैं । इन घटनाओं में प्रत्यक्ष सोवियत हस्तक्षेप होने पर भी भारत द्वारा सोवियत नीति की आलोचना नहीं की गई ।

परन्तु यदि राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में इन घटनाओं में भारतीय नीति को देखा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि भारत ने सोवियत संघ से अपने परम्परागत मैत्री सम्बन्ध बनाये रखते हुए भी सोवियत संघ के हस्तक्षेप का विरोध किया । हंगरी विवाद में यद्यपि पं० नेहरू द्वारा सामान्य सभा में लाए गए प्रस्ताव का, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में हंगरी में चुनाव कराने का प्रावधान था, समर्थन नहीं किया गया तथापि विदेशी सेनाओं की वापसी तथा हंगरी की जनता द्वारा स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करने के अधिकार पर बल दिया गया ।

चेकोस्लोवाकिया विवाद में सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि जी० पार्थसारथी ने चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता तथा अखण्डता के प्रति भारत की

---

59. दैनिक जागरण - 22 मार्च, 1991

सम्मान भावना को प्रकट करते हुए विदेशी सेनाओं की वापसी की माँग की ।

अफगानिस्तान समस्या में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि ने सोवियत सेना की उपस्थिति को अनुचित बताते हुए सेनाओं की वापसी की अफगान जनता की माँग को उचित बताया । 3नवम्बर,1988 को महासभा में भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ की शीघ्र वापसी का प्रस्ताव रखा ।[60] इतना ही नहीं कोरिया प्रकरण तथा परमाणु अस्त्र विस्तार निषेधसन्धि के प्रश्न में भारत ने सोवियत संघ को सहयोग नहीं किया । वर्ष 1950 के कोरिया विवाद में प्रारम्भ में भारत ने सोवियत समर्थित उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करके सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा 1968 में परमाणु अस्त्र विस्तार निषेध सन्धि का प्रारूप प्रस्तुत किए जाने पर भारत ने हस्ताक्षर नहींकिए।

इस प्रकार कहा जा सकता हैकि संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न समस्याओं पर प्रायः भारत-सोवियत दृष्टिकोण समान रहे । तथापि कोरिया तथा परमाणु अस्त्र विस्तार निषेध सन्धि जैसे कुछ प्रश्नों पर भारतीय नीति ने सोवियत नीति का समर्थन नहीं भी किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत-सोवियत भूमिका का मूल्यांकन सोवियत नेता ब्रेझनेव के निम्नलिखित कथन से किया जा सकता है । उन्होंने कहा,-"यह बात छिपी नहीं है कि भारत की भूमिका और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा तथा प्रभाव का बढ़ना हर किसी को पसन्द नहीं है । कुछ तो इसमें

---

60. नवभारत टाइम्स, 4नवम्बर 1988.

बाधा डालने का भी प्रयास करते हैं । जहाँ तक सोवियत संघ की बात है, हम इस ऐतिहासिक परिवर्तन का स्वागत करते हैं । भारत की नयी भूमिका का स्वागत का कारण यह है कि इसकी नीति का उद्देश्य उन लक्ष्यों की प्राप्ति है, जो सोवियत नीति के भी लक्ष्य हैं यानि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादी युद्धों के विरुद्ध तथा शान्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए संघर्ष करना ।"[61]

00000000000
000000000
0000000
00000
000
0

---

61. जगदीश विभाकर, नयी दिशाएं तथा नयी संभावनायें, शब्दकार, नई दिल्ली 1975, पृष्ठ 69-70.

ष ष्ठ - अ ध्या य

भारत-सोवियत संघ सम्बन्ध और उसका भारत की विदेश नीति पर प्रभाव

किसी भी देश की विदेश नीति उस देश विशेष में होने वाले विकास की प्रक्रिया से निर्धारित होती है। विदेश नीति के निर्माण में आन्तरिक परिस्थितियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में आन्तरिक परिस्थितियाँ बाह्य क्षेत्र में अन्य देशों से साथ सम्बन्ध बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती है। परिस्थितियों के सन्दर्भ में ही निकटस्थ तथा दूरस्थ अथवा मित्र तथा विरोधी देशों के प्रति सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

विदेश नीति और राष्ट्रहित में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित निर्धारित करता है और विदेश नीति का लक्ष्य उसको प्राप्त करना होता है। राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में विदेशनीति क्रियाशील रहती है। इस प्रकार राष्ट्रहित विदेश नीति का आधारभूतसिद्धान्त है। राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के लक्ष्यों को निम्नांकित विभाजन के आधार पर समझा जा सकता है -

(1) प्राथमिक लक्ष्य : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखण्डता, आर्थिक हित एवं राष्ट्रीय शक्ति का संचय,

(2) मध्यवर्ती लक्ष्य : गैर राजनैतिक सहयोग प्राप्ति, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा दबाव गुट के अर्न्तराष्ट्रीय हितों की प्राप्ति,

[3] दीर्घकालीन लक्ष्य : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्व शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना की योजनाएं ।[1]

उपरोक्त लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत-सोवियत संघ के सम्बन्धों के आकलन से भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सोवियत संघ का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय हुआ । यूरेशिया महाद्वीप में स्थिति, अत्यधिक आर्थिक संसाधन, जनसंख्या एवं उच्च तकनीकी स्तर आदि अनेक तथ्यों ने सोवियत संघ को शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया । विश्व की प्रत्येक राजनैतिक घटना के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका सम्बन्ध है । सोवियत संघ के दक्षिण पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तथा पूर्व में चीन तथा जापान देश है । इसके पश्चिम में यूरोप के औद्योगिक एवं प्रगतिशील देश हैं तथा दक्षिण में पश्चिम एशिया के खनिज तेल सम्पन्न देश हैं । अत: स्थिति का प्रभाव यहाँ के इतिहास एवं विकास पर अत्यधिक पड़ा है । सोवियत संघ के दक्षिण पूर्व में भारत की स्थिति होने से दोनों देश भौगोलिक रूप से निकट हैं । दोनों देश की यह भौगोलिक निकटता शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रगाढ़ विकास के समान विचार को प्रोत्साहित करती है । केन्द्रीय और दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम एशिया के मध्य भारत की सामरिक स्थिति पुल का कार्य करती है तथा भारत की गुटनिरपेक्ष एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को सम्पूर्ण एशिया की शान्ति, सुरक्षा एवं सहयोग की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है ।

---

1. डॉ०बी०एल०फड़िया - इन्टरनेशनल पॉलिटिक्स, साहित्य भवन आगरा, 1988 पृष्ठ 164.

इस प्रकार दोनों देशों की स्थिति दोनों के राष्ट्रहितों के संवर्द्धन के लिए सहयोग एवं शान्ति का मार्ग प्रशस्त करती है ।[2] सीमाओं तथा देशों में तनावपूर्ण स्थिति होने से शान्ति,सुरक्षा एवं अखण्डता के लिए ही गम्भीर संकट नहीं उत्पन्न होता अपितु देश-विदेश के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने के लिए आर्थिक एवं औद्योगिक सहायता की आवश्यकता पड़ी । प्रारम्भिक वर्षों में पश्चिमी देशों से सहायता मिली तथा भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाये जाने के कारण सोवियत सहायता भी अधिक उदार रूप में प्राप्त हुई । यद्यपि मुद्रा के रूप में अमेरिका द्वारा सोवियत संघ की अपेक्षा भारत को अधिक आर्थिक सहायता दी गई है तथापि गुणवत्ता की दृष्टि से सोवियत संघ द्वारा संकटपूर्ण घड़ी में दी गई सहायता का महत्व अधिक है । भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सोवियत सहायता का परिणाम है जिसने आर्थिक विस्तार को नवीन आयाम दिया ।

सोवियत नेता ब्रेझनेव के सम्मान में लाल किले के मैदान में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी ने इस मैत्री की उपयोगिता के सन्दर्भ में कहा,-"एक बार मेरे पिता पं०नेहरू ने मैत्री को सर्वोत्तम उपहार बताया था । आज हमारे अनेक मित्र हैं और हम अधिक मित्र बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, पर मित्रता का वास्तविक मापदण्ड क्या है ? मित्रता का मापदण्ड है, अपने मित्र की संकटपूर्ण घड़ी में सहानुभूतिपूर्वक सहायता करना । आपने एक बार नहीं

---

2. पी०एन०हक्सर,टी०एन०कौल,आर०खान,वी०पी०दत्त,गिरीश मिश्रा,नैविल विक्टर,वी०डी०चोपड़ा-स्टडीज इन इण्डो सोवियत रिलेशन्स-पैट्रियाट पब्लिकेशंस,लिंक हाउस, नई दिल्ली - 1986,पृ०५

वरन् अनेक बार अपनी सहृदय मैत्री का परिचय दिया है ।

स्वतंत्रता से पूर्व आपका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक विकास की संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सोवियत सहायता ही प्रस्तावित हुई जिसके कारण आज भारत समाजवाद के पथ पर अग्रसर है ।

आपके द्वारा पहले भी सहायता दी गई परन्तु पिछले 2-3 सालों में दी गई सहानुभूति पूर्ण सहायता अत्यन्त महत्वपूर्ण है । दस लाख शरणार्थियों का अचानक भारत आगमन तथा युद्ध का संकट गम्भीर चुनौती बन गया था । ऐसे संकटकाल में भारत की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया .....केवल आपने वास्तविकताओं के धरातल पर हमारा साथ दिया जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बांग्लादेश का जन्म हुआ । निःसन्देह हमारी आवश्यकता के समय पूरा समर्थन एवं सहयोग देकर न केवल हमारे उत्साह को बढ़ाया अपितु दीर्घकालीन मैत्री को शान्ति, मैत्री और सहयोग की संधि द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया है ।[3]

उपरोक्त कथन समय-समय पर दिए गए सोवियत आर्थिक एवं राजनैतिक समर्थन की पुष्टि करता है । वर्ष 1970 के पश्चात् किए गए विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा तकनीकी समझौतों तथा उनके समयानुसार विस्तार ने भारत के बहुमुखी विकास की तीव्र वृद्धि में अभूतपूर्व

---

3. ट्रेवर ड्रिबर्ग, हारजी मलिक, डा०के० जोशी - द ग्रोइंग क्लोजर इण्डो सोवियत को-आपरेशन - सीक्रेट ऑफ फ्रेण्डशिप , विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लिमिटेड, दिल्ली-1974.

योगदान दिया है । रुपया-रूबल व्यापार,ऋण की उदार शर्तें,निर्यात एवं आयात की अनुकूल कीमतें, माल के रूप में भुगतान तथा राजनैतिक दबाव का अभाव भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक उन्नति में सहायक सिद्ध हुआ है । विशाल परियोजनाओं की स्थापना तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज दोनों देशों के पारस्परिक गतिशील सम्बन्धों को दर्शाती है ।

अन्तरिक्ष विज्ञान में तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में सोवियत सहायता के परिणामस्वरूप भारत ने विकासशील देशों में प्रमुख स्थान बनाया है । भारत द्वारा परमाणु विस्फोट इस दिशा में प्रगति का सूचक है ।

राष्ट्रीय शक्ति का संचय राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक बन गया है । किसी भी राष्ट्र की सैन्य शक्ति राष्ट्र को सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाती है । अपनी सीमाओं की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए भारत को आवश्यकतानुसार आधुनिक अस्त्र-शस्त्र के संचय के लिए पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबन्ध लगा देने पर सोवियत संघ द्वारा न केवल उच्चस्तरीय हथियार रियायती दर पर प्रदान किए गए अपितु देश में ही मिग विमान बनाने के कारखाना स्थापित करने में सहयोग दिया गया ।[4]

भारत-सोवियत संघ द्वारा आयोजित उत्सव,शिक्षाविदों का आदान-प्रदान,शैक्षणिक गोष्ठियाँ, सम्मेलन, साहित्य अनुवाद,विश्वविद्यालयों में भाषाओं के अध्ययन की सुविधा से दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक एवं गैर-राजनैतिक सहयोग की शृंखला प्रारम्भ हुई ।

प्रत्येक राष्ट्र में दबाव गुटों के अन्तर्राष्ट्रीय हित होते हैं । शासन पर इनके दबाव के कारण नीति निर्माण में इनका ध्यान रखा जाता है। उदाहरणार्थ – भारत और सोवियत संघ की विदेशनीति अरब समर्थक है ।

---

4. फ्रन्ट लाइन, अगस्त, 1990

दोनों देश मध्य-पूर्व में अरब समस्या के शान्तिपूर्ण एवं न्यायसंगत समाधान पर बल देते हैं ।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के दीर्घकालीन उद्देश्यों में भी पर्याप्त समानता है । भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति का सार तत्व तनाव शैथिल्य है । किसी भी गुट या सैन्य संगठन के साथ न बँध कर समस्या के तनाव में कमी करते हुए शान्तिपूर्ण समाधान खोजना भारतीय नीति का लक्ष्य रहा है । सर्वप्रथम, महाशक्तियों में सोवियत संघ ने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त को मान्यता देकर अपनी शान्तिप्रिय नीति को स्पष्ट किया । स्टालिन काल के पश्चात,लौह-आवरण की नीति को त्यागकर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त का सोवियत नीति द्वारा प्रतिपादन किए जाने से दोनों देशों की वैचारिक धरातल पर समानता दृष्टव्य होती है । दोनों देशों द्वारा विश्वशान्ति और सुरक्षा को प्रधानता देतेहुए युद्ध तथा युद्ध की सम्भावनाओं को टालने के प्रयत्न किए जाते रहे हैं । निः-शस्त्रीकरण को शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने का प्रभावी उपाय बताते हुए दोनों देशों ने इस दिशामें ठोस कदम उठाये हैं । वर्ष 1986 की 'दिल्लीघोषणा' द्वारा दोनों पक्षों ने मानवजाति को विनाश से बचाने के लिए आणविक शस्त्रों पर रोक लगाने का कार्य किया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण समर्थन दिए जाने से यह तथ्य सुनिश्चित हो जाता है कि जहाँ पश्चिमी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को मात्र विवादमंच समझा, वहीं सोवियत संघ

और भारत ने इसे समाधान मंच की महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की ।

साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, जातिवाद और शोषण की नीतियों के विरुद्ध दोनों देशों ने समान रूप से अभियान चलाया,। हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के लिए दोनों पक्षों ने सैन्य अड्डे स्थापित करने को अनुचित बताया तथा एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अविकसित देशों में पूंजीवादी प्रभाव की निन्दा करते हुए प्रत्येक देश को उसके स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाने का समर्थन किया । इतना ही नहीं, वरन् अविकसित देशों के विकास के लिए एक ऐसी नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आह्वाहन किया जिससे यह देश आर्थिक रूप से अधिक लाभान्वित हो सकें । मध्यपूर्व, पश्चिम एशिया तथा यूरोप के विवादग्रस्त प्रश्नों के समाधान के लिए दोनों देशों ने युद्ध तथा शीतयुद्ध की अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा न्यायसंगत समाधान ढूंढे जाने पर बल दिया ।

इस प्रकार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर वैचारिक समानता ने दो विभिन्न सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था वाले देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई । विदेशनीति के उद्देश्यों के प्रकाश में दोनों देशों के सम्बन्धों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विचारों में समानता होने के कारण ही एक महाशक्ति तथा एक उभरती हुई शक्ति के मध्य आर्थिक, औद्योगिक तथा राजनैतिक गठबन्धन सम्भव हो सका।

भारत - सोवियत सम्बन्धों के कारण बहुधा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि भारतीय विदेश नीति का झुकाव पश्चिमी देशों की अपेक्षाकृत सोवियत संघ की ओर अधिक रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं

पर भारतीय दृष्टिकोण सोवियत दृष्टिकोण के अनुकूल रहा है ।

कुछ घटनाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है जैसे कि भारत ने सोवियत संघ के साथ शान्ति, मैत्री तथा सहयोग की सन्धि पर हस्ताक्षर करके अन्य देशों की अपेक्षा सोवियत संघ से सम्बन्धों को प्राथमिकता दी ।

वियतनाम समस्या में अमेरिका दक्षिण वियतनाम तथा सोवियत संघ उत्तर वियतनाम का समर्थक था । भारत ने वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप तथा उत्तरी वियतनाम पर बमबारी तथा हिंसात्मक गतिविधियों की आलोचना करके सोवियत संघ को समर्थन दिया । वियतनाम के एकीकरण के प्रश्न पर उत्तरी वियतनाम को भारत और सोवियत संघ द्वारा समर्थन दिए जाने तथा दक्षिणी वियतनाम द्वारा इसका विरोध किए जाने से स्पष्ट हो गया कि भारत वियतनाम में साम्यवाद का विजय का इच्छुक था।[5]

अरब-इजरायल संघर्ष में भारत ने अरब राष्ट्रों के तुष्टीकरण के लिए इजरायल को दोषी ठहराते हुए अरब देशों का पक्ष लिया । इस सम्बन्ध में सोवियत नीति भी अरब राष्ट्रों की पक्षधर रही है । अतः भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ का ही समर्थन किया ।

अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैन्य हस्तक्षेप द्वारा अफगानिस्तान की स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता का उल्लंघन होने पर भारत द्वारा सोवियत कार्यवाही का विरोध न करने के निर्णय से भारत के अनुचित सोवियत समर्थन को प्रकट किया । ऐसा करके भारत ने हंगरी की तथा चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति को दोहराया।

---

5. डॉ०एम०के०श्रीवास्तव - भारत की विदेश नीति - 1978, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ 391-392.

कम्बोडिया समस्या में सोवियत समर्थित हैंग साम्रिन सरकार को कूटनीतिक मान्यता देकर भारत ने सोवियत संघ को सहयोग दिया ।

हिन्द महासागर को शान्तिक्षेत्र,बनाने के सम्बन्ध में भारत द्वारा अमेरिका के नौसैनिक अड्डे स्थापित करने का जितना प्रबल विरोध किया गया,उतना सोवियत नौसैनिक उपस्थिति के लिए नहीं किया गया ।

इसके अतिरिक्त भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के देशों को सम्मिलित करके उन्हें समाजवादी आदर्शों के अन्तर्गत सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाने का माध्यम बनाया गया । क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना तथा क्यूबा के राष्ट्रपति को गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाना उपरोक्त सन्देह की पुष्टि करता है । इस सम्मेलनों में भारत द्वारा समय-समय पर विश्व के अन्य देशों में पश्चिमी शक्तियों के हस्तक्षेप का प्रबल विरोध किया गया परन्तु सोवियत हस्तक्षेप पर मौन धारण करना भारतीय नीति पर महत्वपूर्ण सोवियत प्रभाव को दर्शाता है । भारत द्वारा अफगान समस्या में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप पर अत्यन्त देर से प्रभावहीन प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने की गतिविधि ने स्पष्ट कर दिया कि यह भारतीय समर्थन सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में दिए गए समर्थन के बदले में था ।[6]

उपरोक्त समस्याओं के सन्दर्भ में विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि भारत की विदेश नीति व्यवहारिक रूप से सोवियत सम्बन्धों से प्रभावित रही है परन्तु वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं है ।

---

6. कर्नल रवि नन्दा - इण्डो-पाक दितान्त -सुपर एण्ड मिन पावर्स इन एशिया-1989, एस0कुमार लेन्सर्स बुक्स, नई दिल्ली, पृ0-175

विदेश नीति के निर्धारण और संचालन में राष्ट्रीय हितों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके विदेश नीति का संचालन नहीं किया जा सकता । अत: राष्ट्रीय हित वह प्रभावशाली सूत्र है जिन्होंने भारत की विदेश नीति को सोवियत नीति के निकट आने का अवसर प्रदान किया । पारस्परिक सम्बन्धों की निकटता तथा विचारों की समानता ने आर्थिक तथा राजनैतिक सहायता का मार्ग प्रशस्त किया, परन्तु आर्थिक सहायता का उद्देश्य राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित करना नहीं था । यद्यपि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में भारतीय तथा सोवियत दृष्टिकोण परस्पर अनुकूल रहे हैं तथापि इसका कारण मात्र विचारों की समानता तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की भावना है । इसके अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियों ने भी दोनों देशों को समान विचारधारा अपनाने को प्रेरित किया । भारत-सोवियत मैत्री सन्धि ऐसे समय में सम्पन्न हुई थी जब भारत को अनावश्यक रूप से पूर्वी पाकिस्तान समस्या के सन्दर्भ में आर्थिक और राजनैतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । चीन-पाकिस्तान और अमेरिका के गठबन्धन ने भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । सोवियत संघ के चीन और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते हुए सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया में शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए सोवियत संघ को भारत की आवश्यकता थी । इस प्रकार पारस्परिक राष्ट्रीय हितों ने दोनों पक्षों के लिए सन्धि का वातावरण तैयार किया ।

वियतनाम समस्या के सन्दर्भ में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के प्रसार की नीति के कारण वियतनाम के एकीकरण के लिए प्रयास किए । एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में अशान्ति तथा अस्थिरता के

वातावरण से सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप की स्थिति प्रभावित होती, अतः भारत ने उत्तरी वियतनाम के स्वतंत्रता आन्दोलन को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का सदस्य होने के कारण पूरा समर्थन दिया तथा सोवियत संघ का समर्थन उत्तरी वियतनाम को उस क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता बनाये रखने तथा अमेरिका के प्रभाव को रोकने के लिए दिया गया ।[7] अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के विचारों की समानता ने पुनः दोनों पक्षों को अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने का अवसर दिया ।

पश्चिमी एशिया में अरब-इजरायल संघर्ष के कारण तेल-कूटनीति का प्रयोग किया जाने लगा । इसका तात्पर्य यह है कि अरब राष्ट्रों द्वारा इजरायल को समर्थन देने वाले देशों को तेल देना बन्द कर दिया गया । तेल निर्यात बन्द कर देने तथा तेल मूल्य में वृद्धि से ऊर्जा संकट उत्पन्न होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था के समक्ष गम्भीर चुनौतियाँ आने लगीं । अतः राजनैतिक यथार्थवाद के दृष्टिकोण से भारत ने अरब राष्ट्रों का पक्ष लिया । सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया से अपनी भौगोलिक समीपता के कारण सदैव पश्चिमी उपनिवेशवाद का विरोध किया तथा खनिज तेल के विशाल भण्डार के आकर्षण के कारण उसने अरब राष्ट्रों का समर्थन किया । सोवियत संघ अरब राष्ट्रों के संरक्षक के रूप में माना जाता है क्योंकि अरब राष्ट्रों की आवश्यकतानुसार शस्त्र तथा आर्थिक सहायता की पूर्ति उसके द्वारा की जाती रही है । इस प्रकार खनिज तेल के अत्यधिक सामरिक महत्त्व ने भारत और सोवियत संघ की राजनीति के विविध स्वरूपों को प्रभावित किया ।

---

7. डॉ०एन०के०श्रीवास्तव - फॉरेन पालिसी ऑफ इण्डिया, साहित्य भवन, आगरा, 1978, पृष्ठ-352.

अफगानिस्तान समस्या के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में यह कहा गया कि सोवियत सेनाओं की वापसी तथा बाह्य हस्तक्षेप की समाप्ति एक साथ होनी चाहिए। अमेरिका तथा चीन द्वारा निरन्तर सैन्य सहायता पाकिस्तान को दिए जाने से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया तथा भू-राजनीति की दृष्टि से अफगानिस्तान का भारत का पड़ोसी देश होने के कारण वहाँ की अशान्ति और अस्थिरता का प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था, अतः भारत द्वारा सोवियत सैनिकों की वापसी को आवश्यक बताया गया परन्तु साथ ही बाह्य शक्तियों [अमेरिका] के हस्तक्षेप का भी विरोध किया गया।

सोवियत संघ द्वारा सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का निर्णय राष्ट्रीय हित पर आधारित बताया गया जिससे कि अमेरिका और चीन, सोवियत संघ विरोधी अभियान में अफगानिस्तान को अपना अड्डा नहीं बना सकें। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर सोवियत सैनिक वापस बुला लिए जायेंगे।

दक्षिणी-पूर्वी एशिया में कम्बोडिया की समस्या महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण जटिल होती गई। अमेरिका और चीन ने कम्बोडिया में पोलपोट सरकार को मान्यता दी जबकि पोलपोट के अत्याचारी शासन के विरुद्ध भारत ने हेंग सामरिन सरकार को मान्यता दी तथा समस्या के सैनिक समाधान की आलोचना की।

सोवियत संघ ने अमेरिकी तथा चीनी विस्तारवाद को इस क्षेत्र में बढ़ने से रोकने के लिए वियतनाम के माध्यम से अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करके

वैंग सामरिन के नेतृत्व को मान्यता दी ।

हिन्द महासागर में बढ़ते हुए सैन्यीकरण के विरुद्ध भारत ने सदैव विरोध किया । अमेरिकी नीति इस क्षेत्र में नौ सैनिक अड्डा स्थापित करके अपना प्रभुत्व कायम करने की रही है जबकि उसकी प्रतिस्पर्द्धा में शक्ति सन्तुलन बनाये रखने के लिए सोवियत संघ ने भी हिन्द महासागर में सैन्य शक्ति को बढ़ाना आवश्यक समझा । परन्तु भारत ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए महाशक्तियों तथा अन्य देशों की सैन्य-स्पर्द्धा समाप्त करने के लिए तटवर्ती देशों तथा दूसरे सम्बद्ध देशों के विश्व सम्मेलन के आयोजन की मांग की ।

भारत के समस्त जल मार्ग हिन्द महासागर से होकर गुजरने के कारण भारत के लिए हिन्दमहासागर क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता बनाये रखना अत्यावश्यक है । यद्यपि सोवियत संघ की हिन्द महासागर में सक्रियता रही है तथापि उसने भारत के शान्ति प्रस्तावों का सदैव समर्थन किया है । विभिन्न भारत-सोवियत संयुक्त वक्तव्यों के उदाहरण से ज्ञात होता है कि भारत की शान्तिप्रिय नीति के कारण सोवियत संघ ने टकराव तथा संघर्ष की स्थिति को टालने का प्रयास किया है ।

इस प्रकार भारत तथा सोवियत संघ के अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में समान विचार अपनाने का कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ तथा राष्ट्रीय हित प्रमुख रहे हैं । प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी के अनुसार, "सोवियत संघ और भारत की मैत्री सतही नहीं है बल्कि कुछ निश्चित और आधारभूत सिद्धान्त इसे जोड़े हुए हैं । दीर्घकाल की मैत्री में सोवियत संघ द्वारा हम पर कभी यह

दबाव नहीं डाला गया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ।"[8]

भारत-सोवियत मैत्री की दीर्घ-कालावधि में कुछ ऐसे प्रश्न भी आए जिन्होंने दोनों पक्षों के मध्य असहमति को प्रकट किया । यदि भारत की विदेशनीति पर सोवियत सम्बन्धों का अनुचित प्रभाव होता तो भारत द्वारा प्रत्येक प्रश्न पर सोवियत प्रभाव को उसके गुण-दोष के निर्धारण के बिना ही स्वीकार कर लिया जाता ।

प्रश्न चाहे सोवियत इनसाइक्लोपीडिया में भारत की उत्तरी सीमा के क्षेत्र को चीन से सम्बन्धित दिखाये जाने का हो, अथवा पाकिस्तान को सोवियत शस्त्र आपूर्ति का, भारत द्वारा सोवियत नीति का आवश्यकता पड़ने परविरोध किया गया ।

सोवियत नेता ब्रेझनेव द्वारा प्रतिपादित एशियाई सुरक्षा योजना में भारत ने विशेष रुचि नहीं दिखाई । यह योजना बार बार भारत को दी गई परन्तु नई दिल्ली द्वारा इस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई । गोर्बाचोव द्वारा प्रस्तावित एशिया-प्रशान्त क्षेत्र समझौते पर भी भारत की प्रतिक्रिया सोवियत आकांक्षाओं के अनुसार नहीं थी ।[9] अतः भारतीय नीति का सोवियत संघ की ओर झुकाव का आरोप उचित नहीं प्रतीत होता है ।

---

8. ट्रेवर फिशर्ग, हारजी मलिक, डी०के०जोशी - टु वर्डस क्लोजर इण्डो-सोवियत को-आपरेशन सीक्रेट आफ फ्रेन्डशिप-विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०, नई दिल्ली 1974.
9. दिलीप बाबा, इन्द्रजीत बधवार, देव मुरारका - भारत-रूस मैत्री - इण्डिया टुडे, 1-15 दिसम्बर 1986, पृष्ठ-66.

विदेश नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे विदेशी सैन्य उपस्थिति तथा नौसैनिक अड्डों के विरोध में भारत की नीति अपरिवर्तनीय रही है । प्रख्यात राजनैतिक समीक्षक जे0विलियम बेन्डस के अनुसार-" यदि हम भारत की विदेश-नीति पर मास्को के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण परिदृश्य को देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि किसी भी आधारभूत मुद्दे पर नई दिल्ली के निर्णय के पीछे सोवियत संघ का प्रभाव नहीं रहा है ।"[10]

वस्तुत: भारत-सोवियत सम्बन्ध स्वस्थ मानसिकता के परिचायक हैं । एक-दूसरे पर अविश्वास की प्रवृत्ति के बजाय दोनों देशों ने सम्बन्धों में सामंजस्य को प्रमुखता दी तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण समाधान द्वारा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया ।

वर्ष 1970 से 1986 की कालावधि में भारत-सोवियत सम्बन्धों में सहमति और सहयोग के अवसर ही अधिक बार उपस्थित हुए । विश्व शान्ति तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति ने दोनों देशों को समान विचार अपनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने को प्रेरित किया । इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत को दी जाने वाली सोवियत आर्थिक सहायता ने भारत के राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जबकि पश्चिमी देशों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता दबावयुक्त होती थी । विशेषकर अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में यह संकट अनेक बार उपस्थित हुआ ।

---

10. सुरजीत मानसिंह - इण्डियाज सर्च फॉर पावर - द क्वेश्चन ऑफ सोवियत इन्फ्लूयेन्स इन इण्डिया-सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-1984.

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत-सोवियत सम्बन्धों का भारत की विदेशनीति पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मित्र के रूप में सोवियत संघ का साथ पाया जिसने सदैव संकट के क्षणों में, चाहे वह राजनैतिक संकट हो अथवा आर्थिक, भारत का साथ दिया परन्तु इस सोवियत सहायता का आशय भारत के राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित करना नहीं था । अपितु दक्षिण एशिया क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व तथा सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना था । इस प्रकार जहाँ सोवियत संघ ने तृतीय विश्व के विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत का साथ पाया, वहीं भारत ने सोवियत संघ को प्रतिक्रियावादी शक्तियों के मुख्य अवरोधक के रूप में देखा । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हितों की पारस्परिक समानता ने दो विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के मध्य मैत्री सूत्र को विकसित करते हुए सम्बन्धों की रचनात्मक प्रासंगिकता को बनाये रखा ।

000000000
0000000
00000
000
0

स प्त म - अ ध्या य

सारांश एवं निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में भारत-सोवियत संघ सम्बन्धों का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है । भारत - सोवियत सम्बन्धों की विशेषता है कि वह न केवल पारस्परिक रूप से लाभदायक रहे हैं बल्कि विश्व के राजनैतिक वातावरण पर भी गहरा एवं सकारात्मक प्रभाव डालते रहे हैं ।

भारत - सोवियत संघ के मध्य सम्बन्धों की एक दीर्घ तथा विस्तृत भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जिसने दोनों देशों के पारस्परिक मैत्री क्रम को उत्तरोत्तर विकसित किया।

दक्षिण एशिया में स्थित भारत तथा यूरोप और एशिया में विस्तृत सीमा वाले सोवियत संघ के मध्य सम्बन्ध अन्तर्निर्भरता तथा विकास की अवधारणा के कारण उभरे परन्तु विचारों की समानता ने कालान्तर में दोनों देशों को अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर समान दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरणा कार्य किया ।

प्राचीन काल से भारत तथा सोवियत संघ के मध्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक आदि सम्बन्ध रहे हैं । प्रारम्भिक 12वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ सहयोग का क्रम जो निरन्तर विकास के सोपानों से होता हुआ वर्तमान काल तक पहुँचा, वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 15वीं शताब्दी में रूसी व्यापारी अफनासी निकितिन के प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण से भारतीय संस्कृति तथा जीवन के प्रति रूसी जनमानस को जानने तथा समझने का अवसर

किया । फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य यात्राओं का विकास होने से सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा राजनैतिक सम्बन्धों की पृष्ठभूमि विकसित होने लगी ।

भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी तत्पश्चात ब्रिटिशशासन के राजनैतिक,आर्थिक और सामाजिक शोषण ने रूसी जनता के प्रत्येक वर्ग को उद्वेलित किया । वर्ष 1857 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम को रूसियों ने ग्रेट ब्रिटेन की निरंकुश तथा बर्बर नीति का परिणाम बताते हुए भारत के स्वाधीनता संघर्ष को समर्थन किया । वर्ष 1905 की प्रथम रूसी क्रान्ति ने भारतीय जनता की राजनैतिक चेतना पर व्यापक प्रभाव डालते हुए ब्रिटिश सरकार के प्रति संघर्ष को तीव्र करने का आवाहन किया । इसके पश्चात 1917 में हुई महान् अक्टूबर रूसी क्रान्ति ने भारतीय जनता के समक्ष दमन तथा शोषण की नीति का प्रतिकार करने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । भारतीय नेताओं तथा जनता पर इन रूसी घटनाओं ने गहन प्रभाव डाला तथा यह धारणा बनने लगी कि शोषणकारी साम्राज्यवादी नीति का अन्त सम्भव है । जून,1941 में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर भारत द्वारा हिटलर के विरूद्ध रूस की विजय की कामना की गई । इस प्रकार राजनैतिक संकट के क्षणों में दोनों देशों द्वारा सहयोग दिए जाने से भारत-सोवियत राजनैतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए । अप्रैल 1947 में भारत-सोवियत संघ के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित हुए । यद्यपि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति अगस्त, 1947 में प्राप्त हुई तथापि पूर्व स्थापित राजनैतिक सम्बन्धों ने भारत-सोवियत विचारों की समानता को प्रदर्शित किया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत-सोवियत सम्बन्धों के

विस्तार को नया आयाम मिला । राष्ट्रीय हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने दोनों देशों के मध्य मैत्री और सक्रिय सहयोग की आधारशिला रखी । उनके प्रयत्नों से मैत्री की परम्परा सुचारु रूप से विकसित हुई ।

प्रारम्भिक कुछ वर्षों में भारत की राष्ट्रमण्डल की सदस्यता, पं० नेहरू की अमेरिका यात्रा, तथा भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन आदि प्रसंगों के कारण सोवियत नेतृत्व ने भारत के प्रति संशय का अनुभव किया परन्तु बाद में कोरिया युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलवाने आदि घटनाओं ने भारत के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को परिवर्तित किया । स्टालिन की मृत्यु के पश्चात सोवियत संघ ने भारत के सन्दर्भ में उसकी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका विकसित होने पर पूर्णतः उदारवादी एवं सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया । संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर तथा गोआ के विवादों पर पाकिस्तान, चीन तथा अमेरिका के विपरीत सोवियत संघ द्वारा भारत के प्रस्तावों को समर्थन दिया गया ।

दोनों देशों के नेताओं द्वारा यात्राओं की राजनीति प्रारम्भ की गई जिससे न केवल राजनैतिक स्तर पर सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए बल्कि इस सहयोग को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की सम्भावनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ । भारत-चीन युद्ध में सोवियत संघ ने तटस्थता की नीति अपनाते हुए शीघ्र युद्धबन्दी तथा वार्ता द्वारा विवाद सुलझाये जाने पर बल दिया । सोवियत संघ के इस व्यवहार का प्रमुख कारण तत्कालीन क्यूबा संकट की जटिलता थी । भारत-पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका के द्वारा दक्षिण एशिया के शान्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया।

फलस्वरूप ताशकन्द समझौते का जन्म हुआ । इस प्रकार गुटनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री का एक गुटबन्दी को प्रोत्साहन देने वाले देश पाकिस्तान के साथ हुआ यह समझौता सोवियत नीति के प्रमुख सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक बन गया ।

भारत-सोवियत सम्बन्धों के इतिहास में सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को वर्ष 1968 में शस्त्र आपूर्ति के प्रस्ताव से चिन्तापूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई परन्तु सोवियत संघ द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता से भारत के साथ सोवियत सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुनः सम्बन्ध सामान्यीकरण की दिशा में अग्रसारित होने लगे ।

राजनैतिक सहयोग के साथ-साथ सोवियत संघ द्वारा भारत को आर्थिक विकास के लिए भी पर्याप्त सहायता दी गई तथा भारत ने आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ के अनुभवों से लाभ उठाते हुए नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई । भारत द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने का कारण दीर्घकाल के औपनिवेशिक शोषण से जर्जर हुई आर्थिक संरचना को सुदृढ़ बनाना था । भारत के आधारभूत उद्योगों में भिलाई इस्पात कारखाना, राँची का भारी मशीन उद्योग, हरिद्वार का बिजली कारखाना तथा ऋषिकेश में स्थापित एन्टीबायोटिक कारखाना आदि सोवियत सहायता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनके द्वारा भारत के औद्योगिक विकास को नई गति मिली । आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग में निरन्तर वृद्धि ने भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को कम कर दिया । इस प्रकार सोवियत संघ ने भारत को राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग देकर यह सिद्ध कर

दिया कि स्टालिन काल का वह सोवियत संघ, जो किसी गैर साम्यवादी देश के साथ सम्बन्ध नहीं बनाना चाहता था, उसने न केवल भारत को प्रत्येक सम्भव सहायता दी बल्कि सम्बन्ध और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए निरन्तर सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर भी बल दिया ।

स्वतंत्रता पूर्व रूसी क्रान्तियों ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के दमन के विरोध के लिए प्रोत्साहन दिया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सोवियत नीति ने राजनैतिक तथा आर्थिक संकट के प्रश्नों में पश्चिमी देशों तथा चीन, पाकिस्तान की संयुक्त कूटनीति के विरुद्ध भारत को आवश्यक सहयोग दिया । यद्यपि प्रारम्भ में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के विरुद्ध सोवियत संघ संशय की स्थिति में रहा तथापि बाद की घटनाओं में भारत के दृष्टिकोण ने सोवियत नीति में परिवर्तन किया जिससे सहयोग का क्रम आगे बढ़ा ।

वर्ष 1970 से 1988 के दीर्घकाल की घटनाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत-सोवियत सम्बन्धों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की नीतियों के महत्व को समझना, तदनुरूप कार्य करना उत्तरदायी रहा है । भारत द्वारा सोवियत संघ की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति तथा सोवियत संघ द्वारा भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का आकलन वस्तुतः दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ । विभिन्न आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था वाले दो देशों के मध्य निरन्तर मैत्री सूत्र का विकसित होना इस तथ्य को प्रकट करता है कि कुछ महत्वपूर्ण

आधारभूत सिद्धान्त अवश्य हैं जिन्हें दोनों देशों की सहमति प्राप्त है तथा जो दोनों देशों को पारस्परिक रूप से जोड़े हुए हैं ।

दीर्घकाल के मैत्री सम्बन्धों में कुछ अवसर ऐसे भी उपस्थित हुए जिनके कारण शंका तथा तनाव का वातावरण बना परन्तु यह स्थिति अस्थाई ही रही । जैसे - सोवियत संघ द्वारा भारतीय क्षेत्र को मानचित्र में चीन से सम्बन्धित दिखाया जाना तथा पाकिस्तान को शस्त्र आपूर्ति करना। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत द्वारा सोवियत संघ को वस्तु स्थिति से अवगत कराना तथा सोवियत संघ द्वारा भारत की चिन्ता के कारण की समाप्ति के लिए आश्वासन देना, दोनों देशों के सम्बन्धों की उस उच्च परिपक्व स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के प्रति सन्देह तथा अविश्वास को स्थान देना नहीं है । इस प्रकार भारत-सोवियत संघ के मध्य सम्बन्ध स्वायत्त प्रकृति के हैं जो असहमति के प्रश्नों को समाप्त करके सम्बन्धों की घनिष्ठता का विकास करना चाहते हैं ।

राजनैतिक क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सम्बन्धों को भी घनिष्ठ बनाने के प्रयास हुए । वर्ष 1970 में दोनों देशों के मध्य व्यापारिक वृद्धि के लिए पंचवर्षीय व्यापारिक समझौता किए जाने से आर्थिक सहयोग के विकास की संभावनाओं को विस्तृत आयाम प्राप्त हुआ । सहयोग का यह क्रम निर्बाध गति से आगे आने वाले वर्षों में अनवरत चलता रहा । समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर बल दिया गया ।

9अगस्त, 1971 की भारत सोवियत शान्ति,मैत्री तथा सहयोग की सन्धि दोनों देशों के सम्बन्धों के क्रमिक विकास का वह महत्वपूर्ण चरण है जिसने तत्कालीन राजनैतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दिया । पाकिस्तान, चीन तथा अमेरिका के गठबन्धन के कारण पूर्वी पाकिस्तान के सन्दर्भ में जो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उनका भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । परिणामस्वरूप भारत को आर्थिक तथा राजनैतिक मोर्चे पर कठिनाई का सामना करना पड़ा । भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन से जहाँ एक ओर भौतिक रूप से भारत को आर्थिक एवं राजनैतिक संकट झेलने पड़े, वहाँ दूसरी ओर भारत के अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने के दबाव के आग्रह को अस्वीकृत किए जाने से नैतिक रूप से भी भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस घटना ने भारत को अमेरिका तथा चीन की मनोवृत्ति को समझने का अवसर दिया ।

ऐसे निर्णायक काल में सोवियत संघ द्वारा समस्या के प्रति मानवीय एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया । सोवियत संघ ही सर्वप्रथम वह महाशक्ति थी जिसने समस्या की गम्भीरता को समझा तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पूर्वी पाकिस्तान में रक्तपात तथा नरसंहार की समाप्ति के लिए शीघ्र राजनैतिक समाधान ढूंढने को कहा । तनावपूर्ण वातावरण में सोवियत संघ का भारत के प्रति सहयोग नैतिक तथा भौतिक रूप से अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुआ तथा पारस्परिक सम्बन्धों की श्रृंखला और अधिक सुदृढ़ हुई । भारत को सोवियत संघ का साथ एक ऐसे विश्वस्त मित्र के रूप में प्राप्त हुआ जिस पर संकटकाल में विश्वास किया

जा सकता था । चीन तथा अमेरिका के असहयोगी दृष्टिकोण ने स्वाभाविक रूप से भारत को सोवियत संघ से सम्बन्ध में बनाने को प्रेरित किया ।

यद्यपि मैत्री सन्धि के कारण भारत को विभिन्न प्रतिक्रियाओं का केन्द्र बनना पड़ा पश्चिमी देशों के अतिरिक्त भारत में भी कुछ वर्गों द्वारा सन्धि की आलोचना की गई । आरोप लगाया गया कि सन्धि के द्वारा भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया है और वह सोवियतोन्मुखी हो गया है । यह सन्धि असमान देशों के मध्य हुई एक सैनिक सन्धि है । परन्तु कालान्तर की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि इस सन्धि के द्वारा दोनों पक्षों पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया । सोवियत संघ ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उसे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के तनावों में कमी करने का प्रमुख प्रेरक तत्व बताया । भारत द्वारा अन्य देशों से भी ऐसी सन्धियों का प्रस्ताव किया गया जिससे भारत की वृहद मानसिकता का परिचय दिया ।

दिसम्बर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ द्वारा भारत को पूर्ण समर्थन दिया गया । अमेरिका तथा चीन को हस्तक्षेप न करने देने की सोवियत संघ द्वारा चेतावनी ही नहीं दी गई बल्कि अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में नौसेना बेड़े को उतारने पर सोवियत युद्धपोत को भी उतारा गया । पाकिस्तानी समर्पण के साथ युद्ध समाप्त हुई और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ । बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने के भारत के प्रस्ताव का सोवियत संघ ने पूर्ण समर्थन किया । इस प्रकार भारत को सहायता की आवश्यकता होने पर सोवियत

संघ ने सहयोग देकर अपनी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का परिचय दिया । व्यावहारिक रूप से सोवियत संघ ने जहाँ एशिया के नए शक्ति-सन्तुलन में भारत को एक प्रभावशाली भूमिका वाले देश के रूप में देखा तो भारत ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की विस्तारवादी नीति के प्रमुख अवरोधक के रूप में देखा ।

साथ ही मैत्री सन्धि के एक वर्ष बाद आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग में वृद्धि के लिए भारत-सोवियत संयुक्त आयोग स्थापित करने का निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त विज्ञान और तकनीकी सहयोग की वृद्धि के लिए व्यापक अनुसन्धान कार्यक्रम तैयार करने के विषय में समझौता किया जिसके अनुसार दोनों देश एक-दूसरे को वैज्ञानिक विषयों में जानकारी, उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध करायेंगे । सोवियत संघ और भारत के मध्य वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों में सहयोग का यह समझौता भारत सरकार की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत था क्योंकि इसके पूर्व भारत को पश्चिमी राष्ट्रों से वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त होती थी । पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली सहायता दबावयुक्त होने के कारण भारत ने उदार सोवियत सहायता को अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया । आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को घनिष्ठता की ओर अग्रसर किया।

सोवियत नेता ब्रेझनेव की वर्ष 1973 में भारत यात्रा ने भारत के साथ सोवियत संघ के बहुपक्षीय सम्बन्धों को विस्तृत आधार प्रदान किया । विभिन्न आर्थिक और व्यापारिक समझौतों ने भारत और सोवियत संघ को

परस्पर निकट आने का अवसर दिया ।

भारत के परमाणु विस्फोट की पश्चिमी देशों द्वारा आलोचना की गई जबकि सोवियत संघ ने भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से, सक्षम और प्रगतिशील देश मानते हुए परमाणु परीक्षण का स्वागत किया ।

काश्मीर प्रश्न भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्वाधिक तनाव और विवाद का मुद्दा रहा है । जब भी पाकिस्तान को अवसर मिला उसने काश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त अन्यत्र भी चर्चा का विषय बनाया । मई 1974 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो के चीन पहुँचने पर उनके सम्मान भोज में चीनी उपप्रधानमंत्री टैंग सियाओ पैंग ने काश्मीर की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया । सोवियत संघ ने भारत के मामलों में चीन के इस हस्तक्षेप की निन्दा की और काश्मीर पर भारत के अधिकार का समर्थन किया । इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर सोवियत संघ ने भारत को काश्मीर विवाद पर खुलकर समर्थन दिया, चाहे काश्मीर प्रश्न को पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया हो अथवा अन्य कहीं । सोवियत संघ ने सदैव काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना।

भारत में आपातकाल लागू किए जाने के कांग्रेस सरकार के निर्णय को पश्चिमी देशों के विपरीत सोवियत संघ ने प्रगतिशील शक्तियों की विजय का प्रतीक मानते हुए उसे पूरा समर्थन दिया । इस समय श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं द्वारा भारत सोवियत सम्बन्धों को एक अनूठा आदर्श बताते हुए विश्वशान्ति के लिए लाभप्रद बताया । यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देशों के चौमुखी विकास के लिए नए क्षेत्रों में सहयोग देने पर बल दिया गया तथा

तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के विषय में चर्चा की गई।

इस प्रकार कांग्रेस शासनकाल में भारत-सोवियत सम्बन्ध प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हुए। भारत-सोवियत सन्धि तथा भारत-पाक युद्ध की घटना में सोवियत समर्थन ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को एक जीवन्त गतिशीलता प्रदान की। दोनों देशों के नेताओं को एक-दूसरे देश की यात्रा ने तथा यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर पारस्परिक विचारों और दृष्टिकोणों को समझने का अवसर दिया।

भारतीय राजनीति में कांग्रेस के दीर्घ शासनकाल के पश्चात् वर्ष 1977 में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। प्रारम्भ में जनता सरकार के प्रति सोवियत नेतृत्व शंका तथा दुविधा की स्थिति में रहा परन्तु बाद में प्रधानमंत्री देसाई तथा विदेशमंत्री बाजपेई की मास्को यात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्ध पूर्ववत रहेंगे तथा उनमें कोई भी बदलाव नहीं लाया जायेगा। सोवियत संघ द्वारा भारत को परिशोधित यूरेनियम आपूर्ति की इच्छा व्यक्त की गई तथा कच्चा तेल तथा नाभिकीय कार्यक्रम के लिए भारी जल की सहायता का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त सोवियत विदेशमंत्री ग्रोमिको तथा प्रधानमंत्री कोसिगिन की भारत यात्रा के अवसर पर आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के लिए दीर्घकालीन समझौता भी हुआ। जनता पार्टी के शासनकाल के अन्तिम समय में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके संक्षिप्त कार्यकाल में भारत-सोवियत सम्बन्धों में अफगानिस्तान समस्या प्रमुख रूप से उभरी। भारत ने विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध अफगान जनता के

आत्म निर्णय के सम्प्रभुतासम्पन्न अधिकार को समर्थन दिया ।

वास्तविक गुटनिरपेक्षता का अर्थ सोवियत संघ की तरफ अनावश्यक झुकाव की समाप्ति है, ऐसा मानने वाली जनता सरकार ने सत्ता में आने के बाद न केवल सोवियत संघ से सम्बन्ध बनाये रखे वरन् सम्बन्धों में वृद्धि की आवश्यकता पर भी बल दिया ।

जनवरी 1980 में पुनः कांग्रेस ने सत्तासूत्र संभाला । सोवियत संघ ने नेतृत्व परिवर्तन का स्वागत किया । अफगान समस्या के सन्दर्भ में भारत ने सोवियत सैनिकों की वापसी के साथ-साथ अन्य बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की समाप्ति पर भी बल दिया । पश्चिमी देशों ने अफगान विवाद पर भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और उसे सोवियत नीति का पक्षधर बताया, परन्तु यदि वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध किया क्योंकि अफगानिस्तान के निकट के क्षेत्र पाकिस्तान में अमेरिका तथा चीन द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैन्य शस्त्रों की पूर्ति तथा सैनिक अड्डों की स्थापना से स्वयं भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । अतः आवश्यक था कि सोवियत सैनिकों की अफगान क्षेत्र से शीघ्र वापसी हो परन्तु इस राजनैतिक खालीपन अथवा स्थिरता के अभाव में अन्य बाह्य शक्तियां अधिकार न जमायें, इसके लिए बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप का भी विरोध किया गया ।

कम्पूचिया की हैंग सामरिन सरकार को भारत द्वारा मान्यता देने पर पश्चिमी देशों द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया की गई परन्तु भारत ने पश्चिम

समर्थक पोलपोट सरकार के अत्याचारी शासन की अपेक्षा हेंग सामरिन सरकार को मान्यता एवं समर्थन देना उचित समझा ।

सोवियत प्रमुख ब्रेझनेव की वर्ष 1980 की पुनः भारत यात्रा ने भारत-सोवियत सम्बन्धों के इतिहास में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । दोनों देशों के संयुक्त वक्तव्य के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ भारत के राजनैतिक तथा आर्थिक विकास के लिए भी समझौते किए गए ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा में अफगान समस्या से उत्पन्न आशंकाओं की गम्भीरता को देखते हुए, सोवियत राष्ट्रपति द्वारा भारत को संकट में प्रत्येक सम्भव सहायता का आश्वासन दिया गया । संयुक्त वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त भारत के आर्थिक विकास में सहायता में वृद्धि के लिए प्रयत्न करने पर बल दिया गया ।

वर्ष 1982 में सोवियत राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत नेता ब्रेझनेव की मृत्यु के पश्चात् आन्द्रोपोव ने कार्यभार संभाला । प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से मास्को में एक विशेष भेंटवार्ता में सोवियत महासचिव आन्द्रोपोव ने भारत-सोवियत सम्बन्धों में पूर्ववर्ती परम्पराओं के निर्वाह का आश्वासन दिया । यद्यपि आन्द्रोपोव का कार्यकाल अत्यन्त संक्षिप्त रहा तथापि भारत के प्रति सोवियत नीति में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं आया । वास्तव में सोवियत नीति में भारत के प्रति कोई परिवर्तन न होना इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि सोवियत विदेश नीति में भारत-सोवियत सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है ।

इसके अतिरिक्त भारत को रक्षा सम्बन्धी उपकरण, प्रक्षेपास्त्र तथा मिग विमानों की आपूर्ति के सम्बन्ध में सोवियत सहायता का प्रावधान किया गया तथा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग जारी रखा गया ।

फरवरी 1984 में सोवियत प्रमुख आन्द्रोपोव के निधन के पश्चात् चेरनेन्को साम्यवादी दल के नए महासचिव हुए । प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से भेंटवार्ता में सोवियत नेता चेरनेन्को ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए भारत के शान्तिप्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए भारत-सोवियत सम्बन्धों को महत्वपूर्ण बताया ।

आर्थिक तथा विज्ञान के क्षेत्र में भारत को सोवियत सहयोग निरन्तर प्राप्त हुआ । भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ संयुक्त उड़ान में अन्तरिक्ष में भेजा गया । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान विकास के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी । इस घटना से भारत विश्व का यह चौदहवाँ देश बन गया जिसने अन्तरिक्ष में एक भारतीय को भेजकर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया । इस काल में सोवियत नेतृत्व में परिवर्तन के बाद भी दोनों देशों के सम्बन्धों को अधिक स्थायित्व देने तथा घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया ।

अक्टूबर 1984 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के पश्चात् राजीव गाँधी भारत के नए प्रधानमंत्री बने । सोवियत संघ द्वारा श्रीमती गाँधी की हत्या को अक्षम्य अपराध बताते हुए नए भारतीय नेतृत्व के प्रति सहयोग एवं समर्थन देने का आश्वासन दिया गया ।

इस प्रकार काँग्रेस शासनकाल में भारत-सोवियत सम्बन्ध पूर्ववत् विकसित होते रहे । ~~विभिन्न~~ शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन से सहयोग

एवं समर्थन की भूमिका के सम्मुख कोई अवरोध नहीं उत्पन्न किया अपितु शीघ्रता से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धों को तीव्र गति से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को अनुभव करके उसके लिए प्रयास किए जाने लगे ।

भारतीय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी भारत के प्रति सोवियत नीति का सम्मान करते हुए भारत-सोवियत सम्बन्धों को उत्तरोत्तर विकसित किए जाने पर बल दिया ।

वर्ष 1985 में सोवियत महासचिव चेर्नेन्को के देहान्त के पश्चात् मिखायल एस0गोर्बाचोव ने सत्ता का कार्यभार संभाला । प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भेंटवार्ता में सोवियत प्रमुख गोर्बाचोव ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को अद्वितीय एवं अमूल्य धरोहर बताया ।

भारत एवं सोवियत राजनीति में 1984 तथा 1985 में हुए नेतृत्व परिवर्तन ने भारत-सोवियत सम्बन्धों को नई गतिशीलता प्रदान की । यह अनुभव किया जाने लगा कि आधुनिक तथा प्रगतिवादी सुधारों के कारण भारत-सोवियत सम्बन्धों के सहयोग के क्षितिज और अधिक विस्तृत होंगे ।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वर्ष 1985 की मास्को यात्रा में सोवियत महासचिव गोर्बाचोव ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने के साथ-साथ भारत के आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के लिए भी समझौते किए । एशियाई सुरक्षा के सम्बन्ध में नयी व्याख्या प्रतिपादित करते हुए गोर्बाचोव ने एशियाई राष्ट्रों को अपनी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समस्याओं को बिना किसी महाशक्तियों के हस्तक्षेप के स्वयं सुलझाने पर बल दिया । यात्रा के अन्त में संयुक्त वक्तव्य जारी करके पारस्परिक सम्बन्धों के विकास के लिए आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी

क्षेत्र में समझौते किए गए । 26अक्टूबर,1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी पुनः मास्को यात्रा पर गए । भारतीय प्रधानमंत्री की इस अचानक मास्को यात्रा का कारण जेनेवा में होने वाले अमेरिका तथा सोवियत संघ के शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में सोवियत महासचिव की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से वार्ता की इच्छा बताया गया । उपरोक्त घटना से सोवियत विदेश नीति में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट होती है । अफगान समस्या के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष यह सोवियत दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी अहस्तक्षेप का आश्वासन मिलने पर सोवियत सैनिकों की वापसी हो सकेगी ।

नवम्बर,1986 में सोवियत नेता गोर्बाचेव की भारत यात्रा ने भारत-सोवियत सम्बन्धों के विकास के क्रम को विकसित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त दोनों देशों द्वारा ऐतिहासिक दस्तावेजीय दिल्ली घोषणा की गई । इस घोषणा के द्वारा दोनों देशों ने अहिंसात्मक तथा आणविक शस्त्रों से मुक्त विश्व की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया । भारत-सोवियत संघ की संयुक्त घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्वशान्ति के प्रति भारत एवं सोवियत नीति का दृष्टिकोण समान है । सोवियत संघ की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा भारत की अहिंसात्मक नीति का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप से दिल्ली में घोषणा में परिलक्षित हुआ ।

सोवियत महासचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि सोवियत संघ तथा चीन के सम्बन्धों का सुधार भारत के साथ सम्बन्धों के मूल्य पर नहीं किया जायेगा । संयुक्त वक्तव्य में दीर्घकालीन आर्थिक तथा तकनीकी समझौते

की व्यवस्था द्वारा भारत-सोवियत सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया ।

गोर्बाचोव की भारत यात्रा ने न केवल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भारत-सोवियत विचारों की समानता को प्रकट किया बल्कि भारत की आन्तरिक स्थिति में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की समाप्ति के लिए भारत-पाकिस्तान के मध्य सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने पर भी बल दिया ।

जुलाई 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी सोवियत संघ में भारत-महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए मास्को गए । भारत-महोत्सव ने सोवियत जनता के समक्ष भारतीय संस्कृति और कला को निकट से देखने - समझने का अवसर दिया । विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर हुए । भारत-सोवियत सम्बन्धों में राजनैतिक प्रश्नों पर सहयोग के साथ-साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया गया ।

जुलाई,1988 में भारतीय राष्ट्रपति आर०वेंकटरामन ने मास्को में सोवियत नेताओं से भेंटवार्ता में भारत में बढ़ते हुए आतंकवाद के सन्दर्भ में पाकिस्तान द्वारा दी जा रही सहायता को सूचित किया । सोवियत नेता गोर्बाचोव ने पाकिस्तान तथा अन्य देशों द्वारा भारत की आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए भारत को प्रत्येक संभव सहायता का आश्वासन दिया ।

सोवियत राजनीति में यह काल महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल था । सोवियत नेता गोर्बाचोव की उदारवादी खुलेपन की नीति के कारण सोवियत राजनैतिक वातावरण में मूलभूत परिवर्तन के लक्षण प्रकट होने लगे ।

रूढ़िवादी साम्यवादियों द्वारा परिवर्तन के विरोध में अस्थिरता और अशान्ति का वातावरण बनाया जाने लगा । अक्टूबर 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा गोर्बाचोव ने राष्ट्रपति पद को सम्भाला । इस प्रकार सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव तथा राष्ट्रपति पद को एक साथ ग्रहण करने वाले वह सर्वप्रथम सोवियत नेता थे । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सोवियत आन्तरिक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के इस दौर ने भारत के प्रति सोवियत नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया । इसका प्रमाण नवम्बर 1988 में सोवियत नेता गोर्बाचोव की दूसरी बार की गई भारत यात्रा है । इस प्रकार भारत वह पहला देश हो गया जिसकी यात्रा पर गोर्बाचोव दुबारा आए । इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के राजनैतिक समाधान पर विचार विमर्श के अतिरिक्त आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग में वृद्धि के लिए समझौते किए गए । इस आर्थिक समझौते की विशेषता यह थी कि इसने अब तक भारत के लिए सर्वाधिक सोवियत आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जिसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया बल्कि पूर्वस्थापित परियोजनाओं की क्षमता में विस्तार के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराकर भारत को प्रमुख औद्योगिक देशों की श्रेणी में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया ।

"ग्लास्नोस्त पेरोस्त्रोइका" जैसे विचारों के द्वारा सोवियत राजनीति में मूलभूत परिवर्तन करने वाले सोवियत नेता गोर्बाचोव तथा भारतीय राजनीति में सुधार का आवाहन करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के शासनकाल में भारत-सोवियत सम्बन्धों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई । नेतृत्व तथा आन्तरिक परिस्थितियों में परिवर्तन के पारस्परिक सहयोग को और

अधिक सुदृढ़ बनाने एवं घनिष्ठता की ओर अग्रसर करने में उत्प्रेरक का कार्य किया।

भारत-सोवियत सम्बन्धों के उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय तथा सोवियत नीति का लक्ष्य पारस्परिक आर्थिक, व्यापारिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की उन्नति के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के तनावों को समाप्त करके सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए स्वस्थ राजनैतिक वातावरण का निर्माण करना रहा है । एक ऐसा राजनैतिक वातावरण जिसमें शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहिंसा के सिद्धान्तों को व्यवहार रूप में परिणत किया जा सके ।

वर्ष 1988 के उपरान्त भारत में क्रमशः जनता दल,समाजवादी जनता दल तथा पुनः कांग्रेस ने सत्ता का भार ग्रहण किया । सोवियत संघ में गोर्बाचोव के सुधारवादी प्रयत्नों के कारण आर्थिक तथा राजनैतिक स्तर पर अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई । गोर्बाचोव के सत्ता त्याग के साथ ही वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया । विभाजन के पश्चात भी भारत द्वारा रूस तथा कजाकिस्तान से किए गए विभिन्न समझौते इस तथ्य को दर्शाते हैं कि भारतीय नीति एवं भारत से सम्बन्ध,पृथक हुए गणराज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षों पुरानी भारत से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की परम्परा का नवगठित गणराज्यों के साथ विकास समयानुसार आवश्यकता तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है । वर्तमान काल में भारत तथा विभाजित सोवियत संघ के समक्ष अनेक आर्थिक, राजनैतिक चुनौतियां हैं, अतः नीतियों में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाना चाहिए ताकि समस्याओं एवं चुनौतियों के दबावों का समाना किया जा सके ।

अन्ततः भारत-सोवियत सम्बन्धों का भारत की विदेशनीति पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत से सम्बन्धित विवादों में भारत को आवश्यकतानुसार लगातार सोवियत राजनैतिक सहयोग मिला जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भारत तथा दक्षिण एशिया की शान्ति एवं सुरक्षा में अस्थिरता उत्पन्न करने से रोका जा सका। इसके अतिरिक्त आर्थिक,वैज्ञानिक तकनीकी तथा सैन्य सामग्री आदि के क्षेत्र में सोवियत सहायता के प्रावधान ने भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता को कम किया। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न समस्याओं पर भारत के दृष्टिकोण को सोवियत संघ ने समर्थन देकर साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी एवं शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध सुदृढ़ आधार प्रदान किया जिससे अवसरवादिता एवं विस्तारवादिता की प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने में एक सीमा तक सहायता मिली।

भारत की विदेश नीति के निर्माण में शान्ति,मित्रता तथा समानता के आदर्शों को प्रधानता दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिए विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने की तथा सैनिक गुटबन्दियों से पृथक रहने की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिवाद का विरोध करते हुए सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन के प्रति आस्था रखने पर बल दिया गया। भारत की विदेश नीति में उपरोक्त आदर्शों को समाहित करने में विभिन्न तत्वों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परम्पराएँ, शान्ति तथा अहिंसा की विचारधारा, सैनिक तथा आर्थिक स्थिति, पं०नेहरू का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित तथा तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति आदि ऐसे विभिन्न तत्व थे जिन्होंने

भारत की वैदेशिक नीति के स्वरूप निर्धारण में निर्णायक योगदान दिया । इन तत्वों के फलस्वरूप भारत की विदेश नीति में जिन सिद्धान्तों का समावेश किया गया, उनसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि शान्तिप्रिय तथा स्वतंत्र निर्णय लेने वाले देश के रूप में निखरी । विश्व राजनीति के दो विरोधीगुटों में किसी का साथ न देकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया । विचारों तथा निर्णयों की स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादन का उद्देश्य विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न तनावोंमें कमी करना था । अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्वक समाधान तथा पंचशील के सिद्धान्तों के पालन पर बल देते हुए भारत की विदेश नीति द्वारा साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का समर्थन किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रमुख एवं प्रभावशाली विश्व संस्था मानते हुए भारत ने इसके विभिन्न अंगों में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए ।

इस प्रकार भारत की विदेशनीति में उन सभी सिद्धान्तों को समाहित किया गया जो विश्वशान्ति तथा परस्परिक सौहार्द्र की वृद्धि में सहायक थीं । ये सिद्धान्त मात्र आदर्श रूप में ही स्थापित नहीं रहे वरन इन्हें व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया गया । निःशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में आणविक परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर, भारत-सोवियत मैत्री सन्धि,भारत-नेपाल सन्धि, पंचशील के सिद्धान्तों का प्रतिपादन, पाकिस्तान के साथ ताशकन्द एवं शिमला समझौते द्वारा युद्धबन्दियों के साथ-साथ,जीती हुई भूमि भी लौटा देना, स्वेज संकट तथा कोरिया युद्ध में अपनाये गए स्वतंत्र दृष्टिकोण आदि ऐसी अनेक घटनायें हैं जिन्होंने भारत की विदेश नीति के आदर्शों के व्यावहारिक स्वरूप को स्पष्ट किया । संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकतानुसार

भारत द्वारा शान्ति प्रयासों के अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों में रचनात्मक सहयोग दिया जाना भारतीय विदेश नीति के उस सहयोगी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को विवादों और तनावों से मुक्त रखते हुए मानवता का कल्याण करना है ।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी भौगोलिक, राजनैतिक तथा उच्च आर्थिक व्यवस्था के कारण एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा । विश्व नेतृत्व की महत्वाकांक्षा ने अमेरिका को पूंजीवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ को साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादन का अवसर दिया । भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत और अमेरिकी सम्बन्धों में प्रारम्भ से ही उतार-चढ़ाव उत्पन्न होने आरम्भ हो गए । पचास और साठ के दशक में यद्यपि भारत को अधिक अमेरिकी आर्थिक सहायता दी गई तथापि पाकिस्तान को निरन्तर आर्थिक एवं सैनिक सहायता देने तथा काश्मीर प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थन करने, गोवा समस्या में भारत का विरोध करने जैसी घटनाओं के कारण भारत द्वारा अमेरिका के असहयोगी दृष्टिकोण को भी अनुभव किया गया । बांग्लादेश संकट में अमेरिका के प्रतिकूल व्यवहार ने भारत के लिए विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी । इसके अतिरिक्त भारत द्वारा परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर न करने, सोवियत संघ से मैत्री करने, चीन एवं बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलवाने, सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया, हंगरी तथा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किए जाने पर भारत की भूमिका की आलोचना आदि अनेक प्रश्न समय-समय पर उत्पन्न हुए जिनके कारण अमेरिका के प्रति भारतीय विदेश नीति का दृष्टिकोण

परिवर्तित होता रहा । अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देकर सैनिक अड्डे स्थापित करने की सुविधा प्राप्त करना, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति को प्रोत्साहन देने, वियतनाम, कम्बोडिया में हस्तक्षेप करने, अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल को सहायता देने आदि की अवसरवादी एवं विस्तारवादी नीति का भारत द्वारा प्रबल विरोध किया गया । भारत ने सदैव अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण तथा न्यायसंगत समाधान का समर्थन करते हुए महाशक्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की निन्दा की । भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में असहमति तथा असहयोग के अवसरों पर सोवियत संघ द्वारा भारत को न केवल उसके राजनैतिक संकट में सहायता दी गई वरन् आर्थिक सहायता भी दी गई ।

इस प्रकार सोवियत संघ ने जहाँ भारत को दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र के रूप में देखते हुए पर्याप्त सहयोग दिया, वहाँ अमेरिका ने भारत से विभिन्न प्रश्नों पर अपेक्षित सहयोग को न पाकर चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध विकसित किए । भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को यथासम्भव सहायता देकर उसे अपना समर्थक देश बनाने का प्रयास किया गया । अमेरिका के चीन तथा पाकिस्तान से बढ़ते हुए सम्बन्धों ने स्वाभाविक रूप से विभिन्न घटनाओं में भारत के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण को असहयोगी बनाया ।

परिणामस्वरूप भारत की विदेशनीति में सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों को विशिष्टता दी गई । अत: राष्ट्रीय हित तथा तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों ने अमेरिका के प्रति भारतीय विदेश नीति में

महत्वपूर्ण परिवर्तन किए ।

एशिया महाद्वीप में भारत एवं चीन पड़ोसी देश होने के कारण न केवल एक-दूसरे की बल्कि एशिया के अन्य देशों की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं । वर्ष 1949 में साम्यवादी क्रान्ति के पश्चात् चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना से चीन का प्रादुर्भाव एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ । विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के कारण चीन द्वारा शक्ति दर्शन को प्रधानता दी गई जबकि भारत द्वारा शान्ति,सहयोग तथा गुटनिरपेक्षता को प्रमुख स्थान दिया गया । उपर्युक्त विचारधाराओं में भिन्नता के बाद भी पचास के दशक में दोनों देशों में परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे परन्तु वर्ष 1962 में चीन के अप्रत्याशित आक्रमण ने भारत की विदेशनीति को परिवर्तित करना प्रारम्भ किया । भारत-चीन सीमा विवाद ने चीन को पाकिस्तान से सम्बन्ध बढ़ाने को प्रेरित किया तथा पाकिस्तान को चीन द्वारा सैन्य तथा आर्थिक सहायता दिए जाने से भारत-चीन सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हुई । भारत-सोवियत मैत्री सन्धि तथा भारत-पाक युद्ध में भारत को दोषी ठहराने तथा सिक्किम प्रश्न पर भारत की आलोचना ने चीन-भारत सम्बन्धों के तनावों में कमी नहीं होने दी । यद्यपि वर्ष 1975 से सम्बन्धों के सामान्यीकरण के प्रयास आरम्भ हो गए परन्तु अभी तक सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है । चीन की अवसरवादी नीति की अपेक्षा भारत की विदेशनीति चीन के प्रति प्रारम्भ से ही मैत्रीपूर्ण रही । गैर साम्यवादी देशों में भारत द्वारा सर्वप्रथम चीन को राजनयिक मान्यता दी गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में

मान्यता दिलवाने का प्रयास किया गया । भारत के उपरोक्त प्रयासों की सोवियत संघ द्वारा सराहना की गई । चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना वस्तुतः सोवियत साम्यवाद के विस्तार का प्रतीक था परन्तु भारत -चीन युद्ध में सोवियत संघ द्वारा चीन को न केवल विमानों की पूर्ति को रोका गया बल्कि भारत में विमान उत्पादन के लिए सोवियत सहायता का आश्वासन भी दिया गया ।

भारत-चीन सम्बन्धों के इतिहास में विभिन्न घटनाओं के सन्दर्भ में चीन द्वारा असहयोगी दृष्टिकोण अपनाये जाने से चीन के प्रति भारत की विदेशनीति में परिवर्तन किया । भारतीय विदेश नीति ने समस्याओं को शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त द्वारा सुलझाने पर बल दिया जबकि चीनी विदेश नीति ने शक्ति को प्रमुखता दी फलस्वरूप मूल विचारों में भिन्नता होने के कारण व्यावहारिक स्तर पर समान दृष्टिकोण न अपनाया जा सका । चीन से पारस्परिक विवादों के समाधान में भारतीय विदेशनीति द्वारा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को अपनाये जाने का सोवियत संघ द्वारा पर्याप्त समर्थन किया गया ।

भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की परिणति भारत के विभाजन से हुई तथा इस विभाजन के फलस्वरूप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान राष्ट्र का उद्भव हुआ । भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का प्रमुख तत्व यह है कि अपने जन्मकाल से ही पाकिस्तान द्वारा भारत के प्रति अविश्वास एवं असहयोग का दृष्टिकोण अपनाया गया जबकि भारतीय विदेश नीति द्वारा पारस्परिक समस्याओं का शान्तिपूर्ण तथा न्यायसंगत समाधान

ढूंढने का प्रयास किया गया। हैदराबाद तथा जूनागढ़ विवाद, शरणार्थियों की समस्या, ऋण की अदायगी का प्रश्न, नहरी पानी विवाद आदि के साथ काश्मीर प्रश्न मुख्य रूप से दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण रहा है। पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के भारत में विलय को अवैधानिक बताये जाने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर प्रश्न बार-बार लाये जाने से भारत के लिए राजनैतिक संकट उत्पन्न हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने से समस्या की गम्भीरता को देखते हुए सोवियत संघ द्वारा आवश्यकतानुसार निषेधाधिकार प्रयोग किया गया। भारत-तथा पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1965 के युद्ध ने दोनों देशों के मध्य तनावों को स्पष्ट प्रकट किया। भारत-पाकिस्तान के बिगड़ते हुए सम्बन्धों में चीन द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य सहायता दिए जाने से सम्बन्ध और कटु होने लगे। अमेरिकी नीति चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान का समर्थन कर ही रही थी, अतः ऐसे तनावपूर्ण समय में भारत-सोवियत सन्धि ने पाक-चीन और वाशिंगटन के मध्य गुटबन्दी का सशक्त प्रत्युत्तर दिया। वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध ने पुनः पाकिस्तान की भारत के प्रति वैमनस्य की नीति को उजागर किया। युद्धोपरान्त शिमला समझौते द्वारा दोनों देशों ने सम्बन्धों के समान्यीकरण के लिए प्रयास किए। परन्तु भारत द्वारा आणविक विस्फोट किए जाने पर पाकिस्तान ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करके भारत का विरोध किया। इसके पश्चात पाकिस्तान की विदेश नीति में भारत के प्रति कुछ परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा भारत को युद्ध न करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किए जाने से सम्बन्धों में सुधार के संकेत दिखाई दिए। आर्थिक, व्यापारिक,

सांस्कृतिक एवं यात्रा सम्बन्धी समझौते हुए । वर्ष 1985 में द्विपक्षीय समझौता जिसमें एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर आक्रमण न करने का प्रस्ताव था । संचार, आवागमन तथा व्यापार आदि के क्षेत्र में भी सहयोग प्रारम्भ हुआ । परन्तु पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ कश्मीर प्रश्न आज भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है ।

पाकिस्तान के सन्दर्भ में भारत की विदेशनीति के प्रति सोवियत संघ ने पूर्ण समर्थन एवं सहयोग दिया । कश्मीर प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ ने अनेक बार निषेधाधिकार के प्रयोग से स्पष्ट कर दिया कि वह भारत की न्यायोचित नीति का समर्थन करता है । भारत-पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के उपरान्त हुए ताशकन्द समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई । बांग्लादेश संकट में पाकिस्तान को समस्या के तत्काल राजनैतिक समाधान निकालने के लिए न केवल सोवियत संघ द्वारा कहा गया बल्कि भारत को सहायता देने की स्पष्ट घोषणा की गई ।

इस प्रकार अमेरिका, चीन तथा पाकिस्तान से भारत के सम्बन्धों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भारत की विदेशनीति प्रारम्भ से ही इन देशों के प्रति मैत्री तथा सहयोग की रही, परन्तु तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों में स्वार्थ को प्रमुखता दिए जाने से भारतीय विदेश नीति के समक्ष गम्भीर राजनैतिक एवं आर्थिक संकट उत्पन्न हुए । ऐसे संकटकाल में चीन, पाकिस्तान तथा अमेरिका के असहयोगी दृष्टिकोण ने भारत की विदेशनीति को अपेक्षित सोवियत सहयोग लेने को प्रेरित किया । अतः भारत को दिए गए सोवियत सहयोग ने इस तथ्य की पुष्टि की कि सोवियत संघ दक्षिण एशिया में टकराव की स्थिति की अपेक्षा शान्ति तथा

स्थायित्व को महत्व देता है । स्वाभाविक था कि भारत को आवश्यकतानुसार दिया गया सोवियत सहयोग, भारत की विदेश नीति में अन्य देशों की अपेक्षा, सोवियत संघ को प्रमुखता दे क्योंकि वास्तविक मित्रता की पहचान संकटकाल में होती है और सोवियत संघ ने इस मापदण्ड पर खरा उतरने का प्रयास किया।

भारत की विदेशनीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रमुख स्थान दिया गया । गुटनिरपेक्षता की नीति के पालन से आशय पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुटों से पृथक रहते हुए भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते हुए बिना शर्त सहायता प्राप्त करना है । यह नीति सैनिक गुटों का विरोध करते हुए पड़ोसी तथा अन्य राष्ट्रों के मध्य प्रत्येक प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है । विश्व समस्याओं के समाधान में गुटनिरपेक्षता की नीति उचित एवं न्यायसंगत का समर्थन करते हुए तटस्थता का दृष्टिकोण नहीं अपनाती है । पं० नेहरू, मार्शल टीटो तथा राष्ट्रपति नासिर द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्षता की नीति ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अविकसित तथा नवस्वातंत्र्य देशों के सम्मुख एक नया मार्ग प्रशस्त किया । प्रारम्भिक वर्षों में भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर अमेरिका तथा चीन के साथ सोवियत संघ द्वारा भी इसको अविश्वास की दृष्टि से देखा गया । परन्तु बाद की घटनाओं के सन्दर्भ में भारत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने सोवियत रवैये में परिवर्तन लाना प्रारम्भ कर दिया । कोरिया युद्ध के उत्तरार्ध में भारत के शान्ति प्रयासों का सोवियत नीति द्वारा समर्थन किया गया। स्वेज संकट में पश्चिमी देशों की कार्यवाही के विरोध ने तथा हंगरी समस्या ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति सोवियत दृष्टिकोण को उदार बनाया । सोवियत संघ ने भारत को गोवा, कश्मीर आदि प्रश्नों पर समर्थन दिया ।

भारत-चीन युद्ध में भारत को दोनों गुटों से सहायता मिली जिसने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के महत्व को प्रकट किया । भारत-पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के समाधान के लिए सोवियत संघ द्वारा ताशकन्द समझौते का प्रयास किया गया। चेकोस्लवाकिया समस्या में भारत द्वारा सोवियत हस्तक्षेप का तीव्र विरोध नहीं किया गया । भारत-सोवियत शान्ति,मैत्री तथा सहयोग की सन्धि द्वारा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत मान्यता मिली । भारत-पाकिस्तान द्वितीय युद्ध में सोवियत संघ ने भारत को प्रत्यक्ष समर्थन किया तथा बांग्लादेश संकट के उचित एवं शीघ्र समाधान की माँग की । बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने के भारतीय प्रस्ताव को पूरा सोवियत समर्थन मिला । अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया समस्या में भारत द्वारा सोवियत हस्तक्षेप की तीव्र आलोचना नहीं की गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में हंगरी, चेकोस्लोवाकिया,भारत-सोवियत सन्धि, अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया जैसे कुछ प्रश्न ऐसे उत्पन्न हुए जिनके सन्दर्भ में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का केन्द्र बनना पड़ा । ऐसा माना जाने लगा कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को मात्र आदर्श रूप में मान्यतादी गई है तथा व्यवहार में उसकी नीति सोवियत समर्थक रही है अन्यथा विभिन्न देशों में सोवियत हस्तक्षेप की भारत द्वारा निन्दा की जाती परन्तु वास्तविकताओं तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों में भारत की गुट निरपेक्ष नीति द्वारा विभिन्न समस्याओं में समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया तथा सोवियत हस्तक्षेप का विरोध किया गया । शीघ्रता से परिवर्तित होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अनुसार गुटनिरपेक्षता

की नीति को व्यावहारिकता पर आधारित करके वस्तुतः भारत ने उसकी गतिशीलता में वृद्धि की । पश्चिमी तथा सोवियत गुट के देशों के अतिरिक्त अन्य देशों द्वारा निरन्तर गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रभावकारी मानने से स्पष्ट होता है कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण उचित है ।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को युद्ध का रूप लेने से रोकने के लिए की गई । विश्वशान्ति, सुरक्षा तथा सहयोग में वृद्धि एवं उपनिवेशवाद, जातिवाद आदि की समाप्ति इसके लक्ष्य रखे गए । भारत ने प्रारम्भ से वर्तमान तक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति समर्थन की नीति अपनाई तथा आवश्यकतानुसार विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए सहयोग दिया । भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसी विश्व संस्था के रूप में देखा गया जो समस्याओं के उचित समाधान को प्राथमिकता देती है । सोवियत संघ द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्रों के पारस्परिक तनावों को उग्र रूप लेने से रोकने की प्रभावकारी संस्था माना गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न समस्याओं पर सोवियत संघ ने जो समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया था, वह आने वाले वर्षों में निरन्तर दिया जाता रहा । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली समस्या काश्मीर विवाद के रूप में उपस्थित हुई । आंग्ल-अमेरिकी तथा पाकिस्तानी कूटनीति के कारण काश्मीर समस्या जटिल होती गई । पाकिस्तान द्वारा भारत में काश्मीर विलय को अनुचित बताने तथा पश्चिमी शक्तियों द्वारा काश्मीर के विसैन्यीकरण तथा जनमत संग्रह कराने के प्रस्तावों का सोवियत संघ द्वारा प्रबल विरोध किया गया । सुरक्षा

परिषद में सोवियत संघ ने आवश्यकतानुसार कई बार निषेधाधिकार का प्रयोग करके पश्चिमी देशों तथा पाकिस्तान की कूटनीति को सफल नहीं होने दिया । गोआ प्रश्न पर भारत द्वारा की गई कार्यवाही को सोवियत संघ ने पूर्णतः उचित बताया । भारत से सम्बन्धित इन दो प्रमुख विवादों के अतिरिक्त सोवियत संघ द्वारा भारत को अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में भी समर्थन दिया गया । दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता, स्वेज संकट, साइप्रस समस्या, अरब इजरायल संघर्ष, वियतनाम, कम्पुचिया, लाओस के प्रश्नों पर दोनों देशों के विचार समान थे । इसके अतिरिक्त बांग्लादेश समस्या के समाधान में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में बांग्लादेश की सदस्यता के सम्बन्ध में भारत को सोवियत समर्थन मिला । भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के सैनिक बजटों में कमी करने के सोवियत प्रस्ताव का समर्थन किया गया । हिन्द महासागर के सैन्यीकरण,उपनिवेशवाद तथा जातिवाद की समाप्ति के लिए तथा नामीबिया, जिम्बाब्वे आदि देशों की स्वतंत्रता के लिए भारत तथा सोवियत नीति संयुक्त राष्ट्र संघ में समान रही । ईरान-इराक युद्ध तथा इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की नवीनतम घटना में भारत तथा सोवियत संघद्वारा शीघ्र समाधान के लिए प्रयास किए गए । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकांश समस्याओं पर भारत तथा सोवियत दृष्टिकोण अनुकूल रहे तथा सोवियत संघ द्वारा भारत को यथासम्भव समर्थन दिया गया । परन्तु हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का भारत द्वारा तीव्र विरोध न किए जाने पर अन्य देशों द्वारा भारत की आलोचना की गई ।

उपरोक्त हंगरी, चेकोस्लावाकिया तथा अफगानिस्तान घटनाओं में राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में भारत ने सोवियत संघसे परम्परागत मैत्री सम्बन्ध बनाये रखते हुए भी सोवियत हस्तक्षेप का विरोध संयुक्त राष्ट्रसंघ में किया। यद्यपि हंगरी विवाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में हंगरी में चुनाव कराने के प्रावधान का समर्थन नहीं किया तथापि हंगरी की जनता द्वारा स्वनिर्णय के अधिकार पर बल दिया। चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता तथा अखण्डता के अधिकार की रक्षा के लिए विदेशी सेनाओं की वापसी की मांग की तथा अफगानिस्तान समस्या में महासभा में भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ की शीघ्र वापसी का प्रस्ताव रखा। अतः यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत तथा सोवियत सम्बन्धों में वैचारिक तथा व्यावहारिक स्तर पर संघर्ष के अवसर कम उपस्थित हुए। कोरिया प्रकरण के पूर्वार्द्ध में सोवियत समर्थित उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करना तथा वर्ष 1968 में सोवियत संघ तथा अमेरिका द्वारा प्रतिपादित परमाणु अस्त्र विस्तार निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर न करना आदि सोवियत नीति के प्रति भारत के असहयोग को दर्शाते हैं। परन्तु इससे भारत-सोवियत सम्बन्धों केरविकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। वस्तुतः विभिन्न समस्याओं पर जहाँ अमेरिका, चीन, पाकिस्तान आदि देशों का रुख भारत के हितों के विपरीत रहा, वहाँ अपेक्षाकृत सोवियत संघ ने भारत को यथासम्भव सहयोग दिया। परिणामस्वरूप भारत-सोवियत सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा बाहर मैत्रीपूर्ण बने रहे।

किसी भी राष्ट्र की विदेशनीति की सृजन प्रक्रिया में राष्ट्र-हित की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में विदेशनीति

क्रियाशील रहती है । विदेशनीति के प्राथमिक, मध्यवर्ती तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों को राष्ट्रीय हितों पर आधारित किया जाता है । प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा तथा अखण्डता,आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय शक्ति के संचय से जुड़े होते हैं । मध्यवर्ती लक्ष्य में राजनैतिक सहयोग, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा प्रभाव गुट के अन्तर्राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति होता है तथा दीर्घकालीन लक्ष्य के अन्तर्गत विश्वशान्ति तथा सुरक्षा की योजना होती है । उपरोक्त लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत-सोवियत सम्बन्धों के आकलन से भारतीय विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना जा सकता है । विभिन्न राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले भारत एवं सोवियत संघ के मध्य सम्बन्धों के निरन्तर विकसित होने का मुख्य कारण वैचारिक समानता है जिसने न केवल दोनों देशों को घरेलु समस्याओं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर भी समान दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के राजनैतिक तथा आर्थिक संकट में सोवियत संघ द्वारा उदार सहायता दी गई । गोआ, काश्मीर, भारत-चीन सीमा विवाद, भारत-पाकिस्तान युद्ध आदि प्रश्नों से गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न होने पर सोवियत संघ द्वारा राजनैतिक सहयोग दिया गया । भारत के साथ 20वर्षीय मैत्री शान्ति तथा सहयोग की सन्धि करके सोवियत संघने भारत की सुरक्षा तथा अखण्डता की अवधारणा को बल प्रदान किया । आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न समझौतों द्वारा द्विपक्षीय व्यापारिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया । विशाल परियोजनाओं की स्थापना तथा उनकी कार्यक्षमता में विस्तार, एवं निर्यात की अनुकूल कीमतें तथा ऋण की उदार शर्तों आदि के द्वारा भारत के औद्योगीकरण

को एक नई दिशा मिली । अन्तरिक्ष विज्ञान में तकनीकी सहायता, आधुनिक अस्त्र-शस्त्र को रियायती दर पर देने तथा मिग विमान के कारखाने को स्थापित करने में सोवियत सहयोग के द्वारा भारत को विकासशील देशों की श्रृंखला में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य विभिन्न उत्सवों, सम्मेलनों, शिक्षाविदों के आदान-प्रदान से गैर राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सहयोग का क्रम प्रारम्भ हुआ । विश्वशान्ति तथा सुरक्षा, भारत एवं सोवियत संघ की विदेशनीति का सार तत्व है । भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एवं सोवियत संघ के शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त का उद्देश्य अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान करना है । शस्त्रों की होड़ की समाप्ति के लिए निःशस्त्रीकरण की दिशा में वर्ष 1986 की दिल्ली घोषणा द्वारा दोनों देशों ने ठोस कदम उठाया तथा आणविक शस्त्रों पर रोक लगाने का कार्य किया । हिन्द महासागर में सैन्य अड्डों, उपनिवेशवाद, रंगभेद, जातिभेद और शोषण की नीतियों के विरोध में दोनों देशों ने समान रूप से अभियान चलाया । इस प्रकार राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में दोनों देशों की विदेशनीतियों के उद्देश्यों में प्रायः समानता ही रही ।

भारत-सोवियत सम्बन्धों में कुछ घटनायें ऐसी हुई जिनमें भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की गई तथा यह आरोप लगाया कि भारत पूर्णतः सोवियत प्रभाव में है । सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली आर्थिक तथा राजनैतिक सहायता ने भारत के स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को यहाँ तक प्रभावित किया कि विश्व के कुछ देश जैसे अफगानिस्तान की अखण्डता एवं सम्प्रभुता में सोवियत हस्तक्षेप का भारत द्वारा विरोध नहीं किया गया

और न ही वियतनाम, कम्पूचिया आदि समस्याओं में सोवियत संघ के प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया । सोवियत संघ के साथ भारत ने मैत्री सन्धि करके अन्य देशों की अपेक्षा सोवियत संघ से सम्बन्धों को प्राथमिकता दी ।

यदि व्यावहारिकता तथा राष्ट्रीय हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न समस्याओं में अपनाये गए भारत के दृष्टिकोण का अवलोकन किया जाय तो उपरोक्त आरोपों की निरर्थकता स्पष्ट हो जाती है । भारत द्वारा सोवियत संघ से मैत्री सन्धि ऐसे विषम राजनैतिक संकट में की गई जबकि चीन-पाकिस्तान तथा अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था । सोवियत संघ को भी चीन और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते हुए सम्बन्धों के सन्दर्भ में दक्षिणएशिया में शक्ति सन्तुलन बनाए रखने के लिए भारत की आवश्यकता थी, अतः पारस्परिक राष्ट्रीय हितों ने दोनों देशों को सन्धि के मंच पर आने का अवसर मिला ।

वियतनाम के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से सम्पूर्ण एशिया तत्पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रभावित होती । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के विचारों ने भारत के दृष्टिकोण को सोवियत संघ के अनुकूल रखा । अफगान समस्या में भारत ने सोवियत हस्तक्षेप तथा बाह्य शक्तियों के हस्तक्षेप की समाप्ति एक साथ होने पर बल दिया क्योंकि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से स्वयं भारत की सुरक्षा के समक्ष पाकिस्तान के कारण संकट उत्पन्न हो रहा था । कम्पूचिया विवाद में हैंग सामरिन सरकार को मान्यता पोलपोट सरकार के अत्याचारी शासन के विरोधस्वरूप दी गई । इस प्रकार इन घटनाओं में भारत द्वारा जो भी दृष्टिकोण अपनाया गया, उसका कारण मुख्यतः राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा था तथा यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

में समस्याओं के समाधान में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

अन्ततः उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भारत एवं सोवियत संघ के राष्ट्रीय हितो ने सम्बन्धों को विकसित किया तथा सोवियत संघ ने भारत को दक्षिण एशिया और तृतीय विश्व के प्रमुख केन्द्र के रूप में एवं भारत ने सोवियत संघ को प्रतिक्रियावादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के मुख्य अवरोधक के रूप में देखा । भारत-सोवियत संघ के निरन्तर विकसित होते सम्बन्धों का भारत की विदेश नीति पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत को उसके राजनैतिक एवं आर्थिक संकट तथा विकास में न केवल अपेक्षित सोवियत सहायता मिली अपितु अर्न्तराष्ट्रीय मंच पर एक महाशक्ति का साथ विश्वस्त मित्र के रूप में मिला । इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विचारों में समानता का तात्पर्य किसी देश-विशेष की अधीनता अथवा उसके प्रभाव एवं नियंत्रण को स्वीकार करना नहीं होता है और न ही विशिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का आशय मित्र देश के प्रत्येक कार्य का समर्थन करना होता है । यदि ऐसा होता तो भारत द्वारा वर्ष 1968 की परमाणु अस्त्र अप्रसार सन्धि तथा ब्रेझनेव द्वारा प्रतिपादित एशियाई सुरक्षा योजना को तुरन्त स्वीकार कर लिया गया होता क्योंकि यह योजनाएँ सोवियत संघ द्वारा प्रस्तावित की गई थी, परन्तु इन योजनाओं को स्वीकार न करके भारत ने सिद्ध कर दिया कि उसके सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों ने पारस्परिक सम्बन्धों के गरिमामय मूल्यों में ह्रास नहीं होने दिया है ।

0000000
00000
000
0

APPENDIX

Treaty of peace, friendship and co-operation between The Republic of India and The Union of Soviet Socialist Republics, 9 August 1971.

Desirous of expanding and consolidating the existing relations of sincere frienship between them.

Believing that the further development of friedship and co-operation meets the basic national interests of both the states as well as the interests of lasting peace in Asia and the world.

Determined to promote the consolidation of universal peace and security and to make steadfast efforts for the relaxation of international tensions and the final elimination of the remnants of colonialism.

Upholding their firm faith in the principle of peaceful co-existence and co-operation between states with different political and social system.

Convinced that in the world today international problems can only be solved by co-operation and not by conflict.

Reaffirmaing their determination to abide by the purposes and principles of the UN Charter.

The Republic of India on the one side and the Union of Soviet Socialist Republics on the other side;

Have decided to conclude the present Treaty for which purpose the following Plenipotentiaries have been appointed;

On behalf of the Republic of India Sardar Swaran Singh, Minister of External Affairs;

On behalf of the Union of Soviet Socialist Repblics; Mr. A.A. Gromybo, Minister of Foreign Affairs;

Who having each presented their credentials, which are found to be in proper form and due order;

Have agreed as followed-

Article I

The High contracting parties solemnly declare that enduring peace and friendship shall prevail between the two countries and their peoples. Each party shall respect the independence, sovereignty and territoriel integrity of the other party and refrain from interfering in the other's internal affairs. The High contracting parties shall continue to develop and consolidate the relations of sincere friendship, good neighbourliness and comprehensive co-operation existing between them on the basis of the afore said principles as well as those of equality and mutual benefit.

Article II

Guided by the desire to contribute in every possible way to ensure enduring peace and security of their people. The high contracting parties declare their determination to continue their efforts to preserve and to strengthen peace in Asia and throughout the world, to halt the arms race and to

achieve general and complete disarmament,including both nuclear and conventional under effective international control.

Article III

Guided by their loyalty to the lofty ideal of equality of all peoples and nations,irresspective of race or creed, the High contracting Parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifes tations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elimination.

The Highcontracting Parties shall co-operate with other states to achieve these aims and to support the just asspirations of the peoples in their struggle against colnialism and racial domination.-

Article IV

The Republic of India respects the peace-loving policy of the Union of Soviet Socialist Republics aimed at strengthening friendship and co-operation with all nations.

The Union of Soviet Socialist Republic respects India's policy of non-alignment and reffirms that this policy constitutes an important factor in the maintenance of universal peace and international security and in the lessening of tensions in the world.

Article V

Deeply interested in ensuring universal peace and security, attaching great importance to their mutual co-operation in the international fied for achieving those arms, the High contrasting parties will maintain regular

contracts with each other on major international problem affecting the interests of both the states by means of meetings and exchanges of views between their leading statesmen, visits by official delegations and special envoys of the two Government and through diplmatic channels.

Article VI

Attaching great importance to economic scientific and technoligical co-operation between them. the High contracting Parties will continue to consolidate and expand mutually advantageous and comprehensive co-operation in these fields as well as expand trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most favoured nation treatment, subject to the existing agreements and the special arrangements with cotiguous countries as specified in the Indo-Soviet Trade agreement of December 26, 1970.

Article VII

The High cotracting parties shall promote further development of ties and contacts between them in the fields of science, art, literature, education, public health, press, radio, t.V., cinema, tourism and sports.

Article VIII

In accordance withthe traditional friendship established between the two countrees, each of the High contracting parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other party.

Each High contracting Party undertakes to abstain from any aggression against the other party and to prevent the use of its territory for the commission of any act which might inflict military damage on the other High cotracting Party.

Article IX

Each High contracting Party under-takes to abstain from providing any assistance to any third party that engages in armed conflict with the other party. In the event of either Party being subjected to an attack or a threat there of, the high contracting parties shall immediately enter into mutual consultations in order to remove such threat and to take appropriate effective measures to ensure peace and the security of their countries.

Article X

Each High contracting Party solemnly declares that it shall not enter into any obligation,secret or public with one or more states,which is in-compatiable with this treaty. Each High contracting Party leadews that no obligation exists, nor shall any obligation be entered into,between itself and any other state or states, which might cause military damage to the other party.

Article XI

This treaty is concluded for the duration of twenty years and will be automatically extended to each e successive period of five years unless either High contra-cting party declares its desire to terminate it by giving notice to the other High contractuing party twelve months

prior to the expiration of the treaty. The treaty will be subject to stratification and will come into force on the date of the exchange of Instruments of Ratification which will take place in Moscow within one month of the signing of this treaty.

Article XII

Any difference of any Article or Articles of this treaty which may arise between the High Contracting Parties will be settled bilaterally by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

Foreign Affairs Record. New Delhi, August 1971; NO.8 Vol. XVII. PP. 160-62 .

SELECT BIBLIOGRAPHY

Primary Sorces-

Lok Sabha Debates, Government of India, New Delhi

Foreign Affairs Records, Government of India, New Delhi,

Speeches of leaders of both countries from time to time.

Secondary sources-

BOOKS.

Attarchand - Bibliography of Indo - Soviet relations 1947-77 a book of readings with selected abstracts-New Delhi-1978

Anand, T.S. - Indo-Sovied relations, New Delhi 1979.

Appadorai A, Arora V.K. - India in world Affairs, New Delhi 1975.

Arora, S.K. - American Foreign Policy Towards India New Dehli-1954 .

Arora, J.S.B. - War with Pakistan, New Delhi-1971.

Appadorai, A. - The Tashkent Declaration, New Delhi 1970.

Banerjee, Jyotirmay - India in Soviet Global Strategy, Calcutta, 1977.

Banerjee, B.N. - Peace Friendship and Co-Operation, New Delhi, 1987.

Brown, A, M. Kaser - Soviet Policies for the 1980 , Oxford, 1982.

Bhatia, V. (ed.) - Indo-Soviet Relations- Problems & Prospects, New Delhi, 1984.

Banerjee, B.N. - India's Political Unity and Soviet Foreign Policy, New Delhi, 1985.

Bhatia, V. (ed). - The October Revolution and Seventy Years of Indo-Soviet Relations, New Delhi.

Burke, S.M. - Pakistan's Foreign Policy - An Historical Analysis, London, 1973.

Benediktov, I.A. - Bonds of Friendship, Moscow, 1973.

Bose, Rose, Bedi - Diplomacy of India, New York, 1960.

Brecher, Michaël - India's Foreign Policy- An Interpretation, New York, 1957.

Chopra, Pran - Before and After: The Indo-Soviet Treaty Delhi, 1971.

Chopra, Surendra(ed)- Studies in India's Foreign Policy, Amritsar, 1980.

Chawala, V. - India and the Super Powers, 1973.

Chaterjee, B. - Indo-Soviet Friendship - An Analytical Study, 1974.

Chaudhary, S. - Indo-Soviet Treaty - A Close Up View, 1973

Chand, Phiroz - Cited in Lajpat Rai - Life and work, New Delhi 1978.

Chari, A.S.R. - The Kashmir Problem, New Delhi 1965.

Chaturshreni, V. - Indo-U.S.Relations, New Delhi, 1980.

Chaudhary, J.N. - India's Problem Of National Security in the Seventies, 1973.

Chawla, S.(ed) - Changing Pattern of Security and Stability in Asia, New York, 1980.

Chopra, Pran - India's Second liberation, Delhi, 1973.

Chaudhary, G.W. - Pakistan and the Great Powers, Karachi, 1970.

Cohen W.I. - America's Response to China, 1971.

Das , Tapan - Two Years of Indo-Soviet Treaty, New Delhi, 1973.

Druhe, David N. - Soviet Russia and Indian Communism, New York- 1959.

Dutt, V.P. - India's Foreign Polocy,New Delhi 1985.

Donaldson,R.H. - The Soviet-Indian Alignment,Denver,1979.

Drieberg,Trevor,etc- Towards closer Indo-Soviet co-operation New Delhi 1974.

Goswami,B. - Pakistan and China - A Study of their Relations, New Delhi,1971.

Gupta, M.G. - International Relations.

Ghosh,P.C. - India's Foreign Policy and the Soviet Union-1973, Classical Publication, Calcutta.

Gaikwad,S. - Dynamics of Indo- Soviet Relations, New Delhi,1990.

Gupta, S. - Kashmir - A Study in India- Pakistan Relations, New Delhi 1966.

Ghatate, N.M. - Indo-Soviet Treaty - Reactions and Reflections, New Delhi-1972.

Gupta, Bhabani Sen- Soviet-Asian relations in The 1970s & beyond- An Interperceptional Study, New York 1976.

Goldwin, Robert, A.- Reading in Russian Foreign Policy, New York, 1959.

Haksar, P.N. etc. - Studies in Indo-Soviet relations, New Delhi 1986.

Imam, Jafar - Colonialism in east-west relations, New York 1969.

Jain, J.P. - Soviet Policy Towards Pakistan and Bangladesh,New Delhi,1974.

Jain,A.P.(ed.) - Shadow of The Bear- The Indo-Soviet Tready, New Delhi,1986.

Khan,Rasheeduddin - etc.(ed.) India and the Soviet Union- Co-Operation and Development, New Delhi, 1975. Allied Publishers.

Komorov, E.N. - Indo-Soviet Co-operation - Historical background and present day developments Bombay, 1976.

Kumar Satish - Yearbook on India's Foreign Policy-1983-84, New Delhi.

Kuntikrishnan,T.V.- The Unfriendly Friends- India and America, New Delhi,1974.

Kaul,T.N. - Foreign Relations of India,New Delhi, 1972.

Kapur, Harish - The Soviet Union and The Emerging nations A Case Study of Soviet Policy Towards India, Geneva,11972.

Kaushik,Devendra - Soviet Relations with India and Pakistan, New Delhi,1974.

Karuna Karan, K.P.- Soviet Contribution to India's Defence Indo-Soviet Co-operation,New Delhi,1971.

Kapur, Harish - The Embattled Triangle- Moscow,Peking and New Delhi, New Delhi 1973.

Levin,Bon Guard G.- Vigasin,A. - The Image of India, Moscow,1984.

Lemaye,Madhu - India and The World,1979.

Majumdar,Kumar Ashish - South-East Asia in Indian Foreign Policy- A Study of India's relations with south East Asian Countries, Calucutta,1982.

Menon, K.K. Krishna- India and The Chinese invasion,Bombay 1963.

Mukerjee,Amitava - Indian Policy Towards Pakistan,New Delhi,1983.

Malib,D.N. - The development of Non-Alignment in India's Foreign Pliey,Allahabad,1967.

Mansingh,Surjeet - India's Search for Power,New Delhi1984.

Menon,M.S.N.,Morosov, V.P. - Indo-Soviet trade and economic ties New Delhi-1972.

Menon, K.P.S. - The Indo Soviet Treaty, New Delhi 1972.

Menon, K.P.S. - Many worlds, Bombay 1965.

Madhok, Balraj - The defence of India in the light of the Chinese Aggression, Delhi, 1960.

Mishra, K.P. - Foreign Policy of India- A Book of Readings, New Delhi 1977.

Mitrokhin, L.V. and Fedin N.M.- India's great son .

Mishra, Girish - Relevance of Indo-Soviet economic relations , New Delhi 1985.

Mukherjee, Hiren - Three decades of Indo-Soviet Amity, New Delhi 1981.

Mishra, K.P. (ed.) - Janata's Foreign Policy, New Delhi 1979.

Menon. K.P.S. - Lenin through Indian eyes, Delhi 1970.

Mitrokhin, L.V. - Friends of the Soviet Union, New Delhi 1977.

Neelkant, K. - Partners in Peace- A Study in Indo Soviet Relations, Delhi 1972.

Naik, J.A. - Soviet Policy Towards India from Stalin to Breshnev, Delhi 1970.

Nanda, Col. Ravi - Indo-Pak Detente, New Delhi, 1989.

Nehru, J.L. - India's Foreign Policy- Selected Speeches Sept.1946-April 1961, Delhi 1961.

Noorani. A.G. - Breshnew Plan for Asian Collective Security, Bombay, 1975.

Nailer, P., French--twanger E.J. - The Soviet Union and the Third World 1981

Nehru, J.L. - Glimpses of World History, Bombay 1962.

Nehru, J.L. - India and The World- A Collection of Some of Nehru Speeches, London, 1939.

Parashar, S.C. - United Nations and India, New Delhi 1985.

Pant,H.G. - India's Foreign Policy, 1971.

Paliwal, K.Rajesh - Janata Phase in Indian Politics,N.Delhi.

Phariya, B.L. - International Politics,Agra,1988.

Pandit,V.L. - The Scope of Happiness - A Personal Memoir,New Delhi 1979.

Pal,B.C. - The World Situation and Ourselves, Calcutta.

Prasad,Bimal - Origins of India's Foreign Policy, Calcutta 1962.

Ram, Dr. Ragunath - Soviet Policy Towards Pak,NewDelhi 1983.

Raitsin,L, Koptevs_boy V.,Granovsky A. - Indo-Soviet Economic and Trade Relations New Delhi 1977.

Rajan,M.S. - Non-alignment- India and the future Mysore 1970.

Raj Kumar - Background of India's Foreign Policy New Delhi 1952.

Rijui Hasan Asbari- The Soviet Union and the Indo-Pak Subcontinent, Lahore 1974.

Singh, Darshan - Soviet Foreign Policy documents 1980, New Delhi 1981.

Singh, Darshan - Soviet Foreign Policy Documents 1984, New Delhi 1985.

Singh,Darshan - Soviet Foreign Policy Documents 1985, New Delhi 1986.

Sharma, S.R. - Bangladesh Crisis and Indian Foreign Policy, New Delhi 1978.

Saxena, Ajai - India and Pakistan - Their Foreign Policies, New Delhi 1987.

Subrahmanyam,K. - Bangladesh and India's Security, Dehradun,1972.

Singh, Darshan - Soviet Foreign Policy Documents 1987 New Delhi 1988.

Sharma, SriRam - Indian Foreign Policy- Annual Survey1973

Singh,Sant Mahal - The Yogi and the Bear,New Delhi,1986.

Singh, S.P. - Political Dimensions of India-USSR Relations, New Delhi,1987.

Singh, Sangat - Pakistan's Foreign Policy,Bombay 1970.

Singh, Dinesh - Towards New Horizones-1970.

Srivastava,N.K. - Foreign Policy of India - Agra 1978.

Saxena,K.C. - Pakistan, Her Relations with India, New Delhi 1966.

Sharma, R.K.(ed.) - Indo-Soviet Co-operation and India's economic development,1982.

Singh, V.B. (ed.) - Indo-Soviet Relations(1947-77)New Delhi 1978.

Sinha, Sasadhar - An English Translation of the Collection of Tagore's Fourteen Original Letters in Bengali, Calcutta 1960.

Sherwani,L.A. - India,China and Pakistan, Karachi 1967.

Sebastian, M. - Soviet Economic Aid to India,1975

Tiwari,J.C. - Basic Principles of Soviet Economic aid to India, Aligarh,1939.

Tiwari,S.C. - Indo-U.S. Relations (1947-76),New Delhi 1977.

Taververir - Travels in India, London, 1925.

Vibhakar,Jagdish - A Model Relationsship-25 Years of Diplomatic Ties,New Delhi,1972.

Venon,Gopal,Rao - Friends and Partners- Five Years Indo-Soviet Treaty, Bombay,1976.

Vibhakar,Jagdish - Nai Duniya,Nai Sambhavanayen,Delhi1975.

Vajpayee, A.B. - New Dimensions of India's Foregn Policy Delhi,1979.

Zhukov, Y. - The Third World-Problems and Prospects, Moscow-1970.

JOURNALS:

Indian And Foreign Review
India Quarterly
International Studies
Soviet Land
Soviet Review
Janata
Peking Review
The China Quarterly
Far Eastern Economic Review
Foreign Affairs
Socialist India

NEWS PAPERS:

The Hindu
The Statesman
The Indian Express
Patriot
Amrit Bazar Patrika
The Times of India
The National Herald
The Hindustan Times
The Motherland
Nav Bharat Times
Dainik Jagrana
The Times
The New York Times
Daily Telegraph
The Guardian
Ceylone Daily News
Izvesta
Pravada

MAGAZINES:

Frontline
India Today
Dharm Yug
Saptahik Hindustan
Competiton Master
Competition Success Review
Civil Servi-ces Cronicle.

****
*****
***
*